अध्यादेश क्रमांक 1

विद्यार्थी का नामांकन और पाठ्यक्रमों में उनका प्रवेश

(संदर्भ खंड–36 अ)

1. कोई भी अभ्यर्थी जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (10+2), मध्यप्रदेश या किसी अन्य मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की है वह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो सकता है।
2. विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा नामांकन के लिए आवेदन कुलसचिव कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में नामांकन शुल्क के साथ समयावधि में जमा किया जाएगा। यह आवेदन विभागाध्यक्ष, जहाँ छात्र का प्रवेश हुआ है, के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
3.
   - *I.* *विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में अध्ययन एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्र/छात्रा को नामांकन के बिना नियमित विद्यार्थी मान्य नहीं हो सकता है।
     (3)(1) में वर्णित प्रावधान एक वर्षीय या उससे कम अवधि के पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विलोपित किया जाता है एवं इस विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के साथ तथा अन्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत/प्रवेशार्थी विद्यार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
     ***(3)(1) में उपरोक्त वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन किया गया जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के किसी भी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेशित नियमित विद्यार्थी को अन्य किसी एक पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता होगी । प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नामांकन की बाध्यता नहीं रहेगी । विद्यार्थी एक वर्ष में अधिकतक दो पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेगा ।*
   - II. छात्र/छात्रा संबंधित अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखता हे तो ऐसे प्रकरणों को छोड़कर विद्यार्थी द्वारा भुगतान किया गया नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
4. महाविद्यालय में छात्रों के नामांकन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात्–
   - I. सभी छात्रों/छात्राओं के आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, यदि आवश्यक हो तो निर्धारित प्रपत्र के साथ 30 सितंबर तक विश्वविद्यालय के कुलसचिव कार्यालय या कुलसचिव द्वारा निर्धारित कार्यालय में जमा करना होगा।
   - II. विशेष कारणों से रुपये 100/– के विलंब शुल्क के साथ जमा करने पर ही नामांकन हो सकेगा।
   - III. नामांकन के लिए आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थियों के प्रकरण विभागाध्यक्ष इस आशय से कि उसने उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों का निरीक्षण कर लिया है और संतुष्ट है कि प्रत्येक मामले में संबंधित छात्र ने वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जो विश्वविद्यालय के नियमों के अंतर्गत उसे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता प्रदान करती है जिसमें उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया है।
5. कोई भी अभ्यार्थी जो दंड या निर्वासन या विश्वविद्यालय से निष्कासन के अंतर्गत है, उसे उस कालावधि में अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक दंड प्रभावशील है।
6.
   - I. छात्र/छात्रा जिसका नामांकन विश्वविद्यालय में हुआ है अपने स्वयं के नाम या उपनाम में बदलाव, सुधार या परिवर्तन के लिए कुलसचिव को निर्धारित शुल्क

के साथ आवेदन कर सकते हैं लेकिन किसी भी परिस्थिति में एक बार दर्ज किए गए माता/पिता जैसा कि प्रकरण हो के नाम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

II. कुलसचिव यदि विधि द्वारा अनुमोदित शपथपत्र के माध्यम से छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत अनुरोध की युक्तियुक्तता के विषय में संतुष्ट हैं तो वह छात्र के नाम में परिवर्तन या सुधार का आदेश पारित कर सकते हैं।

III. कोई भी परिवर्तन संवर्धन या संशोधन विश्वविद्यालय के रजिस्टर में लाल स्याही से कुलसचिव के सत्यापन के उपरांत अंकित किया जाएगा और इस प्रभाव का प्रमाणपत्र आवेदक को प्रदान किया जाएगा और जैसा भी मामला हो, संगणक की हार्डडिस्क में उपलब्ध रिकार्ड में भी दर्ज किया जाएगा।

IV. किसी भी परिस्थिति में नाम परिवर्तन या सुधार की अधिसूचना प्रमाणपत्र, पत्रोपाधि उपाधि और आवेदक के पक्ष में जारी अन्य अभिलेखों में पूर्व में कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा।

V. विश्वविद्यालय के सभी आगामी/उत्तरवर्ती दस्तावेजों यथा प्रमाणपत्रों पत्रोपाधियों और उपाधियों में पूर्व के साथ ही साथ नया नाम भी प्रविष्ट किया जाएगा और भविष्य में सभी पत्राचार इसी प्रकार से जारी किया जाएगा।

VI. नाम में परिवर्तन या सुधार के लिए आवेदन या तो जहाँ छात्र अध्ययन कर रहा है, के विभागाध्यक्ष के माध्यम से या अन्य लोगों के मामले में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और एक शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।

VII. आवेदन के साथ जमा शुल्क छात्र को वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके आवेदन को अस्वीकृत न कर दिया गया हो।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

(3.1)* विश्वविद्यालय अधिसूचना कमाँक/अका/अबिवाहिविवि/670/2016 दिनाँक 01/08/2016 के अनुसार वि.वि.अधिनियम 2011 की कंडिका 7(5) एवं 14(4) में वर्णित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश क्र.1 की धारा (3)(1) में वर्णित प्रावधान एक वर्षीय या उससे कम अवधि के पत्रोपाधि, प्रमाण पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए विलोपित किया जाता है एवं इस विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के साथ तथा अन्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत/प्रवेशार्थी विद्यार्थी उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(3.1)** विश्वविद्यालय अधिसूचना कमाँक/अका/अबिवाहिविवि/2018/1977 दिनाँक 22/03/2018 के अनुसार वि.वि.अध्यादेश क्र-1 की धारा (3)(1) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन किया गया । विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 27/01/2018 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 29/01/2018 में अनुमोदन किया गया तथा अधिसूचना कमाँक/अका/अबिवाहिविवि/670/2016 दिनाँक 01/08/2016 में पुनः संशोधन किया गया ।

अध्यादेश क्र.–2
संकायवार विभागों का विवरण
(संदर्भ अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत)

विश्वविद्यालय में विषय या विषय समूहों के लिए निम्नांकित संकाय जो कॉलम नं. (1) में दर्शाये गये हैं तथा अन्य संबंधित विषय/अध्ययन मण्डल/ पाठ्यक्रम समितियाँ जो कॉलम नं. (2) में दर्शाये अनुसार होंगे :-

संकाय का नाम (1)	विषय या विषय समूह का नाम (2)
1- आधारभूत विज्ञान संकाय	➢ गणित ➢ भौतिकी ➢ जैव भौतिकी ➢ अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान ➢ भू विज्ञान ➢ रसायन शास्त्र ➢ जैव रसायन ➢ सांख्यिकी ➢ धातु-विज्ञान ➢ मौसम विज्ञान ➢ अति सूक्ष्म तकनीकी विज्ञान
2- जीवन विज्ञान संकाय*	➢ वनस्पति विज्ञान ➢ प्राणी विज्ञान ➢ जैव विविधता ➢ पर्यावरण विज्ञान ➢ सूक्ष्म जीवविज्ञान ➢ औषधीय पादप ➢ वानिकी ➢ वन्यजीव ➢ जैव प्रौद्योगिकी ➢ जैव सूचना विज्ञान ➢ *योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
3- गृह विज्ञान संकाय	➢ आहार एवं पोषण ➢ तन्तु विज्ञान एवं परिधान ➢ मानव विकास ➢ संसाधन प्रबंधन ➢ प्रसार शिक्षा एवं संचार
4- संगणक विज्ञान संकाय	➢ संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग
5- समाज विज्ञान संकाय	➢ इतिहास ➢ राजनीतिशास्त्र ➢ लोक प्रशासन ➢ सामरिक अध्ययन ➢ दक्षिण एवं पूर्व एशिया अध्ययन ➢ अर्थशास्त्र ➢ समाजशास्त्र ➢ मनोविज्ञान ➢ भूगोल

6- भाषा अध्ययन एवं अनुवाद संकाय	➢ संस्कृत ➢ पालि ➢ प्राकृत ➢ अपभ्रंश ➢ हिन्दी ➢ भारतीय भाषाएँ ➢ अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाएँ ➢ अनुवाद
7- प्राच्य विद्या संकाय	➢ वैदिक साहित्य ➢ भारतीय दर्शन ➢ धर्मशास्त्र ➢ योगशास्त्र ➢ ज्योतिर्विज्ञान ➢ पुराण इतिहास
8- ललित कला संकाय	➢ चित्र कला ➢ मृदा शिल्प ➢ भित्ति शिल्प एवं चित्रकारी ➢ संगीत एवं नृत्य
9- कला संकाय*	➢ हिन्दी ➢ अंग्रेजी ➢ संस्कृत ➢ दर्शनशास्त्र ➢ भारतीय साहित्य ➢ पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान ➢ सौंदर्यशास्त्र ➢ *योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
10- नाट्य एवं दृश्य -श्रव्य संकाय	➢ नाट्य एवं दृश्य-श्रव्य
11- पत्रकारिता एवं जनसंचार	➢ पत्रकारिता एवं जनसंचार
12- विधि संकाय	➢ विधि ➢ अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान
13- शिक्षा संकाय	➢ शिक्षा ➢ शारीरिक शिक्षा
14- कृषि संकाय	➢ शस्य विज्ञान ➢ कृषि विस्तार एवं संचार ➢ कृषि अर्थशास्त्र ➢ जैविक कृषि विज्ञान ➢ कीट विज्ञान ➢ पादपरोग विज्ञान ➢ मृदा विज्ञान ➢ कृषि वनस्पति विज्ञान ➢ पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी ➢ उद्यानिकी (सब्जी विज्ञान, पुष्पउत्पादन एवं फल उत्पादन) ➢ कृषि उत्पाद - खाद्य विज्ञान

	➢ कृषि मौसम विज्ञान ➢ कृषि वानिकी ➢ दुग्ध विज्ञान, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा ➢ कृषि अभियान्त्रिकी
15- वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय	➢ आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन ➢ व्यावसायिक प्रशासन ➢ लेखाशास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी ➢ प्रबंध अध्ययन
16- आयुर्विज्ञान संकाय	➢ **आयुर्वेद ➢ *योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा ➢ होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा ➢ एलौपेथ चिकित्सा ➢ वैकल्पिक चिकित्सा ➢ **2.एलोपैथ चिकित्सा-** ➢ शरीर रचना और देह विज्ञान ➢ जैव रसायन ➢ अन्वेषणात्मक औषधि ➢ सूक्ष्मजीव विज्ञान ➢ नेत्र विज्ञान एवं चिकित्सा ➢ शरीर क्रिया विज्ञान ➢ भेषज विज्ञान ➢ रोग विज्ञान विभाग (पैथालॉजी) ➢ निवारक एवं सामाजिक औषधियाँ एवं चिकित्सा ➢ शिशु चिकित्सा ➢ विकिरण विज्ञान चिकित्सा ➢ शल्य चिकित्सा ➢ संवेदनाहरण विज्ञान ➢ दन्त चिकित्सा ➢ विकलांग विज्ञान ➢ नाक-कान-गला ➢ मनोचिकित्सा ➢ त्वचा विज्ञान एवं चिकित्सा ➢ वक्षस्थल चिकित्सा ➢ रतिरोग चिकित्सा ➢ न्यूरो सर्जरी ➢ हृदय रोग निदान एवं चिकित्सा ➢ मूत्र विज्ञान एवं चिकित्सा ➢ शिशु शल्य चिकित्सा ➢ उपचर्या
17- अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संकाय	➢ यांत्रिक अभियांत्रिकी ➢ विद्युत अभियांत्रिकी ➢ नागर(सिविल) अभियांत्रिकी ➢ खनन अभियांत्रिकी ➢ धातुकर्मीय अभियांत्रिकी ➢ रासायनिक अभियांत्रिकी

	➢ इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी ➢ संगणक अभियांत्रिकी ➢ स्वदेशी अभियांत्रिकी ➢ सूचना प्रौद्योगिकी ➢ वास्तुकला अभियांत्रिकी
18– भेषज विज्ञान संकाय	➢ औषध विज्ञान ➢ **औषध निर्माण विज्ञान** :– 1–भारतीय औषध निर्माण 2–एलौपेथ औषध निर्माण
19–आयुर्वेद संकाय**	➢ 1. शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, मौलिक सिद्धाँत एवं अष्ठांग हृदय, चरक संहिता (पूर्वाद्ध एवं उत्तराद्ध) ➢ 2. रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, द्रव्य गुण विज्ञान, अगद तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेद, आयुर्वेदिक फार्मास्युटिक्स ➢ 3. स्वस्थवृत एवं योग, रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, चेतना एवं विकिरण विज्ञान, आयुर्वेद डायटेटिक्स ➢ 4. कायचिकित्सा, पंचकर्म, मनोविज्ञान मानस रोग एवं मानसिक स्वास्थ्य, रसायन एवं बाजीकरण ➢ 5. शल्य सामान्य, शल्य क्षार एवं अनुशास्त्र, शल्स–अस्थि मर्माघात चिकित्सा शालाक्य – नेत्र, दंतमुख, शिरोनासा, कर्ण और कंठ ➢ 6. प्रसूति एवं स्त्री रोग, कौमारभृत्य– बाल रोग ➢ 7. अनुसंधान पद्धति एवं चिकित्सकीय सांख्यकी, नर्सिग, संज्ञा हरण

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011की धारा 36 (त) में स्पष्टतः अध्ययन मंडल/ पाठ्यक्रम समितियों का विवरण नहीं है किन्तु अधिनियम की धारा 36 में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत धारा–19 (3) के तहत विद्यापरिषद् की अनुशंसा से उपर्युक्त प्रावधान को दिनांक 15–02–2013 को आयोजित कार्यपरिषद् के सम्मिलन में अनुमोदित एवं अंगीकृत किया गया है।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***2. जीवन विज्ञान संकाय 9. कला संकाय एवं 16. आयुर्विज्ञान संकाय** में विद्या परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 तथा कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 तथा विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमाँक 223/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 13/04/2017 के अनुसार निम्न संशोधन अनुमोदित किये गये –

(अ) अध्यादेश क्रमाँक 2 में आयुर्विज्ञान संकाय के अंतर्गत योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषय को विलोपित किया जाता है ।

(ब) योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विषय को जीवन विज्ञान संकाय एवं कला संकाय में पृथक–पृथक प्रतिस्थापित किया जाता है ।

****16. आयुर्विज्ञान संकाय एवं 19. आयुर्वेद संकाय** – विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 06/04/2016 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 17/11/2016 के परिपालन में अधिसूचना क्रमाँक 427/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 29/ 07/2017 के अनुसार आयुर्वेद संकाय को आयुर्विज्ञान संकाय से पृथक किया गया तथा विषय/प्रश्नपत्रों का उल्लेख अंकित किया गया ।

अध्यादेश क्रमांक–3

विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं एवं विभागों के शिक्षकीय पदों के लिए न्यूनतम अर्हताओं संबंधी नियम

[अधिनियम की धारा 36 (ण) के अन्तर्गत निर्मित]

1. **प्रस्तावनाः–** अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के विभिन्न विभागों, अध्ययन केन्द्रों एवं अध्ययनशालाओं में शिक्षकीय पदों यथा– **आचार्य, सह–आचार्य** एवं **सहायक आचार्य** के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु नियम, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये शिक्षकीय पदों पर भर्ती/पदोन्नति हेतु न्यूनतम योग्यता, अनुभव, चयन व मापदण्ड संबंधी विनियम 2010 के आधार पर निर्मित किये गये हैं।
2. **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भः–** यह नियम विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं एवं विभागों के शिक्षकीय पदों के लिए भर्ती व न्यूनतम अर्हताओं संबंधी नियम जाने जायेंगे तथा उस दिनांक से प्रवर्त समझ जायेंगे जिस दिनांक से साधारण परिषद द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।
3. **परिभाषाएँ :–**

3.1 विनियम 2010– से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अधिमान्य/प्रभावशील विनियम 2010

3.2 केन्द्रीय परिषद– से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित संस्थाएँ।

3.3 आचार्य– से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों में से वह पद जिस पर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति को आचार्य पद पर नियुक्त किया हो।

3.4 सह–आचार्य– से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों में से वह पद जिस पर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति को सह–आचार्य पद पर नियुक्त किया हो।

3.5 सहायक आचार्य– से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों में से वह पद जिस पर विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम 2010 के अन्तर्गत निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति को सहायक आचार्य पद पर नियुक्त किया हो।

3.6 शिक्षक– से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के शैक्षकीय पदों पर अधिनियम की धारा 33 की चयन समिति द्वारा नियुक्त शिक्षक, जैसा कि अधिनियम की धाराओं व इस अध्यादेश के उपबंधों में वर्णित है।

3.7 चयन समिति– से अभिप्रेत है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा–33 के अन्तर्गत गठित चयन समिति।

3.8 आरक्षण– से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ निःशक्तजन एवं अन्य समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम।

अन्य समस्त परिभाषाएँ विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अनुसार व अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित परिनियम, अध्यादेश में वर्णित हों, मान्य होंगी।

4. अधिगृहीत प्रावधान :-

4.1 अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 36 (ण) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में शिक्षकीय पदों यथा; आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य तथा अन्य ऐसे शिक्षकीय पद जिनका नामकरण विद्यापरिषद् की अनुशंसा से कार्यपरिषद द्वारा निर्धारित किये जाएँ, को इन नियमों के अन्तर्गत सम्मिलित और मान्य किये जायेंगे। किन्तु यह भी कि शिक्षकीय पदों के नाम वही रखें जायेंगे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी) अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित विनियम 2010 समय-समय पर संशोधित, के अनुसार होंगे।

4.2 शिक्षकीय पदों में आचार्य एवं सह-आचार्य के पद प्रथम श्रेणी अधिकारी या समकक्ष एवं सहायक आचार्य का पद द्वितीय श्रेणी अधिकारी या समकक्ष, के अनुसार मान्य किया जायेगा तथा इनके चयन के लिए चयन समिति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा 33 के अनुसार होगी तथा अन्य समस्त प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया एवं अर्हताओं संबंधी विनियम 2010, समय-समय पर संशोधित के अनुसार, मान्य होंगे।

4.3 विश्वविद्यालय के समस्त विषयों में शिक्षकीय पदों के लिए न्यूनतम अर्हताएँ वहीं होंगी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा प्रभावशील विनियम 2010 तथा समय-समय पर संशोधन कर प्रभावशील विनियम/नियमों में दर्शायी गयीं हैं। ऐसे समस्त विषय जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के विनियम 2010 तथा समय-समय पर संशोधनों द्वारा शामिल विनियम/नियम यथास्वरूप इस विश्वविद्यालय के लिए भी मान्य होंगे।

4.4 ऐसे विषय जिनका संबंध अभियांत्रिकी, विधि, आयुर्विज्ञान, भेषज विज्ञान एवं कृषि संकायों से संबंधित हैं, में नियुक्ति हेतु शिक्षकों की वही योग्यताएँ मान्य होंगी जो संबंधित केन्द्रीय परिषदों यथा-यू.जी.सी., ए.आई. सी.टी.ई., एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., एन.सी.टी.ई., आई.सी.ए. आर., बी.सी.आई, पी.सी.आई. एवं अन्य ऐसी संबंधित परिषद् जो भविष्य में केन्द्रीय अधिनियम से बनाई जाए के द्वारा संबंधित विषय में नियुक्ति हेतु आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य या समकक्ष के पद के लिए योग्यताएँ निर्धारित की गयी हों।

5. आरक्षणः-

5.1 विश्वविद्यालयीन अध्ययनशालाओं एवं विभागों में आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महलाओं, निःशक्तजन एवं अन्य आरक्षण नियम जो समय-समय पर संशोधित व लागू किये गये हैं, के अनुसार तत्समय लागू एवं प्रभावशील मान्य होंगें।

5.2 आरक्षण रोस्टर तैयार करने हेतु प्रत्येक पद यथा; आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को विभागवार इकाई मानते हुए मध्यप्रदेश शासन आरक्षण रोस्टर प्रभावशील मान्य होगा।

5.3 निःशक्तजन के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित हो कि निःशक्तता शिक्षकीय कार्य में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं है। चयन समिति को भी यह सुनिश्चित तथा स्पष्टतः उल्लेखित करना होगा, कि संबंधित अभ्यर्थी शिक्षकीय कार्य के योग्य है।

6. नियुक्ति की शर्तेः–

6.1 विश्वविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की परिलब्धियाँ, वेतनमान, नियुक्ति की शर्तें, कर्तव्य, अधिकार, अवकाश, अनुशासन व नियन्त्रण/अपील विश्वविद्यालयीन सेवाओं से संबंधित अधिकार, कर्तव्य एवं अन्य सेवा–शर्तो से संबंधित परिनियम/ परिनियमों के अनुसार मान्य होंगी।

6.2 अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत संरक्षित रहते हुए भी पदोन्नति एवं सीधी भर्ती हेतु आचार्य, सह–आचार्य एवं सहायक आचार्य के लिए अकादमिक निष्पादन सूचक (Academic Performance Index) की गणना एवं नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी विनियम 2010 तथा समय–समय पर संशोधित नियम यथावत मान्य एवं प्रभावशील होंगे।

6.3 विश्वविद्यालय में नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड (Good Academic Record) की व्याख्या इस प्रकार होगी :–

(क)* **विलोपित** – *शिक्षकीय पदों के लिए कोई भी अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक या जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम 2010 तथा समय–समय पर संशोधनों में निर्धारित किया गया हो, के साथ–साथ स्नातक या समकक्ष व उच्चतर माध्यमिक 10+2 या समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्णांकों में किसी भी स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर ही शिक्षकीय पद के लिए आवेदन करने के योग्य होगा।*

किन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश शासन, भारत शासन के अधीन अन्य केन्द्र शासित या राज्य के विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पूर्व से कार्यरत नियमित आचार्य, सह–आचार्य तथा सहायक आचार्य के लिए उपर्युक्त स्नातक व उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्रतिशत लागू नहीं होंगे।

******कंडिका क्रमाँक 6.3(क) में स्नातक या समकक्ष व उच्चतर माध्यमिक 10+2 या समकक्ष परीक्षा के उत्तीर्णांकों में किसी भी स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर ही शिक्षकीय पद के लिए योग्य होगा की शर्त को विलोपित करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 एवं समय–समय पर संशोधनों में निर्धारित मानकों के अनुरूप योग्यतायें निर्धारित करने एवं 50 प्रतिशत के बंधन को विलुप्त किया गया।*

(ख) अकादमिक निष्पादन सूचक (Academic Performance Index) की गणना करते समय स्नातक व उच्चतर माध्यमिक 10+2 या समकक्ष परीक्षा के न्यूनतम उत्तीर्णांकों की भार गणना यदि आवश्यक हो तो, वास्तविक अंकों पर आधारित होगी।

6.4 सहायक प्राध्यापक या समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण के साथ–साथ राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी ने वर्ष 1993 या उसके पूर्व एम–फिल तथा दिसम्बर 2002 के पूर्व पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त की है तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय

**6.3(क)* साधारण सभा की पंचम बैठक दिनाँक 26.06.2018 के बिन्दु क्रमाँक 2 में कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 04.05.2018 के निर्णय के तारतम्य में संशोधन/अनुमोदन किया गया ।

*विद्यापरिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में संशोधन संबंधी सूचना ग्रहण की गई ।

अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा पी–एच.डी./ एफ–फिल उपाधि हेतु विनियम 2009 के अन्तर्गत उपाधि प्राप्त की है, को राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण करने से छूट रहेगी।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पी–एच.डी./ एफ–फिल उपाधि हेतु भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पी–एच.डी./ एफ–फिल विनियम 2009 के प्रभावशील होने के पूर्व, किन्तु एम–फिल के लिए वर्ष 1993 तथा पी–एच.डी. के लिए वर्ष 2002 के बाद पंजीयन करा लिया है या उपाधि प्राप्त हो गई है, को भी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा (NET) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी, जब तक कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली व मध्यप्रदेश राज्य शासन ने अधिसूचना द्वारा कोई ऐसी छूट प्रदान न की हो।

7. चयन समिति एवं प्रक्रियाः–

7.1 शिक्षकीय पदों का विज्ञापन राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसारित किया जा सकेगा।

7.2 विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं एवं विभागों में शिक्षकीय पदों यथा; आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य की सीधी भर्ती एवं पदोन्नति, चयन समिति के माध्यम से की जायेगी और यह चयन समिति अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 की धारा–33 के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के तहत गठित की जायेगी।

(अ) सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु अभ्यार्थियों के अकादमिक निष्पादन सूचक (Academic Performance Index) निर्धारण हेतु निम्नांकित छानबीन सह–मूल्यांकन समिति होगीः–

(i) कुलपति– अध्यक्ष

(ii) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष

(iii) विश्वविद्यालय के संबंधित विषय के विभाग का विभागाध्यक्ष

(iv) कुलपति द्वारा नियुक्त एक विषय विशेषज्ञ

(ब) अकादमिक निष्पादन सूचक (Academic Performance Index) प्रोफार्मा में सभी अभ्यार्थियों का विवरण होगा जो चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

7.3 विश्वविद्यालय में शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति, स्थायी पद के विरुद्ध ही की जा सकेगी किन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य शासन अथवा अन्य किसी संस्थान/संस्था से शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया वही होगी जो सीधी भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया अपनायी गयी है।

8. विविधः–

8.1 अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा–33 में वर्णित चयन समिति के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को ही विश्वविद्यालय के स्थायी शिक्षक मान्य किया जायेगा।

8.2 शिक्षकीय पदों पर प्रतिनियुक्ति माध्यम से नियुक्त शिक्षकों का संविलियन, यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो सीधी भर्ती संबंधी चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत ही मान्य एवं प्रभावशील होगी।

8.3 प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतः एक से तीन वर्ष, जैसा लागू हो, तथा तीन वर्ष पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवधि में दो वर्ष वृद्धि की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी तथा ऐसी

अवधि समाप्त होने के पश्चात शिक्षक को मूल पद व विभाग में वापस होना होगा जब तक कि प्रतिनियुक्ति से पदस्थ शिक्षक की सेवाओं का संविलियन न किया गया हो।

9. संरक्षण उपबन्धः–

9.1 अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत निर्मित अन्य परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम में दिये गये प्रावधान इन नियमों से परस्पर विरोधी नहीं होंगे किन्तु यदि कोई अन्यथा स्थिति निर्मित हो जाती है जिसका निराकरण इन नियमों में नहीं है की स्थिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के नियम व अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान ही अधिमान्य होंगे।

9.2 विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों के वेतनमान व सेवानिवृत्ति की आयु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर समकक्ष पदों के लिए जारी किये गये तत्संबंधी वेतनमान जो मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना के माध्यम से अंगीकृत व स्वीकार किये हों, के अनुसार मान्य होंगे।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक–4

विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता संबंधी नियम

(अधिनियम की धारा 36 (न) के अंतर्गत)

(1) **प्रस्तावना–** अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, समितियों, तथा अन्य निकायों के सदस्यों, विश्वविद्यालय के परीक्षकों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय के प्रयोजन से मुख्यालय से बाहर जाने एवं विश्वविद्यालय में कार्य करने हेतु बाहर से आमंत्रित किये जाने वाले सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता व दैनिक अनुज्ञेय संबंधी नियमों का संकलन म.प्र. शासन के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये समय–समय पर संशोधित व प्रभावशील नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय के लिये यह नियम विरचित किये गये हैं।

(2) **संक्षिप्त नाम प्रभावशीलता एवं प्रारंभ–**

i. यह नियम विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता एवं दैनिक अनुज्ञेय संबंधी नियम कहे जायेंगे।

ii. यह नियम उस दिनांक से प्रवृत्त होंगे अथवा प्रवृत्त समझे जायेंगे जिस दिनांक से कार्य परिषद् की अनुशंसा के पश्चात् साधारण परिषद् से अनुमोदन प्राप्त हो जाये।

iii. यह नियम विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों एवं समितियों की बैठक में उपस्थित होने हेतु बाहय सदस्य तथा विश्वविद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों जिसमें शिक्षक, अधिकारी, कुलसचिव एवं कुलपति सभी सम्मिलित हैं, के लिये मान्य होगें।

(3)**परिभाषाएँ**

3.1 **''शासन''** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ।

3.2 ''**यात्रा भत्ता**'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन विश्वविद्यालय के कार्यो के लिये विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा से संबंधित तथा विश्वविद्यालय के कार्यों के लिये बाहर से आने वाले सदस्यों को दिये जाने वाली व्यय प्रतिपूर्ति।

3.3 ''**दैनिक भत्ता**'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के कार्यो से मुख्यालय से बाहर अथवा मुख्यालय में प्रतिदिन संबंधित व्यक्तियों को भोजन–आवास आदि की व्यवस्था में की गई व्यय प्रतिपूर्ति।

3.4 ''**ग्रेड वेतन''** ''से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान का ग्रेड–वेतन।

3.5 ''**कर्मचारी''** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी जिन्हें विश्वविद्यालय निधि से नियमित वेतन भुगतान किया जाता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं के अलावा अन्य सभी परिभाषायें विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अनुसार अथवा अंतर्गत निर्मित अन्य परिनियम, अध्यादेश में, जो भी लागू हो, मान्य होगी।

(4) **वर्गीकरण–**

अ विश्वविद्यालय में कार्यरत अथवा विश्वविद्यालय के कार्य के लिये आने वाले बाहय व्यक्तियों को भुगतान किये जाने वाले यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के लिये अथवा विश्वविद्यालय के कार्य से की गई यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति प्रयोजन हेतु

समस्त कर्मचारियों/शिक्षकों एवं बाहय सदस्यों को दरें निर्धारित करते हुए निम्नांकित श्रेणी में विभाजित किया गया हैः-

श्रेणी	ग्रेड पे	पात्रता			यात्रा दैनिक भत्ता			विदेश यात्रा पर दैनिक भत्ता अमेरिकन डालर
		हवाई यात्रा श्रेणी	रेलगाड़ी से यात्रा श्रेणी	बस यात्रा श्रेणी	साधा. दर	विशेष दर प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल,इंदौर,जबलपुर, वालियर के लिये विशेष दर	विशेष दर दिल्ली,बम्बई, कलकत्ता,चैन्ई,बैंगलूर, हैदराबाद,अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे के लिये विशेष दर	
1	2	3	4	5	6	7		8
ए	7600 एवं अधिक	इकानामी क्लास	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी	200	300	400	75 या म.प्र. शासन के अनुसार
बी	6600 एवं अधिक किंतु 7600 से कम	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी	160	240	320	75 या म.प्र. शासन के अनुसार
सी	4200 एवं अधिक किंतु 6600 से कम	नहीं	वातानुकूलित प्रथम व एक्जीक्यूटिव श्रेणी के अलावा समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी	120	180	240	नहीं
डी	2400 एवं अधिक किंतु 4200 से कम	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एक्जीक्यूटिव व वातानुंकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी	100	150	200	नहीं
ई	2400 से कम	नहीं	केवल स्लीपर एवं गैर वातानुकूलित कुर्सीमान	समस्त श्रेणी	70	100	100	नहीं

उपर्युक्त श्रेणी मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता नियमों के अनुरूप निर्धारित की गई है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर संशोधन किये जाने के फलस्वरूप यथास्वरूप विश्वविद्यालय में भी प्रभावशील हो सकेगी।

(ब) यात्रा के प्रकार जिनमें यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति एवं यात्रा दैनिक भत्ते की पात्रता होती है-

i. विश्वविद्यालय के कार्य से की गई यात्रा।
ii. विश्वविद्यालय मुख्यालय में बाहर के स्थान से स्थानान्तरण पर उपस्थित होने के लिये की गई यात्रा।
iii. विश्वविद्यालय परीक्षा कार्य हेतु परीक्षक द्वारा की गई यात्रा।
iv. विश्वविद्यालय कर्मचारी को अवकाश से वापस बुलाये जाने पर की गई यात्रा।
v. विश्वविद्यालय की अनुमति से सेवा प्रयोजन से की गई यात्रा।
vi. न्यायालय, अभिकरण, प्राधिकरण, राज्य या केन्द्रशासन या किसी भी जांच या विभागीय जांच में, साक्ष्य देने के लिये उपस्थिति होने पर यात्रा

vii. विश्वविद्यालय कर्मचारी की विशेष बीमारी के कारण कर्मचारी के साथ की गई यात्रा

viii. विश्वविद्यालय की अनुमति से की गई विदेश यात्रा

ix. सेवा प्रशिक्षण हेतु की गई यात्रा

x. विश्वविद्यालय के किसी भी कार्य से की गई ऐसी यात्रा जिसमें कुलपति द्वारा विशेष अनुमति दी गई हो।

(5) यात्रा भत्ता–यात्रा भत्ता की पात्रता निम्नांकित विधि से विश्वविद्यालय में प्रभावशील होगी।

(5.1) विश्वविद्यालय के कार्य से आने वाले सभी प्राधिकारी समितियों के सदस्य, निरीक्षणकर्ता, मोडरेटर, परीक्षक एवं मुख्यालय से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को वर्गीकरण में दर्शाई गई पात्रता के अनुसार यात्रा में किये गये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस व्यय की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक निर्धारित रहेगी जो उपर्युक्त तालिका में दर्शाई गई है।

(5.2) यात्रा भत्ता स्वीकृत किये जाने वाले प्राधिकारी की संतुष्टि होने तक हवाई जहाज, रेल, बस अथवा कार से की गई यात्रा से मुख्यालय तक पहुंचने में किया गया व्यय की प्रतिपूर्ति उचित प्रमाण उपलब्ध होने पर ही किया जा सकेगा।

(5.3) स्वयं की कार से किये जाने वाले यात्रा के व्यय प्रतिपूर्ति के वही नियम होंगे जो मध्यप्रदेश शासन में अपने सेवकों के लिये निर्धारित किये हैं।

(5.4) किराये के वाहन से की जाने वाली यात्रा के व्यय प्रतिपूर्ति के लिए किसी अधिकृत एजेन्सी के देयक पर ही भुगतान किया जा सकेगा।

किन्तु यह भी कि रेल यात्रा उपलब्ध होने पर भी किराये के वाहन से अथवा निजी वाहन से तथा हवाई यात्रा करने के लिये कुलपति की अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा।

(5.5) यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता कम दूरी वाले मार्ग के लिये ही मान्य होगा किन्तु यदि अधिक दूरी वाले मार्ग से यात्रा की गई है अथवा की जाने वाली है, के लिए यदि कुलपति आवश्यक समझते हैं तो कुलपति की विशेष अनुमति से यात्रा की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(5.6) यदि कोई विश्वविद्यालय सेवक या विश्वविद्यालय में आमन्त्रित व्यक्ति यात्रा करने पर एक तरफ का यात्रा टिकिट प्रस्तुत करता है तो उसे दूसरी तरफ का किराया एक तरफ के किराये के बराबर भुगतान किया जा सकेगा।

(5.7) विश्वविद्यालय सेवक या विश्वविद्यालय जिसको आमन्त्रित करता है वह यात्रा देयक के संबंध में यदि किराये वाहन का अधिकृत एजेन्सी का किराया देयक प्रस्तुतकर्ता है तो भुगतान किया जा सकेगा।

(5.8) यदि विश्वविद्यालय सेवक को किसी शासकीय संस्था अथवा अन्य संस्था द्वारा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किये जाने वाले बाह्य व्यक्ति को निःशुल्क आवास, भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित सेवक/आमन्त्रित बाह्य व्यक्ति को यात्रा का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(6) यात्रा समाप्ति के पश्चात् यात्रा देयक प्रस्तुत करते समय यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि–

I. यात्रा उसी प्रयोजन के लिये की गई है, जिस प्रयोजन की अनुमति प्राप्त हुई थी।

II. यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति देयक उसी वर्ग एवं उसी श्रेणी के लिये प्रस्तुत किया गया जिस वर्ग एवं श्रेणी में यात्रा की गई थी।

III. यह भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि वापसी यात्रा उसी श्रेणी से की जायेगी जिस श्रेणी की व्यय प्रतिपूर्ति ली गई है।

IV. यह भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि यह यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति एवं दैनिक भत्ता देयक संबंधित प्रयोजन के लिये प्रथम बार प्रस्तुत किया गया है, इससे पूर्व कभी नहीं। तथा इसकी प्रतिपूर्ति किसी अन्य संस्था से भी नहीं लिया गया है।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र देने के पश्चात् ही यात्रा देयक भुगतान योग्य होगा। यात्रा दैनिक भत्ते की पात्रता तालिका में दर्शाई गई श्रेणी के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रभावशील होगी।

V. यात्रा देयक प्रतिपूर्ति, यात्रा का प्रयोजन प्रमाणित होने के पश्चात् ही देय होगा। यात्रा दैनिक यात्रा प्रयोजन को प्रमाणित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी, संबंधित प्रभाग का अधिकारी/कुल सचिव/कुलपति वर्गीकरण के आधार पर होगें।

सक्षम प्राधिकारी अनुप्रमाणन के बिना यात्रा व्यय देयक प्रतिपूर्ति अथवा दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं होगा।

VI. विश्वविद्यालय के विभिन्न सम्मिलनों में उपस्थिति होने हेतु आने वाले सदस्य यदि लगातार दो या दो से अधिक सम्मिलनों में एक दिवस के अंतराल से उपस्थित होते हैं तथा मुख्यालय स्थान में ही बने रहते हैं तो ऐसी स्थिति में अंतराल अवधि का दैनिक यात्रा भत्ता देय होगा।

VII. विश्वविद्यालयीन सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के लिये विश्वविद्यालय में आने वाले परीक्षकों का यात्रा भत्ता देयक संबंधित विभागाध्यक्ष अथवा यदि विभागाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो संबंधित आंतरिक परीक्षक के द्वारा यात्रा देयक प्रमाणित किया जायेगा।

(7)**स्थाई यात्रा भत्ता-य**ह स्थाई यात्रा भत्ता विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रभावकारी होगा जिन्हें विश्वविद्यालय के कार्य से 15 या 15 दिन से अधिक मुख्यालय से बाहर रहना पड़ता है।

(7.1) स्थाई यात्रा भत्ता संबंधित कर्मचारी प्रवर्ग के लिये मान्य देयक भत्ते के अनुसार होगी।

(7.2) स्थाई यात्रा भत्ता की स्वीकृति संबंधित कर्मचारी प्रवर्ग श्रेणी के लिये सुनिश्चित प्राधिकारी अथवा संबंधित द्वारा की जा सकेगी।

(8) **वाहन भत्ता-** विश्वविद्यालय के कर्मचारी जिसमें शिक्षक एवं अधिकारी शामिल नहीं है, को म.प्र. शासन द्वारा उसके अपने समकक्ष कर्मचारियों के लिये निर्धारित दरों के अनुसार दरें मान्य होगी।

(9) **दैनिक भत्ता-** दैनिक भत्ता यात्रा के समय प्रासंगिक व्यय तथा विराम के समय में उपगत् व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाये, जिसकी पात्रता इस प्रकार होगी-

मुख्यालय से अनुपस्थित	**देय दैनिक भत्ता**
6 घंटे से कम	कोई दैनिक भत्ता देय नहीं
12 घंटे से कम किंतु 6 घंटे से अधिक	आधा दैनिक भत्ता
12 घंटे से अधिक या 24 घंटा	एक दैनिक भत्ता

(10) यदि मुख्यालय से बाहर या मुख्यालय में कुल अनुपस्थिति, जो भी लागू हो 24 या 24 घंटे से अधिक अनुपस्थिति या उपस्थिति जो भी लागू हो, के लिये काल गणना उपर्युक्त दरों के अनुरूप की जायेगी।

(11) **मील भत्ता (Mileage Allowance)**

I. मील भत्ता दिये जाने के नियम वही होंगे जो मध्यप्रदेश शासन ने समय–समय पर संशोधित करते हुए अपने कार्यों के प्रयोजन हेतु निर्धारित किये हैं।

II. मील भत्ता स्वयं के वाहन से यात्रा करने पर ही प्रभावशील होगी।

(11) **यात्रा के वास्तविक व्यय–** कोई भी विश्वविद्यालय कर्मचारी यात्रा का वास्तविक व्यय यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त नहीं करेगा किंतु अपवाद स्वरूप यदि ''ए'' श्रेणी के नीचे की श्रेणी के कर्मचारी उच्च प्राधिकारी के विशेष आदेश से विशेष साधन द्वारा यात्रा करते हैं तो यात्रा के वास्तविक व्यय दैनिक भत्ते या मील भत्ते के रूप में वास्तविक व्यय ले सकता है।

(12) सक्षम प्राधिकारी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय सेवक अथवा विश्वविद्यालय के कार्य से आने वाले सदस्य को ऐसी यात्रा जिसके लिये कोई यात्रा भत्ता साधारणतः देय नहीं है, के लिये किसी वाहन को किराये पर लेने की स्थिति में वास्तविक लागत वसूल करने की स्वीकृति दे सकता है।

(13) विश्वविद्यालयीन कर्मचारी अथवा विश्वविद्यालय के कार्य के लिये उपस्थित होने वाले व्यक्ति हवाई यात्रा, रेल यात्रा अथवा बस यात्रा करने के लिये निवास से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप तथा मुख्यालय से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस स्टाप तक आने जाने के लिये प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है किंतु इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से लेना अनिवार्य होगी।

(14) **स्थानीय परिवहन व्यय–**

i. विश्वविद्यालय के कार्य से मुख्यालय के बाहर भारत के विभिन्न शहरों में यात्रा में प्रयोग किये गये वाहन में होने वाले व्यय का स्थानीय परिवहन व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इस यात्रा के लिये तालिका में दर्शाये गई राशि के अनुसार व्यय प्रतिपूर्ति की जा सकेगी–

ii.

श्रेणी	**प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि(रसीद सहित)**	**व्यवस्था स्वयं करने पर (किसी भी वाहन से)**
ए	1200 प्रतिदिन	250 प्रतिदिन
बी	800 प्रतिदिन	200 प्रतिदिन
सी	500 प्रतिदिन	150 प्रतिदिन
डी	300 प्रतिदिन	100 प्रतिदिन
ई	150 प्रतिदिन	50 प्रतिदिन

परन्तु यह भी कि इस स्थानीय परिवहन हेतु विश्राम की अवधि तालिका में दिये गये घंटों के आधार पर गणना होगी।

क्रमांक	**महानगरों में मुकाम की अवधि**	**स्थानीय परिवहन हेतु माइलेज**
1	6 घंटे से कम	कुछ नहीं
2	12 घंटे से कम लेकिन 6 घंटे से कम नहीं	आधी राशि

3	24 घंटे से कम लेकिन 12 घंटे से कम नहीं	पूरी राशि

iii. विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव एवं अन्य प्राधिकारी समितियों के सदस्य अथवा प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ ऐसे विश्वविद्यालयीन अधिकारी जिन्हें कुलपति द्वारा अनुमति दी जाये, को विश्वविद्यालय का वाहन उपलब्ध कराया जा सकता है अथवा जिस स्थान पर राज्य/केन्द्र शासन द्वारा परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है, ऐसे अधिकारियों को तत्संबंधी परिवहन की पात्रता होगी। ऐसे परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति उस संस्था को की जायेगी जो परिवहन व्यवस्था करेगी।

iv. विश्वविद्यालय द्वारा परिवहन व्यवस्था करने पर दैनिक यात्रा भत्ता पात्रता के अनुसार आधा दैनिक भत्ता देय होगा।

(15) **प्रदेश के बाहर होटल में रहने का किराया तथा स्थानीय परिवहन के लिये मायलेज की दरें–**

i. विश्वविद्यालय के कार्य से विश्वविद्यालय कर्मचारियों, जिसमें स्थानीय एवं अधिकारी भी शामिल है, द्वारा, अथवा विश्वविद्यालय कार्य के लिये आने वाले व्यक्तियों के होटल में ठहरने पर किराये की अधिकतम राशि एवं स्थानीय परिवहन की दरें मायलेज के लिये निम्नांकित तालिका के अनुसार–

श्रेणी	**दिल्ली,मुम्बई,कोलकाता,चेन्नई,बैंगलुरू,हैदराबाद,अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे**	**प्रदेश के 4 बड़े नगरों यथा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के (कालम 2 को छोड़कर)स्थानों में होटल में ठहरने पर**	**प्रदेश के अंदर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर**	**प्रदेश के बाहर /महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
ए	4000	3000	2000	400
बी	3000	2250	1500	350
सी	2000	1500	1000	300
डी	1000	750	500	250
ई	500	375	250	200

(16) **मध्यप्रदेश के अंदर ठहरने पर निम्नांकित दरों के अनुसार भुगतान की पात्रता होगी–**

i. मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विकास निगम के होटलों में यदि कोई रूकता है तो उसके ठहरने की निम्नानुसार पात्रता होगी–

क्रमांक	**शासकीय सेवक का ग्रेड**	**पात्रता**
1	ग्रेड 'ए' के वे अधिकारी जिनका वेतन रूं. 5100 प्रतिमाह या इससे अधिक है	सिंगल आक्यूपेंसी वातानुकूलित आवास सुविधा
2	शेष ग्रेड 'ए' एवं 'बी' के अधिकारियों के	सिंगल आक्यूपेंसी

	लिये	गैरवातानुकूलित आवास सुविधा
3	ग्रेड 'सी' एवं 'डी' के कर्मचारी	डॉरमेटरी में ठहरने की सुविधा, जहां उपलब्ध हो।

ii. यदि कोई विश्वविद्यालय कर्मचारी कार्य से अथवा बाहर से विश्वविद्यालय कार्य के लिये आने वाले व्यक्ति राज्य शासन के अधीन किसी भी विभाग के गेस्ट हाउस में मध्यप्रदेश के अंदर दौरा करने के लिये ठहरता है तो उस गेस्ट हाउस में लगने वाले व्यय का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा अथवा यदि संबंधित व्यक्ति ने भुगतान कर दिया है तो उसकी प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

(17) **विश्वविद्यालय सेवकों को यात्रा की अनुमति देने के अधिकार–**

विश्वविद्यालय के कार्य से कर्मचारियों (जिसमें शिक्षक एवं अधिकारी शामिल हैं) द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिये अनुमति देने के अधिकार इस प्रकार होंगे–

क्रमांक	**प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी**	**अधिकारी एवं शिक्षक**
1	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए	कुलपति
2	द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए	कुलसचिव
3	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी	कुलसचिव
4	अन्य सदस्यों के लिए	कुलसचिव

(18) **हवाई और रेल यात्रा के आरक्षित टिकिट का निरसन व्यय की प्रतिपूर्ति–**

विश्वविद्यालय कर्मचारियों द्वारा विश्वविद्यालय के कार्य से अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किये गये किसी व्यक्ति द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, जिसके लिये विश्वविद्यालय कीअनुमति प्राप्त की गई है अथवा विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया है, द्वारा यदि किन्हीं अन्यथा आकस्मिक कारणों द्वारा यात्रा निरस्त की जाती है तो आरक्षित हवाई या रेल यात्रा के व्यय की कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकेगी किंतु ऐसी निरस्त की जाने वाली यात्रा के आरक्षित टिकिट का प्रमाण सक्षम स्वीकृति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(19) विशेष उपबन्ध–

विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा विशेष यात्रा विश्वविद्यालय के कार्य से सक्षम अधिकारी की सहमति से की जाती है तो इसमें व्यय किये जाने वाला किराया, हवाई यात्रा का किराया एवं दैनिक भत्ता मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर शासन द्वारा हवाई यात्रा संबंधी तत्समय लागू नियम समय–समय पर किये गये संशोधनों के साथ विश्वविद्यालय में भी प्रभावशील रहेंगे।

(20) विश्वविद्यालय के कर्मचारी जिसमें शिक्षक एवं अधिकारी भी शामिल हैं, को विश्वविद्यालय के कार्य से अथवा मध्यप्रदेश शासन या केन्द्र शासन द्वारा किसी भी कार्य से मुख्यालय से बाहर मध्यप्रदेश में अथवा मध्यप्रदेश के बाहर किसी भी स्थान पर, किसी विशेष आदेश द्वारा अस्थाई अनुसंलग्न या स्थाई रूप से निश्चित अवधि के लिये अनुसंलग्न किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी को अधिकतम 10 दिवस तक यात्रा व्यय के साथ दैनिक भत्ते की भी पात्रता होगी किंतु यदि यह अवधि 10 दिवस से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जिस स्थान पर अनुसंलग्न किया गया है, उस स्थान को अस्थाई मुख्यालय

घोषित किया जायेगा इसके लिये अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे अस्थाई मुख्यालय में संबंधित कर्मचारी को उस निर्धारित अवधि तक के लिये निर्धारित वेतन भत्ता इत्यादि की पात्रता होगी।

किंतु यह भी कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में कार्य परिषद् द्वारा किसी विशेष परियोजना हेतु स्पष्ट आदेश से 10 दिवस से अधिक छूट दी जा सकती है। किंतु ऐसी छूट तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(21) **स्थाई उपबन्ध–**

इस अध्यादेश के प्रभावशील रहते हुए भी यदि कोई नियम उप–नियम अथवा विशेष परिस्थितियों में निर्मित होते हैं जिनका उल्लेख इस अध्यादेश में वर्णित नहीं है, के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर किये गये संशोधनों के साथ जारी किया गया यात्रा भत्ता एवं दैनिक अनुज्ञेय संबंधी नियम इस विश्वविद्यालय के लिये भी मान्य होंगे।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश – 5

अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करने की शर्तें

(अधिनियम खण्ड – 36 (ग))

1.

(अ) विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में अधिसूचना जारी कर विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों से अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा।

(ब) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित सभी अध्येतावृत्तियां, शोध छात्रवृत्तियां और अन्य छात्रवृत्तियां विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर प्रदान किये जाएंगे समिति का गठन इस प्रकार है।

I. कुलपति – अध्यक्ष

II. शैक्षणिक विभागों में से तीन विभागाध्यक्ष वरिष्ठता क्रमानुसार

III. कुलसचिव – सदस्य सचिव

2. नीचे दिए गए कंडिका 4 के अंतर्गत सभी अध्येतावृत्तियों और शोध छात्रवृत्तियों के लिए लागू सामान्य नियमों के अधीन, अध्येतावृत्ति प्रदान करने का मूल्य, अवधि और अध्येतावृत्ति प्रदान करने की शर्तें कुलसचिव द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्धारित किए गए विनियम के अनुसार होंगी।

3. विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित शोध छात्रवृत्ति का मूल्य और अवधि कार्यकारी परिषद् द्वारा विद्यापरिषद् के परामर्श पर निर्धारित की जाएगी।

4. निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अध्येतावृत्ति और शोध छात्रवृत्ति प्रदान की जायेंगी :–

I. अध्येता/शोधार्थी विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर एक अनुमोदित निर्देशन के मार्गदर्शन में पूर्णकालिक शोध कार्य करेगा।

II. अध्येता/शोधार्थी अपने शोध अवधि में न तो किसी अन्य स्त्रोत से वेतन सहित या अवैतनिक नियुक्ति स्वीकार करेंगे या न ही किसी अन्य स्रोत से कोई परिलब्धि, वेतन, वृतिका आदि प्राप्त करेंगे और न ही उस अवधि के दौरान किसी भी व्यवसाय या व्यापार में स्वयं को संलग्न करेंगे। यद्यपि किसी ऐसी संस्था में जहां वह बिना किसी पारिश्रमिक के कार्यरत हों, एक सप्ताह में नौ घंटे से अनधिक अवधि के लिए, शिक्षण दायित्व ले सकता है।

III. अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के अंतर्गत अध्ययन/शोध प्रारम्भ होने के बाद अध्येता/शोधार्थी अध्ययन के किसी भी अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में या संबंधित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

IV. जब तक कि किसी अन्य जगह पर एक निर्दिष्ट अवधि के लिए काम करने के लिए शोध निर्देशक द्वारा अनुमति प्रदान न कर दी जाये तब तक अध्येता/शोधार्थी को उस संस्था में, जहां उसे कार्य करना है, सभी कार्यदिवसों पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

V. यदि अध्येता/शोधार्थी द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत कोई भी जानकारी गलत अपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है तो उसे सुनवाई का एक अवसर देने के बाद विद्या परिषद् द्वारा उस उपाधि को समाप्त किया जा सकता है।

VI. यदि किसी भी समय विश्वविद्यालय को प्रतीत होता है कि अध्येता/शोधार्थी की प्रगति या आचरण संतोषजनक नहीं है तो अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति निलंबित की जा सकती है या वापस ली जा सकती है।

VII. (क) अध्येता/शोधार्थी द्वारा निर्देशक और विश्वविद्यालय अनुमोदन से एक वर्ष में सामान्य अवकाश के अतिरिक्त तीस दिनों का अधिकतम अवकाश लिया जा सकता है। तथापि, अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के साथ अन्य कोई अवकाश स्वीकार्य नहीं होगा।

(ख) विशेष प्रकरणों में, विश्वविद्यालय द्वारा शोध निर्देशक की अनुशंसा पर अध्येता/शोधार्थी को इस पुरस्कार के कार्यकाल के दौरान तीन महीने से अधिक अवधि के लिए अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के बिना अनुमति दी जा सकती है।

VIII. अध्येता/शोधार्थी को, जहां वह काम करता है, उस संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. विश्वविद्यालय द्वारा संस्थित स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, यदि कोई है, सामान्यतया दो शैक्षणिक सत्रों और लगातार चार सत्रों में मान्य होगी अर्थात् प्रथम वर्ष में बारह महीने और द्वितीय वर्ष में दस महीने, इस शर्त पर कि, छात्रवृत्ति धारक विभागाध्यक्ष अध्ययन के विषय से संबंधित अध्ययन में दक्षता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. यदि छात्रवृत्ति धारक ग्रीष्मावकाश के पश्चात् महाविद्यालय खुलने की तिथि से एक माह के भीतर और सत्र के प्रारंभ में शिक्षण शुल्क का भुगतान करता है तो छात्रवृत्ति 1 जुलाई से मान्य होगी।
7. छात्रवृत्ति का भुगतान केवल शोधार्थी के रसीदी बिल की रसीद पर, जो कि संस्था, जहाँ वह अध्ययनरत हो, के विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित हो, की प्राप्ति पर किया जाएगा। छात्रवृत्ति धारक उस माह के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसमें वह संस्था में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हुआ है।
8. छात्रवृत्ति की वापसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकेगी।
9. एक छात्रवृत्ति धारक को सामान्य रूप से उस पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ, जिसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, किसी भी अन्य पाठ्यक्रम का गठबंधन नहीं करना चाहिए लेकिन समान विश्वविद्यालय में व्यावसायिक/प्रशिक्षण/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के मामले में ऐंसी अनुमति दी जा सकती है।
10. छात्रवृत्ति को अंतिम वर्ष में रद्द कर दिया जाएगा, यदि छात्रवृत्ति धारक स्नातकोत्तर उपाधि की पिछली परीक्षा में, सम्बद्ध विषय कला, विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और अन्य संकायों में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।
11. यदि एक छात्रवृत्ति धारक बीमारी या अन्य किसी यथोचित कारण के कारण पिछले प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ रहा है तो मार्च और अप्रैल महीनों के लिए छात्रवृत्ति का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि शोध केन्द्र विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर अनु/अध्यक्ष यह प्रमाणित करें कि शोधार्थी ने परीक्षा के लिए नियमित अध्ययन किया लेकिन, नियंत्रण से परे कारणों के कारण, परीक्षा देने में असमर्थ रहा। ऐसा शोधार्थी अगले सत्र

के दौरान छात्रवृत्ति का पात्र होगा यदि पिछले सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तरवर्ती वर्ष में पहले प्रयास में अपेक्षित मानक के साथ पास हो जाता है।

12. एक छात्रवृत्ति धारक अच्छा आचरण एवं व्यवहार करेगा और अनुशंसा के सभी नियमों का पालन करेगा।

13. (अ) एक छात्रवृत्ति समाप्ति कर दी जाएगी, यदि,
    I. छात्रवृत्ति धारक सत्र के मध्य में अध्ययन बंद कर दे, या
    II. यदि छात्रवृत्ति धारक को उसके आचरण की व्यख्या करने के लिए यथोचित अवसर दिए जाने के बाद विद्या परिषद् की राय में वह इस अध्यादेश के पैरा 13 के उल्लंघन का दोषी है और यदि विद्या परिषद् ऐसा निर्णय करे तो छात्रवृत्ति धारक उसके द्वारा प्राप्त की गई छात्रवृत्ति की राशि वापस करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

    (ब) विद्या परिषद् द्वारा पारित समाप्ति का आदेश निर्णायक होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक–6
परीक्षा संचालन
(संदर्भ धारा 36 का खंड (च))

1. नाम और प्रारंभ –

(क) इन नियमों को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल 2011 के अंतर्गत परीक्षा संचालन नियमों के रूप में जाना जा सकेगा।

(ब) यह अध्यादेश विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं –

(क) केन्द्र अधीक्षक से अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के उद्देश्य के लिए शैक्षणिक अधिकारियों या संघटक अध्ययन केन्द्रों के प्रभारी/निदेशक में से नियुक्त परीक्षा के अधीक्षक अभिप्रेत हैं।

(ख) पर्यवेक्षक से अध्यादेश में प्रदत्त नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा के सुचारू संचालन के अवलोकन के लिए नियुक्त व्यक्ति।

(ग) वीक्षक से केन्द्र अधीक्षक द्वारा शिक्षक समुदाय में से विश्वविद्यालय परीक्षा के वीक्षकीय कार्य के लिए नियुक्त शिक्षक अभिप्रेत है।

(घ) ''परिणाम समिति'' समिति से विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश के खंड 5 (2) के अंतर्गत नियुक्त समिति अभिप्रेत है।

(ड) 'अनुचित साधन' से परीक्षार्थी द्वारा, विश्वविद्यालय परीक्षा की प्रक्रिया और व्यवहार के खिलाफ, परीक्षा के दौरान और परीक्षा कक्ष में या अन्यथा नकल के लिए अवांछित सामग्री का उपयोग करना अभिप्रेत है।

(च) 'पारिश्रमिक' से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा संचालन में लगे व्यक्ति को, परीक्षा से संबंधित विशिष्ट कर्तव्य निर्बहन के लिए नियमित वेतन और भत्तों के अतिरिक्त, राशि का भुगतान करना। अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, अन्य सभी परिभाषाएं, अधिनियम 2011 और किसी भी विधान, अध्यादेश और इस उद्देश्य के लिए बनाये गए विनियम में दिए रूप में लागू होंगी।

3. परीक्षा संचालन के लिए सामान्य निर्देश

(1) कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं कार्य परिषद् द्वारा, विद्यापरिषद् के अनुशंसा से किए जाने वाले, जारी निर्देश के अनुसार होंगी।

(2) कुलसचिव परीक्षा संचालन के लिए प्रत्येक परीक्षा की तिथि और परीक्षार्थियों द्वारा आवेदन एवं शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथियों को विनिर्दिष्ट करते हुए परीक्षा कार्यक्रम तैयार और विधिवत प्रकाशित करेंगे।

(3) (i) कार्यपरिषद् विद्यापरिषद् से अनुशंसा उपरांत परीक्षा के केन्द्र निर्धारित करेगी।

विभागाध्यक्ष एवं अध्ययन केन्द्र के संयोजक/निदेशक विश्वविद्यालय परीक्षाओं के वरिष्ठ परीक्षा अधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे और क्रमशः अपने-अपने केन्द्रों में विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के संचालन के संपूर्ण प्रभार में होंगे। कुलसचिव वरिष्ठ अधीक्षक, जहाँ परीक्षा केन्द्र हैं, से परामर्श कर प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए अधीक्षकों एवं सहायक अधीक्षकों यदि कोई हैं, कि नियुक्ति करेगा और उनके मार्गदर्शन के लिए निर्देश जारी करेगा। ऐसे नियुक्त अधीक्षकों/सहायक अधीक्षकों की संख्या का निर्धारण सम्बद्ध सत्र में पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र का परीक्षा अधीक्षक, विश्वविद्यालय द्वारा सौंपे गए प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा एवं कार्य की समाप्ति पर प्रयुक्त और प्रत्यावर्तित प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का संपूर्ण लेखा-जोखा विश्वविद्यालय कार्यालय को सौंपेगा।

(iii) परीक्षा अधीक्षक अपने अधीन काम कर रहे वीक्षकों के वीक्षकीय कार्य की देख-रेख करेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सख्ती से परीक्षा का संचालन करेगा।

(iv) जब तक की विशेष परिस्थितियों के लिए अन्यथा निर्देशित न हो अधीक्षकों द्वारा केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग और अध्ययन केन्द्रों के शिक्षकों को ही वीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

(v) जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, परीक्षा अधीक्षक कुलसचिव को परीक्षा संचालन के संबंध में वीक्षकों के कर्तव्य निष्पादन एवं परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख करते हुए, गोपनीय प्रतिवेदन भेजेंगे। वह परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले परीक्षार्थियों, अनुपस्थित उम्मीदवारों के अनुक्रमांक, केन्द्र पर हो रही परीक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी जो आवश्यक हो, ऐसी किसी तथ्यों के साथ जिसे वह विश्वविद्यालय के ध्यान में लाना समुचित समझे, का दैनिक प्रतिवेदन भेजेंगे।

वह परीक्षाओं के रखरखाव का ब्यौरा परीक्षाओं के संचालन के लिए प्राप्त अग्रिम राशि और व्यय विवरण विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि विश्वविद्यालय प्रतिछात्र एकमुश्त आधार पर परीक्षा संचालन राशि देने का निर्णय करता है तो केवल विधिवत लेखा परीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र ही लागू होगा।

(vi) केन्द्र अधीक्षक को एक परीक्षार्थी को परीक्षाओं से उत्तरवर्ती दिनों में निम्न आधारों में से किसी आधार पर निष्कासित करने की शक्ति होगीः-

(क) यह कि परीक्षार्थी ने परीक्षा केन्द्र पर उपद्रव या गंभीर अशांति बनायी।

(ख) यह कि परीक्षार्थी ने वीक्षक या परीक्षा का कार्यभार सौंपे गए कर्मचारी वर्ग के किसी सदस्य के प्रति गंभीर रूप से आक्रामक व्यवहार का प्रदर्शन किया है।

(ग) यदि आवश्यक हो तो अधीक्षक, पुलिस सहायता ले सकता है, जहाँ उम्मीदवार को निष्कासित कर दिया गया हो तो कुलसचिव को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(4) केन्द्र अधीक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित करें कि एक परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन भरा है, पूर्व छात्र के मामले में फार्म पर चिपकाये गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की जाँच करके केन्द्र अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह देखें कि प्रत्येक दिन जब उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हो तो उसके हस्ताक्षर फार्म पर प्राप्त किये जाएँ और यह सुनिश्चित करें कि वह हस्ताक्षर उससे मिलते हैं जो उस पर पहले से ही हैं।

(5) विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो बिना कोई कारण बताए कभी भी परीक्षार्थियों का परीक्षा केन्द्र बदल सकता है चाहे वे किसी भी विभाग या अध्ययन के हो।

(6) वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक की अनुशंसा पर जो परीक्षार्थी शारीरिक विकलांगता के कारण स्वयं लिखने में असमर्थ है, की ओर से परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए एक लिपिकार नियुक्त कर सकता है। वरिष्ठ केन्द्र अधीक्षक केवल सरकारी अस्पताल के सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि लिपिकार परीक्षार्थी की तुलना में कम शैक्षिक योग्यता रखता है, लिपिकार की अनुमति प्रदान करेंगे।

4. परीक्षा का निरीक्षण :–

विश्वविद्यालय समय–समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा का संचालन सख्ती से नियमों और प्रक्रिया के अनुसार हो रहा है, निरीक्षकों या निरीक्षकों के बोर्ड या उड़न दस्ता की नियुक्ति कर सकता है।

इस तरह नियुक्त किये गए प्रत्येक निरीक्षक या उड़न दस्ता के संयोजक को केन्द्र अधीक्षक की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। निरीक्षक या संयोजक उड़न दस्ता द्वारा नियमों के या प्रक्रियात्मक गंभीर उल्लंघन पर कुलपति आवश्यकतानुसार केन्द्र की परीक्षा को पूर्णतः या अंशतः स्थगित करने या रद्द करने सहित आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और यदि ऐसी कोई कार्यवाही की जाती है तो ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट कार्यपरिषद् की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। कार्य परिषद् सभी परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा रद्द कर सकती है यदि

वह इस बात से संतुष्ट है कि प्रश्नपत्रों का प्रगटीकरण य किसी भी अन्य प्रकार की अनियमितता हुई है, जो ऐसा कदम उठाने के लिए अधिकृत करे।

इस अध्यादेश के प्रावधानों के अध्यधीन, कार्य परिषद् समय–समय पर परीक्षाओं के संचालन के संबंध में नियमों और प्रक्रिया का निर्माण, परिवर्तन या संशोधन कर सकती है।

5. परिणाम समिति :–

(1) प्रत्येक संकाय के लिए परिणाम समिति विद्या परिषद् द्वारा गठित की जाएगी।

(2) परिणाम समिति का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा :–

(i) संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष ---- अध्यक्ष

(ii) संबंधित विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष ---- सदस्य

(iii) कोई भी सारणीकार/संशोधक, यदि कोई, जो कि परिणामों की जांच के लिए समिति द्वारा मान्य या कुलपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एक सह आचार्य ---- सदस्य

(iv) कुलसचिव, या नामांकित अधिकारी जो उपकुलसचिव के पद से नीचे न हो – सदस्य सचिव

(v) तीन सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी।

(vi) परिणाम समिति का कार्यकाल एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा।

6. परिणाम समिति का दायित्व :–

(i) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणामों की जांच, स्वयं को यह संतुष्ट करने के बाद, करना कि परिणाम संपूर्ण रूप में और विभिन्न विषयों में सामान्य मानकों के अनुरूप हैं और जहाँ परिणाम असंतुलित है वहां कुलपति से कार्यवाही की सिफारिश करना।

(ii) प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के विरूद्ध प्राप्त लिखित शिकायतों की जांच करना और आवश्यक कार्यवाही करना।

(iii) उन उम्मीदवारों के मामलों का निर्णय करना जिन्होंने गलत पेपर के उत्तर दिए।

(iv) उन उम्मीदवार के प्रकरणों को निर्धारित करना जिनकी उत्तर पुस्तिकाएं पारगमन में खो गयी हैं?

(v) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो समय–समय पर विद्या परिषद् द्वारा सौंपी गयी हो।

(vi) प्रश्न पत्र रचनाकार (सेंटर), मध्यस्थों (माडरेटर), परीक्षकों, वीक्षकों, परीक्षा केन्द्रों के अधीक्षकों, सारणीकारों (टेबुलेटर), संशोधकों, समन्वयकों और परीक्षाओं से सम्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिनके मामले समिति को निर्दिष्ट किए गए हों, की गई त्रुटियों के प्रकरणों का निर्णय करना।

(vii) यदि विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/अध्ययन केन्द्र के किसी भी विषय की परीक्षा के परिणाम में या किसी भी प्रश्न पत्र या विषय के अंकों में परीक्षार्थियों के अंकों में स्पष्ट अंतर का होता है तो समिति इस तरह

के विचलन (अंतर) की जांच कर सकती है। समिति स्वयं ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सकती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनकी जांच की कुलपति को अनुशंसित कर सकती है, और कुलपति के अनुमोदन पर कुलसचिव अंकों के अंतर के संबंध में सम्बद्ध परीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांग सकती है।

(क) यदि जांच के बाद समिति का निष्कर्ष है कि इस तरह के अंतर का कारण प्रश्न पत्र का प्रकटीकरण, व्यक्तिगत पक्षपात या दुश्मनी हो सकती है तो वह उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किसी अन्य परीक्षक से कुलपति के अनुमोदनानुसार कराई जा सकती और परीक्षार्थी द्वारा प्राप्तांक अंतिम मान्य होगा।

(ख) यदि किसी भी परीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र के प्रकटीकरण या उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पक्षपात या दुश्मनी सिद्ध हुई तो समिति ऐसे मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को कर सकती है जो परीक्षक के स्थायी रूप से या एक विशिष्ट अवधि के लिए उसे वंचित कर सकती है।

टिप्पणी :-

(1) यदि किसी भी प्रश्न पत्र के रचना/मध्यस्थता/मूल्यांकन में त्रुटि/चूक/लापरवाही/प्रश्न पत्र प्रकटीकरण के मामलों में किसी भी परीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही की जानी है तो प्रकरण परिणाम समिति की अनुशंसा सहित कार्य परिषद् के समक्ष कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि केन्द्र अधीक्षक/सहायक अधीक्षकों/वीक्षकों के विरुद्ध परीक्षा संचालन में अनियमितता पाये जाने पर अग्रिम कार्यवाही के लिए कुलपति कार्य परिषद् के विचारार्थ सीधे प्रेषित कर सकेंगे।

7. परिणाम की तैयारी :-

(1) परिणाम को हाथ से बनाकर प्रस्ताति किया गया है तो कुलपति परीक्षा के परिणामों की सारणी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार दो सारणीकारों के दो दल और मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और वह सारणीकारों को परीक्षा का परिणाम तैयार करने में मार्गदर्शन के लिए सामान्य निर्देश जारी कर सकता है।

(2) कार्यकारी परिषद् के पूर्व अनुमोदन के साथ परीक्षा के परिणाम कम्प्यूटर द्वारा तैयार कराये जा सकते हैं।

8. यदि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के विषय के संबंध में कोई पत्र व्यवहार करना चाहता है तो वह सीधा कुलसचिव से लिखित रूप में करेगा।

9. एक उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से उसकी परीक्षा के लिए अधिमान्य उपचार सुरक्षित करने के लिए किए गए किसी भी प्रयास की सूचना कुलसचिव को दी जाएगी जो मामले को कार्य परिषद् के समक्ष रखेगा।

10. कार्य परिषद् द्वारा अन्यथा निर्णीत के सिवाय परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त

अंकों से संबंधित परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं और दस्तावेज, सारणीबद्ध परिणामों को छोड़कर, परिणाम घोषित होने की तिथि से 6 महिने के बाद नष्ट या समाप्त कर दिये जाएंगे।

परन्तु यह और कि कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, जैसा भी प्रकरण हो, यह सुनिश्चित करे कि नष्ट की जाने वाली प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं और अन्य सामग्री पूर्णतः नष्ट कर दी जाएंगी और उस प्रभाव का एक प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष जारी किया जाएगा।

11. कार्य परिषद्, एक संकल्प द्वारा, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को, परिणाम समिति द्वारा पारित रूप में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणाम विश्वविद्यालय कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने के लिए अधिकृत कर सकती है। परिणाम, प्रकाशित होने के साथ ही विभागाध्यक्ष और संबंधित शिक्षा केन्द्रों के समन्वयकों को सूचित किया जाएगा परन्तु यह भी कि यदि अब तक घोषित परिणामों में गणना या कम्प्यूटरीकरण संगणन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की टंकण त्रुटि या त्रुटियां पाई गई तो परिणाम समिति से प्रतिवेदन लेने के बाद कुलपति को उसे सुधारने की निर्देश देने की शक्ति प्राप्त होगी।

12. पारिश्रमिक

परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों और पर्यवेक्षकों, सारणीकारों और संशोधकों का पारिश्रमिक और त्रुटियों के लिए पारिश्रमिक में कटौती जैसे परिशिष्ट में दिए गये प्रावधानों अनुसार की जाएगी।

13. प्रतिबंध

(i) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा आरम्भ होने के बाद एक घंटे तक जो कुछ भी कारण हो, परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा और किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा आरम्भ होने के आधे घंटे बाद परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) अस्थाई रूप से परीक्षा कक्ष छोड़ने के इच्छुक परीक्षार्थियों को अधिकतम 5 मिनट की अवधि के लिए केवल शौचालय के लिए ही अनुमति होगी। अनुपस्थिति को निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाएगा और यदि परीक्षार्थी 5 मिनट की इस समय सीमा के अंदर वापस होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वह ऐसा करने का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे देता।

14. अनुचित साधन

(क) परीक्षा की अवधि में आपस में बात करते पाए गए परीक्षार्थी को ऐसा नहीं करने की चेतावनी कक्ष वीक्षक द्वारा दी जाएगी। यदि परीक्षार्थी कक्ष वीक्षकों द्वारा चेतावनी के उपरांत भी बात करना जारी रखता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तरपुस्तिका वापस ले ली जाएगी और एक दूसरी उत्तर पुस्तिका की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। केवल दूसरी उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए भेजी जाएगी। प्रथम उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन के

उद्‌देश्य से निरस्त कर दी जाएगी और अधीक्षक द्वारा कुलसचिव को भेजी जाएगी।

(ख) एक परीक्षार्थी के विरूद्ध, परीक्षा के समय के दौरान परीक्षा कक्ष में या परीक्षा केन्द्र के परिसर में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करते पाए जाने पर, परीक्षा केन्द्र का अधीक्षक निम्न कार्यवाही करेगा :–

(i) परीक्षार्थी से उसके पास पाई गई सभी आपत्तिजनक सामग्री उत्तर पुस्तिका सहित वीक्षक को उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और प्रकरण को निर्धारित प्रपत्र पर तैयार किया जाएगा।

(ii) निर्धारित प्रपत्र पर परीक्षार्थी और वीक्षक के कथन दर्ज किए जाएंगे।

(iii) परीक्षार्थी को परीक्षा के लिए एक चिह्नित 'प्रतिलिपि उपयोग अनुचित साधन' नयी उत्तर पुस्तिका परीक्षा के लिए, निर्धारित शेष परीक्षा समय उत्तर देने के लिए जारी की जाएगी।

(iv) इस तरह से एकत्रित सामग्री और सभी साक्ष्य परीक्षार्थी के कथन और विधिवत हस्ताक्षरित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ एवं निर्धारित प्रपत्र में एक अलग गोपनीय मोहरबंद पंजीकृत पैकेट में कुलसचिव के नाम से अग्रेषित किये जाएंगे।

(v) इस तरह से परीक्षार्थी से एकत्रित सामग्री दोनों उत्तर पुस्तिकाओं के साथ अर्थात एक अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए परीक्षार्थी से एकत्र उत्तर पुस्तिका और अन्य बाद में परीक्षार्थी को दूसरी उत्तरपुस्तिका उपलब्ध की गई को कुलपति द्वारा उस विषय में नियुक्त विशेषज्ञ को दोनों का अलग–अलग मूल्यांकन करने के लिए यह प्रतिवेदन भेजने के लिए की अगर परीक्षार्थी ने वास्तव में विश्वविद्यालय के निर्धारित प्रपत्र में एकत्रित सामग्री को ध्यान में रखते हुए अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया है, भेजा जाएगा।

(vi) केन्द्र अधीक्षक द्वारा अधिसूचित परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के मामले परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ हर वर्ष कार्यपरिषद्/कुलपति द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे।

समिति में सम्मिलित होंगे :–

(क) संकायों के संकायाध्यक्ष में से एक चक्रानुक्रम वरिष्ठता के अनुसार	–	सदस्य
(ख) कार्यकारी परिषद् का एक सदस्य	–	सदस्य
(ग) विभाग के प्रमुख चक्रानुक्रम वरिष्ठता के अनुसार	–	सदस्य
(घ) संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त एक शिक्षक जो परिषद् द्वारा नामित विद्या परिषद् के सदस्य हैं	–	सदस्य
(ड) कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

(vii) समिति प्रत्येक प्रकरण की जांच के बाद प्रत्येक प्रकरण में की गई कार्यवाही के लिए अनुशंसा करेगी और अनुचित साधनों के उपयोग के

सभी प्रकरणों के साथ–साथ प्रत्येक प्रकरण में समिति द्वारा किये गए अनुसंशा कार्य परिषद् को उपलब्ध कराएगी।

(viii) परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा में कार्यरत् शिक्षक और कर्मचारी वर्ग जो अनुचित साधनों के उपयोग में परीक्षार्थी को उकसाते पाए जाते हैं के प्रति प्रासंगिक कानूनों के तहत दांडिक कार्यवाही के लिए प्रवृत्त होना चाहिए।

(क) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी केन्द्र अधीक्षक के अनुशासनात्मक नियंत्रण में होंगे और वह उनके निर्देशों का पालन करेंगे। परीक्षार्थी द्वारा केन्द्र अधीक्षक के निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति में या अधीक्षक या वीक्षक के प्रति अनुशासनहीन आचरण या असभ्य व्यवहार के लिए परीक्षार्थी को उस दिन की परीक्षा से बाहर रखा जा सकता है और यदि दुर्व्यवहार बना रहता है तो उसे बाकी परीक्षाओं से भी अपवर्जित किया जा सकता है।

(ख) यदि एक परीक्षार्थी केन्द्र में या उसके परिसर में केन्द्र अधीक्षक या किसी भी वीक्षक/निरीक्षक की ओर हिंसक तरीके से कार्य करता है या बल का उपयोग करता है या उनमें से किसी की भी व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालता है या इस तरह के कार्य करता है कि परीक्षा में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य निर्वहन को प्रभावित करे तो केन्द्र अधीक्षक परीक्षार्थी को निष्कासित कर सकते हैं और पुलिस की मदद ले सकते हैं।

(ग) यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के परिसर के भीतर कोई भी खतरनाक हथियार लाता है तो वह केन्द्र से निष्कासित किया जा सकता है और/या अधीक्षक द्वारा पुलिस को सौंपा जा सकता है।

(घ) (ख) और (ग) में वर्णित आधारों में से किसी पर निष्कासित उम्मीदवार को उत्तरवर्ती प्रश्न पत्रों/किसी भी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रत्येक प्रकरणों में जहाँ केन्द्र अधीक्षक द्वारा उपरोक्त (क), (ख) और (ग) के तहत कार्यवाही की जाती है तो एक पूरा विवरण विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा और आगे अपराध की गंभीरता के अनुसार कार्य परिषद् परीक्षार्थी को उसके इस व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण का अवसर देगा तथा उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर अनुचित साधन समिति विचार करने के बाद उसकी परीक्षा रद्द करने और/या विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षाओं में एक या अधिक वर्षों के लिए रोक की अनुशंसा कार्य परिषद् को कर सकती है। कार्य परिषद् का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

(च)(i) यदि एक परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने या उपयोग करने का प्रयास करने जैसे किसी किताब या नोट्स से या किसी अन्य उम्मीदवार के उत्तरों से नकल या किसी अन्य उम्मीदवार के

मदद् प्राप्त करने या परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित सामग्री या किसी भी अन्य अन्य तरीके से साथ में रखने से कार्यपरिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति उसकी परीक्षा रद्द कर सकती है और अपराध की प्रकृति के हिसाब से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए रोक सकती है।

(ii) कार्यपरिषद् परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर सकती है और/या एक या एक से अधिक वर्षों के लिए परीक्षा देने से वंचित कर सकती है यदि बाद में पता चल जाता है कि परीक्षार्थी अपनी परीक्षा के सिलसिले में किसी भी तरीके से कदाचार का दोषी था या विश्वविद्यालय के रिकार्ड, उत्तर पुस्तिकाओं, अंक तालिकाओं, परिणाम चार्टों या पत्रोपाधि सहित, छेड़छाड़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

(iii) कार्य परिषद् परीक्षार्थी की परीक्षा रद्द कर सकती है और/या उसे एक या एक से अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक सकती है, यदि बाद में पता चलता है कि इस उम्मीदवार ने तथ्यों को गलत तरीके से या झूठे या जाली प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करके परीक्षा में दाखिला ले लिया था।

(iv) जब विश्वविद्यालय उपखंड (i), (ii) या (iii) के अन्तर्गत उपरोक्त दंड देना चाहता है तब उसे परीक्षार्थी को पंद्रह दिनों के अंदर लिखित में कारण बताओ सूचना पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। परीक्षार्थी से समयावधि में प्राप्त स्पष्टीकरण पर बल देने के पूर्व समिति विचार कर निर्णय देगी।

(v) इस तरह निरर्हित परीक्षार्थी की एक सूची भारत में सभी विश्वविद्यालयों को इस अनुरोध के साथ परिचालित की जाएगी कि इन छात्रों को उनकी अयोग्यता की अवधि के दौरान प्रवेश नहीं दिया जाए।

15. कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अध्ययन केन्द्र या महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से निर्वासन या निष्कासन की सजा के तहत है या किसी भी अवधि के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाता है, की इस अवधि के दौरान जब कि दंड चालू है एक प्रवास प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

16. विविध और नियमों की सुरक्षा

यह कुलसचिव/परीक्षा के नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, का दायित्व होगा कि परीक्षा से पहले और परीक्षा केन्द्र पर अधीक्षक को सौंपने तक प्रश्न पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए व्यवस्था बनाये और उसे परीक्षा केन्द्र पर भेजे। ऊपर दिए विभिन्न पैरा में अन्यथा प्रदत्त के अतिरिक्त प्रावधान मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम 1960 के अनुरूप हैं, हॉलाकि व्याख्या के दौरान या और किसी भी प्रकार की कठिनाई में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 और मध्यप्रदेश परीक्षा अधिनियम 1960 के प्रावधान निर्णायक होंगे।

(ii) स्नातकोत्तर कला, पुस्तकालय विज्ञान, शरीर विज्ञान, विज्ञान, एम.एससी. (अभियांत्रिकी संकाय), स्नातकोत्तर औषधिविज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान निष्णांत, शिक्षा और एलएल.एम.

परिशिष्ट (परीक्षा कार्य के लिए पारिश्रमिक)

भाग – 1

प्राश्निक एवं प्रायोगिक परीक्षकों के पाररिश्रमिक दरें

1. पी.एच.डी., डी.एस.सी. और डी.लिट उपाधि**

(क) प्रति पी–एच.डी. शोध प्रबंध का मूल्यांकन रू. 1000/–

(ख) पी–एच.डी. के लिए प्रति मौखिक परीक्षा रू. 500 /–

(ग) डी.एस.सी./डी.लिट. के लिए प्रति शोध प्रबंध का मूल्यांकन रू. 1500 /–

(घ) डी.एससी./डी.लिट. के लिए मौखिक परीक्षा रू. 800/ –

*(ङ.) एम.फिल./पी–एच.डी. हेतु प्रति प्रश्न रू.30/–प्रति प्रश्न

*(च) एम.फिल./पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु प्राश्निक रू.30/– प्रति प्रश्न

2. स्नातकोत्तर कला, पुस्तकालय विज्ञान, शरीर विज्ञान, विज्ञान, स्नातकोत्तर औषधिविज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान शिक्षा, एलएल.एम. और अन्य सभी स्नातकोत्तर परीक्षा

(क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना रू. 800/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू.20/–न्यूनतमरू. 250/–

(ग) अनुवाद प्रति प्रश्न पत्र रू. 100/– प्रति प्रश्न पत्र

(घ) प्रति प्रायोगिक/मौखिक रू. 15/न्यूनतम 500/–

(ड़) प्रति लघुशोध प्रबन्ध/परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन रू 100/–

3. स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा, बीसीए, बीबीए और अन्य सभी स्नातक परीक्षा

(क) प्रति प्रश्न पत्र रचना रू. 600/–

(ख) अनुवाद प्रति प्रश्न पत्र रू. 100/–

(ग) प्रति उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन रू.15/–न्यूनतम रू. 200/–

(ध) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू.10/–प्रति छात्र न्यूनतम रू. 300/–

---

* 1(ङ.) (च)कार्य परिषद की बैठक 06/10/2014 के पद क्रमांक 6 के अनुसार अनुमोदित ।

**1.पी.एच–डी. अधिसूचना क्रमाँक/स्था/अबिवाहिविवि/14/2037 दिनाँक 17/10/2014 द्वारा संशोधित नयी दरें लागू की गई ।

4. **चिकित्सा संकाय (आयुर्वेद आयुर्विज्ञान)**

1 एमबीबीएस और बी.डी.एस. परीक्षा

(क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना। रू. 600/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू.15/– न्यूनतम रू. 200/–

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू10/– प्रति छात्र, न्यूनतम रू. 300/–

2. स्नातक नर्सिंग परीक्षा

(क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना रू. 600/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 15/– न्यूनतम रू.200/–

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू. 10/– प्रतिछात्र न्यूनतम रू. 300/–

5. **आयुर्विज्ञान एम.डी. और एम.एस. परीक्षा**

(क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना। रू. 800/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 20/– न्यूनतम रू. 250/–

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू. 15/– प्रतिछात्र न्यूनतम रू. 500/–

6. **चिकित्सा संकाय में पत्रोपाधि /स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा**

क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना रू. 600/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 15/– न्यूनतम रू.200

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू. 15–प्रति छात्र न्यूनतम रू. 300

7. **अभियांत्रिकी संकाय**

1. अभियांत्रिकी स्नातक परीक्षा

क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना रू. 600/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 15/– न्यूनतम रू.200

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू. 10/– प्रति छात्र न्यूनतम रू. 300/–

8. **प्रोद्यौगिकी निष्णात(एम.टेक.) और अभियांत्रिकी निष्णात (एम.ई.) परीक्षा**

क) प्रति प्रश्न –पत्र रचना रू. 800/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 20/– न्यूनतम रू. 250/–

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा रू. 15/– प्रति छात्र न्यूनतम रू. 500/–

9 **स्नातकोत्तर पत्रोपाधि / पत्रोपाधि परीक्षा**

क) प्रति प्रश्न–पत्र रचना रू. 500/–

(ख) प्रति उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन रू. 15/– न्यूनतम रू. 250/–

(ग) प्रति प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन रू. 10/–प्रति छात्र न्यूनतम रू. 300/–

10. **विविध**

1. मुख्य परीक्षक को प्रति सहपरीक्षक 100/– रूपये की दर पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। इस शुल्क में निर्देश, मॉडल के मुद्दे आदि का पारिश्रमिक भी शामिल हैं निर्देश का प्रारूप रचना करने के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

2. एक सह परीक्षक द्वारा मूल्यांकन की गई उत्तरपुस्तिका का मुख्य परीक्षक द्वारा परीक्षण करने के लिए (प्रत्येक सह परीक्षक से अधिकतम पंद्रह उत्तर पुस्तिकाओं के अध्याधीन दर सहपरीक्षक को देय दर।

3. सह परीक्षकों के लिए निर्देशें का ज्ञापन का विस्तृत प्रारूप तैयार करना (जहाँ प्रधान परीक्षक द्वारा कोई मॉडल उत्तर नहीं भेजे गए हैं और सह परीक्षकों द्वारा जांची गई उत्तर पुस्कितकाएं मुख्य परीक्षक द्वारा पुनर्परीक्षित नहीं की गयी हों।)रू. 400/–

4 प्रायोगिक/मौखिक/परियोजना अथवा अन्य परीक्षायें जिसमें आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक संयुक्त रूप से परीक्षार्थी का मूल्यांकन करते हैं उनके पारिश्रमिक का भुगतान निर्धारित दर से पृथक–पृथक होगा।

11. टिप्पणी

(क) यदि प्रश्न पत्र रचनाकार द्वारा सहपरीक्षकों को मूल्यांकन के लिए प्रश्न–पत्र के साथ बीजारोपित ज्ञापन की अपूर्ति नहीं होती है तो ऐसा ज्ञापन नियुक्त मुख्य परीक्षक द्वारा तैयार किया जा सकता है

1. दो या दो किलोग्राम से अधिक वजन की उत्तर पुस्कितकाओं को परीक्षक रेलवे द्वारा भेजेगा। कम वजन की उत्तर पुस्तिकाओं को डाकघर द्वारा भेजा जायेगा। रेलवे/डाकघर से भेजे जाने का व्यय रसीद प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय प्रदान करेगा।

2. प्रश्न पत्र उत्तर पुस्कितकाएं और सूचियों(पर्ण एवं प्रतिपर्ण) विश्वविद्यालय में लाने या भेजने के लिए स्थानीय परीक्षकों को रू. 100/–की राशि का भुगतान किया जाएगा।

12. परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंको एवं परिणामों की धोषणा से संबंधित कार्य के लिए पारिश्रमिक की दरें निम्नलिखित होंगीः–

1(क) प्रति 100 उम्मीदवार परिणामों की सारणी रू. 200/–
(ख) प्रति 100 उम्मीदवार परिणामों का मिलान रू. 100/–
(ग) प्रति 100 उम्मीदवार जॉच रू. 100/–
(2) अंक का विवरण हाथ से लिखने के लिए प्रक्त्येक अंक सूची के रू. 10/–
(3) प्रत्येक के अंक विवरण की जॉच के लिए रू. 1/–
(4) प्रत्येक डिग्री/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र की जॉच के लिए (अस्थाई या स्थाई) रू. 10/–
(5) प्रत्येक डिग्री/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र की जॉच के लिए रू. 5/–'

13. परिशिष्ट मे उल्लेखित अधिकतम परिश्रमिक जो किसी परीक्षक को विश्वविद्यालय से एक शैक्षणिक सत्र में पारिश्रमिक का अधिकतक राशि रू .30000/ होगी।

परन्तु यह कि जहॉ किसी विषय में पर्याप्त संख्या में परीक्षक उपलब्ध न हों वहॉ कुलपति के अनुमति से अधिकतम सीमा रू. 50000= 00 होगी।

14 जब तक कि विशेष अनुमति न दे दी जाये निम्न कारणों से परिश्रमिक में से कटौती की जा सकती है।

1. पर्ण या प्रतिपर्ण या अंको के प्रेषण में विलम्ब पर प्रति दिवस रूपये 10/–
2. उत्तर पुस्तिकाएं लौटने में विलम्ब, प्रति दिवस विलम्ब के लिए रूपये 5/–
3. गलत रोल नंबर के समक्ष अंको की प्रविष्टि रूपये 4/–प्रति त्रुटि
4. अंको की गलत प्रविष्टि (जैसे 25 के स्थान पर 20) रूपये 4/–प्रति त्रुटि
5. यदि अंक सूची में अंकित अंक उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित से भिन्न है, रूपये 5/– प्रति त्रुटि
6. एक प्रश्न या प्रश्न के एक हिस्से को चिन्हित करने में चूक, रू. 5/– प्रति त्रुटि
7. अंको के योग में गलती, रूपये 5/– प्रति त्रुटि

15. सारणीकारों के देयक से निम्नलिखित दरों पर कटौती की जायेगी

(क) परिणाम को प्रभावित करने वाली प्रत्येक गलती के लिए रूपये 5/– प्रति त्रुटि
(ख) परिणाम को प्रभावित नहीं करने वाली प्रत्येक गलती के लिए रू. 3/– प्रति त्रुटि

टिप्पणी :–

यदि कोई भी परीक्षक पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी में तीन से अधिक त्रुटि करता है या किसी भी परीक्षक की त्रुटि या त्रुटियों से परीक्षार्थी का परिणाम प्रभावित होता है उसका कार्य अंसतोषजनक माना जाएगा और प्रकरण कार्य परिषद् के समक्ष उचित कार्यवाही के लिए रखा जाऐगा।

5. विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित कार्य में एक केन्द्र में कार्यरत व्यक्ति को देय पारीश्रमिक दरें निम्नलिखित होंगी।

16. सैद्धांतिक परीक्षा :–

1 वरिष्ठ अधीक्षक रू 200/– प्रति सत्र और प्रतिदिन अधिकतम रूपये 300/– प्रतिदिन परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान वरिष्ठ अधीक्षक की उपस्थिति अनिर्वाय होगी।

2. अधीक्षक	प्रति सत्र 150 अधिकतम प्रतिदिन 300/
3. सहायक अधीक्षक	प्रति सत्र 125 अधिकतम प्रतिदिन 250/
4. वीक्षक	100/– प्रति सत्र

परीक्षा केन्द्र में परीक्षार्थी की वास्तविक पंजीकृत संख्या के आधार पर तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों को क्रमशः रूपया 10/ एवं रूपया 5/ प्रति विद्यार्थी देय होगा। परीक्षाओं की राशि केन्द्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मचारी को वितरित होगी।

परीक्षा संचालन व्यय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्र को प्रति पंजीकृत परीक्षार्थी प्रदत्त राशि रूपये 10 (न्यूनतम रूपये 5000) प्रदान की जाएगी।

वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष उपरोक्त राशि के व्यय के समायेाजन के लिए विश्वविद्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्यतः भेजेगा

17. प्रायेगिक परीक्षा

(क) यांत्रिक और प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए प्रतिपारी रू. 15 अधिकतम रूपये 200/ प्रतिदिन

(ख) प्रयोगशाला सहायक, फर्रास और चपरासी रूपये 5 प्रतिपारी अधिकतम रूपये 100/– प्रतिदिवस

3. चिकित्सा संकाय के अंतर्गत प्रायोगिक के लिए

(क) परीक्षक के लिए प्रत्येक प्रयोगशाला सहायक एक विषय में अधिकतम 4सहायकों की संख्या रूपये 15/प्रतिपारी

(ख) प्रत्येक परीक्षित मरीज रूपये 2/–

(ग) तकनीकि कर्मचारी वर्ग–2 प्रति परीक्षार्थी न्यूनतम रू 20/– संलग्न सभी कर्मचारियों के बीच विभाज्य

परन्तु यह कि कला, समाज विज्ञान, विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा अभियांत्रिकी, चिकित्सा और आयुर्वेद प्रायोगिक परीक्षाओं में संलग्न कर्मचारी वर्ग को निम्नलिखित न्यूनतम राशि देया होगी

प्रयोगशाला तकनीशियन (प्रति परीक्षा)	रू. 100/–
प्रयोगशाला सहायक	रू. 80/–
भृत्य	रू. 50/–

नोट –

1. सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन के एक दिन पूर्व एंव पश्चात परीक्षा में संलग्न वरिष्ठ अधीक्षक, अधीक्षक एवं सहायक अधीक्षक पारिश्रमिक देय होगा।

2.प्रयोगशाला और उपकरणों की तैयारी/सफाई के लिए पारिश्रमिक केवल अतिरिक्त दिवस के लिए देय होगा।

3. जहॉ आवश्यक हो प्रश्न पत्रों के अनुलिपिकरण के लिए :

(क) परीक्षा अधीक्षक	रू. 6 प्रति प्रश्न पत्र
(ख) मिलानकार	रू. 4 प्रति प्रश्न पत्र
(ग) स्टैंसिल काटने के लिए टंकक	रू. 3/– प्रति पृष्ठ
(ध) प्रश्न पत्र के अनुलिपिकरण के लिए बहु ग्राफिक्स	रू. 2/– प्रति पृष्ठ

4. ऐसे परीक्षा कार्य में जिसके लिए पूर्वगामी पैराग्राफ में कोई पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए उसकी दर कुलपति द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश – 6 का पूरक

विद्यापरिषद् द्वारा 239–2013 द्वारा अनुमोदित, कार्यपरिषद् द्वारा 24/09/2013 द्वारा स्वीकृत

(क) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

I. प्रश्न पत्र रचना रू 200/– प्रति प्रश्न पत्र
II. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन रू 10/–प्रति उत्तर पुस्तिका,न्यूनतम रू 100/–
III. प्रायोगिक रू 8/– प्रति विद्यार्थी, न्यूनतम रू 200/–

(ख) प्रमाण पत्र एवं पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

I- प्रश्न पत्र रचना रू 500/– प्रति प्रश्न पत्र
II- उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन रू 10/– प्रति उत्तर पुस्तिका, न्यूनतम रू 200/–
III- प्रायोगिक रू 10/– प्रति विद्यार्थी, न्यूनतम रू 200/–

विद्यापरिषद् द्वारा दिनांक 06/01/2014 को अनुमोदित एवं कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक 21/01/2014 द्वारा स्वीकृत

1. एमबीए (व्यवसाय प्रशासन निष्णात)
   प्रश्न पत्र रचना रू 800/– प्रति प्रश्न पत्र

2. परीक्षा संचालन में पारिश्रमिक दरें

1	नियमित पाठ्यक्रम परीक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षायें विद्यानिधि (एम.फिल.) एवं विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र की रचना।	रू 30/– प्रति प्रश्न
2	विद्यानिधि एवं विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन	रू 30/– प्रति उत्तर पुस्तिका न्यूनतम रू 500/–
3	उड़नदस्ता सदस्यों का परिश्रमिक	वरिष्ट अधीक्षक के पारिश्रमिक के समतुल्य

(ग) गोपनीय कार्य

1	परीक्षा प्रश्न पत्र की कम्प्यूटर टाईपिंग	रू 30/– प्रति पृष्ठ
2	टंकित प्रश्न पत्रों का मिलान	रू 15/– प्रति पृष्ठ
3	अनुसीमक (माडरेटर)	रू 100/– प्रति प्रश्न पत्र

विद्यापरिषद् द्वारा 13/05/2014 को अनुमोदित

एम.बी.ए. मौखिकी परीक्षा का मानदेय रू 500/–

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

परीक्षा संबंधी कार्यो के नये मानदेय वर्ष 2018 से लागू

समन्वय समिति की 91वीं बैठक में पारित एवं साधारण सभा की बैठक दिनाँक 26/06/2018 में अनुमोदित

विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अंगीकृत

क्र.	परीक्षा का नाम	कार्य विवरण	पारिश्रमिक
1.	पी–एचडी/डी.लिट/डी. एस–सी/एम.फिल.	1.एम.फिल. लघुशोध का अध्ययन 2. पी–एच.डी./डी.लिट/डी.एस.–सी की प्रायोगिक परीक्षा 3. पी–एच.डी./डी.लिट/डी.एस.–सी की प्रायोगिक परीक्षा 4. एम.फिल. परीक्षा मौखिकी	रू. 2000/– रू. 5000/– रू. 2500/– रू. 1000/–
2.	**सभी स्नातकोत्तर परीक्षाएँ** **एम.ए./एम.लिब/एम.फिल/ एम.फार्मा/एम.एस–सी/ एम. एस–सी**(अभियाँत्रिकी संकाय)/एम.काम/एम.डी/ एम.एस./एल–एल.एम/ पर्यटन स्नातकोत्तर पत्रोपाधि/एम.बी.ए. परीक्षा	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित 2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.600/–) 3. लघु शोधग्रंथ अथवा प्रतिवेदन (रिपोर्ट) अथवा परियोजना प्रतिवेदन का वाचन/अध्ययन (प्रत्येक न्यूनतम रू.500/–) 4. प्रायोगिक परीक्षा प्रति छात्र (न्यूनतम रू.600/–) 5. एम.एड/एम.फार्मा/एम.बी.ए. लघु शोधग्रंथ का मूल्यांकन एवं मौखिकी (प्रत्येक न्यूनतम रू.500/–) 6. **एम.ए./एम.फार्मा**/एम.काम/एल–एल.एम. मौखिकी एवं प्रायोगिक परीक्षा प्रति शोधग्रंथ, प्रति विषय एवं प्रति छात्र (प्रत्येक न्यूनतम रू.500/–) 7. बाहय परीक्षक **एम.ए./एम.एस–सी**/एम.काम. लघु शोधग्रंथ प्रति छात्र (न्यूनतम रू.500/–)	रू. 1200/– रू. 25/– रू. 100/– रू. 30/– रू. 100/– रू. 100/– रू. 25/–
3.	**सभी स्नातक परीक्षाएँ–** बी. ए/बी.काम./बी.एस–सी/ बी. एच.एस–सी/एल–एल.बी. /बी.एड/बी.पी.एड/बी.लिब/ बी.बी.ए/पत्रोपाधि बी.फार्मा पैथोलॉजी/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि अंग्रेजी भाषा अध्यापन	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित 2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.500/–) 3. प्रायोगिक परीक्षा संचालन (न्यूनतम रू.500/–) 4. मौखिकी प्रायोगिक परीक्षा (न्यूनतम रू.500/–) 5. बी.बी.ए.लघुशोध मूल्यांकन एवं मौखिकी(न्यूनतम 500/–) 6. प्रोजेक्ट मूल्यांकन बाहय परीक्षक (बी.ए/बी.काम./बी.एस–सी/बी. एच.एस–सी) (न्यूनतम रू. 500/–)	रू. 1000/– रू. 20/– रू. 20/– रू. 25/– रू. 50/– रू. 20/–
4.	**चिकित्सा संकाय,आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा संबंधित**	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित	रू. 1000/–

	संकाय जैसे एम.बी.बी. एस. /बी.डी.एस./बी.पी.टी./बी.एम. एल.टी./बी.एस–सी नर्सिंग/बी.यू.एम.एस/बी.एच एम.एस./बी.ए.एम.एस परीक्षाएँ ।	2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.500/–) 3. प्रायोगिक परीक्षा संचालन (न्यूनतम रू.500/–) 4. मौखिकी प्रायोगिक परीक्षा (न्यूनतम रू.500/–)	रू. 20/– रू. 20/– रू. 20/–
	एम.डी./एम.एस./एम.सी.ए. परीक्षा हेतु	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित – – – – – – – – – 2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.500/–) 3. प्रायोगिक परीक्षा संचालन (न्यूनतम रू.500/–)	रू. 1200/– रू. 30/– रू. 100/–
5.	**अभियाँत्रिकी संकाय**	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित 2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.500/–) 3. प्रायोगिक परीक्षा संचालन (न्यूनतम रू.500/–) 4. मौखिकी प्रायोगिक परीक्षा (न्यूनतम रू.500/–)	रू. 1000/– रू. 20/– रू. 20/– रू. 20/–
6.	**विभिन्न परीक्षाएँ/विविध**	1. मुख्य परीक्षक मूल्यांकन – 2 दिवस का एक साथ 2. अ. समन्वयक मूल्यांकन कार्य (प्रतिदिन) ब. सहा. समन्वयक/पर्यवेक्षक मूल्यांकन (प्रतिदिन) (अधिकतम रू.20,000/–) क्रमाँक अ एवं ब के प्रकरण में 3. उडनदस्ता हेतु मानदेय/पारिश्रमिक अ. समन्वयक उडनदस्ता रू.1000/– प्रति पाली – – – ब. सदस्य उडनदस्ता रू. 500/– प्रतिपाली – – – – – 4. कुलपति द्वारा नियुक्त प्राश्निक/परीक्षक द्वारा विस्तृत निर्देशों का ज्ञापन निर्माण (लेखा, गणित एवं अन्य सांख्यिकीय कार्य हेतु) – – – – – – – – – – – – – 5. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन कार्य की न्यूनतम देय राशि – 6. a) पुनर्मूल्यांकन प्रति उत्तरपुस्तिका(न्यूनतम रू.300/–)– गैर–व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु b) पुनर्मूल्यांकन प्रति उत्तरपुस्तिका(न्यूनतम रू.500/–) व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु c) समन्वयक पुनर्मूल्यांकन(परिक्षेत्र से बाहर रू.2/–) प्रति उत्तर पुस्तिका – – – – – – – – – – – – – – d) समन्वयक मूल्यांकन(परिक्षेत्र से बाहर रू.0.50पै.) प्रति उत्तर पुस्तिका e) प्रति परीक्षक को एक वार्षिक सत्र में अधिकतम देय राशि (सभी संकायों एवं सभी सेमेस्टर परीक्षाओं में) f) परीक्षा कार्य में संलग्न परीक्षकों को आकस्मिक एवं प्रतिदिन देय भत्ता(म.प्र.शासन यात्रा भत्ता नियमानुसार) g) प्रायोगिक एवं मौखिकी परीक्षा में आंतरिक परीक्षक को बाहय परीक्षक के समान नियमानुसार देय राशि h) आवश्यकतानुसार प्रश्नपत्रों की द्वितीय प्रति i) परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक (प्रति पेपर कोड अनुसार)–– j) प्रश्नपत्र मिलानकर्ता (प्रति पेपर कोड अनुसार)– – – k) टंकण कार्य (प्रति पेपर कोड अनुसार)– – – – – – l) मल्टीग्राफर/फोटोकापी कार्य (प्रति पेपर कोड अनुसार) m) उत्तर पुस्तिकाएँ/प्रश्नपत्र/शोधप्रबंध को डाक/रेलवे से प्रेषित करने हेतु – प्राप्त रसीदों के आधार पर	रू. 1500/– रू. 1000/– रू. 800/– रू. 1000/– रू. 500/– रू. 600/– रू. 500/– रू. 30/– रू. 50/– रू. 1000/– ––

			रू.60,000/– रू. 500/– -- -- रू. 50/– रू. 50/– रू. 30/– रू. 20/– रू. 20/–
7.	**सारिणीकार इत्यादि**	अ. परीक्षा परिणाम सारिणीकरण (प्रति 100 छात्रों पर) (हस्तगत कार्य प्रति परिणाम) – – – – – – – – – – ब. परीक्षा परिणाम सारिणीकरण प्रति छात्र बाहय स्त्रोत (निविदा अनुसार 300 छात्र)(कम्प्यूटर पर) घंटों में 100 प्रति परिणाम स. परिणाम का मिलान प्रति परीक्षा परिणाम – – – – – द. परिणाम की जॉंच ,, ,, ,, – – – – – – – – इ. सभी परीक्षाओं की अंकसूचियॉं तैयार करना – – – – – फ. अंकसूचियों की जॉंच करना– – – – – – – – – – – ग. सभी उपाधियॉं/पत्रोपाधियॉं/प्रमाण पत्र तैयार करना – -- ह. सभी उपाधियॉं/पत्रोपाधियॉं/प्रमाण पत्र जॉंच करना – – –	रू. 1000/– -- --- रू. 300/– रू. 300/– रू. 15/– रू. 15/– रू. 25/– रू. 20/–
8.	**वीक्षक/निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष परीक्षा कार्य इत्यादि**	अ. वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष (प्रति पाली) – – – – – – – – – – ब. केन्द्राध्यक्ष प्रति परीक्षा प्रति पाली – – -- – – – – स. सहायक केन्द्राध्यक्ष प्रति परीक्षा प्रति पाली – – – – – द. वीक्षण कार्य प्रति पाली – – – – – – – – – – – – इ. तृतीय श्रेणी कर्म. परीक्षा (न्यूनतम रू.300/–प्रति कर्म.)– फ. चतुर्थ श्रेणी कर्म. परीक्षा (न्यूनतम रू.200/–प्रति कर्म.)–	रू. 500/– रू. 300/– रू. 200/– रू. 50/– रू. 03/– रू. 02/–
9.	**प्रायोगिक परीक्षा**	1. सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं में (अभियॉंत्रिकी एवं आयुर्वेद परीक्षा को छोड़कर) प्रयोगशाला	

		तकनीशियन/प्रयोगशाला सहायक प्रतिदिन - - - - - - प्रयोगशाला परिचालक (चतुर्थ श्रेणी) प्रतिदिन - - - - - 2. अभियाँत्रिकी प्रायोगिक परीक्षा मैकेनिक प्रयोगशाला - -- सहायक अथवा परिचालक भृत्य - - - - - - - - - - 3. प्रायोगिक परीक्षा आयुर्विज्ञान संकाय 1.प्रत्येक परीक्षक हेतु सहायक प्रति पाली/प्रतिदिन/विषय 2.प्रति रोगी परीक्षण (न्यूनतम रू.400/-)- - - - - - 3.तकनीकी कर्मचारी न्यूनतम रू.1000/- (प्रतिदिन एवं समस्त संलग्न कर्मचारियों में विभाजित किया जावेगा)	रू. 300/- रू. 200/- रू. 300/- रू. 200/- रू. 150/- रू. 50/- रू. 1000/-
10.	**सभी पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम सभी संकाय**	1. प्रश्नपत्र निर्माण अनुवाद सहित - - - - - - - - - - 2. उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन (न्यूनतम रू.500/-) 3. प्रायोगिक परीक्षा संचालन (न्यूनतम रू.500/-) 4. मौखिकी प्रायोगिक परीक्षा (न्यूनतम रू.500/-)	रू. 800/- रू. 20/- रू. 200/- रू. 100/-

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल
परीक्षा संबंधी कार्यो के नये मानदेय वर्ष 2018 से लागू
पारिश्रमिक/मानदेय देयक
(उचित रूप से भरें)

कोड ....

प्राश्निक कार्य/उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा/पुनर्मूल्यांकन अथवा मौखिकी परीक्षा इत्यादि हेतु देयक (परीक्षा का नाम).. माह......................वर्ष 20......(केवल एक सत्र की परीक्षा के लिए नये सत्र की परीक्षा हेतु अलग से देयक भरें)

परीक्षक का नाम ....पद ....

खाता संख्या क्र.. बैंक का नाम (IFSC)..

पूर्ण पता ....
पिन कोड............................ मोबाइल नं..................................

प्रति,
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि.वि. भोपाल

बाउचर क्र..............................
धनादेश क्र. ....
दिनाँक : ....

महोदय,

मैं अपना निम्नलिखित परीक्षा कार्य देयक प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि मेरे द्वारा सम्पादित किया गया है, कृपया अपनी सुविधानुसार शीघ्र भुगतान करने का कष्ट करें ।

कार्य का नाम	**परीक्षा का नाम मुख्य/पूरक**	**विषय एवं प्रश्नपत्र**	**परीक्षार्थियों की संख्या**	**पारिश्रमिक दर**	**कुल देय राशि**
प्रश्नपत्र निर्माण					
उ.पु. मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन कार्य/ शोध प्रबंध					
परीक्षा केन्द्र पर प्रायोगिक/मौखिकी					
परीक्षा परिणाम सारिणी/ परीक्षण					
डाक खर्च इत्यादि					
			कुल योग		
आयकर/टी.डी.एस. कटौती10 प्रति.			**(–)**		
शिक्षक कल्याण कोष 4 प्रति. (–)			**(–)**		
आयकर क्रमाँक (PAN NO.)				**कुल देयराशि**	

भुगतान प्राप्ति हस्ताक्षर (रसीदी टिकिट)

भुगतान प्राप्ति दावेदार हस्ताक्षर

दिनाँक ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षक/सह परीक्षक द्वारा उपरोक्त कार्य समय पर पूर्ण किया गया तथा पूर्ण संतोषजनक है ।

स्थान – भोपाल दिनाँक ....   परीक्षा नियंत्रक/प्रभारी के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान दावेदार ने विश्वविद्यालय द्वारा सौंपा गया कार्य सम्पन्न कर दिया है तथा निम्न कारणों/मदों में उनकी उपरोक्त राशि काटी गई है :–

1. .... 2. .... 3. ....

विभागीय अधिकारी **(गोपनीय)**   **कुलसचिव**

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

भुगतान हेतु पारित रूपये ....

(शब्दों में रूपये .... मात्र)   **वित्त अधिकारी**

आडिट के उपयोग हेतु

भुगतान हेतु पारित रू. ....

(शब्दों में रूपये .... मात्र)

विभागीय लिपिक   लेखा अधि.1   लेखा अधि.2

R.A.A.   R.S.A.   R.A.D.

(6)

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

म. प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर,राजा भोज मार्ग (कोलार रोड)भोपाल – 462016 (म. प्र.)दूरभाष : 0755 – 2491039,
वेबसाइट : www.abvhv.org, अणुडाक : abvhvbpl@gmail.com

क्रमांक/ /स्था/अबिवाहिंविवि/14 /2037 भोपाल, दिनांक : 17/10/14

अधिसूचना

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल के अध्यादेश क्र0 6 में परीक्षा संचालन में पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

1	नियमित पाठ्यक्रम परीक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी परीक्षायें जैसे विद्यानिधि (एम.फिल.), विद्यावारिधि (पी-एच.डी.) के लिये प्राश्निक पारिश्रमिक	बहुविकल्पिक प्रश्न	रू0 30/- प्रति प्रश्न
2	नियमित पाठ्यक्रम परीक्षा के अतिरिक्त विद्यानिधि/विद्यावारिधि अन्य सभी परीक्षायें जैसे प्रवेश परीक्षा के लिये प्राश्निक पारिश्रमिक	बहुविकल्पिक प्रश्न	रू0 30/- प्रति प्रश्न
3	उपरोक्त परीक्षा का मूल्यांकन	रू0 30/- प्रति उत्तर पुस्तिका न्यूनतम रू0 500/-	
4	उड़नदस्ता सदस्यों का पारिश्रमिक	वरिष्ठ अधीक्षक के पारिश्रमिक के तुल्य	
5	**गोपनीय कार्य**		
क	परीक्षा प्रश्न-पत्र की कम्प्यूटर टाइपिंग	रू0 30/- प्रति पृष्ठ	
ख	टंकित प्रश्न पत्रों का मिलान	रू0 15/- प्रति प्रश्न पत्र	
6	अनुसीमक (माडरेटर)	प्रति प्रश्न पत्र रू0 100/-	

आदेशानुसार

(डॉ. उदय नारायण शुक्ला)
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि0वि0 भोपाल

पृष्ठांकन कमांक /स्था/अबिवाहिंविवि/14 /2038 भोपाल, दिनांक : 17/10/14

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक के माध्यम से कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, अबिवाहिंविवि, भोपाल।
3. प्रो0 वी.के. शर्मा, अकादमिक सलाहकार एवं प्रभारी अध्यादेश/परिनियम अबिवाहिंविवि, भोपाल
4. संयुक्त संचालक (वित्त), अबिवाहिंविवि, भोपाल
5. प्रभारी अकादमी/भण्डार/प्रकाशन, अबिवाहिंविवि, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी वि0वि0 भोपाल

अध्यादेश क्रमांक – 7

परीक्षा सामान्य

(अधिनियम की धारा 36 की उपधारा ङ)

भाग–1 शीर्षक और प्रारंभ :

I. इन नियमों को विश्वविद्यालय में संचालित ''अध्ययन पाठ्यक्रम'' की परीक्षा में सम्मलित होने के लिये नियम कहा जाएगा।

II. यह नियम सामान्य परिषद के अनुमोदन उपरान्त अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

भाग–2 परिभाषाएं :

विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर या प्रशिक्षण या किसी विशेष परीक्षा के लिये किसी उपाधि या पत्रोपाधि या प्रमाण–पत्र के लिये इस अध्यादेश में और सभी अध्यादेशों और विनियमों में निहित शर्तो के विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं है।

(एक) ''नियमित परीक्षार्थी'' से अभिप्रेत है जिसने विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, या इस विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र के नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है और इस रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश चाहता है।

(दो) ''पूर्व विद्यार्थी परीक्षार्थी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो एक परीक्षा में नियमित परीक्षार्थी के रूप में भर्ती किया गया था और वहां पर वह सफल घोषित नहीं हुआ या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका था यद्‌यपि प्रक्रियानुसार विश्वविद्यालय द्वारा उसे प्रवेश पत्र जारी किया गया था, उसी परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है।

(तीन) ''अ–महाविद्यालयीन परीक्षार्थी'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो एक नियमित परीक्षार्थी या 'पूर्व विद्यार्थी परीक्षार्थी' से अन्यथा रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश चाहता है।

(चार) अध्ययन के एक नियमित पाठ्यक्रम से अभिप्रेत हैः–

क. चिकित्सा, आयुर्वेद और अभियांत्रिकी के अतिरिक्त अन्य संकायों के संबंध में व्याख्यान और प्रायोगिक में पृथक–पृथक कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति होना।

ख. चिकित्सा, आयुर्वेद और अभियांत्रिकी के संकायों के संबंध में व्याख्यान प्रायोगिक और क्लिनिकल सत्रों में पृथक–पृथक कम से कम पचासी प्रतिशत उपस्थिति होना विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, अध्ययन विभाग प्रत्येक विषय में जो परीक्षार्थी परीक्षा के लिये लेने का आशय रखता है। इस अध्यादेश में, अन्यथा प्रदत्त के अतिरिक्त, व्याख्यान में ट्यूटोरिकल और संगोष्ठी सम्मिलित होंगी।

(पाँच) ''अग्रेषण अधिकारी'' से अभिप्रेत हैः–

क. एक ''पूर्व विद्यार्थी परीक्षार्थी'' के संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का विभागाध्यक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष जहां परीक्षार्थी ने नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया था।

ख. विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी के अतिरिक्त एक ''अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी'' के संबंध में, उस शिक्षण केन्द्र के समन्वयक/संयोजक जिसे परीक्षार्थी अपने परीक्षा केन्द्र के रूप में चुनता है।

ग. एक ''अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी'' के संबंध में जिसने विश्वविद्यालय में परीक्षा के लिये एक पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रभारी अधिकारी होंगे।

(छः) ''अनुप्रमाणित'' से अभिप्रेत है अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।

भाग–3 विश्वविद्यालय परीक्षा में एक नियमित परीक्षार्थी के रूप में सम्मलित होने के लिये।

1 कोई नियमित परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मलित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह :–

(एक) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग, या अध्ययन केन्द्र में एक विद्यार्थी के रूप में नामांकित नहीं किया गया है।

(दो) जिस परीक्षा में प्रवेश चाहता है उसमें प्रवेश के लिये वह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न रखता हो और उस परीक्षा के लिये नियमित पाठ्यक्रम का अध्ययन न किया हो उसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में नामांकित न किया गया हो।

(तीन) जिस परीक्षा में सम्मलित होना चाहता है उसे नियंत्रित करने वाले इस अध्यादेश और किन्हीं भी अन्य अध्यादेशों के उस पर लागू होने वाले सभी प्रावधानों को संतुष्ट नहीं करता हो।

2. जहां परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा के लिये एक अतिरिक्त विषय लेता है वहां न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता इस विषय में अन्य विषयों के समान ही लागू होगी।

3. नियमित अंशकालीन और विश्वविद्यालय द्वारा अन्य पाठ्यक्रम जिसकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती है। पाठ्यक्रम के अध्ययन में उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है उपस्थिति की गणना के संबंध में निम्न शर्ते होंगी –

(एक) शैक्षणिक सत्र के दौरान आयोजित व्याख्यानों और प्रायोगिक/क्लिनिकल सत्रों, यदि कोई हो, में उपस्थिति की गणना की जायगी।

(दो) सैद्धांतिक परीक्षा के प्रथम दिवस के पूर्व के अट्ठाइस दिनों के अंदर आयोजित किन्हीं भी व्याख्यानों और प्रायोगिक/क्लिनिकल सत्रों में उपस्थिति की गणना नहीं की जाएगी।

(तीन) नियमित परीक्षार्थी की उच्च सेमेस्टर में उपस्थिति की गणना निम्न सेमेस्टर की परीक्षा के लिए उपस्थिति के प्रतिशत में गणना की जायेगी जिसमें उसकी वापसी ऐटीकेटी परीक्षा में विफलता के कारण हो सकती है।

(चार) सत्र के अवधि में राष्ट्रीय कैडेट कोर/राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में उपस्थिति ऐसे शिविर के प्रत्येक दिवस पर व्याख्यानों और प्रायोगिकी में पूर्ण उपस्थिति मान्य होगी और ऐसे शिविर के लिये यात्रा के दिवस और अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि विश्वविद्यालय/राज्य स्तर पर आयोजित सामान्य प्रकृति के राष्ट्रीय कैडेट कोर/ राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर मामले में अवकाश की अवधि को छोड़कर तीस दिन से अधिक नहीं होना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एनसीसी/एनएसएस शिविर के मामले में 45 दिनों के अवकाश की अवधि को छोड़कर अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी/एनएसएस के शिविर में छात्रों की भागीदारी के मामले में अनुपस्थिति की अवधि का निर्धारण विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा।

(पाँच) किसी भी अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन दल के एक सदस्य के रूप में भाग लेने पर इस तरह की प्रतियोगिता और यात्रा के दिनों को पूर्ण उपस्थिति के रूप में माना जाएगा।

(छः) किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन दल के एक सदस्य के रूप में भागीदारी को पूर्ण उपस्थिति के रूप में माना जाएगा। इस अवधि के अंतर्गत, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वास्तविक कोचिंग, प्रतियोगिता और यात्रा के दिन सम्मिलित होंगे।

4. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र में कला, सामाजिक विज्ञान, आधार भूत विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान और वाणिज्य संकायों में स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा और विधि संकाय में स्नातक परीक्षा के लिए व्याख्यान और प्रायोगिकी/क्लिनिकल सत्र की कुल संख्या एक शैक्षणिक सत्र में 90 दिवस से कम नहीं होगी।

   परन्तु यह कि स्नातकोत्तर (उतरार्ध) सेमेस्टर परीक्षा या किसी भी अन्य सेमेस्टर परीक्षा के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत करने वाले छात्रों को एक शैक्षिक सत्र में दिए जाने वाले व्याख्यानों की कुल संख्या 70 दिवसों से कम नहीं होगी।

5. विशेष कारणों जैसे लम्बी बीमारी के लिए उपस्थिति के प्रतिशत में कमी को, जो प्रत्येक विषय में आयोजित व्याख्यान और प्रायोगिकी/ क्लिनिकल सत्र की कुल संख्या के पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, कुलपति द्वारा मान्य किया जा सकता है।

6. अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, परीक्षा के लिए एक नियमित परीक्षार्थी कुलसचिव के द्वारा अधिसूचित अंतिम तिथि को या उससे पहले–

(एक) संयोजक/समन्वयक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष या अध्ययन विभाग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में उन विषय या विषयों को अंकित करते हुए, जिनमें वह प्रवेश चाहता है, परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करें।

(दो) सम्बद्ध परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क के साथ में उसके जमा करें।

7.

(एक) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष अथवा समन्वयक/संयोजक अध्ययन केन्द्र द्वारा नियमित परीक्षार्थी द्वारा जमा किया गया अग्रेषित आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क और अंक सूची शुल्क के साथ इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को या उससे पहले कुलसचिव कार्यालय में जमा करें।

(दो) प्रत्येक आवेदन के संबंध में, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष या अध्ययन केन्द्र का संयोजक/समन्वयक प्रमाणित करेगा कि –

(क) परीक्षार्थी वांछित परीक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता है।

(ख) सद आचरण का है।

(तीन) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष या सम्बद्ध अध्ययन विभाग के संयोजक/समन्वयक परीक्षा के प्रारंभ से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व निम्नांकित तीन अलग-अलग सूचियां विस्तृत रूप में कुलसचिव को भेजेंगे।

(चार) (क)यदि विद्यार्थी ने 15 नवंबर तक आयोजित हुए व्याख्यान और प्रायोगिकी दोनों में 30 प्रतिशत से कम भाग लिया या 15 नंवबर से तुरंत पूर्व वह कार्य दिवस नहीं है, तो विभागाध्यक्ष या संयोजक/ समन्वयक अध्ययन केन्द्र उसे लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसे एक नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) जो विद्यार्थी आयोजित व्याख्यान और प्रायोगिकी दोनों में 75 प्रतिशत से कम उपस्थित रहे हैं उन्हें शुल्क के भुगतान पर ‘‘अमहाविद्यालयीन परीक्षार्थी’’ के रूप में परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

सूची– क : उन परीक्षार्थियों के लिए जो उस परीक्षा के लिए प्रत्येक विषय के आयोजित व्याख्यान और प्रायोगिकी में पृथक-पृथक 75 प्रतिशत उपस्थित रहे हों (चिकित्सा और आयुर्वेद और संबद्ध संकायों, के संबंध में प्रत्येक सैद्धान्तिक विषय में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत और प्रायोगिकी और क्लीनिक में 85 प्रतिशत हो और अभियांत्रिकी और कृषि संकाय के संबंध में प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र और प्रायोगिकी/सेशनल्स के लिये न्यूनतम उपस्थिति पृथक-पृथक 85 प्रतिशत होगी।

सूची–ख : उन विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में छूट के लिये कुलपति को 15 प्रतिशत तक अधिकार है। प्रत्येक विद्यार्थी को इसके लिए कुलपति को विभागाध्यक्ष के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र के संयोजक/समन्वयक को ऐसे विद्यार्थी की उपस्थिति में कमी के लिए विशिष्ट कारणों का उल्लेख अपनी अनुशंसाओं के साथ कुलपति को प्रस्तुत करना होगा। कुलपति अनुशंसा के आधार पर निर्धारित छूट की स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते है।

सूची ग : उन विद्यार्थी की उपस्थिति की कमी 15 प्रतिशत से अधिक है और जो परीक्षा में प्रवेश से वंचित हो रहें उन उम्मीदवारों की सूची कुलसचिव उपलब्ध कराये।

8. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र के संयोजक/समन्वयक परीक्षा में सम्मिलित होने से एक नियमित विद्यार्थी को रोक सकते हैं यदि वह सेमेस्टर परीक्षा के पूर्ववर्ती माह की दिनांक 15 तक अध्ययन केन्द्रों/विभागों की शेष राशि का भुगतान नहीं करता है या अध्ययन केन्द्रों/विभागों की संपत्ति और सारी सामग्री और खेलों या एनसीसी के लिए प्रदत्त वर्दी या उनके खो जाने की स्थिति में उसके मूल्य का भुगतान नहीं कराया या कुलसचिव को परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र जमा करने के समय और परीक्षा आरम्भ होने की तिथि के बीच विद्यार्थी का आचरण असंतोषजनक पाया जाता है।

भाग–4 विश्वविद्यालयीन परीक्षा में पूर्व विद्यार्थियों के सम्मिलित होने से सम्बन्धित नियम

9 (1) विश्वविद्यालयीन परीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन के साथ पत्र निम्न अभिलेखो को संलग्न करना होगा।

(एक) पूर्व परीक्षा जिसके आधार पर परीक्षार्थी ''पूर्व छात्र'' की श्रेणी में परीक्षा में सम्मलित होना चाहता है उस परीक्षा की मूल एवं एक प्रति स्व सत्यापित अंक सूची।

(दो) अगर विद्यार्थी को परीक्षा में नियमित अभ्यर्थी में सम्मिलित होने का पात्र हो और परीक्षा प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, परन्तु परीक्षा में सम्मलित नहीं हो सका। अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष को प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें परीक्षा एवं परीक्षा वर्ष, सेमेस्टर और अनुक्रमांक अंकित हो।

(2) कोई भी अभ्यर्थी पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा अगर अभ्यर्थी पूर्व विद्यार्थी के निर्धारित मानक को पूरा नहीं करता है और सेशनल के लिये न्यूनतम अंक अर्जित नहीं किया हो।

10. किसी ''पूर्व छात्र'' को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये निम्न अभिलेखों को प्रस्तुत करना होगा।

(एक) विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए अधिसूचित तिथि तक निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित विषय के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी (स्नातक स्तर पर अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण अथवा कुलपति द्वारा नामित शिक्षक) जो अग्रेषण अधिकारी होगे, जमा करना होगा। अभ्यर्थी को आवेदन में स्पष्ट अंकित करना होगा किः-

अ. अभ्यर्थी पूर्ण परीक्षा अथवा ऐटीकेटी अथवा पूरक परीक्षा (प्रचलन में हो तो)

ब. जिस विषय या विषयों में परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है।

(दो) 9(1) के अनुसार प्रमाण पत्र

(तीन) अग्रेषण अधिकारी द्वारा सत्यापित नवीनतम स्वयं का फोटो।

(11) ''पूर्व छात्र'' उन्हीं विषय या ऐच्छिक प्रश्नपत्रों में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा जिसमें पूर्व परीक्षा में सम्मलित हुआ है।

परन्तु अगर परीक्षा की रूपरेखा पाठ्यक्रम में परिवर्तन या विषय अथवा प्रश्न पत्र में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी (पूर्व छात्र) का पूर्व वर्ष की परीक्षा रूपरेखा पाठ्यक्रम या विषय प्रश्न पत्र समाप्त होगा और अभ्यर्थी को परीक्षा वर्ष में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा।

(12) प्रत्येक परीक्षार्थी को ''पूर्व छात्र'' के रूप में उसी परीक्षा केन्द्र से परीक्षा देनी होगी जहॉं परीक्षार्थी नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया है। विशेष कारणों से कुल सचिव अगर सन्तुष्ट है तो परीक्षा केन्द्र परिवर्तित के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

भाग-5 विश्वविद्यालयीन परीक्षा में अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी के रूप में सम्मलित होने से सम्बन्धित नियमः-

13(एक) किसी परीक्षा में अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी के रूप में सम्मलित होने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियमित अभ्यर्थी के समान होगी।

(दो) अ. अमहाविद्यालयीन अभ्यार्थी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का निवासी होना अनिवार्य है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि से 12 माह पूर्व अभ्यर्थी विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में निवास कर रहा है।

ब. मध्यप्रदेश या केन्द्रीय शासन के अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतर होने पर कुलपति द्वारा क्षेत्राधिकार में निवास की तिथि में छूट प्रदान की जा सकती है।

स. अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी जो पत्राचार पाठ्यक्रम से विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मलित हो रहे हैं उनके लिए विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में निवास की अनिवार्यता आवश्यक नहीं है।

(तीन) अमहाविद्यालयन (स्वाध्यायी) परीक्षार्थी के रूप में:-

अभ्यर्थी स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य, स्नातकोत्तर गणित, वाणिज्य एवं सामाजिक विज्ञान विषयों (मनोविज्ञान, भूगोल को छोड़कर) परीक्षा में सम्मलित हो सकता है।

स्नातक स्तर पर प्रायोगिक विषयों में अभ्यर्थी तभी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा जब अभ्यर्थी सैद्धान्तिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग से संबन्धित विषय में प्रायोगिक कार्य पूर्ण कर लिया है। पूर्ण करने का प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा।

14. (एक) यदि अभ्यर्थी ने निवास के अंतराल के संबंध में छूट के लिए आवेदन इस आधार पर दिया हो कि वह मध्यप्रदेश शासन या केन्द्र सरकार का अधिकारी/कर्मचारी है अथवा उस अधिकारी/कर्मचारी का आश्रित है जिसका स्थानांतरण ऐसे स्थान पर कर दिया गया हो जो कि विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, अतः इस आशय से संबंधित प्रमाण–पत्र अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने विभागीय प्रमुख से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

बशर्ते यह भी कि उक्त प्रमाण–पत्र कि आवश्यकता शासनेत्तर अभ्यर्थी को तब नहीं होगी जब अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो।

(अ) ऐसे अभ्यर्थी जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संबद्ध महाविद्यालयों या विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के पूर्ववर्ती वर्षो के नियमित विद्यार्थी हैं एवं अनुवर्ती वर्ष में शासनेत्तर अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश चाहते हैं, को आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने का मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जाएगी।

(ब) ऐसे अभ्यर्थी जो कि मूलनिवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं और जो कि पूर्ववर्ती वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं उन्हें मूल प्रमाण–पत्र दुबारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

बशर्ते कि वह यदि पूर्ववर्ती परीक्षा एवं अगली उच्च स्तर की परीक्षा अंतराल में अपेक्षित न्यूनतम अंतराल से अधिक हो, उपरोक्त अ एवं ब उपवाक्य में दर्शाए गए अभ्यर्थी को, आवश्यक रूप से मूल निवास प्रमाण–पत्र जमा करना होगा।

(स) वे व्यक्ति (1) जो कि थल सेना, वायु सेना, जल सेना में सेवाएं दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत में पदस्थ हैं और (2) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी जो कि विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत पदस्थ हैं को अपने स्थानीय विभागीय प्रमुखों से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त अधिकारी/कर्मचारी केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के रूप में विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत जिले में पदस्थ है।

ऐसे सभी अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रितों के संबंध में एक प्रमाण–पत्र विभागीय प्रमुखों द्वारा प्रदत्त किया जायेगा। जिसमें इस बात का उल्लेख होगा कि अभ्यर्थी अधिकारी/कर्मचारी पर आश्रित है एवं उसके साथ निवास कर रहा है।

स्पष्टीकरण :– एक अभ्यर्थी को मूल निवासी माना जाएगा जबकि :–

(अ) उसके पिता या माता (पिता का देहांत होने के पश्चात) या अभिभावक (ऐसी स्थित जिसमें माता–पिता की मृत्यु हो चुकी हो) या विवाहिता महिला के संबंध में उसके पति जो कि लगातार कम से कम तीन वर्ष या अधिक समय से आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व से निवासरत हों।

(ब) अभ्यर्थी या उसके पिता–माता जो कि उस जिले के निवासी हैं और वहां पर उनकी अचल संपत्ति है लेकिन अन्यत्र कही केन्द्र सरकार या मध्यप्रदेश सरकार में सेवाएं दे रहे हैं।

(दो) परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी निम्न का उल्लेख करेंः–

(1) क्या वह संपूर्ण सम सत्र की परीक्षा के लिए अभ्यर्थी है?

(2) वह विषय या विषयों के परीक्षा की पात्रता रखता है।

(3) अभ्यर्थी का नवीनतम पासपोर्ट आकार के छायाचित्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

(4) प्रब्रजन प्रमाण–पत्र की मूलप्रति जो कि उस विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो जहां से वह प्रब्रजन कर रहा है।

(5) यदि संबंधित परीक्षा के लिए पंजीयन नहीं हुआ हो तो पंजीयन के लिए उस आशय का एक आवेदन पत्र पंजीयन शुल्क एवं अनुमति शुल्क सहित जमा करना होगा।

(6) प्रभारी अधिकारी द्वारा पाठ्यक्रम संतुष्टिपूर्वक पूर्ण कर लेने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अगर पाठ्यक्रम पत्राचार के माध्यम से किया गया है। बशर्ते कि, किसी भी अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी को ऐसे विषय या प्रश्नपत्र लेने कि अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे विषय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित नहीं हों।

(तीन) अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन – पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क सहित विश्वविद्यालय में जमा करना होगा।

बशर्ते यदि अभ्यर्थी जिसका पंजीयन परीक्षा के लिए हो चुका है उसे उसी परीक्षा के लिए दुबारा पंजीयन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

ऐसे अभ्यर्थियों को भी पंजीयन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है जो कि परीक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के रूप परीक्षा में सम्मलित हो रहे हों

टीप :–

(अ) अनुमति शुल्क उस संबंध में समाप्त माना जायेगा जब एक अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण या परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होता है जिसके लिए ऐसे अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई थी।

(ब) समस्त शुल्क का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के मांग पत्र या ऑन लाइन चालान जो कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम देय हों या किसी अन्य प्रकार से जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किये गये हों करना होगा।

(चार) एक अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी जो कि अन्य विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रब्रजन कर रहा है वह आवश्यक रूप से अपने परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ उस विश्वविद्यालय या मंडल का प्रदत्त प्रब्रजन

प्रमाण–पत्र के साथ निर्धारित प्रब्रजन शुल्क सहित प्रस्तुत करें। विदेशी विद्यार्थियों के लिए भी निर्धारित प्रबजन शुल्क जमा करना होगा।

बशर्ते कि, ऐसे वे सभी अभ्यर्थी जो कि मध्यप्रदेश के किसी विश्वविद्यालय या मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से प्रब्रजन कर रहें हैं उन्हें प्रब्रजन शुल्क जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह भी कि इस अध्यादेश में उल्लेखित सभी शुल्क परिवर्तनीय है।

भाग–छहः– सभी विद्यार्थियों के लिये सामान्य नियम

15. किसी स्नातक उपाधि के भाग–1, भाग–2, भाग–3 या स्नातक और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध परीक्षाओं में 6 या 4 सेमेस्टर परीक्षाएं हों एवं जहां पर दो या दो से अधिक वैकल्पिक विषय/ पाठ्यक्रम हों ऐसी उपाधि के लिए अभ्यर्थी को आवश्यक रूप से पूर्व सेमेस्टर में लिए गये विषय/पाठ्यक्रम को अगली सेमेस्टर परीक्षा में लेना अनिवार्य है।

16. कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक उपाधि परीक्षा या स्नातकोत्तर उपाधि (पूर्वार्ध या उत्तरार्ध) में एक से अधिक विषय में एक या समान वर्ष/सत्र में परीक्षा में सम्मलित नहीं हो सकेगा।

बशर्ते यह भी कि विश्वविद्यालय द्वारा द्वि उपाधि व्यवस्था या अतिरिक्ति व्यावसायिक या अनुप्रयुक्त तकनीकी पाठ्यक्रम या पत्रोपाधि पाठ्यक्रम, प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित हैं तो उन पाठ्यक्रमों के वर्णित उपबन्ध/नियम लागू होंगे।

17. एक अभ्यर्थी जिसने कि अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा भाग–1 (प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर), भाग–2 (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर), में उत्तीर्ण की है या स्नातकोत्तर उपाधि की पूर्वार्ध (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) परीक्षा उत्तीर्ण की है, कुलपाति की अनुमति से संबंधित उपाधि की आगामी परीक्षा में बैठने की पात्रता होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा अन्य विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम इस विश्वविद्यालय की परीक्षा के समतुल्य हो। लेकिन ऐसे सभी प्रकरणों में कुलपति द्वारा गठित की गई तुल्यता समिति जिसमें कि विभाग के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, एवं विषय विशेषज्ञ होगें, उनकी अनुशंसा पर कुलसचिव द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

18. किसी भी व्यक्ति को जो कि, किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा निष्काषित या अस्थायी रूप से निष्काषित किया गया हो या विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो ऐसे में उस व्यक्ति को किसी भी परीक्षा में उस दंड के अंतराल के दौरान किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

19. परीक्षा में सम्मलित होने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन यदि कुलसचिव को अधिसूचित की गई तारीख से विलंब से प्राप्त होते हैं तो भी उनको स्वीकृत कर लिया जायेगा। बशर्ते कि विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित विलंब शुल्क का भुगतान आवेदक द्वारा कर दिया गया हो।

20. इन सबके होते हुए भी अभ्यर्थी के प्रवेश से संबंधित वैसा सब कुछ, जो कि इस अध्यादेश में है। विश्वविद्यालय के किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के दौरान

कुलपति को यह अधिकार होगा कि विशेष प्रकरणों में जिसमें वह संतुष्ट हो जाये कि अभ्यर्थी की तरफ से अध्यावसाय की कमी से परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने में विलंब नहीं हुआ या ऐंसे प्रकरण में अभ्यर्थी का परीक्षा आवेदन निरस्त होता है तो अभ्यर्थी बहुत संकट में आ जायेगा आवेदन की अनुमति तभी मिलेगी जब निर्धारित विलंब शुल्क के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में पूर्ण रूप से सभी शर्तों के साथ जमा किया जाये।

21. (1) कुलसचिव अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश–पत्र जारी करेंगे अगर –

(अ) अभ्यर्थी का आवेदन प्रावधानों के अनुरूप एवं तदानुकूल अपने सभी विवरणों में पूर्ण पाया गया है।

(ब) अभ्यर्थी किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में नामांकन के योग्य होगा और

(स) अभ्यर्थी ने निर्धारित शुल्क जमा किया हो।

(2) उन विषयों में जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा में सम्मलित होने के बाद भी सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मलित होने के लिए परीक्षा प्रवेश पत्र का निर्गम होना अनिवार्य है।

(3) अभ्यर्थी के पक्ष में प्रवेश पत्र और अनुमति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि परीक्षा में बैठने हेतु उसे नामांकन पत्र जारी न हो जाये।

(4) अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रवेश पत्र और अनुमति तथा परीक्षा में सम्मलित हेतु अमहाविद्यालयीन अभ्यर्थी को भी प्रवेश पत्र और अनुमति वापस ली जा सकती है, अगर ऐसा पाया गया :–

(अ) परीक्षा में सम्मलित वाले ऐसे अभ्यर्थी जो कि अयोग्य है या जिन्हें प्रवेश–पत्र और अनुमति त्रुटिवश जारी किया गया है।

(ब) अभ्यर्थी द्वारा दिया गया कोई भी तथ्य या गलत अभिलेख जमा करना या नामांकन के लिए आवेदन के साथ दिया गया असत्य तथ्य या किसी परीक्षा में नामांकन हेतु या शिक्षण विभाग में फर्जी या असत्य पाये गये हों।

(स) अगर किसी अभ्यर्थी का प्रवेश–पत्र गुम गया है या नष्ट हो गया है तो इस तरह के प्रवेश पत्रों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान कर द्वितीय प्रति प्रदान करने का अधिकार कुलसचिव को होगा और जारी किये गये प्रवेश–पत्र में शीर्ष स्थान पर ''द्वितीय प्रति'' शब्द का प्रयोग किया जायेगा।

22. (एक) अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या वीक्षक को प्रवेश पत्र न दिखाया जाय या वे इससे संतुष्ट न हो जाये।

अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र दिखाना होगा जब कभी भी अधीक्षक या वीक्षक को इसकी आवश्यकता होगी।

1. परीक्षा केन्द्र का वरिष्ठ अधीक्षक म.प्र. रिकाग्नाइज्ड परीक्षा नियम 1937 (समय–समय पर परिवर्तित किया गया है) धारा–'सी' के अनुसार दृष्ट चिन्हों से परीक्षा केन्द्र चिन्हित करेंगे। इस परिधि में परीक्षा से सम्बन्धित व्यक्तियों और पुलिस अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकने का दायित्व होगा।

2. परीक्षा कक्ष में कार्यरत वीक्षक किसी विद्यार्थी द्वारा अनुचित साधन के प्रयोग को रोकने के लिए अधिकृत होगा। जिसके लिए आवश्यकता होने पर परीक्षार्थी की तलाशी ली जा सकती है।
3. परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी वरिष्ठ अधीक्षक के अुनशासित नियंत्रण में रहेगा और उनके सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि परीक्षार्थी नियमों की अवज्ञा करता है या अधीक्षक या वीक्षक के साथ अशोभनीय व्यवहार/आचरण या अनुशासित नहीं है तो अधीक्षक परीक्षार्थी को उस दिन की परीक्षा से निष्कासित कर सकता है। परीक्षार्थी सतत रूप से अनुशासनहीनता की पुनरावृत्ति करता है तो वरिष्ठ अधीक्षक शेष परीक्षा के लिये भी निष्कासित कर सकता है।
4. अगर परीक्षार्थी अधीक्षक, वीक्षक या परीक्षा में कार्यरत किसी भी व्यक्ति के साथ उदण्डता करता है या बल प्रयोग करता है या प्रयास करता है या ऐसा प्रतीत हो कि परीक्षार्थी का आचरण अधीक्षक/वीक्षक/परीक्षा में संलग्न व्यक्ति के जान के लिए खतरा है अथवा उसका आचरण परीक्षा कार्य को बाधित कर रहा है तो अधीक्षक परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र से निष्कासित कर सकता है और पुलिस की भी सहायता ले सकता है।
5. परीक्षार्थी द्वारा केन्द्र में खतरनाक हथियार लाने पर अधीक्षक परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र से निष्कासित कर सकता है या/और पुलिस को सौंप सकता है।
6. परीक्षा अवधि में परीक्षार्थी परीक्षा शुरू के एक घंटा के पूर्व परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकता है। परीक्षा के समाप्ति के आधा घंटा पूर्व उत्तर पुस्तिका जमा करने के उपरान्त ही परीक्षा कक्ष छोड़ सकता है।
7. बिन्दु 1 या 2 के के आधार पर निष्कासित परीक्षार्थी आगे के प्रश्नपत्रों की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायेगा।
8. अधीक्षक द्वारा I, II एवं III में की गयी कार्यवाही का पूर्ण प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगा और कार्य परिषद् अपराध की गंभीरता के आधार पर परीक्षार्थी की परीक्षा को निरस्त कर सकती है या विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित एक या अधिक वर्षो के लिये निष्कासित कर सकती है परन्तु इस प्रकार के निर्णय के पूर्व परीक्षार्थी को ‘‘कारण बताओ सूचना’’ देना होगा। परीक्षार्थी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर भी विचार कर निर्णय दिया जायेगा।
9. (क) यदि परीक्षार्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग जैसे पुस्तक या नोट्स या मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण या अगर किसी परीक्षार्थी को नकल कराने में सहायता कर रहा हो या किसी परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका से नकल कर रहा हो, या परीक्षा से सम्बन्धित सामग्री अथवा अन्य प्रकार से नकल कर रहा हो, तो कार्य परिषद अथवा कार्य परिषद द्वारा अनुचित साधन के परीक्षण के लिए गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अपराध की गंभीरता

अनुसार एक या दो वर्षो के लिए परीक्षा से निष्कासित करने का दण्ड दे सकता है।

(ख) परीक्षा के उपरान्त भी अगर यह पाया जाता है कि परीक्षार्थी ने परीक्षा से सम्बन्धित उसका आचरण ठीक नहीं है या विश्वविद्यालय के अभिलेख/सामग्री/भवन आदि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करता है या किया है, तो कार्य परिषद् परीक्षार्थी को अपराध की गंभीरता के आधार पर एक या दो वर्षों के लिए परीक्षा से निष्कासित कर सकता है।

(ग) यदि परीक्षार्थी द्वारा गलत, त्रुटिपूर्ण, फर्जी अभिलेखों के आधार प्रवेश या परीक्षा में सम्मलित हुआ है। प्रस्तुत अभिलेखों में तथ्यात्मक अथवा छल-कपट किया है। या कूट रचना की है तो कार्य परिषद उसका प्रवेश या और प्रवेश निरस्त कर सकता है।

(घ) अगर सक्षम अधिकारी किसी अभ्यर्थी को क,ख या ग के आधार पर दण्डित करता है तो अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना होगा। अभ्यर्थी ''कारण बताओ सूचना'' प्राप्ति के 15 दिवस के अन्तर्गत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण पर विचार किया जायेगा इसके उपरान्त दण्ड की सूचना लिखित रूप में पंजीकृत डाक द्वारा अभ्यर्थी को दी जायेगी।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये निर्णय के बाद भी पुलिस म.प्र. रिकाक्नाइज्ड परीक्षा नियम 1937 (समय-समय पर परिवर्तित किया गया है) के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है।

23. (एक) अभ्यर्थी परीक्षा में स्वयं की अस्वस्थता या अन्य किसी दूसरे कारण से सम्मलित नहीं हो पाता है तो इस स्थिति में उसे शुल्क वापसी की पात्रता नहीं होगी।

बशर्ते कुलपति अभ्यर्थी की प्रामाणिकता और तथ्यों से संतुष्ट होने पर आगामी परीक्षा के निम्न भाग में शुल्क समायोजन कर सकते हैं जैसे :-

(1) दस प्रतिशत की कटौती के बाद परीक्षा शुल्क

(2) अंकसूची शुल्क

अभ्यर्थी द्वारा अन्य सभी शुल्कों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा व्यापगत माना जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा इस तरह के समायोजन हेतु दिया गया आवेदन बीमारी के संबंध में जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र कुलसचिव को प्रस्तुत करना होगा। बशर्ते अभ्यर्थी जिस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है वह परीक्षा के प्रारंभ की तिथि से अधिकतम 10 दिन पूर्व कुलसचिव को आवेदन करना होगा।

(दो) ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका किन्ही कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने का परीक्षा आवेदन या कोई अन्य शुल्क अस्वीकार हो गया या जो निर्धारित अवधि में परीक्षा आवेदन नहीं जमा कर पायें और जिन्होंने

विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उसे कुल राशि में से 15 प्रतिशत की कटौती कर शुल्क वापसी की जा सकेगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले देहांत हो गया हो उनकी परीक्षा एवं अंकसूची शुल्क उनके उत्तराधिकारियों या अभिभावकों को पूरी राशि वापस कर दी जायेगी।

(चार) वैसे अभ्यर्थियों के सभी शुल्क जो कि परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिये हैं और किन्हीं कारणों से उनके अभिलेख कपटपूर्ण पाये गये हों या उनके द्वारा दिया गया तथ्य असत्य है तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मलित होने से अमान्य घोषित कर सभी अभिलेखों को जब्त कर लिया जावेगा।

24. (1) कोई परीक्षार्थी जो कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो वह परिणाम घोषित होने के अधिकतम 15 दिवस के अंदर, सेमेस्टर के अधिकतम दो प्रश्नपत्रों में पुर्नगणना करा सकता है। जिसके लिए उसे निर्धारित शुल्क सहित आवेदन कुल सचिव को करना होगा।

(2) प्रत्येक परीक्षार्थी को पुर्नगणना आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं होगा।

(क) अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में पुर्नगणना शुल्क वापसी का हकदार नहीं होगा।

(ख) अभ्यर्थी को पुर्नगणना के परिणाम से अवगत करा दिया जायेगा।

(ग) अगर पुर्नगणना से परिणामों में अभ्यर्थी उत्तीर्ण पाया जाता है या पहले से अधिक उच्चतर श्रेणी में पाया जाता है तब परीक्षार्थी की अंकसूची में तदानुसार संशोधन होगा।

25. अभ्यर्थी परीक्षा परिणामों की घोषणा के 10 दिनों के अंदर कुलसचिव को आवेदन सहित निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद स्वयं की उत्तरपुस्तिकाओं को देख सकते हैं और निरीक्षण के दौरान मूल्यांकन के समय कोई वास्तविक त्रुटि पाते हैं तो इन परिस्थितयों में पुर्नगणना के नियम लागू होंगे।

26. ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपाधि परीक्षा को उत्तीर्ण किया है वह परीक्षा परिणामों की घोषणा के बाद और अगले दीक्षांत समारोह की तिथि से पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा उत्तीर्ण हेतु अंतिम प्रमाण-पत्र हेतु कुलसचिव के आवेदन दे सकता हैं। ऐसे आवेदनकर्ता इस उद्देश्य हेतु निर्धारित शुल्क साथ में भुगतान करेंगे।

27. निम्न प्रमाण-पत्रों की दूसरी प्रति विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूची अनुसार निर्धारित शुल्क भुगतान के उपरांत ही प्रदान किया जायेगी। जैसे -

(1) अंकसूची

(2) प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

(3) अस्थायी प्रमाण-पत्र

प्रव्रजन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी जब तक कुलसचिव इससे संतुष्ट न हो जाये कि वैधानिक निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने हेतु मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है या उसका प्रव्रजन प्रमाण-पत्र

नष्ट हो गया है या खो गया है या कि उसे इसके द्वितीय प्रति की वास्तविक आवश्यकता हैं।

28. विश्वविद्यालय की उपाधियां, पत्रोपाधियों की द्वितीय प्रति तब तक प्रदान नहीं की जायेगी जब तक कि कुलपति के समक्ष वैधानिक निर्धारित मूल्य के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाये जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि उसकी उपाधि या पत्रोपाधि नष्ट हो गयी है या खो गयी है या वास्तविक रूप से उसे आवश्यक है। इन परिस्थितियों में निर्धारित शुल्क को देने के बाद उपाधि और पत्रोपाधि की द्वितीय प्रति प्रदान की जायेगी।

29. प्रत्येक परीक्षा या अन्य दूसरी किसी पूर्ण परीक्षा में प्रथम 10 सफलतम अभ्यर्थियों के नाम जिन्होंने बिना ऐटीकेटी के प्रथम प्रयास में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और अध्ययन पाठ्यक्रम के न्यूनतम निर्धारित अवधि के अंदर प्रथम बार में उसी सत्र में प्रत्येक वर्ग/विषय के लिए प्रवीण सूची घोषित किये जायेगे।

30. कुलपति को यह अधिकार होगा कि कोई अभ्यर्थी अगर एक अंक से श्रेणी पाने में वंचित हो गया है या एक अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है तो उसे एक अंक का कृपांक दे सकेगा। जो किसी विषय अथवा प्रश्न पत्र में नहीं जोड़ा जायेगा।

31. सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रमों में परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं में यदि परिक्षार्थी अधिकतम दो विषयों में कुल तीन या कम अकों से अनुत्तीर्ण है तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक प्रदान किया जायेगा।

32. (एक) सेमेस्टर परीक्षा में पूरक परीक्षा या द्वितीय परीक्षा या विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं होगा।

(दो) सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में अभ्यर्थी को सैद्धांतिक, प्रायोगिक सेशनल, प्रोजेक्ट् कार्य और लघुशोध में पृथक-पृथक उत्तीर्ण करना होगा।

33. सम सत्र परीक्षा में अभ्यर्थी को अधिकतम दो विषय/सैद्धांतिक या प्रायोगिक, या सेशनल या प्रोजेक्ट कार्य या लघुशोध में ऐटी केटी (Allowed to keep term) का पात्र होगा।

***(अ) स्नातक स्तर (विलोपित)**

स्नातक स्तर पर यदि कोई परीक्षार्थी दो या दो से कम प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी। विषम (या सम) सेमेस्टर के ए.टी.के.टी. प्राप्त परीक्षार्थियों को विषम (या सम) सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषयों में आगामी सत्र की विषम (या सम) सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने की पात्रता होगी। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र की गणना पृथक-पृथक की जायेगी।

अध्ययन अवधि में विभिन्न सेमेस्टर के कुल चार से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण (ए.टी.के.टी. प्राप्त) होने पर विद्यार्थी को अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। ऐसे छात्र, पूर्व विद्यार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेगें।

---

*अधिसूचना क्रमाँक 179/अविबाहिविवि/परीक्षा/एफ-5/2017 दिनाँक 30/11/2017 के अनुसार अध्यादेश की कंडिका क्रमाँक 33(अ) एवं (ब) को विलोपित किया जाता है । कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 01/09/2017 द्वारा उक्त संशोधन अनुमोदित किया गया ।

प्रथम चारों सेमेस्टर अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर उत्तीर्ण विद्यार्थी को ही पंचम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी।

***(ब) स्नातकोत्तर स्तर (विलोपित)**

स्नातकोत्तर स्तर पर यदि कोई परीक्षार्थी दो या दो से कम प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है तो उसे ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी। विषम (या सम) सेमेस्टर के ए.टी.के.टी. प्राप्त परीक्षार्थियों को विषम (या सम) सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषयों में आगामी सत्र की विषम (या सम) सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैठने की पात्रता होगी। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य, प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र की गणना पृथक–पृथक की जायेगी।

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में विद्यार्थी यदि चार प्रश्नपत्रों से अधिक में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे चौथे सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

34. सभी विषयों के पाठ्यक्रम और परीक्षा की रूपरेखा विश्वविद्यालय आवश्कतानुसार सम्बन्धित विषय के अध्ययन मंडल और विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरान्त निर्धारित करेगा जिसे विश्वविद्यालय अधिसूचित/प्रकाशित करेगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***अधिसूचना कमाँक 179/अविबाहिविवि/परीक्षा/एफ–5/2017 दिनाँक 30/11/2017 के अनुसार अध्यादेश की कंडिका क्रमाँक 33(अ) एवं (ब) को विलोपित किया जाता है । कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 01/09/2017 द्वारा उक्त संशोधन अनुमोदित किया गया तथा म.प्र.शासन के मार्गदर्शी सिद्धाँत की निम्न कंडिकाओं को स्थापित किया जाता है –**

8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम –

1. **सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धाँतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हों) विषयों की परीक्षा होगी ।**
2. **दो विषयों के प्रश्न पत्रों में (सैद्धाँतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा ।**
3. **विद्यार्थी एक समय में चार एटीकेटी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी ।**
4. **स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी ।**
5. **विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थिति विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ) एटीकेटी विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि ''विशेष परीक्षार्थी'' के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी । एवं**

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

1. **सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धाँतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ लागू हों) प्रश्नपत्रों की परीक्षा होगी ।**
2. **दो प्रश्नपत्रों में (सैद्धाँतिक एवं प्रायोगिक जहाँ लागू हैं) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को एटीकेटी की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा ।**
3. **विद्यार्थी एक समय में चार एटीकेटी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी ।**
4. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी को प्रतिस्थापित किया जाता है ।**

अध्यादेश क्रमांक – 8

अधिनियम की धारा 36(ख) के अंतर्गत एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पी–एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के अनुसार विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पी–एच.डी.) उपाधि के संबंध में

1. **नाम, प्रयोजन और प्रभाव –**

(क) नाम इस अध्यादेश का नाम **'अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएच0डी0) उपाधि'** अध्यादेश होगा।

(ख) प्रयोजन – ऐसा शोध कार्य जिससे तथ्यों की नई खोज हुई हो अथवा महनीय सार्थकता के किसी अनुप्रयुक्त कार्य के सिद्धान्तों या तथ्यों का नई दृष्टि से निर्वचन किया गया हो, ऐसे अनुसंधानपरक कार्य के लिए विद्यावारिधि (पीएच0डी0) की उपाधि देने के प्रयोजन से यह अध्यादेश है।

(ग) प्रभाव – यह अध्यादेश अधिसूचना जारी की तिथि से प्रभावशाली होगा।

2. **शोध केन्द्र :**

(क) विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पी–एच.डी.) की उपाधि हेतु शोध कार्य विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन विभाग अथवा अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत स्थापित किए गए केन्द्रों तथा संस्थाओं अथवा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल से अनुमोदित संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों अथवा म.प्र. के महाविद्यालयों के सम्बन्धित विषय में मान्य शोध केन्द्र जिन्हे इस प्रयोजन हेतु शोध केन्द्र विनियम 4 के अनुसार घोषित किए जाने पर, शोध कार्य किया जा सकेगा।

(ख) शोध केन्द्र घोषित किए जाने हेतु निम्नांकित समिति की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा निर्णय लिया जाएगाः

(i)	निदेशक शोध/अधिष्ठाता संबंधित संकाय में से कोई एक	**अध्यक्ष**
(ii)	विश्वविद्यालय के विषय विभागाध्यक्ष	**सदस्य**
(iii)	कुलपति द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ	**सदस्य**
(iV)	विद्यापरिषद् के सदस्यों में से कुलपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य	**सदस्य**

3. **विश्वविद्यालय में शोध निर्देशक/सह निर्देशक के रूप में पंजीयन**

(क) पात्रता**

किसी मान्यता प्राप्त* परिषद् *से विद्या वारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पी–एच.डी.) उपाधि अर्जित निम्नलिखित इस विश्वविद्यालय में शोध निदेशक एवं सह निदेशक के रूप में पंजीकृत होने के पात्र होंगे ।* ***(विलोपित)

3.(क) पात्रता** – विलोपित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित किया गया ।

i. अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के शैक्षणिक विभागों के सभी आचार्य, उपाचार्य एवं सह आचार्य उस विषय में पंजीकरण के पात्र होंगे, जिस विषय में उनकी नियुक्ति हुई है। यदि उनकी सेवाएँ अंतरित अथवा कार्य संपादनार्थ किसी अन्य विषय में ली जा रही हैं तो उन्हें उस परिवर्तित विभाग के विषय में अपना पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा।

ii. **अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल के सहायक आचार्य *एवं मध्यप्रदेश राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्थायी शिक्षकों (आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य तथा प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक)* ***(विलोपित)*** जिन्हें संबंधित विषय में पाँच वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्यापन का अनुभव है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.)/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर)/भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी.एस.एस.आर.) /विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) समकक्ष संस्थाओं से मान्यता प्राप्त पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में पाँच वर्ष का अनुभव है। बशर्ते कि ऐसे वैज्ञानिक/शिक्षक के, किसी अर्न्तराष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर के निर्दिष्ट शोध पत्रिका में पाँच शोध आलेख प्रकाशित हों और संबंधित शोध कार्य के क्षेत्र में उसने कम से कम तीन सम्मेलनों में भाग लिया हो।

ध्यातव्यः** मध्यप्रदेश राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों एवं उनके संबंधित महाविद्यालयों में पूर्व से पंजीकृत शोध निर्देशक अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में शोध निर्देशक एवं सह निर्देशक के रूप में पंजीकृत होने हेतु अपना आवेदन संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी से अग्रेषित कराकर प्रस्तुत करेंगे।* ***(परिशिष्ट–1) (विलोपित)

*iii. **ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पात्रताधारी थे और उक्त पात्रता के आधार पर सेवानिवृत्ति से पूर्व किसी विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संबंधित विषय में शोध निर्देशक के रूप में पंजीकृत थे, वे भी अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल में संबंधित विषय में शोध निर्देशक पंजीकृत होने के पात्र होंगे, बशर्ते उनकी उम्र 70 वर्ष से कम है और वे मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ऐसे शिक्षकों का आवेदन कुलसचिव अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को प्राप्त होने पर विचार किया जा सकेगा। ऐसे सेवानिवृत्त शोध निर्देशकों को अधिकतम तीन शोधार्थी शोध कार्य हेतु आवंटित होंगे।* ***(विलोपित)***

*iv. **अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल से अनुमोदित संस्थानों अथवा मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों में नियमानुसार नियुक्त कोई वैज्ञानिक/राष्ट्रीय अध्येता/सेवानिवृत्ति आचार्य/प्राध्यापक शिक्षक जो शोध कार्य में संलग्न है, इस विश्वविद्यालय के शोध निर्देशक अथवा सह शोध निर्देशक पंजीकृत होने के पात्र होंगे यदि वे उपर्युक्त पैरा क्रमांक 3 (क) i एवं 3 (क) ii में वर्णित अर्हता पूरी करते हों।* ***(विलोपित)***

3.(क)(ii) ध्यातव्य एवं परिशिष्ट 1 (iii) एवं (iv) – विलोपित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/ 245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित किया गया ।

v. ***जिन शिक्षकों को स्नातक स्तर का अध्यापन अनुभव न्यूनतम 15 वर्ष है साथ ही 5 शोध पत्र निर्दिष्ट शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं, तीन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया हो एवं वर्तमान में स्नातकोत्तर विभाग में पदस्थ हों तो वह भी शोध निर्देशक के पंजीयन के पात्र होंगे। (विलोपित)***

(ख) पंजीकरण*

i. उपर्युक्त वर्णित योग्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति को शोध निर्देशक के रूप में पंजीकरण कराने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र (परिशिष्ट 01) समस्त आवश्यक अभिलेखों को संलग्न करते हुये आवेदन करना होगा।

ii. *शोध निर्देशक/सह निर्देशक के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित सदस्यों की **"शोध निर्देशक पंजीकरण समिति"** द्वारा विचार कर उन्हें पंजीकरण किए जाने अथवा नहीं किए जाने की अनुशंसा कुलपति को अनुमोदन के लिये की जायेगी।

शोध निर्देशक पंजीकरण समिति*

1.	संबंधित संकाय का संकायाध्यक्ष*	अध्यक्ष
2.	शोध निदेशक*	सदस्य
3.	विषय के अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष	सदस्य
4.	विषय के विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा संबंधित विषय के मनोनीत दो बाह्य विशेषज्ञ (आचार्य पद के समकक्ष)	सदस्य

(ग) प्रतिबंध**

i. पंजीकृत शोध निर्देशक को अपने निकट के रिश्तेदार (पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, चाचा, चाची, दामाद, बहू, भतीजा, भतीजी, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन, श्वसुर, सास, साली आदि) को शोध कार्य कराने की अनुमति नहीं होगी।

ii. ***यदि पंजीकृत शोध निर्देशक अपने विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह शोधार्थी आवंटन कराने का पात्र नहीं होगा परन्तु वह कंडिका 3 (iii) की शर्तों के अनुसार शोध कराने के पात्र होंगे। (विलोपित)***

प्रतिस्थापित – केवल विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक शिक्षक ही पर्यवेक्षक/शोध निदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं । बाहय पर्यवेक्षक/शोध निर्देशकों को अनुमति नहीं है। तथापि उसी संस्थान के अन्य विभागों से अथवा अन्य संबद्ध संस्थानों से अंतर–विषयी क्षेत्रों में सह–पर्यवेक्षक/सहशोध निर्देशकों को शोध परामर्श समिति के अनुमोदन से अनुमति प्रदान की जा सकती है ।

3ख(ii)पंजीकरण – विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 11/03/2015 के प्रस्ताव क्र. 7 तथा कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 24/06/2015 में अनुमोदित ।

3.(क)(v) (ग) प्रतिबंध**(ii) – विलोपित एवं प्रतिस्थापित** – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित एवं नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

iii. *****70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले शोध निर्देशक, शोध कार्य हेतु शोधार्थी आवंटन के पात्र नहीं होंगे। 70 वर्ष की आयु या अधिक के शोध निर्देशक विद्या परिषद एवं शोध उपाधि समिति की स्वीकृति से शोध कार्य करा सकते है। (विलोपित)***

****प्रतिस्थापित –** ऐसे शोध हेतु शीर्षक जो अंतर विषयी स्वरूप के है, जहाँ संबंधित विभाग यह महसूस करता है कि विभाग में उपलब्ध विशेषज्ञता की बाहर से अनुपूर्ति की जानी चाहिए उस स्थिति में विभाग स्वयं अपने ही विभाग से शोध पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक की नियुक्ति करेगा, जिसे शोध पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक के रूप में जाना जाएगा और विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक/ सह–शोध निर्देशक को ऐसी निबंधन व शर्तो पर सह–पर्यवेक्षक/सह–शोध निर्देशक नियुक्त किया जायेगा जैसा कि सहमति प्रदान करने वाले संस्थान/ महाविद्यालयों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा और जिन पर आपस में सहमति बनेगी।

iv. ***पंजीकृत शोध निर्देशक/सह निर्देशक का स्थानान्तरण किसी ऐसे महाविद्यालय में जिसमें सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर का स्तर का अध्ययन नहीं होता, उस महाविद्यालय में सेवारत रहने की अवधि में नये शोधार्थी का आवंटन करने का पात्र नहीं होगा किन्तु शोध निर्देशक के अधीन पूर्व में पंजीकृत शोधार्थीयों के शोध कार्य में निर्देशन करने की उसे अनुमति उस परिस्थिति में होगी, यदि वह अपने परिवर्तित स्थान से उनके शोध निर्देशक के कार्य संपादन में कोई कठिनाई अनुभव नहीं करता हो। एतदर्थ उसे विश्वविद्यालय को इस आशय की सूचना देनी होगी।* ***(विलोपित)***

****प्रतिस्थापित** – किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक/सह–पर्यवेक्षक/सह–शोध निर्देशक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ (08) पी–एच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है । कोई भी सह–आचार्य/शोध पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छह (06) पी–एच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. और चार (04) पी–एच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है ।

v. ***इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्य निर्देशक यदि पंजीकृत तिथि से 5 वर्ष की अवधि मे 5 शोध पत्र निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित नहीं करता है तो वह नवीन शोधार्थियों को निर्देशन नहीं कर सकता है।* ***(विलोपित)***

****प्रतिस्थापित** – विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./पी–एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तो का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध

3.(ग) प्रतिबंध(iii), (iv) एवं (v) – विलोपित एवं प्रतिस्थापित** – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित एवं नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक/शोध निर्देशक द्वारा किसी वित्तपोषण एजेन्सी से प्राप्त न किया गया हो । तथापि शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा ।

(घ) शोध निर्देशक/सह निर्देशक के दायित्व**

i. विश्वविद्यालय से शोध निर्देशक के संबंध में समय समय पर प्रसारित समस्त आदेशों और निर्देशों का पालन करना।

ii. विश्वविद्यालय के अध्यादेश से अवगत होना और उसमें समय समय पर होने वाले संशोधनों से अवगत होना।

iii. शोधकार्य हेतु प्रस्तावित शीर्षक एवं उसकी विषय वस्तु तय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना कि उस विषय पर अन्यत्र कहीं भी शोध कार्य नहीं हुआ है।

*iv. **किसी भी निर्देशक को एक समय पर अधिकतम इस विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों की सीमा तक अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व शोधार्थियों का पंजीकरण कराना। वर्तमान में शोधार्थियों की संख्या अधिकतम आठ निर्धारित है।* ***(विलोपित)***

v. आवंटित अभ्यार्थी/पंजीकृत शोधार्थी से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने का प्रयास न करना।

4. शोध उपाधि हेतु अभ्यार्थी की पात्रता

(क) विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएच.डी.) शोध उपाधि हेतु शोध कार्य करने के प्रयोजन से पंजीकरण कराने और शोध केन्द्र में प्रवेश लेने का वही अभ्यार्थी पात्र होगा जिसने अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल अथवा विधि सम्मत स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या उसी संकाय के किसी सहबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अर्जित की हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी स्नातकोत्तर उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करते हैं तो वे मान्य होंगे।

(ख) इस विश्वविद्यालय के प्रवेश से संबंधित अध्यादेश अनुसार विदेशी छात्रों को भारत सरकार एवं/या सक्षम अधिकारी से विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए वे ही अभ्यार्थी पात्र होंगे जिनके पास अध्ययन वीजा होगा।

(ग) **प्रतिस्थापित – एम.फिल. पाठ्यक्रम को कम से कम कुल 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करने वाले अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर बी ग्रेड प्राप्त कर सफलतापूर्वक एम.फिल. उपाधि प्राप्त करने वाले (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ बिन्दु मानक पर समतुल्य ग्रेड) अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होगें, जिससे वे उसी संस्थान में समेकित

3.(ग) प्रतिबंध(v),(घ) शोध निर्देशक/सह निर्देशक के दायित्व**(iv) – विलोपित एवं प्रतिस्थापित** – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित एवं नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

पाठ्यक्रम के अंतर्गत पी–एच.डी. उपाधि अर्जित कर सकें । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ावर्ग जो (गैर लाभान्वित श्रेणी) (Non-Creamy Layer)/पृथक रूप से निःशक्त से सम्बद्ध है अथवा समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंकों तक अर्थात अंकों में 5 प्रतिशत की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जा सकती है ।

(घ) ****प्रतिस्थापित –** कोई व्यक्ति जिसके एम.फिल. शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया है तथा मौखिक साक्षात्कार लम्बित है, उसे उसी संस्थान के पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ड.) ****प्रतिस्थापित –** अभ्यर्थी जिनके पास किसी भारतीय संस्थान की एम.फिल. उपाधि के समकक्ष ऐसी उपाधि है जो कि विदेशी शैक्षिक संस्थान से है, जो कि किसी आंकलन एवं प्रत्यायन एजेन्सी द्वारा प्रत्यायित है, जो शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता एवं मानकों को सुनिश्चित करने एवं उनके आंकलन, प्रत्यायन हेतु ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अथवा ऐसे एक प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत एवं प्रत्यायित है, ऐसे अभ्यर्थी पी–एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे ।

5.अभ्यार्थी के प्रवेश एवं पंजीकरण पूर्व प्रक्रिया

5.1 **पंजीकृत निर्देशकों की जानकारी –** पंजीकृत शोध निर्देशकों की जानकारी की सूचना कोष (डेटाबेस) विश्वविद्यालय तैयार करायेगा जिसमें संबंधित शोध केन्द्रों में उपलब्ध शोध कार्य हेतु आवश्यक मूलभूत संसाधनों और सुविधाओं का उल्लेख होगा तथा शोध निर्देशकों के द्वारा कराये जाने योग्य शोध के विभिन्न विषयों, क्षेत्रों आदि का संक्षिप्त विवरण होगा। शोध निर्देशकों को निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट 02** में इस प्रयोजन हेतु सूचनाएँ देनी होंगी।

5.2 पंजीकृत शोध निर्देशकों की जानकारी विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर अनिवार्यतः प्रकाशित की जाएगी।

5.3 केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति

(क) कुलपति केन्द्रीय शोध समिति का गठन निम्नानुसार करेंगे

(i)	संकायाध्यक्ष/निदेशक शोध	**समन्वयक**
(ii)	अध्यक्ष अध्ययन मण्डल/ संयोजक पाठ्यक्रम समिति	**सदस्य**
(iii)	विषय के विभागाध्यक्ष	**सदस्य**
(iv)	कुलपति द्वारा नामांकित वरिष्ठ आचार्य	**सदस्य**

(ख) केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति का कर्त्तव्य

(i) शोध आवेदन पत्रों की जाँच

(ii) शोध पात्रता परीक्षा का आयोजन

(iii) अभ्यार्थी की अंतिम सूची प्रस्तुत करना

(v) कुलपति द्वारा आवंटित अन्य सभी कार्य

4.शोध उपाधि हेतु अभ्यार्थी की पात्रता –(ग), (घ) एवं (ड.) – प्रतिस्थापित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

5.4 शोध पात्रता परीक्षा – प्रत्येक सत्र में जिन विषयों में पंजीकृत शोध निर्देशकों के पास जितने स्थान रिक्त उपलब्ध हैं उन स्थानों पर प्रवेश करने हेतु शोध प्रवेश पात्रता परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा जिसकी अधिसूचना कुलसचिव द्वारा ऐसे समाचार–पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसका प्रसार स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर हो। इस प्रवेश पात्रता परीक्षा का आयोजन कुलपति द्वारा गठित केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति द्वारा उन केन्द्रों पर कराया जाएगा जो समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

यदि किसी सत्र में किसी विषय में शोध निर्देशकों के पास स्थान रिक्त नहीं हैं तो उस सत्र में संबंधित विषय में शोध पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

5.5 शोध पात्रता परीक्षा से छूट – ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य समतुल्य संस्थाओं द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य व्याख्याता पात्रता परीक्षा/गेट/वरिष्ट शोध अध्येता (एसआरएफ)'' उत्तीर्ण किया हो अथवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई. आर.)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) आदि से शैक्षिक अध्येता वृत्ति प्राप्त की हो अथवा जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यानिधि (एम.फिल) की उपाधि इस विश्वविद्यालय से अर्जित की हो, वे इस परीक्षा से छूट के पात्र होंगे।

परन्तु वे अभ्यार्थी जिन्होंने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.फिल. किया है उन्हें पी–एच.डी. करने के लिए प्रवेश पात्रता परीक्षा देनी होगी।

5.6 शोध पात्रता परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम** – इस प्रवेश परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा अभ्यार्थी को उत्तर पुस्तिका के साथ संलग्न ऑप्टिकल मार्क रीडर (ओ0एम0आर0) शीट पर उत्तर देने होंगे अथवा केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा। शोध पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र का स्तर विषय के स्नातकोत्तर स्तर का होगा। ***प्रवेश परीक्षा के पाठ्य विवरण में 50 प्रतिशत शोध पद्धति एवं 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे ।*

5.7शोध पात्रता परीक्षा** में अभ्यार्थी को न्यूनतम ***55 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। अनुसूचित जाति/जनजाति को न्यूनतम **50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।*

उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कुलसचिव/समन्वयक द्वारा प्रमाण–पत्र दिया जाएगा।

******5.अभ्यार्थी के प्रवेश एवं पंजीकरण पूर्व प्रक्रिया **–** कंडिका(5.6) एवं (5.7) में प्रतिस्थापित** – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/ अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

5.8* अन्तर्विषयक शोध/अर्न्तसंकाय शोध

(i) सामान्यतया शोध उपाधि हेतु अभ्यार्थी का पंजीकरण/प्रवेश उसी विषय में होगा जिस विषय में उसने अपनी स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) यदि अभ्यार्थी ने एक से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे शोध प्रवेश पात्रता परीक्षा के आवेदन में यह स्पष्ट लिखना होगा कि वह किस विषय में शोध कार्य करना चाहता है।

(iii) यदि कोई अभ्यार्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित संकाय के अंतर्विषय में शोध कार्य करने का इच्छुक है, तो उसे उस विषय का स्पष्ट उल्लेख अपने शोध पात्रता परीक्षा के आवेदन पत्र में करना होगा। ऐसी परिस्थिति में शोध निर्देशक का आवंटन कार्य उस विषय की शोध उपाधि समिति द्वारा विचारणीय होगा, जिस विषय में अभ्यार्थी ने शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। अभ्यार्थी की पात्रता का निर्णय केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा पूर्व निर्धारित करना होगा।

(iv)* तथापि अन्तर्विषयक शोध कार्य करने वाले अभ्यार्थी को उपाधि उसी विषय में प्रदान की जाएगी जिसमें उसने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है।

**यदि कोई अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित संकाय से भिन्न संकाय में शोध कार्य करने का इच्छुक है, तो उसे उस विषय का स्पष्ट उल्लेख अपने शोध पात्रता परीक्षा के आवेदन पत्र में करना होगा । ऐसी परिस्थिति में शोध निदेशक का आवंटन कार्य उस प्रवेश विषय की शोध उपाधि समिति द्वारा विचारणीय होगा, जिस विषय में उसने शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है ।*

(v) अन्तर्विषयक/अंतर्संकाय शोध कार्य करने वाले अभ्यर्थी को उपाधि उसी विषय/ संकाय में प्रदान की जाएगी जिसमें उसने शोध कार्य सम्पन्न किया है न कि उसमें जिसमें उसने अपनी स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण की हो ।*

के स्थान पर निम्न पढ़ा जाए प्रस्तावित है ।

(vi) यदि कोई अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित संकाय के अंतर्विषय में शोध कार्य कीले कर इच्छुक है तो उस विषय का स्पष्ट उल्लेख शोध प्रवेश परीक्षा के आवेदन में करना होगा । ऐसी स्थिति में शोध निदेशक का आवेटन उस विषय की शोध उपाधि समिति द्वारा विचारणीय होगा जिस विषय में अभ्यर्थी ने शोध पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है । अभ्यर्थी की पात्रता का निर्णय केन्द्रीय शोध प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा पूर्व निर्धारित करना होगा ।*

(vii) तथापि अन्तर्विषयक शोध कार्य करने वाले अभ्यर्थी को उपाधि उसी विषय/संकाय में प्रदान की जायेगी जिसमें उसने शोध कार्य सम्पन्न किया है ।*

---

*5.8 *(iv),(v),(vi)* ***एवं*** *(vii)* **वि**द्या परिषद की बैठक दिनाँक 11/03/2015 एवं कार्यपरिषद की वैठक दिनाँक 24/06/2015 में अनुमोदित ।

5.9 *शोध निर्देशक/सह निर्देशक आवंटन की प्रक्रिया

(क) शोध परीक्षा प्रवेश समिति में उत्तीर्ण अभ्यार्थी को शोध निर्देशक/सह निर्देशक को आवंटन शोध निर्देशक आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा। निर्देशक शोध आवंटन शोध समिति की बैठक की तिथि अभ्यार्थियों को सूचित करेगा।

- **शोध निर्देशक आवंटन समिति, गठन विषयवार इस प्रकार होगा**

I.	सम्बन्धित संकायाध्यक्ष*	**अध्यक्ष**
II.	विषय के अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष/संयोजक	**सदस्य**
III.	किसी एक शोध केन्द्र का प्राचार्य/विषय का विभागाध्यक्ष/निदेशक	**सदस्य**
IV.	विषय का एक निर्देशक	**सदस्य**
V.	कुलपति द्वारा नामांकित एक बाह्य विशेषज्ञ	**सदस्य**

- चयनित छात्रों के लिए शोध निर्देशकों का आवंटन औपचारिक तरीके से किया जाएगा, व्यक्तिगत छात्र एवं शोध निर्देशक पर आवंटन कार्य नहीं छोड़ा जाएगा। एतदर्थ शोध निर्देशकों के आवंटन के लिए प्रत्येक विषय में शोध निर्देशक आवंटन समिति होगी जो उस विषय के प्रत्येक शोध निर्देशक के पास उपलब्ध रिक्त स्थानों पर मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुसार शोध निर्देशकों के आवंटन करने का कार्य करेगी। शोध निदेशक आवंटन समिति में उपलब्ध रिक्त स्थानों की संख्या से दुगुने संख्या में योग्यता सूची के अनुसार अभ्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में सफल अभ्यार्थियों की सूची कुलसचिव/शोध निदेशक द्वारा प्रकाशित की जावेगी। समिति को साक्षात्कार उपरान्त अभ्यार्थी को अमान्य करने का अधिकार होगा।

- विश्वविद्यालय द्वारा वेबसाइट पर प्रकाशित पंजीकृत विषयवार शोध निर्देशकों/सह निर्देशकों के आत्मवृत्त के आधार पर चयनित अभ्यार्थी अपनी रुचि का विषय/क्षेत्र और शोध निर्देशक की जानकारी पा सकेंगे। शोध निर्देशक आवंटन हेतु निर्धारित प्रपत्र में अभ्यार्थी को आवेदन करना होगा जिसमें उसे, उपलब्ध शोध निर्देशकों में किस–किस शोध निर्देशक के आधीन वह आवंटन चाहता है यह वरीयता क्रम में उसे अपने शोध कार्य का विषय क्षेत्र और शोध निर्देशक का नाम लिखना होगा।

(ख) शोध पात्रता परीक्षा के परिणाम उपरान्त अंतिम सूची

शोध प्रवेश पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं शोध निर्देशक आवंटन समिति के अनुशंसा अनुसार विषय में उपलब्ध रिक्त स्थान पर अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची विषयवार प्रकाशित की जावेगी।

(ग) पाठ्यक्रम कार्य – प्रतिस्थापित –** पी–एच.डी. पाठ्यक्रम संबंधित कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिये जायेंगे ।

---

*5.9 शोध निर्देशक/सह निर्देशक आवंटन की प्रक्रिया **–** (क)*(i)* **वि**द्या परिषद की बैठक दिनाँक 11/03/2015 एवं कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 24/06/2015 में अनुमोदित ।

**5-9 (ग) पाठ्यक्रम कार्य – प्रतिस्थापित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

I. सभी सफल अभ्यार्थियों को एक सेमेस्टर (छः माह) का पाठ्यक्रम कार्य करना होगा किसी अभ्यार्थी को ''पूर्व पी–एच.डी. तैयारी पाठ्यक्रम'' से छूट नहीं होगी। यह पाठ्यक्रम कार्य पूर्व पीएच.डी. तैयारी मानी जायेगी।

II. पाठ्यक्रम कार्य के दो प्रश्नपत्र होंगे।

प्रथम प्रश्नपत्र शोध पद्धति, परिणात्मक पद्धति, कम्प्यूटर अनुप्रयोग से सम्बन्धित होगा।

द्वितीय प्रश्नपत्र सम्बन्धित विषय के समकालीन मुद्दे एवं उस विषय में प्रयोग की जाने वाली आधुनिकतम तकनीकी/उपकरण, शोध पत्र एवं शोधग्रंथ तकनीक साहित्य समीक्षा एवं शोध प्रस्ताव निर्माण से सम्बन्धित होगा।

पाठ्यक्रम कार्य का पाठ्यक्रम सम्बन्धित विषय के अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति द्वारा तैयार किया जायेगा एवं विद्या परिषद के अनुमोदन उपरान्त संचालित होगा।

III. **विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) पाठ्यक्रम कार्य के दो प्रश्न पत्र 100–100 अंकों के होंगे। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा पाठ्यक्रम समाप्ति उपरांत होगी। प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन एवं 70 प्रतिशत प्राश्निक मूल्यांकन के होंगे। आंतरिक मूल्यांकन अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं परियोजना कार्य जिसमें साहित्य समीक्षा सम्मिलित है, के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित प्रश्न पत्र में प्राश्निक एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित पूर्णांक में पृथक–पृथक***50 प्रतिशत अंक (प्रतिस्थापित)*** अर्जित करना अनिवार्य होगा।

IV. **पाठ्यक्रम परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र (प्राश्निक और आंतरिक मूल्यांकन) में *पृथक–पृथक* ***समग्र (समग्र शब्द विलोपित)*** *रूप से* ***55 प्रतिशत अंक (50 प्रतिशत के स्थान पर प्रतिस्थापित)*** प्राप्त करना अनिवार्य है।

V. पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा में असफल विद्यार्थी को ''आगामी पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा'' में सम्मिलित होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जावेगा। विद्यार्थी को इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

VI. अगर विद्यार्थी पुनः परीक्षा में असफल रहता है तो वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जायेगा।

प्रत्येक चयनित अभ्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य में पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क, कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम पर जमा करना होगा, अन्यथा अभ्यार्थी का चयन एवं आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा और रिक्त स्थान पर प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यार्थी का आवंटन कर दिया जायेगा।

**5-9 (ग) पाठ्यक्रम कार्य – (iii) प्रतिस्थापित एवं (iv) विलोपित एवं प्रतिस्थापित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित एवं नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

VII. पाठ्यक्रम कार्य का संचालन विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्य शोध केन्द्र पर होगा।

(घ) ''पूर्व विद्यावारिधि की तैयारी पाठ्यक्रम'' के सभी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष कारणों में जैसे लम्बी अस्वस्थता अथवा कोई आपदा घटित होने के कारण कुलपति को विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर 15 प्रतिशत उपस्थिति में छूट देने का अधिकार होगा। परीक्षार्थी को इसके लिए अनुपस्थिति के कारण को दर्शाते हुए प्रमाण के साथ आवेदन देना होगा।

6. अभ्यार्थी का शोध कार्य के लिये पंजीयन

(i) प्रत्येक अभ्यार्थी को पाठ्यक्रम कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात शोधार्थी के रूप में पंजीयन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर एक माह की अवधि में पंजीयन के लिये निर्धारित आवेदन–पत्र में आवेदन देना होगा **(परिशिष्ट–3)**।

(ii) पंजीयन के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित शोध कार्य का प्रारुप की 6 प्रतियाँ **(परिशिष्ट–4)** संलग्न करना अनिवार्य है साथ ही शोध निर्देशक का प्रमाण–पत्र **(परिशिष्ट–5)** को भी संलग्न करना होगा।

(iii) प्रत्येक अभ्यार्थी को प्रस्तावित शोध प्रारुप को विश्वविद्यालय द्वारा गठित **''शोध उपाधि समिति''** के समक्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि को मौखिक प्रस्तुतीकरण देना अनिवार्य है। शोध उपाधि समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(क) कुलपति या उनका नामांकित प्रतिनिधि **संयोजक**

(ख) सम्बन्धित विषय का अधिष्ठाता **सदस्य**

(ग) अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति का अध्यक्ष/संयोजक **सदस्य**

(घ) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग का विषय विभागाध्यक्ष **सदस्य**

(ङ) एक बाह्य विषय विशेषज्ञ (अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति द्वारा दिये गये पाँच सदस्यों के पेनल से कुलपति द्वारा नामांकित) **सदस्य**

सभी सदस्यों का कार्यकाल अध्ययन मंडल के अध्यक्ष/संयोजक के कार्यकाल के साथ स्वतः ही समाप्त हो जावेगा। गणपूर्ति के लिये बाह्य विशेषज्ञ और दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

(iv) शोध उपाधि समिति अभ्यार्थी के मौखिक प्रस्तुतीकरण के उपरान्त जिन अभ्यार्थी का शोध प्रारुप, निर्देशक और प्रस्तावित शोध केन्द्र की मान्यता की अनुशंसा प्रदान करेगी ऐसे अभ्यार्थी शोध पंजीयन के लिये मान्य होंगे।

अथवा

शोध उपाधि समिति अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रारुप में सूक्ष्म परिवर्तन करती है तो अभ्यार्थी को पुनः शोध उपाधि समिति द्वारा दिये गये सुझाव अनुसार शोध प्रारुप को 6 प्रतियों में शोध निर्देशक से अग्रेषित कराके अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल/पाठ्यक्रम समिति एवं अधिष्ठाता के सुझाव अनुसार विश्वविद्यालय की शोध शाखा में जमा करना होगा।

अथवा

अगर शोध उपाधि समिति अभ्यार्थी द्वारा मौखिक प्रस्तुतीकरण उपरान्त पंजीयन को अनुमोदित नहीं करती है तो अभ्यार्थी को शोध उपाधि समिति की दूसरी बैठक में मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिये द्वितीय अवसर प्राप्त होगा। अगर द्वितीय प्रस्तुतीकरण में भी शोध उपाधि समिति मान्य नही करती है तो अभ्यार्थी का पंजीयन आवेदन निरस्त माना जायेगा।

(v) अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रारुप से सम्बन्धित सह विषय में शोध उपाधि समिति में मतभेद होने पर प्रकरण को कुलपति विषय सम्बन्धित विशेषज्ञों की समिति गठन कर प्रकरण का परीक्षण करा सकते हैं। समिति का प्रतिवेदन विचार के लिये विद्या परिषद के समक्ष रखा जायेगा। विद्या परिषद का निर्णय मान्य होगा।

(vi) शोध उपाधि समिति की बैठक एक शैक्षणिक वर्ष में 6 माह के अन्तराल पर सामान्यतः आयोजित होगी।

(vii) सामान्यतः शोध उपाधि समिति में किसी भी शोध निर्देशक को आमंत्रित नहीं किया जायेगा अगर कोई शोध निर्देशक विषय से संबंधित शोध निर्देशक समिति में उपस्थित होना चाहता है तो उसे कुलपति से अनुमति लेनी होगी परन्तु समिति के प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे यात्रा व्यय विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. पंजीयन के उपरान्त शोधार्थी के लिए निर्देश

I. अभ्यार्थी का पंजीयन उपरान्त अभ्यार्थी को निर्धारित शोध केन्द्र पर शोध कार्य करना होगा।

II. **शोधार्थी को शोध केन्द्र पर निम्न शुल्क जमा करना होगा**

(क) शिक्षण शुल्क

(ख) शोध केन्द्र द्वारा निर्धारित पुस्तकालय शुल्क

(ग) पुस्तकालय की सुरक्षा निधि (केवल एकबार, जो वापसी होगी)

(घ) प्रयोगशाला शुल्क (उन विषयों में जहाँ प्रयोगशाला अनिवार्य है)

(ङ) परिचय–पत्र शुल्क

(च) शोध केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य शुल्क

इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यार्थी को विश्वविद्यालय में निम्न शुल्क जमा करना अनिवार्य है (अगर विश्वविद्यालय शोध केन्द्र नही है)।

(क) विश्वविद्यालय पुस्तकालय शुल्क

(ख) पुस्तकालय सुरक्षा निधि (केवल एकबार, जो वापसी होगी)

(ग) अन्य शुल्क

बशर्ते विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना के अंतर्गत शिक्षक अध्येता छात्रवृत्ति वालों को पंजीयन शुल्क देना होगा तथा शिक्षण

शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, पुस्तकालय धरोहर राशि प्रयोगशाला शुल्क (प्रयोगशाला कार्य वालों को) एवं परिचय पत्र शुल्क नहीं देने होंगे।

उपस्थिति एवं शोध कार्य अवधि

****प्रतिस्थापित –** ''पी–एच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से संबंधित कार्य भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी ।''

(क) प्रत्येक शोधार्थी को शोध निर्देशक के साथ शोध केन्द्र पर न्यूनतम 200 दिवस उपस्थित होना अनवार्य है।

(ख) शोधार्थी को शोध निर्देशक द्वारा निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट–6** पर छःमाही प्रगति प्रतिवेदन विश्वविद्यालय की शोध शाखा में देना होगा।

(ग) यदि शोधार्थी की प्रगति लगातार दो प्रतिवेदन संतोष जनक नहीं है या प्रगति प्रतिवेदन जमा नही करता है या निर्धारित शुल्क नही जमा करता है तो कुलपति को शोधार्थी का नाम पंजीकृत छात्रों की सूची से निरस्त करने का अधिकार है।

(घ) पंजीकृत तिथि (शोध उपाधि समिति की बैठक की तिथि अथवा आवेदन तिथि) से न्यूनतम 24 माह और अधिकतम 4 वर्ष की अवधि में शोधार्थी शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सकेगा।

(ङ) एम.फिल. उपाधि वाले अभ्यार्थी या पंजीयन तिथि के पूर्व जिन शिक्षकों का पाँच वर्ष का शैक्षणिक अनुभव है, वह अपना शोधग्रंथ 24 महिने के स्थान पर 18 महिनों में जमा कर सकते हैं। बशर्ते उनका एक शोध पत्र निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ हो।

(च)प्रतिस्थापित –** ''महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें पी–एच.डी. के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी । इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल./पी–एच.डी. की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है ।''

9. शोध कार्य अवधि विस्तार –

(क) चार वर्ष की अवधि पश्चात कुलपति अधिकतम एक वर्ष के लिये शोध विस्तार की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(ख) एक वर्ष शोध विस्तार के लिये, शोधार्थी चार वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर शोध निर्देशक की अनुशंसा के साथ आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को आवेदित करेगें। कुलपति शोधार्थी के आवेदन पर एक वर्ष शोध विस्तार की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

**8.उपस्थिति एवं शोध कार्य अवधि – के प्रारभ में 'क' के पूर्व प्रतिस्थापित एवं (ड.) के बाद (च) प्रतिस्थापित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

शोध विस्तार अवधि समाप्त होने के बाद भी अगर शोधार्थी शोध प्रबन्ध नहीं जमा कर पाता है तो शोधार्थी का पंजीयन स्वमेव ही निरस्त हो जायेगा। शोधार्थी को शोध करने के लिये पुनः पंजीयन कराना होगा।

(ग) पूर्व में पंजीकृत शोधार्थी जो दूसरी बार पंजीकरण करा रहे हैं उसको शोध उपाधि समिति के सम्मुख विलंब का औचित्य प्रस्तुत करना होगा। इस पुनः पंजीकरण की अवधि, पूर्व–पंजीकरण की भाँति ही होगी परन्तु पुनः पंजीकरण होने के बाद शोधार्थी समय सीमा में कभी भी अपना शोध ग्रंथ जमा कर सकता है।

10. शोध कार्य अवधि में अन्य परीक्षा देने का प्रतिबंध –

शोध अवधि में शोधार्थी किसी भी अन्य नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन नही कर सकेगा अन्यथा उसका शोध पंजीयन निरस्त हो जायेगा। अगर शोधार्थी के शोध कार्य में किसी प्रकार का पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र करना आवश्यक है तो उसे शोध निर्देशक की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय को अनुमति देने का अधिकार है।

11. शोधग्रंथ –

(क) शोधग्रंथ की भाषा हिंदी होगी किंतु संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य अथवा अन्य साहित्य में शोध कार्य को शोधग्रंथ, सम्बन्धित भाषा में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(ख) शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व प्रत्येक शोधार्थी को विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग/शोध केन्द्र में "पूर्व विद्यावारिधि" (प्री.पी–एच.डी.) प्रस्तुतीकरण करना अनिवार्य है। प्रस्तुतीकरण में दिये गये सुझावों पर निर्देशक के निर्देशन अनुसार शोध प्रबन्ध के प्रारुप में समावेश करना होगा।

(ग) शोध सारांश प्रस्तुतीकरण

शोधार्थी को शोधग्रंथ की प्रस्तुती करने के तीन माह पूर्व, शोध कार्य का सारांश 6 प्रतियों में प्रकाशित/प्रकाशन के लिए अग्रेषित शोध पत्रों की सूची सहित शोध निर्देशक के माध्यम से उपकुलसचिव (शोध) को उपलब्ध कराना होगा। शोध सारांश **परिशिष्ट–7** में दर्शाये गये रंग के अनुसार होगा।

(घ) शोधग्रंथ का प्रस्तुतीकरण

i.***शोधार्थी को शोधग्रंथ प्रस्तुत करने के पूर्व न्यूनतम एक शोध आलेख निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित करना होगा अथवा स्वीकार्य प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा* ***(परिशिष्ट–8) (विलोपित)***

****प्रतिस्थापित** – "मूल्यांकन किए जाने हेतु शोधप्रबंध/थीसिस जमा करने से पूर्व पी–एच.डी. शोधार्थी संदर्भित पत्रिका में कम से कम एक(01) शोध पत्र अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराएगा तथा अपने शोध प्रबंध/थीसिस प्रस्तुत करने से पूर्व सम्मेलनों/संगोष्ठियों में न्यूनतम दो पेपर प्रस्तुत करेगा तथा इनके

**11.(घ) शोधग्रंथ का प्रस्तुतीकरण – का (i) विलोपित एवं नवीन **प्रतिस्थापित – *विद्या* परिषद् की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के अनुमोदन एवं *विश्वविद्यालय की* अधिसूचना क्रमाँक/245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार विलोपित एवं नवीन प्रतिस्थापित किया गया ।

संबंध में प्रस्तुतीकरण प्रमाणपत्र और/अथवा पुनर्मुदणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।''

ii. शोधार्थी शोध निर्देशक के द्वारा अग्रेषित होने के उपरान्त ही शोधग्रंथ प्रस्तुत कर सकता है।

(ङ) शोधार्थी शोधग्रंथ निम्न प्रारुप में प्रस्तुत करेगा

1) शोधग्रंथ मुद्रित/टंकित कर आवरण पृष्ठ का रंग सजिल्द पाँच प्रतियों में शोध निर्देशक को प्रस्तुत करेगा जो रंग सम्बन्धित संकाय के लिए परिशिष्ट–7 में वर्णित है।

2) शोधग्रंथ प्रस्तुतीकरण में निम्नक्रम होना चाहिये

I. मुख्य पृष्ठ **(परिशिष्ट–9)**
II. शोध निर्देशक का प्रमाणपत्र **(परिशिष्ट–10)**
III. शोधार्थी का घोषणा पत्र **(परिशिष्ट–11)**
IV. आभार कथन (एकनालेजमेंट)
V. विषय सूची
VI. शोधग्रंथ में प्रयोग किये गये संक्षिप्त शब्दों की सूची/आँकड़ों की सारणी/चित्रों की सूची। (अगर आवश्यक हो)
VII. शोधकार्य का विवरण अध्यायवार
VIII. अध्याय की समाप्ति पर संदर्भ की व्यवस्थित सूची (यदि आवश्यक हो) एवं शोध ग्रंथ के अंत में विस्तृत संदर्भ सूची।

12. शोधग्रंथ परीक्षक नियुक्ति

(क) शोधग्रंथ का मूल्यांकन, एक आंतरिक और दो बाह्य परीक्षकों द्वारा किया जाएगा। किसी शोध में सह निर्देशक हैं तो वह भी आन्तरिक परीक्षक होगा। ऐसे प्रकरणों में कुल चार परीक्षक होंगे।

(ख) शोध निर्देशक, शोध सारांश की प्रस्तुति के साथ, पृथक से बन्द लिफाफे में, परीक्षकों के दस नाम निर्धारित प्रपत्र में **(परिशिष्ट– 12)** उपकुलसचिव (शोध) को प्रेषित करेगा। परीक्षक शोध विषय से संबंधित होना चाहिये और वह विश्वविद्यालय के आचार्य, सह–आचार्य अथवा महाविद्यालय के प्रोफेसर पद से नीचे का न हो। परीक्षक की सूची में 50 प्रतिशत परीक्षक मध्यप्रदेश के बाहर के हो।

(ग) विषय से सम्बन्धित परीक्षा समिति, शोध निर्देशक द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों में से 6 परीक्षकों की सूची तैयार करेगी। आवश्यक नहीं है कि शोध निर्देशक द्वारा प्रस्तुत सूची से ही परीक्षक/परीक्षकों के नाम हो। परीक्षा समिति अधिकतम 50 प्रतिशत नाम में परिवर्तन कर सकती है। परीक्षक सूची में कम से कम दो नाम म.प्र. के बाहर के विश्वविद्यालय के होंगे।

(घ) परीक्षा समिति द्वारा परीक्षकों की सूची से कुलपति परीक्षकों के दो नामों का चयन करेगा जिसमें से न्यूनतम एक परीक्षक म.प्र. के विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के बाहर का हो।

(ङ) विश्वविद्यालय का शोध अनुभाग, नियुक्त बाह्य परीक्षकों को सहमति–पत्र भेजेगा। परीक्षक द्वारा शोधग्रंथ का परीक्षण स्वीकार करने पर शोधग्रंथ मूल्यांकन को भेजा जायेगा। यदि परीक्षक द्वारा असहमति अथवा पत्र भेजने के 30 दिवस के अन्दर सहमति का पत्र प्राप्त नहीं होता है तो कुलपति परीक्षकों की सूची से अन्य परीक्षक नियुक्त करने का अनुमोदन करेंगे।

(च) शोध अनुभाग द्वारा शोध डाक से प्रेषित किया जायेगा। शोध परीक्षक द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन 2माह की अवधि में निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट–13)** पर प्रेषित करना अनिवार्य है। अगर परीक्षक प्रतिवेदन दो माह में उपलब्ध नही होता है तो कुलपति परीक्षक को परिवर्तन कर सकते है।

13. शोध ग्रंथ का मूल्यांकन

(क) सभी शोध परीक्षकों के मूल्यांकित प्रतिवेदनों में यदि यह अनुशंसा प्राप्त होती है कि शोध ग्रंथ को विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी– पी–एच.डी.) की उपाधि प्रदान किए जाने हेतु स्वीकार कर लिया जाए, तो निर्देशक शोध (शोध अनुभाग) उन मूल्यांकित प्रतिवेदनों को कुलपति के समक्ष इस प्रयोजन से प्रस्तुत करेगा कि वे उन दोनों बाह्य परीक्षकों में से किसी एक परीक्षक को शोधार्थी की मौखिक परीक्षा लेने हेतु परीक्षक नियुक्त करेंगे।

(ख) यदि बाह्य परीक्षकों में से कोई एक अथवा दोनों संबंधित शोधग्रंथ में **संशोधन** की अनुशंसा करते हैं तो परीक्षकों के सुझाव, संबंधित शोधार्थी को सूचित करते हुए निर्देशित किया जाएगा कि वे उन परिवर्तनों को सम्मिलित कर छः माह की अवधि में संशोधित शोधग्रंथ पुनः प्रस्तुत करें। संशोधित शोधग्रंथ उसी/उन्हीं बाह्य परीक्षकों को पुनः प्रेषित किया जाएगा जिससे कि वे आश्वस्त हो सकें कि सुझाए गए परिवर्तन संशोधित शोधग्रंथ में समाहित हुए हैं अथवा नहीं।

(ग) यदि इस समय कोई परीक्षक संशोधित शोधग्रंथ का मूल्यांकन करने में असमर्थता प्रकट करने का इच्छुक हो तो उसे संतोषप्रद कारण लिखकर सूचित करना होगा। ऐसी परिस्थिति में कुलपति, उसी तालिका में से अथवा शोध निर्देशक से नई परीक्षक तालिका मंगा कर, किसी अन्य को बाह्य परीक्षक नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार नियुक्त अन्य परीक्षक के पास शोधार्थी के शोधग्रंथ के साथ पूर्व परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर यह परीक्षण करने की अपेक्षा की जाएगी कि संशोधित शोधग्रंथ में क्या शोधार्थी ने पूर्व परीक्षक द्वारा उल्लेखित सुझावों को समाविष्ट कर लिया है।

(घ) यदि दोनों बाह्य परीक्षकों में से एक परीक्षक, शोधग्रंथ में **परिवर्तन स्वीकार** की अनुशंसा करता है और दूसरा परीक्षक शोधग्रंथ को निरस्त करने की अनुशंसा करता है तो तदनुसार शोधार्थी को निर्देशित किया जाएगा, कि वह अपना शोधग्रंथ एक वर्ष की अवधि में पुनः प्रस्तुत करें तथा इसकी सूचना शोध निर्देशक को भी दी जाये। इस प्रकार प्राप्त संशोधित शोधग्रंथ पुनः दोनों परीक्षकों को परीक्षण हेतु निर्देशक शोध (शोध अनुभाग) द्वारा प्रेषित किया जाएगा।

(ङ) यदि इस समय दोनों में से कोई बाह्य परीक्षक पुनः प्रेषित किए गए शोधग्रंथ का परीक्षण करने का इच्छुक नहीं है तो उसे संतोषप्रद कारण अवगत कराना

होगा। ऐसी परिस्थिति में कुलपति, उसी तालिका में से अथवा शोध निर्देशक से नई परीक्षक तालिका मंगा कर, किसी अन्य को बाह्य परीक्षक नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार नियुक्त अन्य परीक्षक के पास शोधार्थी के शोधग्रंथ के साथ पूर्व परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की प्रति प्रेषित कर यह परीक्षण करने की अपेक्षा की जाएगी कि संशोधित शोधग्रंथ में क्या शोधार्थी ने पूर्व परीक्षक द्वारा उल्लेखित सुझावों को समाविष्ट कर लिया है।

इस स्थिति में भी यदि दोनों में से कोई भी परीक्षक पुनः संशोधन अथवा निरस्तीकरण की अनुशंसा करता है तो शोधार्थी का शोधग्रंथ निरस्त कर दिया जाएगा तथा शोधार्थी का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त मान्य होगा।

(च) यदि एक बाह्य परीक्षक, परीक्षण प्रतिवेदन में शोध ग्रंथ को **अस्वीकार** करने की अनुशंसा करता है तो वह शोधग्रंथ, कुलपति द्वारा संबंधित परीक्षक तालिका में से नियुक्त किए गए तीसरे परीक्षक को परीक्षण हेतु भेजा जाएगा। ऐसे प्रकरण में तीसरे परीक्षक का प्रतिवेदन अंतिम और मान्य होगा।

(छ) यदि दोनों बाह्य परीक्षक संबंधित शोधग्रंथ को **अस्वीकृति** करने की अनुशंसा करते हैं तो वह शोधग्रंथ निरस्त कर दिया जाएगा और संबंधित शोधार्थी का पंजीकरण निरस्त मान्य होगा।

14. खुली मौखिक परीक्षा

(क) शोधार्थी की मौखिक परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा नियत स्थान पर होगा जिसमें छात्र, शोधार्थीगण और शिक्षकगण उपस्थित हो सकेंगे। मौखिक परीक्षा के आयोजन की सूचना विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग जिसमें मौखिक परीक्षा के आयोजन का स्थान एवं समय का उल्लेख होगा। साथ ही शोधार्थी को यह निर्देश दिया जाएगा कि वह अपने शोधग्रंथ की नॉन-एडिटेबल पीडीएफ फॉरमेट में चार कॉम्पेक्ट डिस्क बनाकर साथ लाए और मौखिक परीक्षा में प्रस्तुतिकरण एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो। इस सूचना की प्रति संबंधित संकाय के अधिष्ठाता को भी भेजी जाएगी जिससे कि वे चाहें तो मौखिक परीक्षा में उपस्थित हो सकें।

शोधार्थी की मौखिक परीक्षा दो परीक्षकों द्वारा ली जाएगी। शोध निर्देशक आंतरिक परीक्षक होंगे, और दूसरे बाह्य परीक्षक, कुलपति द्वारा नियुक्त होंगे। सह निर्देशक भी मौखिक परीक्षा में उपस्थित रह सकते है। मौखिक परीक्षा में वे ही शोधार्थी से प्रश्न और स्पष्टीकरण पूछ सकेंगे। दोनों परीक्षक अपना प्रतिवेदन सम्मिलित रूप से निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट-14** में प्रस्तुत करेंगे। मौखिक परीक्षा का प्रतिवेदन संतोषजनक प्राप्त होने पर शोध अनुभाग द्वारा प्रतिवेदन कुलपति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। कुलपति का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद शोधार्थी को एक अस्थाई प्रमाण पत्र **परिशिष्ट-15** जारी किया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि अस्थाई प्रमाण-पत्र को अध्यादेश के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुरूप प्रदान किया गया है। अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित शोधार्थी को निर्धारित शुल्क के साथ पृथक से आवेदन करना होगा।

(ख) यदि मौखिक परीक्षा का प्रतिवेदन दोनों परीक्षकों द्वारा असंतोषजनक बताया जाता है तो मौखिक परीक्षा की दिनांक से छः माह की अवधि में शोधार्थी निर्धारित शुल्क जमा कराकर द्वितीय मौखिक परीक्षा की प्रार्थना अपने निर्देशक के माध्यम से पुनः कर सकता है, तो दूसरी मौखिक परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। ऐसी द्वितीय मौखिक परीक्षा में पूर्व मौखिक परीक्षा में निर्धारित परीक्षक को नहीं बुलाया जाएगा अपितु कुलपति दूसरे बाह्य परीक्षक को मौखिक परीक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे।

15. उपाधि प्राप्त होना –

(क) शोधार्थी को विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी – पी–एच.डी.) की उपाधि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन एवं कार्य परिषद की स्वीकृति के पश्चात् उपाधि जारी की जा सकेगी। एतदर्थ अस्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से उपाधि जारी होने की दिनांक की अवधि में अस्थाई प्रमाण पत्र ही संबंधित शोधार्थी की उपाधि के रूप में मान्य होगा।

(ख) यदि इस अवधि में संबंधित अस्थाई प्रमाण पत्र खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है और शोधार्थी को वास्तव में उसकी आवश्यकता है तो शोधार्थी द्वारा पुलिस में अपने मूल प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की प्राथमिकी दर्ज कराने/विज्ञापन कराने और उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिलिपि प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।

16. आवंटित शोध निर्देशक का परिवर्तन

(क) किसी शोध निर्देशक के देहान्त होने/गंभीर रोगग्रस्त होने, सेवा से बर्खास्त होने अथवा अपने शोध केन्द्र से अन्यत्र स्थानांतरित होने, अथवा शोधकार्य हेतु आवण्टन कराने से प्रतिबंधित होने की स्थिति में आवंटित अभ्यार्थी/पंजीकृत शोधार्थी को अपने शोध निर्देशक को बदलने की अनुमति होगी। एतदर्थ संबंधित अभ्यार्थी आवंटित शोध निर्देशक के माध्यम से कुलपति/अधिष्ठाता को आवेदन प्रस्तुत करेगा जिस पर संबंधित विषय की शोध निर्देशक आवंटन समिति, उस विषय के उपलब्ध शोध निर्देशकों में से शोध निर्देशक आवंटन की प्रक्रियानुसार परिवर्तन करेगी।

(ख) ऐसी परिस्थिति में पूर्व शोध निर्देशक के निर्देशन में किया गया शोधकार्य और अवधि परिवर्तित शोध निर्देशक के अधीन किया गया शोध कार्य मान्य होगा। शोधार्थी आगे का शोधकार्य उसी शीर्षक के अनुसार करेगा जो पूर्व शोध निर्देशक के निर्देशन में निर्धारित हुआ था।

(ग) यदि कोई अभ्यार्थी/शोधार्थी आवंटित शोध निर्देशक के संबंध में यह अनुभव पाता है कि शोध निर्देशक उसे जिम्मेदारी से शोधकार्य निर्देशन नहीं कर रहा अथवा किसी प्रकार के अनुचित लाभ की लालसा प्रकट कर रहा है तो इस आशय की शोधार्थी के लिखित में शिकायत करने पर आवंटित शोध निर्देशक के परिवर्तन पर विचार, इन नियमों में वर्णित परिवेदना निस्तारण समिति द्वारा किया जाएगा।

17. परिवेदना निस्तारण

(क) शोधार्थी के पंजीकरण, शोध ग्रंथ का प्रस्तुतिकरण, आवंटित शोध निर्देशक के साथ सामन्जस्य, शोध कार्य की अवधि में अनुचित पक्षपात एवं व्यवहार, शोध ग्रंथ परीक्षण प्रतिवेदनों को लंबित रखने, शोध के स्वीकृत शीर्षक में परिवर्तन करने आदि परिवेदनाओं पर विचार कर अनुशंसा करने हेतु निम्नांकित सदस्यों की परिवेदना निस्तारण समिति होगी।

परिवेदना निस्तारण समिति

1. अधिष्ठाता- संबंधित संकाय/निदेशक शोध
2. संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष
3. कुलपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य

यह समिति केवल लिखित में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण करेगी।

(ख) यदि इस अध्यादेश के किसी प्रावधान के होते हुए भी कोई परिवेदना ऐसे किसी कारण जो संबंधित के सामर्थ्य से बाहर अथवा औचित्य पूर्ण कारण से विचारणीय बनने योग्य पायी जाए तो उस प्रकरण विशेष में परिवेदना निस्तारण समिति की अनुशंसा को स्वीकार कर उसका निस्तारण करने के लिए कुलपति अधिकृत होंगे और उनका निर्णय इस अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय के रूप में मान्य होगा किंतु ऐसे निर्णयों को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की आगामी बैठक में केवल सूचनार्थ प्रतिवेदित करना आवश्यक होगा।

18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यास

सफलतापूर्वक शोध कार्य करने तथा शोधार्थी को अस्थाई प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के बाद संबंधित शोध ग्रंथ की शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सीडी (सॉफ्ट प्रति) को विश्वविद्यालय द्वारा तीस दिनों के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजना होगा जिससे कि वे उसको इनफ्लिबनेट पर डाल कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को उपलब्ध करा सके।

19. बौद्धिक संपदा अधिकार

संबंधित शोधग्रंथ का बौद्धिक संपदा अधिकार सामूहिक रूप से संबंधित शोध निर्देशक, शोधार्थी एवं विश्वविद्यालय का होगा।

20. उपाधि वापसी होना

यदि उपाधि से संबंधित किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के अधिनियम 2011 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत परिनियम की धारा 34 की उपधारा 34 (झ) के अनुसार उपाधि निरस्त करने के उपरांत वापिस लेने का अधिकार होगा।

21. अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत न आने वाली स्थितियों में निर्णय।

ऐसी परिस्थितियॉं जो इस अध्यादेश के अंतर्गत नही आती है उनके संबंध में शोध मण्डल/विद्यापरिषद निर्णय करेगी। आपातकालीन स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति शोध मण्डल/विद्यापरिषद के अनुसमर्थन में उचित निर्णय ले सकेंगे।

परिशिष्ठ–1 ** *(विलोपित)*

शोध निर्देशक के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

1.	आवेदक का नाम एवं पद (महिलाएं अपने नाम से पहले कुमारी/श्रीमती लिखें)(हिंदी में)	
	(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में)	
2.	पिता का नाम	
	माता का नाम	
3.	लिंग (पुरूष/महिला)	
4.	जन्म तिथि	
5.	श्रेणी– अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य	
6.	पता (आवास)–	
	(कार्यालय)	
	दूरभाष (एस0टी0डी कोड सहित)	
	चलदूरभाष	
	अणुडाक (ईमेल)	

7. शैक्षणिक योग्यता

उपाधि	वि.वि. का नाम	वर्ष	विषय
स्नातकोत्तर			
एम.फिल.			
पी–एच.डी.			
अन्य			

8.	**प्राप्त शोध उपाधि (पी–एच.डी.) की विस्तृत जानकारीः–**	
(1)	शोध उपाधि प्राप्ति का वर्ष	
(2)	उपाधि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय का नाम	
(3)	विषय	
(4)	संकाय	
9.	शोध निर्देशन कार्य की विस्तृत जानकारीः–	
(1)	मुख्य विषय	
(2)	संबद्ध संकाय में सहायक विषय	
(3)	अन्य संकाय में सहायक विषय	
(4)	अन्य शोध अभिरूचि के क्षेत्र	
10.	शोध कार्य का विवरण– (स्वतंत्र निर्देशन में)	
	अ. एम.फिल. उपाधि प्राप्त छात्रों की	

	संख्या	
	ब. पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त छात्रों की संख्या	
	स. पी–एच.डी. हेतु पंजीयन छात्रों की संख्या एवं संबंधित संस्थान का नाम	
11.	शोध गतिविधियों का संक्षिप्त सारांश–	

12.	वृहद् शोध परियोजनायें		
शीर्षक	**अनुदान संस्था**	**अवधि**	**परियोजना राशि**

कंडिका 9 (4) एवं 11 के लिए प्रकाशित शोध पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

शीर्षक	**अनुदान संस्था**	**अवधि**	**परियोजना राशि**

लघु शोध परियोजना

13. प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की विस्तृत जानकारी (शोध पत्र की प्रति रिप्रिंट संलग्न करे) :–

शोध क्र.सं.	**शोधपत्र का शीर्षक**	**शोध पत्रिका का नाम**	**शोध पत्रिका का स्तर (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)**	**वर्ष, खंड, पृष्ठ**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

14. राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रस्तुत किये गये शोध लेखः–

लेख का शीर्षक	**सम्मेलन का नाम जिसमें लेख प्रस्तुत किया गया।**	**वर्ष**	**स्तर (राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय)**	**प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।**

(आवश्यकता हो तो पृथक पृष्ठ में विवरण संलग्न करें)

कंडिका 13 एवं 14 में प्रस्तुत शोध पत्र आवेदन तिथि से 5 वर्ष पूर्व के अन्दर का ही प्रस्तुत करें।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालयय का नाम	**कब से कब तक**	**स्नातक (कुल अवधि)**	**स्नातकोत्तर (कुल अवधि)**

15. यदि सेवारत है तो (कार्य अनुभव का विवरण):–

	सेवानिवृत आवेदक का विवरण	
क.	आप किस विभाग/ विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से सेवानिवृत हुए एवं कबः–	
ख.	संस्थान का नाम	
ग.	वर्ष	
17.	विभाग/महाविद्यालय में शोध के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की जानकारीः पुस्तकालय, प्रयोगशाला, संगणक आदि।	
18.	शोध छात्रों के लिए उपलब्ध शोध क्षेत्र	

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ किः–

1. मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।
2. मैं विश्वविद्यालय के नियमों व निर्देशों का शोध कार्य अवधि में ईमानदारी से पालन करूंगा/करूंगी।
3. वर्तमान में मेरे निर्देशन में .... शोधार्थी और सहनिर्देशन में .... शोधार्थी पंजीकृत हैं।

दिनांक .... **आवेदक का हस्ताक्षर**

टीप – आवेदन पत्र संस्था प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष से अग्रेषित करावें।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर **संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर मुद्रा सहित**

शोध निर्देशक जानकारी सूचना पत्रक

क्र0	वांछित सूचना	प्रदत्त सूचना
1.	शोध निर्देशक का नाम	
2.	पदनाम	
3.	विभाग	
4.	जन्म दिनांक	
5.	निवास का पता	
6.	अणुडाक (ईमेल)	
7.	दूरभाष क्रमांक (आवास)/चलदूरभाष	
8.	पी–एच0डी उपाधि : शीर्षकः उपाधि प्राप्त करने का वर्ष विश्वविद्यालय का नाम विषय संकाय	
9.	शोधकार्य निर्देशन के विषयों का विवरणः मूल विषय : समान संकाय में सहबद्ध विषय : अन्य संकाय में सहबद्ध विषय : शोध रुचि का अन्य क्षेत्र :	
10.	शोध निर्देशक के रूप में पंजीयन (पत्रांक एवं दिनांक)	
11.	शोध अनुभव	
12.	अध्यापन अनुभव :– स्नातक स्तर : स्नातकोत्तर स्तर :	
13.	शोध गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण (वृहत् शोध प्रकल्प, सम्मेलन/ कार्यशाला/संगोष्ठी में सहभागिता/प्रकाशित शोध आलेख का विवरण सम्मिलित करते हुए) **यह विवरण कॉम्पेक्ट डिस्क (सी0डी0) में दें।**	
14.	निर्दिष्ट शोध पत्रिका में संबंधित शोध क्षेत्र में प्रकाशित शोध आलेखों का विवरण। **यह विवरण कॉम्पेक्ट डिस्क (सी0डी0) में दें।**	
15.	आपके शोध निर्देशन में पीएच0डी0 उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या	
16.	वर्तमान में निर्देशाधीन शोधार्थियों की संख्या : पंजीकृत :	
17.	एम0फिल0 प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	
18.	शोध केन्द्र में उपलब्ध मूलभूत संसाधनों का विवरण	
19.	प्रत्याशित शोधार्थियों के लिए उपलब्ध शोध क्षेत्र/ विषयों का विवरण	

नोटः– आवश्यक्तानुसार अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ें।

शोध निदेशक के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ– 3

शोध पंजीयन हेतु शोधर्थी का आवेदन पत्र

प्रति,
कुलसचिव (शोध)
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,
भोपाल

आवक्ष चित्र

विषयः– **शोध पंजीयन हेतु आवेदन।**

संदर्भ – विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमांक – .... दिनांक – .... सूची में अंकित विषय एवं सूची क्रम।
संदर्भित अधिसूचना के अनुसार मैं शोध कार्य हेतु निर्धारित पूर्व विद्यावारिधि पाठ्यक्रम कार्य (कोर्सवर्क) सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया/कर ली हूँ। शोध पंजीयन किये जाने हेतु निम्नलिखित जानकारी एवं अभिलेख सहित आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

1. शोध निर्देशक का नाम, पद एवं कार्यालयीन पता – ....
....
....
....
2. अध्यादेश–8 में निर्धारित परिशिष्ठ–4 के अनुसार शोध प्रारूप एवं निर्धारित पंजीयन शुल्क की जमा रसीद की छायाप्रति (6 प्रतियों) में शोध निर्देशक के प्रमाण पत्र, (परिशिष्ठ–5) के साथ संलग्न है।
3. मुझे ज्ञात है कि शोध पंजीयन से शोधोपाधि प्राप्त होने की अवधि में मैं अन्य कोई उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकता/सकती। यदि इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कोई पत्रोपाधि या प्रमाणपत्र (नियमित/अंशकालीन/दूरस्थ शिक्षा) इस अवधि में करना चाहूँगा/चाहूँगी तो वह मैं तब ही करूंगा/करूंगी जब मुझे मेरे शोध निर्देशक यह प्रमाण पत्र दे देंगे कि इस पाठ्यक्रम को करने से शोध कार्य बाधित नहीं होगा।
4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी संस्था/अन्यत्र सेवारत् नहीं हूँ।

अथवा

मैं संस्था/विभाग .... में सेवारत् हूँ एवं संस्था से शोध कार्य करने के लिए सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर रहा/रही हूँ।

संलग्न– उपर्युक्त

दिनांक............................ आवेदक का हस्ताक्षर...............................

पूरा नाम एवं पता ....
....
....

टेलीफोन/मोबाईल नं0 ....

शोध निर्देशक का अग्रेषण प्रमाण पत्र

मैं, डॉ0 .... इस विश्वविद्यालय का पंजीकृत शोध निर्देशक हूं। वर्तमान में .... विभाग .... संस्था .... में कार्यरत हूँ और मेरी सेवानिवृत्ति की दिनांक .... है। अथवा सेवानिवृत्त हो चुका/चुकी हूँ।

श्री/कुमारी/श्रीमती .... का शोध पंजीयन आवेदन पत्र सहपत्रों सहित अग्रेषित करता/करती हूँ।

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

नाम ....

टेलीफोन/मोबाईल नं0 ....

शोध केन्द्र के संस्था प्रमुख का प्रमाण पत्र

अभ्यार्थी .... को पंजीयन उपरांत शोध कार्य करने के लिए इस संस्था में उपलब्ध पुस्तकालय और उपकरण की सुविधा प्रदान की जावेगी। शोधार्थी को संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

शोध पंजीयन हेतु अभ्यार्थी .... का आवेदन शोध निर्देशक के अग्रेषण उपरांत अग्रेषित।

शोध केन्द्र के विषय विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर मुद्रा सहित

शोध केन्द्र के संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर मुद्रा सहित

शोध अनुभाग के उपयोग हेतु

आवेदन पत्र की जांच कर ली गई है। अतः संबंधित शोध पंजीयन समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है

अथवा

आवेदन पत्र की जांच की गई और निम्न कमियां पाई गई जिनकी पूर्ति करायी जानी है :-

1.
2.
3.

आवेदन पत्र में पाई गयी उक्त कमियां अभ्यार्थी द्वारा दिनांक ....को पूरी कर दी गयी है। अतः संबंधित विषय शोध समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखे जाने योग्य है।

हस्ताक्षर जाँचकर्ता

शोध प्रारूप प्रस्तुति प्रपत्र एवं प्रतिवेदन (छः प्रतियों में)

1.	शोधार्थी का नाम (हिन्दी में)	
	शोधार्थी का नाम (अंग्रेजी में)	
2.	शोध कार्य का प्रस्तावित शीर्षक (हिन्दी में)	
	शोध कार्य का प्रस्तावित शीर्षक (अंग्रेजी में)	
3.	शोध केन्द्र का नाम एवं पता	
4.	प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व	
5.	प्रस्तावित शोध कार्य के उद्देश्य	
6.	प्रस्तावित शोध कार्य के विषय में अब तक हुए शोध कार्य की समीक्षा	
7.	मुख्य परिकल्पना	
8.	प्रस्तावित शोध कार्य की प्रविधि	
9.	प्रस्तावित शोध कार्य की प्रदर्श चयन तकनीक	
10.	प्रस्तावित शोध कार्य के प्राथमिक स्रोत	
11.	प्रस्तावित शोध कार्य के द्वितीयक स्रोत	
12.	संभावित अध्याय योजना	
13.	शोध प्रारूप में उल्लेखित संदर्भ ग्रंथ/शोध पत्रिकाएँ/शोध आलेख इत्यादि की सूची	

शोधार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

प्रस्तावित शोध प्रारूप अनुमोदनार्थ अग्रेषित

शोध निर्देशक के हस्ताक्षर
दिनांक एवं मुद्रा

परिशिष्ठ– 5

शोध निर्देशक का सहमति– पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. श्री/कुमारी/श्रीमती..को उक्त प्रस्तावित विषय अथवा शोध पंजीकरण समिति द्वारा स्वीकृत विषय पर, यदि इस अभ्यार्थी का विद्यावारिधी उपाधि हेतु पंजीयन हो जाता है तो, मैं शोध कार्य कराने हेतु इच्छुक हूँ।
2. जहाँ तक मुझे जानकारी है इस शोध कार्य हेतु चयनित विषय पर अब तक किसी भी विश्वविद्यालय में शोध कार्य नहीं हुआ है। इस आश्वस्ति हेतु मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संबंधित वैबसाइट का अवलोकन कर लिया है।
4. शोधकार्य हेतु चयनित विषय में अभ्यार्थी को न्यूनतम दो वर्ष के लिए शोध कार्य करने का पर्याप्त अवसर है।
5. चयनित विषय पर प्रस्तावित शोधकार्य से तथ्यों की नई खोज होगी अथवा महनीय सार्थकता के किसी अनुप्रयुक्त कार्य के सिद्धान्तों या तथ्यों का नई दृष्टि से निर्वचन होगा।
6. प्रस्तावित शोध प्रारूप को मैंने भली प्रकार देख कर अनुमोदनार्थ अग्रेषित किया है।
7. उक्त अभ्यार्थी मेरा निकट का रिश्तेदार नहीं है।
8. इस अभ्यार्थी से पूर्व मेंरे निर्देशनाधीन ....शोधार्थी पंजीकृत हैं।

....
हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुद्रा

शोध केन्द्र के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यार्थी का इस शोध केन्द्र पर उक्त शोध निर्देशक के अधीन शोध कार्य करने हेतु पंजीकरण किया जाता है तो उसे इस शोध केन्द्र पर उपलब्ध समस्त मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

शोध केन्द्र में संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर, दिनांक	शोध केन्द्र के अध्यक्ष/प्रभारी के हस्ताक्षर, दिनांक

परिशिष्ठ–6

शोध कार्य का छः माही प्रगति विवरण

1.	शोधार्थी का विवरण	
(क)	नाम	
(ख)	पदनाम (यदि लागू हो)	
(ग)	संस्थान का नाम जहाँ कार्यरत हैं (यदि लागू हो)	
(घ)	प्रगति विवरण की समयावधि	
2.	पंजीकरण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	
3.	शोध पंजीकरण शीर्षक (हिन्दी में)	
4.	शोध केन्द्र/संस्थान का नाम जहाँ शोधकार्य संपादित किया गया	
5.	प्रगति विवरण	
(क)	क्या शोधार्थी द्वारा प्रगति विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है।	
(ख)	क्या शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है? यदि हाँ तो विवरण देवें।	
(ग)	क्या संगोष्ठी/सम्मेलन आदि में सहभागिता की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें।	
6.	क्या लागू सत्र हेतु शोधकार्य शुल्क जमा करवा दिया गया है? यदि हाँ तो रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	

दिनांक **शोधार्थी के हस्ताक्षर**

9. शोध निर्देशक की टिप्पणी

(क) उपस्थिति

(ख) प्रगति

(ग) शोधकार्य पूर्ण होने का अनुमानित समय

10. शोध निर्देशक की संस्तुति

दिनांक शोध निर्देशक के हस्ताक्षर

स्थान

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
विभागाध्यक्ष/प्रभारी
शोध केन्द्र

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
प्राचार्य/निदेशक
शोध केन्द्र

विभिन्न संकायों के शोधग्रंथ के मुख पृष्ठ का रंग विधान

क्रमांक	संकाय का नाम	रंग
1.	आधारभूत विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान संकाय, संगणक विज्ञान संकाय	आसमानी
2.	समाज विज्ञान संकाय, कला संकाय, भाषा अध्ययन एवं अनुवाद संकाय, पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय	लाल
3.	ललितकला संकाय, नाट्य एवं दृश्य कला संकाय/प्राच्य विद्या संकाय	सफेद
4.	वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय	पीला
6.	शिक्षा संकाय एवं कृषि संकाय	गुलाबी
7.	आयुर्विज्ञान संकाय, औषधीय निर्माण संकाय, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय	हरा
8.	विधि संकाय	बैंगनी

परिशिष्ठ– 8 ***(विलोपित)***

प्रकाशन के साक्ष्य के घोषणा–पत्र का प्रारुप

मैं, ...पुत्र/पुत्री .... एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि शीर्षक ....पर किए जा रहे अपने शोध कार्य के संबंध में मैंने एक शोध आलेख प्रतिष्ठित शोध पत्रिका . ...में उसके संस्करण ....में प्रकाशित/प्रकाशन हेतु स्वीकृत है। प्रकाशित शोध आलेख की सत्यापित प्रति इस घोषणा पत्र के साथ संलग्न है। जिसका प्रमाण संलग्न है।

दिनांकः *शोधार्थी के हस्ताक्षर*

शोध निर्देशक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट–9

आवरण एवं शीर्ष पृष्ठ का प्रारूप

..

..

(शोध कार्य शीर्षक)

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को विद्यावारिधि (डाक्टर ऑव फिलोसोफी–पीएच0डी0) उपाधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार प्रस्तुत शोधग्रंथ

.......................संकाय

....

(शोधार्थी का नाम)

....

..

(शोध निर्देशक का नाम एवं पद)

....

(शोध केन्द्र का नाम)

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

वर्ष ....

शोध निर्देशक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शोध ग्रंथ शीर्षक .... श्री/श्रीमती/कुमारी के द्वारा मेरे निर्देशन में विद्यावारिधि की उपाधि हेतु अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म0प्र0) के लिये किये गये शोध कार्य का भाग है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि अभ्यार्थी की उपस्थिति मेरे साथ 200 दिवस रही है। मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह शोध ग्रंथः–

(1) शोधार्थी द्वारा स्वयं किया गया मौलिक शोध कार्य है।
(2) नियमानुसार किया गया शोध कार्य है।
(3) विश्वविद्यालय द्वारा, विद्यावारिधि की उपाधि के लिये प्रवृत अध्यादेश की आवश्यकताओं को पूरा करता है एवं
(4) विषयवस्तु एवं भाषा की दृष्टि से सभी मानकों को पूरा करता है तथा परीक्षकों को मूल्यांकन हेतु भेजने योग्य है।

हस्ताक्षर सह–निर्देशक
दिनांकः

हस्ताक्षर निर्देशक
दिनांकः

अग्रेषित
शोध केन्द्र के
विभागाध्यक्ष
शोध केन्द्र

विभागाध्यक्ष/अधिष्ठाता/प्राचार्य
कार्यालय की मुद्रा के साथ

परिशिष्ठ– 11

अभ्यार्थी के घोषणा–पत्र का प्रारूप

मैं, ... पुत्र/पुत्री..................................... एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि शीर्षक .... पर डॉ0................................के निर्देशन में मेरे द्वारा किया गया शोध मौलिक कार्य है। इस शोधकार्य का आंशिक अथवा पूर्ण भाग किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि अथवा डिप्लोमा अर्जित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस शोधकार्य में मैंने आवश्यक प्राथमिक, द्वितीयक स्रोत और सामग्री के संकलन को समुचित रूप से साभार प्रकट करते हुए सम्मिलित किया है। इस शोधग्रंथ की संपूर्ण सामग्री और प्रस्तुति की मौलिकता का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मैं वहन करता/करती हूँ। विश्वविद्यालय के संबंधित प्रवृत्त अध्यादेश के प्रावधानों की मैंने पूर्ति कर ली है।

दिनांकः

शोधार्थी के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–12

शोधग्रंथ परीक्षक नियुक्ति हेतु परीक्षक तालिका का प्रपत्र

क्रमांक	परीक्षक का नाम एवं पदनाम	पूरा पता	दूरभाष एवं अणुडाक	विशेषज्ञता
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

स्थानः

दिनांकः

शोध निर्देशक के हस्ताक्षर
एवं पदनाम

ध्यातव्यः

परीक्षक का नाम को अनुशंसा करते समय शोध निर्देशक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस परीक्षक का नाम की अनुशंसा कर रहे हैं वह संबंधित विषय के शोध कार्य के क्षेत्र में सक्रियता से सम्मिलित होना चाहिए और विश्वविद्यालय के आचार्य अथवा आचार्य के वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ वैज्ञानिक, उपाचार्य अथवा महाविद्यालय के प्रोफेसर के स्तर से कम नहीं होना चाहिए। परीक्षक के स्तर की संपूर्ण जिम्मेवारी शोध निर्देशक की होगी। यदि उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए शोध निर्देशक उत्तरदायी होंगे जिसके लिए उनका शोध निर्देशक के रूप में पंजीयन निरस्त भी किया जा सकता है।

इस तालिका में दस परीक्षकों के नाम की अनुशंसा होंगे जिनमें से कम से कम 4 नाम मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के विशेषज्ञों के होने चाहिए।

परिशिष्ठ–13

शोधग्रंथ परीक्षक का प्रतिवेदन

1. शोधार्थी का पूरा नाम :...
2. पंजीकरण क्रमांक :...
3. शोध प्रबंध का शीर्षक :...
4. संकायः .... 5. विषयः ....
6. परीक्षक का नाम, पता एवं संपर्क (दूरभाष, चलदूरभाष एवं अणुडाक (ईमेल)):
....
....

परीक्षक से निवेदन है कि वे अपना प्रतिवेदन/अनुशंसाएँ निम्नांकित शीर्षकों में लिखेंः–

(1) शोध प्रबंध की पाठ योजना अनुसार शोध प्रबंध का सामान्य एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन :

....
....
....

(2) शोध प्रबंध के अच्छे पक्ष का उल्लेख करते हुए शोध प्रबंध का सकारात्मक पक्षः

....
....
....
....

(3) शोध प्रबंध का नकारात्मक पक्ष (यदि कोई हो तो) :

....
....
....

4. शोध कार्य के संबंध में अनुशंसाएँ :

क.	क्या इस शोधकार्य से तथ्यों की नई खोज हुई है **अथवा** महनीय सार्थकता के किसी अनुप्रयुक्त कार्य के सिद्धान्त का : **अथवा** ज्ञात तथ्यों/सिद्धान्तों का नई दृष्टि से इस शोध प्रबंध में निवर्चन किया गया है	....
ख.	क्या इस शोधकार्य से संबंधित शोधार्थी की आलोचनात्मक परीक्षण करने तथा स्वतन्त्र निर्णय लेने का सामर्थ्य प्रकट होता है	....
ग.	शोध परिकल्पना की शोधार्थी ने जाँच की है अथवा नहीं, यदि हाँ तो जाँच परिणाम का उल्लेख करें।	....
घ.	शोध प्रबंध में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है अथवा नहीं	....

5. शोध प्रबंध पर अनुशंसाएँ : परीक्षक को निम्नांकित तीन स्थितियों में से एक स्थिति के संबंध में अपनी राय के आधार पर स्पष्ट अनुशंसा करनी होगी :–

क.	क्या यह शोध प्रबंध विद्यावारिधि की उपाधि प्रदान करने हेतु स्वीकार किए जाने योग्य है	....
	अथवा	
ख.	यह शोध प्रबंध शोधार्थी को संशोधित रूप में पुनः प्रस्तुत किए जाने हेतु वापिस लौटाए जाने योग्य है	....
	अथवा	
ग.	यह शोध प्रबंध निरस्त किए जाने योग्य है।	....

6. शोध प्रबंध के प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट अनुशंसाएँ :–

....
....
....
....
....

7. खुली मौखिक परीक्षा में इस शोध प्रबंध पर शोधार्थी से पूछे जाने योग्य दस प्रश्न :–

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

दिनांकः **परीक्षक के हस्ताक्षर**

(**टीप** – आवश्यकतानुसार परीक्षक पृथक पृष्ठ का प्रयोग कर सकते हैं।)

परिशिष्ठ–13

परीक्षकों को देय पारिश्रमिक की दरें

अध्यादेश 15(च)

1. शोध प्रबंध परीक्षण एवं परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का प्रति परीक्षक पारिश्रमिक–रू.1000/–
2. खुली मौखिक परीक्षा लेने का प्रति परीक्षक पारिश्रमिक – रू 800/–

नोटः उक्त पारिश्रमिक दरों में परिवर्तन समय–समय पर विश्वविद्यालय के आदेश द्वारा किया जा सकेगा।

परिशिष्ठ–14

खुली मौखिक परीक्षा प्रतिवेदन

1. शोधार्थी का पूरा नाम : ....

2. विषय : ....

3. शोधग्रंथ का शीर्षक : ....
....

4. खुली मौखिक परीक्षा की दिनांकः ....

5. बाह्य परीक्षक का नाम एवं पता : ....

..

..

6. आंतरिक परीक्षक का नाम एवं पता : ....

..

..

7. परीक्षण प्रतिवेदनः ....

..

..

..

..

...

आंतरिक परीक्षक के हस्ताक्षर **बाह्य परीक्षक के हस्ताक्षर**

परिशिष्ठ– 15

अस्थायी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी/श्रीमती...
..को संकाय...........में विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी–पी–एच0डी0) की उपाधि हेतु प्रस्तुत शोधग्रंथ शीर्षक..
.... का मूल्यांकन पश्चात् दिनांक................ को आयोजित खुली मौखिक परीक्षा में उक्त उपाधि हेतु शोध प्रबंध को स्वीकार करने की अनुशंसा को कुलपति ने दिनांक..............को स्वीकार कर लिया है। शोधार्थी को विद्यावारिधि की उपाधि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् जारी की जा सकेगी। एतदर्थ अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से उपाधि जारी होने की दिनांक की अवधि में यह अस्थायी प्रमाण–पत्र ही संबंधित शोधार्थी की उपाधि के रूप में मान्य है।

भोपाल
दिनांक

कुलसचिव/अधिकृत अधिकारी

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 9

विद्यानिधि उपाधि

(मास्टर आफ फिलॉसफी–एम.फिल.)

अधिनियम की धारा 36(ख) के अंतर्गत एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विद्यानिधि (एम.फिल.) उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया विनियम 2009 के अनुसार विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) उपाधि के संबंध में अध्यादेश

1. नाम और प्रभाव

(क) **नाम** – इस अध्यादेश का नाम 'अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) उपाधि' अध्यादेश होगा।

(ख) **प्रभाव** – विश्वविद्यायल द्वारा जारी अधिसूचना तिथि से अध्यादेश मान्य होगा।

2. विद्यानिधि (एम.फिल.) कार्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया –

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय प्रसारित निर्देशों अनुसार होगी।

3. अध्ययन केन्द –

(क) **विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.)** की उपाधि हेतु अध्यापन विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन विभागों में अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत स्थापित किये केन्द्रों तथा संस्थाओं में, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से अनुमोदित संस्थानों अथवा मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्रों में जहाँ संबंधित विषयों में न्यूनतम दो योग्यताधारी नियमित शिक्षक उपलब्ध हों, कराया जा सकेगा।

4. विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) अध्यापन हेतु शिक्षक एवं निर्देशक की पात्रता –

ऐसे नियमित शिक्षक जिसने विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑॅफ फिलॉसफी– पीएच.डी.) की उपाधि अर्जित कर रखी हो और स्नातकोत्तर स्तर का 3 वर्ष का अध्यापन का अनुभव हो वह विद्यानिधि पाठ्यक्रम का अध्यापन कराने का पात्र होगा। विद्यानिधि उपाधि हेतु लघुशोध प्रबंध का निर्देशन करने का पात्र वह शिक्षक होगा जो विद्यावारिधि (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी– पीएच.डी.) उपाधिधारी हो और जिसे कम से कम तीन वर्ष का उस विषय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अध्यापन का अनुभव हो या स्नातक स्तर पर 10 वर्षो के अध्यापन का अनुभव हो, तथा जिसने संबंधित अध्ययन केन्द्र पर स्वयं को विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) लघु शोध प्रबंधन निर्देशक के रूप में पंजीकृत करा लिया हो।

5. विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) पाठ्यक्रम अवधि –

प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को एक सेमेस्टर (6 माह) का पूर्व विद्यानिधि उपाधि पाठ्यक्रम करना अनिवार्य होगा।

''पूर्व विद्यानिधि तैयारी पाठ्यक्रम'' उत्तीर्ण विद्यार्थी विद्यानिधि उपाधि में प्रवेश के पात्र होंगे।

(क) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम. फिल.) पाठ्यक्रम छः–छः माह के दो सेमेस्टर में एक शैक्षणिक सत्र का पाठ्यक्रम होगा। प्रत्येक सेमेस्टर 20 सप्ताह की अवधि का होगा जिसमें से कम से कम 16 सप्ताह (90 दिवस) वास्तविक शिक्षण, 01 सप्ताह तैयारी अवकाश और शेष 03 सप्ताह अन्य गतिविधियों तथा परीक्षा के आयोजन हेतु होगा।

****(क–i)*** *''एम.फिल. पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि लगातार दो (2) सेमेस्टर/एक वर्ष और लगातार अधिकतम चार(4) सेमेस्टर/दो वर्ष होगी ।'' एवं*

****(क–ii)*** *''महिला अभ्यर्थी तथा निशक्त व्यक्ति (जिनकी निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हें एम.फिल. में एक वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल.की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।''*

(ख) शिक्षण एवं लघु शोध प्रबंध लेखन का माध्यम

शिक्षण व लघु शोध प्रबंध का लेखन हिंदी भाषा के माध्यम से होगा। भाषा विभागों में यह कार्य संबंधित भाषा में होगा। ऐसे विभाग जहां क्लासिकल भाषा यथा संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि पढ़ायी जाती है उसमें लघुशोध प्रबंध संबंधित भाषा में होगा।

(ग) सेमेस्टरों की समयावधि निम्नानुसार रहेगी–

(1) पहला सेमेस्टर – जुलाई से नवम्बर

(2) द्वितीय सेमेस्टर – जनवरी से मई

(3) परीक्षा का आयोजन – दिसम्बर एवं जून

विश्वविद्यालय को उक्त समयावधि में परिवर्तन का अधिकार होगा।

6. विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) में प्रवेश

(क) प्रवेश हेतु अभ्यार्थी की पात्रता

(1) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का वही अभ्यार्थी पात्र होगा जिसने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल अथवा विधि सम्मत स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा सम्बद्ध महाविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष श्रेणी प्राप्त करके अर्जित की हो। अभ्यार्थी उसी विषय में विद्यानिधि करने का पात्र होगा जिसमें उसने स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की हो।

(2) मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी स्नातकोत्तर उपाधि 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अर्जित करते है तो वे पात्र होगें।

(ख) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) प्रवेश पात्रता परीक्षा

(1) विभिन्न विषयों में विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) में प्रवेश हेतु ''विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) प्रवेश पात्रता परीक्षा''

5.*(क–i) एवं (क–ii) – अधिसूचना क्रमॉंक 245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनॉंक 01/05/2017 के अनुसार वि**द्या परि**षद की बैठक दिनॉंक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनॉंक 30/03/2017 के निर्णयानुसार संशोधित ।

का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाएगा जिसकी अधिसूचना अधिकृत अधिकारी/समन्वयक/शोध निदेशक द्वारा ऐसे समाचार–पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसका प्रसार स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर हो। इस पात्रता परीक्षा का आयोजन कुलपति द्वारा नियुक्त समन्वयक/शोध निदेशक द्वारा उन केन्द्रों पर कराया जाएगा जो अधिकृत अधिकारी

समन्वयक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय प्रवेश अधिसूचना में विषय में एम.फिल. में प्रवेश स्थान को भी प्रकाशित करेगी।

(2) **पात्रता परीक्षा से छूट–** ऐसे अभ्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य समतुल्य संस्थाओं द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/राज्य व्याख्याता पात्रता परीक्षा/गेट'' उत्तीर्ण किया हो अथवा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) आदि से शैक्षिक अध्येता वृत्ति प्राप्त की हो, वे इस परीक्षा से छूट के पात्र होंगे।

(3) प्रवेश **पात्रता परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम–** इस प्रवेश परीक्षा में 100 पूर्णांकों का एक प्रश्न पत्र होगा तथा अभ्यार्थी को संलग्न ऑप्टिकल मार्क रीडर **(ओ0एम0आर0) शीट** पर उत्तर देने होंगे, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम संबंधित विषय के स्नात्कोत्तर स्तर का होगा। प्रत्येक अभ्यार्थी (आरक्षित वर्ग को छोड़कर) को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए यह 35 प्रतिशत होंगे।

(ग) प्रवेश योग्यता सूची

(1) प्रवेश पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों के प्राप्तांकों के वरीयता के अनुसार प्रावीण्य सूची अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

(2) म.प्र. शासन के आरक्षण नीति का पालन अनिवार्य होगा।

7. छात्र आवंटन समिति

(क) प्रत्येक विषय में निम्नांकित सदस्यों की छात्र आवंटन समिति होगी

1. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता/निदेशक शोध – **संयोजक**
2. विश्वविद्यालय का विषय विभागाध्यक्ष/अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष/निदेशक–**सदस्य**
3. समन्वयक (पात्रता परीक्षा) – **सदस्य सचिव**

(ख) छात्र आवंटन समिति प्रावीण्य सूची के अनुसार वरियता क्रम में बुलाए गए अभ्यार्थियों को उनके द्वारा प्रवेश हेतु दिए गए अध्ययन केन्द्रों के विकल्पों पर विचार करते हुए उनकी प्राप्तांकों के वरियता के आधार पर उन्हें अध्ययन केन्द्र आवंटित किए जाने की अनुशंसा करेगी।

8. विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) पूर्व पाठ्यक्रम योजना

**''एम.फिल. पाठ्यक्रम संबंधी कार्य के लिए न्यूनतम 08 क्रेडिट तथा अधिकतम 16 क्रेडिट दिए जायेंगे ।'' ''प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत शोध पद्धति तथा 50 प्रतिशत विशिष्ट विषय के प्रश्न पूछे जायेंगे ।''*

---

*8. **विद्यानिधि** – अधिसूचना कमाँक 245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार वि**द्या परि**षद की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के निर्णयानुसार संशोधित ।

(क) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी-एम फिल) ''पूर्व पाठ्यक्रम योजना'' के अंतर्गत दो प्रश्न-पत्र होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा।

प्रथम प्रश्न-पत्र

शोध प्राविधि (पाठ्यक्रम कार्य) का होगा जिसमें शोध की परिमाणात्मक विधियां एवं संगणक अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन कराया जायेगा। विषय से संबंधित समसामयिक मुद्दों, साहित्य समीक्षा एवं शोध में प्रयोग आने वाली नई तकनीक से संबंधित होगा।

द्वितीय प्रश्न-पत्र-

निर्देशक के निर्देशन में साहित्य समीक्षा आधारित परियोजना कार्य जिसका मूल्यांकन संबंधित निर्देशक द्वारा हो अथवा अभ्यार्थी परियोजना कार्य के एवज में विषय संबंधित समकालीन मुद्दों के प्रश्न पत्र में सम्मलित हो सकेगा।

9. विद्यानिधि पाठ्यक्रम

''एम.फिल. उपाधि प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी कार्य हेतु क्रेडिट सहित समग्र न्यूनतम क्रेडिट संबंधी अपेक्षाएं 24 क्रेडिट से कम नहीं होंगीं ।''

(क) विद्यार्थी ''पूर्व विद्यानिधि पाठ्यक्रम परीक्षा'' उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यानिधि उपाधि में प्रवेश के पात्र होंगे। विद्यार्थी को विद्यानिधि उपाधि के लिए एक अकादमिक वर्ष (दो सेमेस्टर) में संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। प्रथम सेमेस्टर में दो सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और द्वितीय सेमेस्टर में एक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और लघु शोध प्रबंध का होगा। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन और 70 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के लिए निर्धारित है। लघु शोध प्रबंध का वाह्य मूल्यांकन 70 प्रतिशत और 30 प्रतिशत मौखिकी मूल्यांकन के लिए निर्धारित है। सभी सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और लघु शोध प्रबंध 100 अंक का होगा।

(ख) पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने के लिए

***(अ)** अभ्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में *50 प्रतिशत* अंक आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में अलग- अलग प्राप्त करने होंगे।

***(ब)** समग्र रूप से *55 प्रतिशत* अंक सभी प्रश्नपत्रों में (आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन दोनों को मिलाकर) प्राप्त करना होगा। अंक तालिका में आंतरिक व बाह्य मूल्यांकन के अंक अलग- अलग प्रदर्शित किये जायेंगे।

(स) प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरान्त विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी, बशर्ते-

I. प्रथम सेमेस्टर के एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी तथा अनुत्तीर्ण प्रश्नपत्र की परीक्षा में ऐटी- केटी की परीक्षा के साथ सम्मिलित हो सकेगा।

II. प्रथम सेमेस्टर के दोनों प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण होने पर निर्धारित शुल्क के साथ पूर्व छात्र के रूप में अगले वर्ष पुनः विद्यानिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा यदि पुनः विद्यार्थी पाठ्यक्रम परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो वह पाठ्यक्रम से बाहर हो जायेगा।

***9.विद्यानिधि पाठ्यक्रम एवं उपकंडिका (ख) के अंतर्गत (अ) एवं (ब)** - अधिसूचना कमाँक 245/अकादमी/ अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार वि**द्या परि**षद की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के निर्णयानुसार संशोधित ।

III. द्वितीय सेमेस्टर में सैद्धान्तिक/प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को एटी- केटी परीक्षा में सम्मिलित पूर्व छात्र के रूप में होने की पात्रता होगी।

10. लघु शोध प्रबंध

(क) लघु शोध प्रबंध का कार्य संबंधित छात्र द्वारा द्वितीय सेमेस्टर में किया जाएगा।

***(ख–1)** *किसी एक समय के दौरान कोई भी आचार्य के पद पर नियुक्त पदधारी, शोध पर्यवेक्षक/सह–पर्यवेक्षक/शोध निदेशक/सह–शोध निदेशक के रूप में तीन (03) एम.फिल. तथा आठ(08) पी–एच.डी. शोधार्थियों से अधिक का मार्गदर्शन प्रदान नहीं कर सकता है । कोई भी सह–आचार्य, शोध पर्यवेक्षक/शोध निदेशक के रूप में अधिकतम दो (02) एम.फिल. तथा छह (06) पी–एच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है तथा शोध पर्यवेक्षक/शोध निदेशक के रूप में सहायक आचार्य अधिकतम एक (01) एम.फिल. और चार(04) पी–एच.डी. शोधार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।*

***(ख–2)** *विवाह अथवा अन्यथा किसी कारण से किसी एम.फिल./पी–एच.डी. महिला शोधार्थी के अन्यत्र चले जाने पर शोध आंकड़ों को ऐसे विश्वविद्यालय को अंतरित करने की अनुमति होगी जहाँ शोधार्थी पुनः जाना चाहे बशर्ते कि इन विनियमों की अन्य सभी निबंधन और शर्तो का शब्दशः पालन किया जाए तथा शोध कार्य किसी मूल संस्थान/पर्यवेक्षक/शोध निदेशक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेन्सी से प्राप्त न किया गया हो । तथापि शोधार्थी मूल संस्थान के मार्गदर्शन तथा संस्थान को पूर्व में किए गए शोध कार्य के अंकों के लिए उसे पूर्ण श्रेय देगा ।*

(ग) पूर्व विद्यानिधि पाठ्यक्रम में छात्र का प्रवेश होने की तिथि से एक माह के अंतर्गत छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशक आवंटित किया जाएगा।

(घ) लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करने से पूर्व छात्र को अपने विभाग में उपस्थित शिक्षकों के समक्ष 'विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) प्रस्तुतिकरण' करना होगा। इस प्रस्तुतिकरण पर प्राप्त हुए सुझावों को अपने लघुशोध प्रबंध में सम्मिलित करना होगा।

11. लघु शोध प्रबंध प्रस्तुतिकरण

(क) ए–4 आकार के कागज पर लघुशोध प्रबंध कम्प्यूटर से 'असंशोधनीय फॉर्मेट (पीडीएफ फॉर्मेट)' में टंकित कराया जाकर सजिल्द चार प्रतियों में अपने अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष अथवा प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा लघु शोध प्रबंध का आवरण पृष्ठ का रंग प्रत्येक संकाय के लिए निर्धारित रंग अनुसार होगा। परिशिष्ठ–1

(ख) लघुशोध प्रबंध में संबंधित लघुशोध निर्देशक को **परिशिष्ठ 2** में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक प्रमाण–पत्र, लघुशोध प्रबंध के मुखपृष्ठ **परिशिष्ठ 3** के दिए प्रारूप के तुरंत बाद सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत करना होगा।

***10.लघु शोध प्रबंध की उपकंडिका (ख–1) एवं (ख–2)** अधिसूचना क्रमॉंक 245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनॉंक 01/05/2017 के अनुसार वि**द्या परि**षद की बैठक दिनॉंक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनॉंक 30/03/2017 के निर्णयानुसार संशोधित ।

12. लघुशोध प्रबंध का मूल्यांकन

(क) लघुशोध प्रबंध का समयबद्ध मूल्यांकन कराने का दायित्व संबंधित विषय विभागाध्यक्ष/ विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा का होगा। लघुशोध प्रबंध का मूल्यांकन एक बाह्य परीक्षक द्वारा किया जाएगा। संबंधित लघुशोध निर्देशक आंतरिक परीक्षक होगा। बाह्य परीक्षक की नियुक्ति संबंधित विषय की परीक्षा समिति द्वारा इस प्रयोजन हेतु अनुशंसित परीक्षक तालिका में से कुलपति द्वारा नियुक्त की जाएगी।

(ख) लघुशोध प्रबंध के लिए निर्धारित 100 पूर्णांकों में से 30 अंक मौखिक परीक्षा के लिए होंगे तथा 70 अंक लघुशोध प्रबंध के बाह्य मूल्यांकन हेतु होंगे। विद्यार्थी को 70 पूर्णांकों में से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक (35 अंक) अर्जित करना अनिवार्य होगा तभी वह लघुशोध प्रबंध में मौखिक परीक्षा देने का पात्र होगा। न्यूनतम अंक प्राप्त न होने वाला अभ्यार्थी लघुशोध प्रबंध में अनुत्तीर्ण मान्य होगा और उसे अगले वर्ष नया लघुशोध प्रबंध शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा।

(ग) परीक्षा विभाग मौखिक परीक्षा का आयोजन विषय विभागाध्यक्ष/संबंधित अध्ययन केन्द्र के अध्यक्ष/अधिकृत प्रभारी द्वारा कराया जाएगा जिसमें वे दोनों परीक्षक (वाह्य एवं आंतरिक) ही संबंधित अभ्यार्थी की खुली मौखिक परीक्षा लेंगे, जिन्होंने उसके लघुशोध प्रबंध का मूल्यांकन किया हो। इस खुली मौखिक परीक्षा में शिक्षक एवं छात्र उपस्थित रहेंगे।

13. परीक्षा परिणाम तैयारी एवं घोषणा

(क) सैद्धान्तिक प्रश्न–पत्रों की उत्तरपुस्तिकाओं और लघुशोध प्रबंध के उक्तानुसार मूल्यांकन एवं आंतरिक मूल्यांकन को सम्मिलित करते हुए छात्र की अंकसूची तैयारी की जाएगी जिसमें एक कॉलम में आंतरिक मूल्यांकन के कुल प्राप्तांक, दूसरे कॉलम में सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र की लिखित परीक्षा में कुल प्राप्तांक एवं तीसरे कॉलम में दोनों के समग्र प्राप्तांक दर्शाए जाएंगे। समग्र अंकों के आधार पर परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।

(ख) उत्तीर्ण परीक्षार्थी निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाएंगे।

उत्तीर्ण – –** ***विलोपित

द्वितीय श्रेणी– 55 प्रतिशत समग्र प्राप्तांक अथवा अधिक किन्तु 65 प्रतिशत समग्र प्राप्तांकों से कम परीक्षार्थी।

प्रथम श्रेणी– 65 प्रतिशत समग्र प्राप्तांक अथवा अधिक किन्तु 75 प्रतिशत समग्र प्राप्तांकों से कम परीक्षार्थी।

विशिष्ठता के साथ प्रथम श्रेणी– 75 प्रतिशत समग्र अंक अथवा प्राप्तांक परीक्षार्थी।

विश्वविद्यालय द्वारा चयन आधारित क्रेडिट पद्धति अपनाने पर उक्त वर्गीकरण को सम्बन्धित अध्यादेश–38 के अनुसार भी अंकित किया जायेगा।

***13.परीक्षा परिणाम तैयारी एवं घोषणा की उपकंडिका(ख)** अधिसूचना क्रमाँक 245/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 01/05/2017 के अनुसार वि**द्या परि**षद की बैठक दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनाँक 30/03/2017 के निर्णयानुसार संशोधित ।

14. परीक्षा में बैठने की पात्रता

(क) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) ''पूर्व विद्यानिधि पाठ्यक्रम'' और मुख्य परीक्षा में सम्मलित होने के लिए वही छात्र पात्र होगा जिसने प्रत्येक प्रश्न–पत्र के सभी व्याख्यानों और प्रायोगिकों में पृथक–पृथक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो। उपस्थिति की अनिवार्यता में कोई छूट नहीं दी जाएगी। परन्तु विद्यार्थी अस्वस्थ रहता है अथवा कोई आपदा के घटित होने के कारण 75 प्रतिशत उपस्थिति नहीं है, ऐसे प्रकरण में अधिकतम 15 प्रतिशत उपस्थिति की छूट विद्यार्थी के आवेदन पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा दी जा सकेगी। उपस्थिति की सुनिश्चितता करने का दायित्व संबंधित छात्र का होगा और न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति नहीं होने पर उसका विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) की मुख्य परीक्षा अथवा पूर्व विद्यावारिधि पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मलित नहीं हो सकेगा।

(ख) विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा आवेदन पत्र में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शुल्कों के साथ आवेदन–पत्र विषय विभागाध्यक्ष या प्रभारी अध्ययन केन्द्र से अग्रेषित कराकर प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन–पत्र पर विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा अभ्यार्थी को न्यूनतम उपस्थित की अनिवार्यता का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

15. सामान्य निर्देश

विद्यानिधि (एम.फिल.) पाठ्यक्रम के अभ्यार्थी, अध्यापन अवधि के दौरान अंशकालिक प्रमाण पत्र/डिप्लोमा (भाषा/शोध प्राविधि/सांख्यिकी/संगणक अनुप्रयोग) के अतिरिक्त किसी नियमित उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगा।

16. शुल्क

चयनित अभ्यार्थी को पंजीयन के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करना होगा और पाठ्यक्रम निर्देशक/समन्वयक के समक्ष निर्धारित समयावधि में उपस्थित होना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का चयन एवं आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा और रिक्त स्थान प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यार्थी को आवंटित कर दिया जायेगा।

17. उपाधि प्राप्त होना

(क) विद्यार्थी को विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) की उपाधि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् जारी की जा सकेगी। एतदर्थ विद्यार्थी को एक अस्थाई प्रमाण पत्र **परिशिष्ठ 4** के अनुसार जारी किया जाएगा जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि छात्र को विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलोसॅफी–एम.फिल.) की उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों एवं विनियमों के अनुरूप प्रदान की गई है। स्थाई प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि तक अस्थाई प्रमाण पत्र ही संबंधित विद्यार्थी की उपाधि के रूप में मान्य होगा। अस्थाई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए संबंधित विद्यार्थी को निर्धारित शुल्क के साथ पृथक से आवेदन करना होगा।

(ख) यदि इस अवधि में संबंधित अस्थाई प्रमाण पत्र खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है और शोधार्थी को वास्तव में उसकी आवश्यकता है तो शोधार्थी द्वारा पुलिस में अपने मूल प्रमाण पत्र के खो जाने अथवा नष्ट हो जाने की

प्राथमिकी दर्ज कराने/विज्ञापन कराने और उसकी प्रति आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क राशि रूपये 100/- के साथ प्रस्तुत करने पर उसे प्रतिलिपि प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।

18. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यास

सफलतापूर्वक सभी प्रकार की परीक्षण एवं मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होने और विश्वविद्यालय द्वारा विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी-एम.फिल.) परीक्षा में अभ्यार्थी को उत्तीर्ण घोषित कर दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय, विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध की सीडी (सॉफ्ट प्रति) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजना होगा जिससे कि वे उसको इनफ्लिबनेट पर डाल कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों को उपलब्ध करा सके।

19. उपाधि वापिस होना

यदि उपाधि से संबंधित किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो विश्वविद्यालय को अधिनियम 2011 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत परिनियम की धारा 34 की उपधारा 34 (झ) के अनुसार उपाधि को निरस्त उपरांत वापिस लेने का अधिकार होगा।

20. अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत न आने वाली स्थितियों में निर्णय

ऐसी परिस्थितिया जो इस अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आती है उनके संबंध में शोध मंडल/विद्यापरिषद निर्णय करेगी। आपातकालीन स्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति शोध मण्डल/विद्यापरिषद के अनुसमर्थन में उचित निर्णय ले सकेंगे।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

विभिन्न संकायों के शोध प्रबंध के मुख पृष्ठ का रंग विधान

क्रमांक	संकाय का नाम	रंग
01.	आधारभूत विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान संकाय, संगणक विज्ञान संकाय	आसमानी
02.	समाज विज्ञान संकाय, कला संकाय, भाषा अध्ययन एवं अनुवाद संकाय, पत्रकारिता एवं जनसंचार संकाय	लाल
03.	ललितकला संकाय, नाट्य एवं दृश्य कला संकाय/प्राच्य विद्या संकाय	सफेद
04.	वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय	पीला
06.	शिक्षा संकाय एवं कृषि संकाय	किरमिच
07.	आयुर्विज्ञान संकाय, औषधीय निर्माण संकाय, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय	हरा
08.	विधि संकाय	बैंगनी

परिशिष्ठ– 2

निर्देशक के प्रमाण–पत्र का प्रारुप

यह प्रमाणित किया जाता है कि शीर्षक ....पर प्रस्तुत लघुशोध प्रबंध मेरे निर्देशन में श्री/श्रीमती/कुमारी......................................के द्वारा किया गया मौलिक कार्य है। इस कार्य का आंशिक अथवा पूर्ण भाग किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि अथवा डिप्लोमा अर्जित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कार्य में आवश्यक स्रोत और सामग्री के संकलन को समुचित रूप से साभार प्रकट करते हुए सम्मिलित किया है। उक्त विद्यार्थी ने विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) के अध्यादेश के प्रावधानों की पूर्ति कर ली है।

दिनांकः

निर्देशक के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

आवरण एवं शीर्ष पृष्ठ का प्रारूप

....

....

....

(लघुशोध प्रबंध कार्य शीर्षक)

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल को विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) उपाधि हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. उपाधि हेतु न्यूतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार प्रस्तुत लघुशोध प्रबन्ध

.......................संकाय

....

(विद्यार्थी का नाम)

....

....

(निर्देशक का नाम एवं पद)

....

(अध्ययन केन्द्र का नाम)

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

वर्ष ....

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

अस्थायी प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :–

श्री/कुमारी/श्रीमती... ने विषय ....संकाय .... में वर्ष...........................में आयोजित विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) की परीक्षा ....श्रेणी से उत्तीर्ण की है। उक्त परीक्षार्थी को विद्यानिधि (मास्टर ऑफ फिलॉसफी–एम.फिल.) की उपाधि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित करने के पश्चात् जारी की जा सकेगी। एतदर्थ अस्थायी प्रमाण–पत्र जारी होने की दिनांक से उपाधि जारी होने की दिनांक की अवधि में यह अस्थायी प्रमाण–पत्र ही संबंधित विद्यार्थी की उपाधि के रूप में मान्य है।

भोपाल

दिनांक

कुलसचिव/अधिकृत अधिकारी

अध्यादेश क्रमाँक – 10
स्नातकोत्तर समाज विज्ञान

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर समाज विज्ञान अथवा मास्टर ऑफ सोशल साइंस नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर समाज विज्ञान पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. ***अर्हता एवं प्रवेश :–**

   I. **स्नातकोत्तर समाज विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक समाज विज्ञान विषय की होगी। इसमें किसी अन्य संकाय का विद्यार्थी भी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रवेश ले सकेगा।* **विलोपित प्रतिस्थापित** – स्नातकोत्तर समाज विज्ञान संकाय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होगी ।

   II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से समाज विज्ञान विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाज विज्ञान में प्रवेश के पात्र होंगे।

   III. अभ्यार्थी स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अंतर विषयक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, पाठ्यक्रम समिति एवं विद्यापरिषद् स्वीकृत उपरांत, कुलपति को प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

   IV. अभ्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर कंडिका 4 में दिए गये किसी एक या अधिक विषयों (अभ्यार्थी जिसे स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो) निर्धारित समयावधि में प्रवेश आवेदन दे सकते हैं।

   V. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

   अथवा

   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति/विद्या परिषद्/कार्य परिषद् की स्वीकृत उपरांत लागू होगा।

   VI. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के नियमों अनुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

---

*अध्यादेश 10 की कंडिका 3 की उपकंडिका I संशोधित एवं प्रतिस्थापित विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 21.08.2019 में अनुसंशित ।
कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 06.09.2019 में अनुमोदित ।

VII. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

VIII. अन्य मान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ इस विश्वविद्यालय के अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं, परंतु प्रवेश पूर्व विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।

4. स्नातकोत्तर समाज विज्ञान पाठ्यक्रम के विषय निम्नवत् हैं :–

I. आधारभूत समाज विज्ञान संकाय के अंतर्गत :–

i. राजनीतिशास्त्र
ii. समाजशास्त्र
iii. भूगोल
iv. अर्थशास्त्र
v. लोक प्रशासन
vi. इतिहास
vii. सामरिक अध्ययन
viii. दक्षिण एवं पूर्व एशिया अध्ययन
ix. मनोविज्ञान
x. समाज कार्य (एम.एस.डब्ल्यू)
xi. अनुवाद

5. प्रत्येक विषय में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।

6. उपस्थिति :– प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

7. शुल्क :– विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

8. परीक्षा रूपरेखा :–

I. सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय की परीक्षा प्रत्येक अकादमिक वर्ष में नवंबर/दिसंबर और सेमेस्टर द्वितीय एवं चतुर्थ की परीक्षा अप्रेल/मई में आयोजित होगी।

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए. टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी और ऐसे सभी विद्यार्थी भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में ऐटीकेटी परीक्षा दे सकते हैं। इस प्रकार ए.टी.के.टी. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं–7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

IX. *मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। *सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।*

X. *प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।*

10. भूगोल, मनोविज्ञान विषय में प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत नियमानुसार प्रायोगिक परीक्षा पाठ्यक्रम अनुसार होगी।

11. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

12. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

13. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

14. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।

15. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश–38 ‘‘क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण’’ द्वारा निर्धारित होगी।

16. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु. कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

17. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।

18. स्नातकोत्तर समाज विज्ञान संकाय का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

19. अध्यादेश की व्याख्या :– अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

---

*कंडिका 9(ix) विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमॉंक/1870/अकादमी/अबिवाहिविवि/2018 दिनॉंक 08/01/2019 द्वारा सभी स्नातकोत्तर, स्नातक, स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, पत्रोपाधि (सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में) प्रमाण–पत्र एवं प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में संकायाध्यक्षों की अनुशंसा को मान्य करते हुए अंक विभाजन की योजना में एकरूपता रखते हुए कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिसूचित।

अध्यादेश क्रमांक – 11
स्नातकोत्तर कला

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर कला अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)** नाम से जाना जाएगा।

2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर कला संकाय पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।

3. ***अर्हता एवं प्रवेश :–**

I. **स्नातकोत्तर कला संकाय पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक कला संकाय विषय की होगी। इसमें किसी अन्य संकाय का विद्यार्थी भी प्रवेश परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात प्रवेश ले सकेगा।* **विलोपित प्रतिस्थापित** – स्नातकोत्तर कला संकाय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक होगी ।

II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से कला संकाय विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर कला संकायमें प्रवेश के पात्र होंगे।

III. अभ्यार्थी स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अंतर विषयक पाठ्यक्रमों में प्रवेश, पाठ्यक्रम समिति एवं विद्या परिषद् की अनुशंसा पर, कुलपति को प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

IV. अभ्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर कंडिका 4 में दिए गये किसी एक या अधिक विषयों (अभ्यार्थी जिसे स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो) निर्धारित समयावधि में प्रवेश आवेदन दे सकते हैं।

V. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

अथवा

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ‘‘स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा’’ और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद्/कार्य परिषद् स्वीकृत उपरान्त लागू होगा।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के नियमों अनुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

---

*अध्यादेश 11 की कंडिका 3 की उपकंडिका I संशोधित एवं प्रतिस्थापित विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 21.08.2019 में अनुसंशित ।
कार्यपरिषद की बैठक दिनाँक 06.09.2019 में अनुमोदित ।

को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

VI. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

VII. अन्य मान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ इस विश्वविद्यालय के अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं, परंतु प्रवेश पूर्व विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की स्वीकृत उपरांत कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।

4. स्नातकोत्तर कला संकायपाठ्यक्रम के विषय निम्नवत् हैं :-

I. **आधारभूत कला संकाय के अंतर्गत** :-

i. हिंदी
ii. संस्कृत
iii. अँग्रेजी
iv. दर्शनशास्त्र
v. भारतीय साहित्य
vi. सौंदर्य शास्त्र
vii. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
viii. ललितकलाएँ -

- नृत्य एवं संगीत
- चित्रकला
- मृदा शिल्प
- भित्ति शिल्प एवं चित्रकला

5. प्रत्येक विषय में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।

6. उपस्थिति :- प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

7. शुल्क :- विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

8. परीक्षा रूपरेखा :-

I. सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय की परीक्षा प्रत्येक अकादमिक वर्ष में नवंबर/दिसंबर और सेमेस्टर द्वितीय एवं चतुर्थ की परीक्षा अप्रेल/मई में आयोजित होगी।
II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।
II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।
III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।
IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।
V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।
VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए.टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी, और ऐसे सभी विद्यार्थी भूतपूर्व परिक्षार्थी के रूप में एटीकेटी परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।
VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं–07 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए. टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।
IX. मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. ललित कलाएँ एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में नियमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत प्रायोगिक परीक्षा होगी।

11. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

12. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।
13. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।
14. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।
15. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश–38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।
16. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु.कृ. –1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।
17. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।
18. स्नातकोत्तर कला संकाय का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
19. **अध्यादेश की व्याख्याः–** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 12
स्नातकोत्तर विज्ञान

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर विज्ञान अथवा मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.)** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि –** स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षों का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश :–**

I. स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक विज्ञान विषय की होगी।

II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से विज्ञान विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विज्ञान में प्रवेश के पात्र होंगे।

III. अभ्यार्थी स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों में ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अंतर विषयक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाठ्यक्रम समिति/विद्या परिषद् की अनुशंसा पर कुलपति को प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

IV. अभ्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर कंडिका 4 में दिए गये किसी एक या अधिक विषयों (अभ्यार्थी जिसे स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो) निर्धारित समयावधि में प्रवेश आवेदन दे सकते हैं।

V. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

अथवा

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् एवं कार्यपरिषद समिति की स्वीकृत उपरान्त लागू होगा।

VI. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के नियमों अनुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

VII. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

VIII. अन्य मान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ इस विश्वविद्यालय के अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं, परंतु प्रवेश पूर्व विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।

4. स्नातकोत्तर विज्ञान पाठ्यक्रम के विषय निम्नवत् हैं :–

I. **आधारभूत विज्ञान संकाय के अंतर्गत** :–

i. भौतिकशास्त्र
ii. रसायनशास्त्र
iii. गणित
iv. भूगर्भशास्त्र
v. सांख्यिकी
vi. जीवभौतिकी
vii. जैव रसायन
viii. अंतरिक्ष तथा खगोल विज्ञान
ix. मौसम विज्ञान
x. धातु विज्ञान
xi. अतिसूक्ष्म तकनीकि विज्ञान

II. **जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत** :–

i. वनस्पतिशास्त्र
ii. प्राणिशास्त्र
iii. जैव प्रौद्योगिकी
iv. माइक्रोबायोलॉजी
v. पर्यावरण प्रबंधन
vi. जैवविविधता संरक्षण और प्रबंधन
vii. जैव सूचना विज्ञान

5. प्रत्येक विषय में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।

6. उपस्थिति :– प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

7. शुल्क :– विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

8. परीक्षा रूपरेखा :–

I. सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय की परीक्षा प्रत्येक अकादमिक वर्ष में नवंबर/दिसंबर और सेमेस्टर द्वितीय एवं चतुर्थ की परीक्षा मई/जून में आयोजित होगी।

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए. टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी। ऐंसे सभी विद्यार्थी भूतपूर्व परिक्षार्थी के रूप में ए.टी.के.टी. परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं–07 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

IX. मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । प्रत्येक विषय में (रसायनशास्त्र को छोड़कर) प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत 2 प्रायोगिक परीक्षा होगी। रसायनशास्त्र विषय में प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत तीन प्रायोगिक परीक्षा होगी।

10. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।
11. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।
12. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।
13. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।
14. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश–38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।
15. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जिसे कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।
16. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
17. स्नातकोत्तर विज्ञान का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
18. **अध्यादेश की व्याख्या :–** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 13
स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन अथवा मास्टर ऑफ बिजिनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.)** के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश :–**
   I. स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम प्रवेश योग्यता स्नातक विज्ञान/वाणिज्य/व्यवसाय प्रशासन विषय की होगी।
   II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधिमान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से विज्ञान/वाणिज्य/ व्यवसाय प्रशासन विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन में प्रवेश के पात्र होंगे।
   III. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति, प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार/गुणानुक्रम के आधार पर अथवा जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित करे, अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।
   IV. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों की 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के नियमों के अनुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
   V. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु म.प्र.शासन की आरक्षण नीति और अधिभार का पालन अनिवार्य है।
   VI. अन्य मान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते हैं, परंतु प्रवेश पूर्व विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।
4. **स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन पाठ्यक्रम का विषय निम्नवत् हैं :–**
   I. **संभार तंत्र एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**
5. विषय में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।
6. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सैद्धांतिक/ प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है।

विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में

भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

7. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

8. **परीक्षा रूपरेखा :–**

I. सेमेस्टर प्रथम एवं तृतीय की परीक्षा प्रत्येक अकादमिक वर्ष में नवंबर/दिसंबर और सेमेस्टर द्वितीय एवं चतुर्थ की परीक्षा मई/जून में आयोजित होगी।

II. अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा ही होगा।

9. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–**

I. नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क के साथ तथा समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी की सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण होना अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा में शामिल होने से पूर्व विद्यार्थी को समस्त देय शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कारणों से विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. विद्यार्थी को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पहले पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु वे विद्यार्थी जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, वे सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें चार प्रश्नपत्र और प्रायोगिक परीक्षा/आंतरिक मूल्यांकन में ए.टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी और विद्यार्थी भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। ऐसे विद्यार्थी ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ ही होगी। ए.टी.के.टी. विषयों के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. की परीक्षा सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. की परीक्षा सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं–07 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में ए.टी.के.टी. प्राप्त विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

IX. प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित है, इसके मूल्यांकन का कार्य संबंधित शिक्षक आंतरिक परीक्षा के द्वारा करेगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में सात सैद्धांतिक एवं दो प्रायोगिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा का आयोजन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जावेगा। विद्यार्थी को चतुर्थ सेमेस्टर में तीन सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों की परीक्षा के साथ एक लघुशोध प्रबंध प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी को विशद् मौखिकी (काम्प्रेहेन्सिव वाइवा) भी देना होगा।

11. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा पश्चात अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

12. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर अंतिम सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत दिया जा सकेगा। विद्यार्थी श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आयोजित होगी। विद्यार्थी श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

13. सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के विद्यार्थी स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

14. विद्यार्थी स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को वैकल्पिक विषय का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।

15. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश–38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।

16. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा यह कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

17. पाठ्यक्रम में उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

18. स्नातकोत्तर व्यवसाय प्रशासन का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

19. **अध्यादेश की व्याख्या :–** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 14
(REVISED)
स्नातक विज्ञान (बी.एस.सी.)

1. ***शीर्षक**** – इस पाठ्यक्रम को ''विज्ञान स्नातक'' (बैचलर ऑफ साइंस) बी.एस.सी. उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. ***अवधि**** –यह पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। वार्षिक शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा। स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।
3. ***प्रवेश पात्रता**** –
   - I. विज्ञान स्नातक में प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से आधारभूत/जीव विज्ञान अथवा संबंधित विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।
   - II. अभ्यर्थी का प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार प्रवीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा समय–समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   - III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   - IV. इस पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   - V. अभ्यर्थी कंडिका 8 में वर्णित किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। अन्य विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अलग– अलग आवेदन करना आवश्यक है । प्रत्येक समूह की अलग–अलग प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थी का प्रवेश होगा।
   - VI. किसी अभ्यर्थी का प्रथम वर्ष में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। कुलपति/संकायाध्यक्ष द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समयावधि में वृद्धि, उनके नवीन लिखित आदेश पर ही की जा सकती है, तत्पश्चात् शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश मान्य होगा।
4. ***प्रवेश आयु**** – प्रवेश हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है ।
5. **स्थान –** प्रथम वर्ष के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर किया जायेगा ।
6. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति** –

1. किसी भी वर्ष में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग-अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, के आधार पर की जाएगी।
2. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा–

I. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.सी/एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता म.प्र.शासन या अधिकान्य संस्थान के शिविर में भागीदारी (प्रमाणपत्र के आधार पर)

II. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

III. दीर्घकालीन अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

8. **पाठ्यक्रम** :-

I. प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम, विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल द्वारा तैयार करने के उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा। इसी प्रकार अंक योजना का भी निर्धारण अध्ययन मण्डल द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

III. **विषय समूह** - छात्र/छात्राएँ किसी एक समूह में प्रवेश ले सकते हैं :-

1. गणित समूह–

1. भौतिकशास्त्र, गणित, रसायनशास्त्र
2. भौतिकशास्त्र, गणित कंम्प्यूटरअनुप्रयोग
3. भौतिकशास्त्र, गणित, सांख्यिकी
4. भौतिकशास्त्र, गणित, भूगर्भशास्त्र
5. भौतिकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र
6. भौतिकशास्त्र, गणित, भूगोल
7. सांख्यिकी, गणित, कंप्यूटर अनुप्रयोग
8. रसायन, जैवरसायन, कंप्यूटर अनुप्रयोग
9. भूगर्भशास्त्र, भूगोल, रसायनशास्त्र

2. जीव विज्ञान समूह :–

1. प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र
2. जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन, वनस्पतिशास्त्र
3. सूक्ष्म जीवविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र
4. मतस्य विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र

इसके साथ ही प्रत्येक छात्र/छात्रा को **'आधार पाठ्यक्रम'** विषय का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

छात्र/छात्राएँ जिन्होंने अर्हतादायी परीक्षा (10+2) जीवविज्ञान समूह से उत्तीर्ण की है और विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रम में कंप्यूटर अनुप्रयोग विषय समूह में प्रवेश लिया हैं उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा में भाग लेने के पूर्व तीन माह का ‘‘मौलिक गणित’’ प्रमाणपत्र करना होगा एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। मौलिक गणित प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना प्रथम वर्ष की परीक्षा में विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। मौलिक गणित पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होगा, जिसके लिए विद्यार्थी को अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

9. ***परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें * :-***

परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:-

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।
II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।
III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 3.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।
IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समय पर जमा कर दिया है।
V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं लगाई है।

10. ***परीक्षा योजना* :-***

I. स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से होगा।
II. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू की जावेगी।
III. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है उनका मूल्यांकन संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा कराया जाएगा।
IV. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता) से किसी विषय के आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।
V. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
VI. प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क

के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ‘‘पूरक पात्रता’’ तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ‘‘पूर्व परीक्षार्थी’’ के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णांक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि स्नातक/पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे ‘कुलपति कृपांक‘ तथा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 01 अंक तथा कुल 03 अंक तीनों वर्षो में मिलकर होगें अथवा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो ‘सामान्य कृपांक‘ 03 अंक प्रदान किये

जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

11. ***तृतीय वर्ष की प्रवेश नीति*–***

I. तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तक की परीक्षा बिना पूरक परीक्षा के उत्तीर्ण की है, उन्हें ''उत्तीर्ण श्रेणी'' और दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी वर्ष में पूरक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें ''प्रमोटेड श्रेणी'' में सम्मिलित किया जाएगा।

12. **विवाद :–** इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***कंडिका क्रमॉंक 1, 2, 3, 4, 9, 10 एवं 11 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनॉक 10/08/2018 द्वारा अनुमोदित ।**

*म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 499/96/सी.सी./2017 भोपाल दिनांक 31/05/2018 के संदर्भ में समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 के कार्यवाही विवरण विषय क्र. 11 में लिये गए निर्णय के अनुसार वार्षिक पाठ्यक्रम के अध्यादेश के अनुसार यह संचालित किया जावेगा। यह पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के कला/विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन/जीव विज्ञान/ समाज विज्ञान/ संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग/गृहविज्ञान संकाय के लिए निर्धारित है।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 15
(REVISED)
वाणिज्य स्नातक

1. ***शीर्षक**** – इस पाठ्यक्रम को ''वाणिज्य स्नातक'' (बैचलर ऑफ कामर्स), उपाधि के नाम से जाना जाएगा।

2. ***अवधि**** – यह पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। वार्षिक शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा। स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

3. ***प्रवेश पात्रता * :–***

   I. वाणिज्य स्नातक में प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या संस्थान से वाणिज्य/विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

   II. अभ्यर्थी का प्रथम वर्ष में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर तैयार प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा समय–समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।

   III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

   IV. इस पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन/प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

   IV. अभ्यर्थी कंडिका 5 में वर्णित किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। अन्य विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को अलग–अलग आवेदन करना आवश्यक है । प्रत्येक समूह की अलग–अलग प्रवीण्य सूची के आधार पर अभ्यर्थी प्रवेश प्राप्त कर सकेगा।

4 **उपस्थिति** –

   1. किसी भी वर्ष में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग–अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, के आधार पर की जाएगी।
   2. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी से प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा–

   I. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.सी/एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता म.प्र. शासन या अधिमान्य संस्थान के शिविर में भागीदारी(प्रमाणपत्र के आधार पर)

II. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

III. दीर्घकालीन अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

5. ***पाठ्यक्रम ** : वाणिज्य स्नातक में विद्यार्थी को अध्ययन हेतु प्रबंध समूह, लेखांकन समूह एवं व्यावहारिक अर्थशास्त्र समूह के दो प्रश्नपत्र उपलब्ध रहेंगे । इसके साथ ही प्रत्येक छात्र/छात्रा को **'आधार पाठ्यक्रम'** विषय का अध्ययन भी करना होगा। अध्ययन मंडल द्वारा विकल्प प्रदान करने एवं अकादमिक समिति द्वारा अनुमोदन के उपरान्त विद्यार्थी को व्यवसायिक पाठ्यक्रम के वैकल्पिक विषय उपलब्ध होंगे । व्यवसायिक पाठ्यक्रम समूह का चयन करने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र समूह का त्याग करना होगा । व्यवसायिक पाठ्यक्रम समूह के विषय एवं प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम अध्ययन की सुविधा से यथासमय उपलब्ध होंगे ।
   प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम, विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार करने के उपरान्त अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगा । इसी प्रकार अंक योजना का भी निर्धारण अध्ययन मण्डल द्वारा समय-समय पर किया जावेगा ।

6. **अध्ययन का माध्यम** :-अध्ययन अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

7. ***प्रवेश आयु**** - प्रवेश हेतु आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है ।

8. **स्थान** - प्रथम वर्ष के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।

9. **शुल्क** - विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय-समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा। किसी अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में समस्त शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। कुलपति/संकायाध्यक्ष द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समयावधि में वृद्धि, उनके नवीन लिखित आदेश पर ही की जा सकती है, तत्पश्चात् समस्त शुल्क जमा करने के उपरांत ही प्रवेश मान्य होगा।

10. ***परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें**** :-

   परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:-

   I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

   II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

   III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समय पर जमा कर दिया है।

V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं लगाई है।

11. ***परीक्षा योजना* :-***

1. प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें से 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे।
2. प्रत्येक परीक्षा उत्तीर्ण होंने के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, प्रायोगिक परीक्षा में प्रत्येक में पृथक्-पृथक् न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक अर्जित करना होंगे।
3. संगणक प्रश्नपत्र की प्रायोगिक परीक्षा का संपादन आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।
4. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू की जावेगी।
5. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध आदि का प्रावधान है उनका मूल्यांकन संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा कराया जाएगा।
6. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्य शासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता) से किसी विषय के आंतरिक/ सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।
7. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
8. प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी ।पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की

त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।

- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र/विषय में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि स्नातक/पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे 'कुलपति कृपांक' तथा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 01 अंक तथा कुल 03 अंक तीनों वर्षों में मिलकर होगें अथवा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो 'सामान्य कृपांक' 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

12. **विवाद :-** इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***कंडिका क्रमॉंक 1, 2, 3, 5, 7 एवं 11 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनॉक 10/08/2018 द्वारा अनुमोदित**

अध्यादेश क्रमांक – 16
स्नातक (प्रतिष्ठा) कला

1. **शीर्षक** – इस पाठ्यक्रम को ''स्नातक कला (प्रतिष्ठा)'' (बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), B.A.(Hons)) उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि** – यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा।
3. **प्रवेश पात्रता** –
   - I. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) के प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   - II. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   - III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   - IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएँ, पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   - V. अभ्यार्थी कंडिका 8 में दिए गए किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। एक से अधिक विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यार्थी को अलग अलग आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक समूह की अलग अलग प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यार्थी का प्रवेश होगा।
   - VI. किसी अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। कुलपति/संकायाध्यक्ष द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समयावधि में वृद्धि, उनके नवीन लिखित आदेश पर ही की जा सकती है; तत्पश्चात् शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश मान्य होगा।
   - VII. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
   - VIII. अभ्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और प्रवेश समिति अभ्यार्थी को बिना कारण बताते हुए प्रवेश से मना कर सकती है।

3. **प्रवेश आयु** – प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
   1. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 60 है।

2. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।

3. **उपस्थिति** –

I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक (जहाँ लागू होगा) कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, की जाएगी।

II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :-

i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

ii. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

8. **पाठ्यक्रम** :-

I. प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल द्वारा बनाने के उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगां

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

III. **विषय** :- छात्र/छात्राएँ नीचे दर्शाए विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन कर प्रवेश ले सकते है :-

- इतिहास
- राजनीतिशास्त्र
- लोक प्रशासन
- अर्थशास्त्र
- समाजशास्त्र
- मनोविज्ञान
- भूगोल
- सामरिक अध्ययन
- हिंदी
- अंग्रेजी
- संस्कृत
- दर्शनशास्त्र
- भारतीय साहित्य
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- सौंदर्यशास्त्र
- चित्रकला
- मृदा शिल्प
- भित्ति शिल्प एवं चित्रकारी
- संगीत एवं नृत्य

- दक्षिण एवं पूर्व एशिया अध्ययन

आधार पाठ्यक्रम :– भाषा (हिंदी/अँग्रेजी/संस्कृत में से कोई एक भाषा), कंप्यूटर(संगणक), उद्यमिता विकास, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण, योग एवं सामाजिक कार्य, भारतीय समाज और जीवन मूल्य।

नोट :– विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में आधार पाठ्यक्रम के एक प्रश्नपत्र (उपरोक्त क्रमानुसार) को लेना अनिवार्य है।

12. **परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें** :–

सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:–

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।
II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।
III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।
IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिया है।
V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।
VI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है।

13. **परीक्षा योजना** :–

I. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर अवधि में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से होगा।
II. प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
III. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगी।
IV. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है। उनका मूल्यांकन संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा कराया जाएगा।
V. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/ राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।
VI. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में कैरिड होंगे।
VII. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

VIII. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) नवंबर/दिसंबर और द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) मई/जून माह में सामान्यतः आयोजित की जावेगीं।

IX. विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा को सैद्धांतिक या प्रायोगिक या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य/लघुशोध प्रबंध में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार विषयों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन या कार्य योजना/ क्षेत्रकार्य और लघुशोध प्रबंध में ही मिल सकती है।

X. छात्र/छात्रा को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) उत्तीर्ण करनें होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश के अपात्र होंगे।

XI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और उसी परीक्षा में छात्र/छात्राएँ परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

XII. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

14. **सेमेस्टर में प्रमोशन** :-

I. प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्रा निम्नलिखित स्थितियों में अनुत्तीर्ण माने जावेंगे :-

i. छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरा है। ऐसे छात्र/छात्रा स्नातक कला (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं तो भविष्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

ii. छात्र/छात्राएँ जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में अगले सेमेस्टर में परीक्षा में अध्यादेश-7 के अनुसार सम्मिलित हो सकते हैं।

II. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो वह इस सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

15. **पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीति** :-

I. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विषयों को वरीयता क्रम में देना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक की परीक्षा बिना ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) के उत्तीर्ण की है, उन्हें **''उत्तीर्ण श्रेणी''**

और दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी सेमेस्टर को ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) द्वारा उत्तीर्ण किया है, उन्हें **“प्रमोटेड श्रेणी”** में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत अथवा सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विषय में सेमेस्टर प्रथम से चतुर्थ के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

परिणाम :–

I. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का, जिन्होंने षष्ठम् सेमेस्टर के अन्त तक सभी में उत्तीर्ण हैं, उनका परिणाम उत्तीर्ण घोषित होगा और उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **“क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन”** अध्यादेश–38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. सेमेस्टर परीक्षा के घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

IV. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

V. पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर, जिन छात्र/छात्राओं का अनुत्तीर्ण या ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) है, उन्हें नियमित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर होगा; पूरक अथवा विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

VI. स्नातक कला (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

16. **विवाद –** इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 18
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबन्धन

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **''खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबन्धन स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम''** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा। इसका संचालन रसायन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश : (क)** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय– समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक विज्ञान परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना रसायन विभाग के पाठ्यक्रम समिति द्वारा किया जायेगा। पाठ्यक्रम दो सेमेस्टर का होगा। प्रथम सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे और द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र तथा परियोजना कार्य होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार छात्र को प्रायोगिक कार्य करना होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसम्बर में और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा अप्रेल में होगी। प्रत्येक सेमेस्टर उपरान्त प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल

सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। दोनों सेमेस्टर के प्राप्तांकों के योगफल के आधार पर विश्वविद्यालय परिणाम घोषित करेगा। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 19
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
मौसम विज्ञान

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **''मौसम विज्ञान में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम''** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा। इसका संचालन भौतिक शास्त्र विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक विज्ञान परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना भौतिक शास्त्र विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रथम सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे एवं द्वितीय सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को प्रायोगिक कार्य करना होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दिसम्बर में और दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा अप्रेल में होगी। प्रत्येक सेमेस्टर उपरान्त प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50

प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक एवं 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा पर निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

संशोधित अध्यादेश क्रमांक - 20
(REVISED)
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
संगणक अनुप्रयोग (PGDCA)

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **''संगणक अनुप्रयोग''** नाम से जाना जायेगा ।
2. **अवधि** :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :** -

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. ***अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान-** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय- समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र आधार के एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम** :-** पाठ्यक्रम की रचना संगणक अनुप्रयोग हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मण्डल के द्वारा की जावेगी। सत्रांत में कुल 6 प्रश्नपत्र होंगे जिनमें से प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र सैद्धांतिक तथा पंचम प्रश्नपत्र परियोजना कार्य एवं षष्ठम प्रश्नपत्र प्रायोगिक कार्य के रूप में होगा।
10. **परीक्षा** :** प्रत्येक सैद्धांतिक, परियोजना एवं प्रायोगिक परीक्षा प्रश्न-पत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे तथा उत्तीर्ण करने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

- प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।
- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ‘‘पूरक पात्रता’’ तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ‘‘पूर्व परीक्षार्थी’’ के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।

- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

---

* कंडिका क्रमाँक 4 –अधिसूचना क्रमाँक/अकादमी/अबिवाहिविवि/2825 दिनाँक 09/07/2015 द्वारा स्नातक विज्ञान परीक्षा के स्थान पर स्नातक परीक्षा मान्य किया गया ।

****** कंडिका क्रमाँक 2,9 एवं 10 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमांक – 21
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
अनुवाद

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **"अनुवाद"** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद अध्ययन मंडल के द्वारा की जावेगी जो विद्या परिषद् की स्वीकृत उपरान्त मान्य होगा। प्रथम सेमेस्टर में चार सैद्धांतिक प्रश्नपत्र होंगे। द्वितीय सेमेस्टर में तीन सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र परियोजना कार्य का होगा। सभी प्रश्न पत्र और परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक एवं 70 प्रतिशत लिखित परीक्षा पर निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा

संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 22
(REVISED)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन

1. **शीर्षक :** यह पत्रोपाधि **जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन** के रुप में जाना जायेगा।

2. **अवधि* :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा तथा वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।

3. **प्रवेश :**

   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेंगे।

   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।

4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।

5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।

6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति :** परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। 15% की छूट कुलपति महोदय के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

9. **पाठ्यक्रम* :** इस पाठ्यक्रम में 05 सैद्धांतिक प्रश्नपत्र प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। इसके अतिरिक्त एक परियोजना कार्य 50 अंक तथा एक प्रायोगिक परीक्षा होगी जिस पर 50 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक छात्र/छात्रा को अथवा समूह में पाठ्यक्रम में सम्मिलित उपयोगी विषय आवंटित किया जायेगा जिस पर उन्हें विस्तार से आंकड़े इकठ्ठे कर आंकड़ों का विश्लेषण करना होगा। प्राप्त परिणामों को प्रभावी एवं उपयोगी परियोजना कार्य के रूप में जमा करना होगा।

10. **परीक्षा* :** वार्षिक परीक्षा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 07 परीक्षा सामान्य संचालन के अनुसार होगी तथा घोषित तिथि अनुसार प्रायोगिक परीक्षा/परियोजना कार्य की परीक्षा होगी। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं

प्रायोगिक/परियोजना कार्य परीक्षा में विद्यार्थी को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 70 अंकों का होगा तथा आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 अंक निर्धारित होंगे।

परियोजना कार्य एवं प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्णांक 20 होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगे।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

---

* कंडिका क्रमॉंक 2,9 एवं 10 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनॉंक 10/08/2018 द्वारा अनुमोदित किये गये ।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक - 23
(REVISED)
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
(लोक पत्रकारिता)
*पत्रकारिता एवं लोक संचार
**जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि* :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। इसका संचालन पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए योग्य माना जायेगा।
4. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
5. **प्रवेश :** -

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशायी अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

   (ख) म.प्र. शासन के आरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य है। दो स्थान उन समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिनकी प्रसार संख्या 5,000 (पाँच हजार) से अधिक है।

   (ग) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेंगे।
6. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
7. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय-समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
8. **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा* :** पाठ्यक्रम का प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। सैद्धांतिक परीक्षा के 6 प्रश्न पत्र होंगे तथा एक प्रश्नपत्र परियोजना/लघुशोध प्रबंध का होगा। परियोजना/लघुशोध प्रबंध पर 70 अंक निर्धारित होंगे जिसमें लेखन एवं प्रस्तुति लगभग 200 पृष्ठों का प्रस्तुत करना होगा। लघुशोध प्रबंध पर मौखिकी हेतु 30 अंक निर्धारित होंगे जिसकी परीक्षा आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों द्वारा ली जायेगी। सभी सैद्धांतिक एवं लघुशोध प्रबंध मौखिकी पर कुल अंकों का 40 प्रतिशत अंक पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य हैं। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार होगी तथा प्रश्नपत्रों के पाठ्यक्रम का निर्धारण अध्ययन मंडल द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन अनुसार मान्य होगा।

   - विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित

होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी।

- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक/परियोजना एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णांक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता

है तो सामान्य कृपांक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

9. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***2 अवधि एवं 8 पाठ्यक्रम एवं परीक्षा** – विद्या परिषद की बैठक दिनॉंक 05/08/2014 के प्रस्ताव क्रमॉंक 11 में **''लोक पत्रकारिता''** के स्थान पर **''पत्रकारिता एवं लोकसंचार''** नाम परिवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया और निर्णय लिया कि यह परिवर्तन सत्र 2014–15 के प्रवेशित छात्रों पर लागू होगा ।

****कंडिका 2, एवं 8** तथा पाठ्यक्रम के शीर्षक **''पत्रकारिता एवं लोकसंचार'' के स्थान पर ''जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन''** में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनॉंक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमांक – 24
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
विकास एवं पर्यावरण

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **विकास एवं पर्यावरण** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन समय में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** समय– समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेशार्थियों को शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/ राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न–पत्र होंगे एवं एक परियोजना कार्य होगा।
10. **परीक्षा :** प्रमाण पत्र के प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 100 अंकों के होंगे। जिसमें 70 प्रतिशत लिखित परीक्षा और 30 प्रतिशत सतत मूल्यांकन के होंगे। एक प्रायोगिक कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षा द्वारा होगा। विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक/सतत् मूल्यांकन और परियोजना कार्य में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक - 25
प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
कार्य संस्कृति संवर्धन

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण-पत्र **कार्य संस्कृति संवर्धन** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सुविधानुसार सम्पादित किया जा सकेगा।
3. **प्रवेश :** -
   (क) इस प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) विद्यार्थी किसी भी नियमित पाठ्यक्रम के साथ इस पाठ्यक्रम में भी अध्ययन कर सकता है।
   (ग) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित प्रवेश आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत तथा अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र हैं।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। प्रवेशार्थियों को निर्धारित शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों यथा राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना-पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो उपस्थिती में अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :-** प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न-पत्र होंगे एवं परियोजना कार्य होगा।
10. **परीक्षा :** इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र एवं एक परियोजना कार्य होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षकों द्वारा कराया जायेगा। एक परियोजना कार्य (डिजरटेशन) का होगा इसमें 70 अंक परियोजना प्रतिवेदन एवं 30 अंक मौखिकी के होंगे। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षा द्वारा होगा। विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए

सैद्धांतिक/सतत् आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना कार्य में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 26
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
जैवविविधता एवं पर्यावरण प्रबंधन

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **जैवविविधता एवं पर्यावरण प्रबंधन** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेशार्थियों को शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न–पत्र होंगे और एक प्रायोगिक कार्य होगा।
10. **परीक्षा :** विद्यार्थी को 4 सैद्धांतिक एवं 1 प्रायोगिक कार्य की परीक्षा देनी होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं प्रायोगिक कार्य 100 अंक के होंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 70 अंक का वाह्य मूल्यांकन और 30 अंक का सतत् मूल्यांकन होगा। विद्यार्थी को सैद्धांतिक सतत् मूल्यांकन और प्रायोगिक कार्य में उत्तीर्ण होने के लिए पृथक–पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 27
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
वैदिक गणित

1. **शीर्षक :** यह पाठ्यक्रम **वैदिक गणित** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में, नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न–पत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों की परीक्षा सत्रान्त परीक्षा के रुप में होगी चतुर्थ प्रश्नपत्र परियोजना कार्य/प्रायोगिक का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षा द्वारा होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 28
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
अनुवाद

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **अनुवाद** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन विभाग स्तर पर सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षकों द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अर्थात् संस्कृत भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा के न्यूनतम 50 पृष्ठों की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद अनिवार्य है। जिसका मूल्यांकन वाहय परीक्षा द्वारा कराया जायेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 29
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण, लाभार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी, नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** इस प्रमाण–पत्र के लिए विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेशार्थियों को शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। 15% की छूट कुलपति महोदय के द्वारा दी जा सकती है यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्ययन/अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम **हिंदी भाषा** होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न–पत्र सैद्धान्तिक एवं पाँचवा प्रश्नपत्र चारों प्रश्नपत्रों का एक संयुक्त प्रायोगिक प्रश्नपत्र होगा।
10. **परीक्षा :** प्रमाणपत्र के चारों सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र सौ–सौ अंकों के होंगे जिसमें की 70 अंकों की लिखित परीक्षा, विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार होगी एवं प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। पाँचवा प्रायोगिक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जो चारों प्रश्नपत्रों के प्रायोगिक पाठ्यक्रम से चार खण्डों में विभक्त होगा। प्रायोगिक परीक्षा का सम्पादन परीक्षा विभाग द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक एवं विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त आंतरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सम्पादित होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 30

जैविक कृषि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (15 दिवस)

(नियम, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम)

1. **पाठ्यक्रम का नाम** – जैविक कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2. **प्रवेश योग्यता** – शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा का कोई बंधन नहीं।
3. **कुल स्थान** – 50
4. **प्रशिक्षण की अवधि** – 15 दिन
5. **उपस्थिति** – प्रशिक्षण कार्यक्रम की परीक्षा देने से पूर्व छात्र को 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करना अनिवार्य होगा।
6. **प्रशिक्षण शुल्क** – 4000/– रुपये
7. **प्रशिक्षण का माध्यम** – हिंदी
8. **प्रशिक्षण कार्यक्रम संरचना–** प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामूहिक कार्य करने की कला का विकास, परिसर की समझदारी, स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग, कृषि क्षेत्र में कार्य करने की जिज्ञासा का विकास, पौधों की कटाई, छटाई, उन्नत जैविक कृषि का व्यावहारिक ज्ञान, उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों का व्यावहारिक ज्ञान, बीज रख–रखाव, रोपणी निर्माण का ज्ञान, रोपणी रख–रखाव, फसल की कटाई, हरी पत्तियों, प्लास्टिक थैली और अमृत मिट्‌टी के साथ इनका सम्यक उपयोग, जैविक कृषि करने वालों ग्रामीण किसानों के साथ संवाद, आधुनिक तकनीक की समझदारी, हाथ से कार्य करने की दक्षता तथा कौशल विकास होगा।
9. **प्रशिक्षण स्थल एवं मूल्यांकन–** प्रशिक्षण कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संस्था/परिसर पर आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन पूर्णरुप से आंतरिक होगा तथा विभागाध्यक्ष के निदेशन में प्रभारी शिक्षक द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा सतत् समग्र मूल्यांकन पद्धति के आधार पर छात्र का मूल्यांकन किया जायेगा। जिसमें छात्र से पाठ्यक्रम के प्रत्येक पहलू की पूछताछ की जायेगी। प्रशिक्षण के अंतिम दिन छात्र से प्रशिक्षण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी एवं उनकी समग्र समझदारी को रेखांकित किया जायेगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 31
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (तीन माह)
योग शिक्षक प्रशिक्षण

1. **शीर्षक :** यह पाठ्यक्रम **योग शिक्षक प्रशिक्षण** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम तीन माह का होगा। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रावीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में, विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और एक प्रायोगिक कार्य होगा।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम कुल 500 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार सैद्धान्तिक एवं एक प्रायोगिक कार्य/व्यावहारिक अभ्यास होंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्रों की परीक्षा सत्रान्त परीक्षा के रुप में होगी चतुर्थ एवं पंचम प्रश्नपत्र व्यावहारिक अभ्यास का होगा। प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्र में 70 प्रतिशत अंक वाह्य मूल्यांकन द्वारा होगा और 30 प्रतिशत अंक सतत् मूल्यांकन का होगा। व्यावहारिक अभ्यास पर 100 अंक होंगे। विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक प्रश्न पत्र सतत् मूल्यांकन और व्यावहारिक अभ्यास परीक्षा में पृथक–पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक है।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 32
प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (6 माह)
योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण

1. **शीर्षक :** यह पाठ्यक्रम **योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम छः माह का होगा। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में, विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस. सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 4 प्रश्न–पत्र एवं एक व्यावहारिक अभ्यास/प्रायोगिक कार्य का होगा।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 500 अंकों का होगा। जिसके अन्तर्गत चार सैद्धान्तिक एवं एक प्रायोगिक प्रश्नपत्र होंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 70 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन एवं 30 प्रतिशत सतत् मूल्यांकन का होगा। विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, सतत् मूल्यांकन और व्यावहारिक अभ्यास में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 33
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
लोक नाट्य कला

1. **शीर्षक :** यह **प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लोक नाट्य कला** के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तीन माह का होगा। यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** : –
   (क) अंशकालिक, प्रशिक्षणपाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ख) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेशार्थियों को शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस. सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में एक लिखित प्रश्नपत्र होगा। लिखित प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक विद्या का प्रस्तुतीकरण करना होगा।
10. **परीक्षा :** विद्यार्थी द्वारा अध्ययन अवधि प्राप्त किये गये प्रशिक्षण के आधार पर किसी एक विधा का प्रगटीकरण/प्रस्तुतिकरण करना होगा। इसके कुल अंक 200 होंगे। विद्यार्थी को एक प्रश्न पत्र के लिखित परीक्षा देनी होगी। विद्यार्थी का उत्तीर्णांक के लिए लिखित और प्रस्तुतीकरण में पृथक–पृथक 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा। सैद्धांतिक परीक्षा में 70 प्रतिशत अंक वाह्य मूल्यांकन और 30 प्रतिशत अंक सतत् मूल्यांकन के लिए निर्धारित है।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 34
स्नातक (प्रतिष्ठा)
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

1. **शीर्षक*** – *यह पाठ्यक्रम विज्ञान समूह तथा कला समूह में पृथक–पृथक संचालित होगा । विज्ञान समूह के अधीन स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा ''**योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा**'' तथा कला संकाय के अधीन स्नातक कला प्रतिष्ठा ''**योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा**'' के नाम से जाना जाएगा।*
2. **अवधि** – यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा।
3. **प्रवेश पात्रता*** –
   - I. **पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र बोर्ड की परीक्षा अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा । 10+2 की परीक्षा विज्ञान समूह अथवा विज्ञान संबंधित विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा **'बैचलर ऑफ साइंस'** उपाधि के पात्र होंगे तथा 10+2 की परीक्षा विज्ञान समूह एवं विज्ञान संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य वि विषयों से उत्तीर्ण विद्यार्थी कला समूह के अधीन प्रवेश प्राप्त करेंगे **'बैचलर ऑफ आर्टस'** योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा उपाधि के पात्र होंगे ।*
   - II. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   - III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   - IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएँ, पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   - V. अभ्यार्थी कंडिका 8 में दिए गए किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। एक से अधिक विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यार्थी को अलग अलग आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक समूह की अलग अलग प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यार्थी का प्रवेश होगा।
   - VI. किसी अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा।
   - VII. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
   - VIII. अभ्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और प्रवेश समिति अभ्यार्थी को बिना कारण बताते हुए प्रवेश से मना कर सकती है।
4. **प्रवेश आयु**– प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को आयु सीमा की बाध्यता नहीं है।

***1शीर्षक एवं 3.1प्रवेश पात्रता –** विद्या परिषद की बैठ्क दिनाँक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठ्क दिनांक 30/03/2017 में लिए गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की अधिसूचना क्रमाँक 221/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 13/04/2017 के अनुसार संशोधित ।

प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 60 है।

5. **शुल्क** – विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।

6. **उपस्थिति** –

I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक (जहाँ लागू होगा) कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, की जाएगी।

II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :–

i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

ii. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

7. **पाठ्यक्रम** :–

I. प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल द्वारा बनाने के उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

III. **विषय समूह** –

1. योग विज्ञान
2. प्राकृतिक चिकित्सा
3. पोषण, आहार एवं मानसिक स्वास्थ्य
4. आधार पाठ्यक्रम

8. **परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें** :–

सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:–

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिया है।

V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

VI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है।

9. **परीक्षा योजना** :–

I. स्नातक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/ सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर अवधि में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक द्वारा होगा।

II. प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

III. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगी।

IV. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है। उनका मूल्यांकन संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा कराया जाएगा।

V. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।

VI. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में कैरिड होंगे।

VII. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

VIII. पाठ्यक्रम की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) नवंबर/दिसंबर और द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) मई/जून माह में सामान्यतः आयोजित की जावेगीं।

IX. विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा को सैद्धांतिक या प्रायोगिक या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य/लघुशोध प्रबंध में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार विषयों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन या कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य और लघुशोध प्रबंध में ही मिल सकती है।

X. छात्र/छात्रा को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) उत्तीर्ण करनें होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश के अपात्र होंगे।

XI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और उसी परीक्षा में छात्र/छात्राएँ परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

XII. स्नातक स्नातक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. **सेमेस्टर में प्रमोशन** :-

I. प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्रा निम्नलिखित स्थितियों में अनुत्तीर्ण माने जावेंगेः-

i. छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरा है। ऐसे छात्र/छात्रा इस पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं तो भविष्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

ii. छात्र/छात्राएँ जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में अगले सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

II. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो वह इस सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

11. **पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीति** :-

I. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विषयों को वरीयता क्रम में देना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक की परीक्षा बिना ए. टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) के उत्तीर्ण की है, उन्हें **''उत्तीर्ण श्रेणी''** और दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी सेमेस्टर को ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) द्वारा उत्तीर्ण किया है, उन्हें **''प्रमोटेड श्रेणी''** में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत अथवा सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (SGPA) और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विषय में सेमेस्टर प्रथम से चतुर्थ के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

परिणाम :-

I. स्नातक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का, जिन्होंने षष्ठम् सेमेस्टर के अन्त तक सभी में उत्तीर्ण हैं, उनका परिणाम उत्तीर्ण घोषित होगा और उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **''क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन''** अध्यादेश-38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ.-1 (कुलपति कृपांक-1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. सेमेस्टर परीक्षा के घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

IV. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

V. पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर, जिन छात्र/छात्राओं का अनुत्तीर्ण या ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) है, उन्हें नियमित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर होगा; पूरक अथवा विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

VI. स्नातक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

12. इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 35
स्नातकोत्तर
योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन

1. **शीर्षक* – *यह*** *पाठ्यक्रम विज्ञान समूह जीवन विज्ञान संकाय तथा कला समूह कला संकाय के अंतर्गत पृथक–पृथक संचालित होगा । यह पाठ्यक्रम जीवन विज्ञान संकाय के अधीन योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन के नाम से जाना जाएगा । यह पाठ्यक्रम योग एवं मानव चेतना विभाग के अधीन संचालित होगा ।*
2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश* :–**
   I. **स्नातकोत्तर योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता किसी भी मान्य विश्वविद्यालय/समकक्ष संस्थान से किसी भी विषय में उत्तीर्ण स्नातक उपाधि होगी ।*

   II. **स्नातकोत्तर योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाला विज्ञान समूह अथवा विज्ञान संबंधित किसी भी विषयों में स्नातक उपाधिधारी विद्यार्थी **''मास्टर ऑफ साइंस''** (योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन) स्नातकोत्तर उपाधि का पात्र होगा । इसी प्रकार विज्ञान समूह अथवा विज्ञान संबंधित विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में उत्तीर्ण, प्रवेश लेने वाला स्नातक उपाधिधारी विद्यार्थी **''मास्टर ऑफ आर्टस''** (योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन) स्नातकोत्तर उपाधि का पात्र होगा ।*

   III. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी। अथवा
   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवं कार्यपरिषद का होगा।

   IV. ***विलोपित**

   V. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

   स्नातकोत्तर योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन पाठ्यक्रम के विषय निम्नवत् हैः–
   आधारभूत योग विज्ञान एवं चिकित्सा प्रबंधन पाठ्यक्रम
4. प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।
5. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् विद्यार्थियों की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

***1शीर्षक एवं कंडिका 3की उपकंडिका 1एवं II अर्हता एवं प्रवेश –** विद्या परिषद की बैठक दिनांक 23/03/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30/03/2017 में पारित निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक/226/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 15/04/2017 के अनुसार संशोधित ।

विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

6. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

7. **परीक्षा रूपरेखा :–**

I. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में 4 सैद्धांतिक जिसमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक सतत् मूल्यांकन होंगे एवं 2 प्रायोगिक प्रश्न पत्र होंगे। चतुर्थ सेमेस्टर में 3 प्रश्नपत्र सैद्धांतिक एवं 2 प्रायोगिक प्रश्न पत्र होंगे साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र के स्थान पर एक परियोजना कार्य करना होगा। प्रत्येक 100 अंक के होंगे।

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

8. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–**

I. नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. विद्यार्थी को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे विद्यार्थी सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए.टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं–7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

IX. मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य ळें

9. योग विषय में प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत नियमानुसार प्रायोगिक परीक्षा होगी।

परीक्षा की रूपरेखा

10. पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा रूपरेखा विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

11. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

12. विद्यार्थी सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

13. विद्यार्थी स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।

14. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश-38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।

15. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कुलपति कृपांक-01, विद्यार्थी की अंकसूची में अंकित होगा।

16. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।

17. इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

18. **अध्यादेश की व्याख्या :-** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 36
(REVISED)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा

1. **शीर्षक :** यह पत्रोपाधि **योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा** के रुप में जाना जायेगा।

2. **अवधि*** : यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :**
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेंगे।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।

4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।

5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 20 स्थान निर्धारित हैं।

6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति :** परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी ।

9. **पाठ्यक्रम*** : यह पाठ्यक्रम वार्षिक पद्धति पर आधारित होगा । एक वर्ष में विद्यार्थी को 6 सैद्धांतिक एवं तीन प्रायोगिक प्रश्न–पत्रों (दो प्रायोगिक योग विषय एवं एक प्रायोगिक प्राकृतिक चिकित्सा) का अध्ययन करना होगा। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंक निर्धारित होगे।
10. **परीक्षा*** :
    - प्रत्येक सैद्धांतिक एवम प्रायोगिक प्रश्नपत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे जिसमें से 70 अंक बाह्य मूल्यांकन एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

- प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।
- विद्यार्थी को अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुर्नगणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।

- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।

- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी को पुनः स्वाध्यायी/भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रतिष्ठ होना पड़ेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा/परियोजनाकार्य/आंतरिक मूल्यांकन एवं मैदानी कार्य इत्यादि के लिए पुर्नमूल्यांकन तथा पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुर्नमूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता

के अंकों को जोड़कर योगफल में 50 प्रतिशत अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।

- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा 03 अंक सामान्य कृपांक अंतिम परीक्षा में यदि छात्र अनुत्तीर्ण हो रहा है, प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

---

* कंडिका क्रमाँक 2, 9 एवं 10 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमांक–37
एक वर्ष तक की अवधि के पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित नियम
(अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत निर्मित)

1– **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्रसार की दृष्टि से विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 36 (ग) के अन्तर्गत एक वर्ष से कम अवधि के पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का विनिश्चय किया है तथा इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ग व आयु के व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहारिक एवं मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना है।

2– **संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :–**

2.1 यह अध्यादेश विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित एक वर्ष से कम अवधि के पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नियम निर्धारित जाने जायेंगे।

2.2 यह नियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे या प्रवृत्त समझे जायेंगे जिस तिथि से कार्यपरिषद की अनुशंसा पर साधारण परिषद अनुमोदित करे।

3– **पाठ्यक्रम का शीर्षक व विवरण :–**

3.1 विश्वविद्यालय द्वारा पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, जो विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 05–01–2013 की अनुशंसा पर कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 15–02–2013 के पद क्रमांक–4 में अनुमोदित किये गये हैं, विवरण निम्नांकित है :–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की अवधि
1.	अनुवाद	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
2.	वैदिक गणित	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
3.	कार्य संस्कृति संवर्द्धन	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
4.	जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रबंधन	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
5.	जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
6.	योग शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	3 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
7.	योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	6 माह प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
8.	जैविक कृषि प्रशिक्षण	15 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम
9.	योग चिकित्सा प्रशिक्षण	1 माह प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपर्युक्त सूची में समय–समय पर ऐसे अन्य पाठ्यक्रम विद्यापरिषद व कार्यपरिषद के अनुमोदन से पाठ्यक्रम समितियों द्वारा जोड़े या घटाये जा सकेंगे और तदनुसार प्रवृत्त समझे जायेंगे।

4– **प्रवेश :–**

4.1 विश्वविद्यालय द्वारा पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हता निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार होंगेः–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश योग्यता	आयु	प्रवेश प्रक्रिया	पाठ्यक्रम अवधि
1.	अनुवाद	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	3 माह
2.	वैदिक गणित	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
3.	कार्य संस्कृति संवर्द्धन	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
4.	जैव विविधता एवं पर्यावरण प्रबंधन	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
5.	जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
6.	योग शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
7.	योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	10+2	कोई बंधन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	6 माह
8.	जैविक कृषि प्रशिक्षण	कोई बंधन नहीं	कोई बंधन नहीं	प्रथम आओ, प्रथम पाओ	15 दिन
9.	योग चिकित्सा प्रशिक्षण	--''--	--''--	--''--	1 माह
**10	पंचकर्म तकनीशियन प्रमाण–पत्र	10+2	--''--	--''--	1 वर्ष

4.2– विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित स्थानों की संख्या के अन्तर्गत प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थियों का चयन न्यूनतम योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर तैयार की गयी प्रवीण्य सूची के क्रमानुसार होगा।

5– उपस्थिति : प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की उपस्थिति कम से कम 75 प्रतिशत होने पर परीक्षा में प्रवेश प्राप्त हो सकेगा किन्तु यदि किसी छात्र की विषम आकस्मिक परिस्थितिवश या चिकित्सीय कारणों से पाठ्यक्रम की कक्षाओं में उपस्थित कम होती है तो विश्वविद्यालय के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर कुलपति को उपस्थिति में 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा। यदि किसी छात्र की उक्त पाठ्यक्रमों के अध्ययन में उपस्थिति की छूट प्राप्त करने के बाद भी निर्धारित प्रतिशत से कम होती है तो परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

6– परीक्षा योजना :

6.1– प्रत्येक पत्रोपाधि, प्रमाण–पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए संबंधित पाठ्यक्रम समिति द्वारा निर्धारित किये गये प्राप्तांक, पूर्णांक एवं कार्यानुभव मान्य किये जायेंगे, परन्तु यह भी कि संबंधित पाठ्यक्रम समिति समय–समय पर पाठ्यक्रम विकास को ध्यान में रखते हुए यदि कोई परिवर्तन करती है तो विद्यापरिषद के अनुमोदन से तत्समय प्रस्तावित एवं अनुमोदित किये गये प्रत्येक प्रश्न–पत्र के लिए निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम अंकों तथा कार्यानुभव का निर्धारण मान्य होगा।

6.2 प्रत्येक पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत निर्धारित रहेंगे, किन्तु यह भी कि यदि किसी पाठ्यक्रम समिति ने न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत से अधिक मान्य किये हैं तो तत्संबंधी प्रावधान संबंधित पाठ्यक्रम के लिए मान्य किये जायेंगे।

6.3 प्रत्येक पत्रोपाधि, प्रमाण-पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के लिए प्रथम श्रेणी 65 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 50 प्रतिशत एवं अन्य सभी परीक्षार्थियों जिन्होंने 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हैं को उत्तीर्ण श्रेणी मान्य होगी।

7- सैद्धांतिक परीक्षाएँ :-

7.1 प्रत्येक प्रमाण-पत्र, पत्रोपाधि, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र एवं आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत एवं प्रायोगिक एवं प्रशिक्षण प्रश्न-पत्रों में 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक होना अनिवार्य होगा किन्तु यह भी कि किसी पाठ्यक्रम समिति ने यदि इससे अधिक न्यूनतम उत्तीर्णांक रखे हैं तो संबंधित पाठ्यक्रम के लिए तदनुसार मान्य होंगे।

7.2 प्रत्येक परीक्षार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में अलग-अलग निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

7.3 ऐसे परीक्षार्थी जिन्होंने 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक किसी प्रश्न-पत्र में प्राप्त किये हों अथवा कुल योग में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों, ऐसे छात्रों को विशेष योग्यता का दर्जा प्रदान किया जायेगा।

8- परीक्षा विविध* :-

8.1* ***अंशकालिक पाठ्यक्रम (तीन माह/छह माह)***

"विद्यार्थी के अनुत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम की आगामी होने वाली परीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने के एक अंतिम अवसर प्रदान किया जावे । विद्यार्थी उन्हीं अनुत्तीर्ण विषयों में परीक्षा देने का पात्र होगा ।"

एक वर्षीय पाठ्यक्रम

"प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को "पूर्व परीक्षार्थी" के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए । उत्तीर्ण होने के पश्चात परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के लिए पात्र होगें ।"

"यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में "पूर्व परीक्षार्थी" के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अवसर प्रदान किया जाए ।"

8.2 प्रत्येक पाठ्यक्रम की परीक्षा, पाठ्यक्रम की अवधि समाप्त होने के 15 दिन के पश्चात् प्रारम्भ होगी और यह 15 दिन संबंधित छात्रों को परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश के रूप में देय होंगे।

---

*कंडिका 8की उपकंडिका 1- विद्या परिषद की बैठक दिनांक 11/03/2015 के पद क्रमाँक 12 द्वारा कंडिका 8.1 में संशोधन अनुमोदित ।

8.3 प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रावीण्य सूची घोषित की जायेगी। इस प्रावीण्य सूची में अधिकतम पाँच परीक्षार्थी जिन्होंने संबंधित परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, होंगे।

8.4 यदि संबंधित पाठ्यक्रमों में से किसी परीक्षा में सेमिस्टर एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परीक्षा उत्तीर्णांक/ प्राप्तांक तथा विशेष योग्यता निर्धारित की जानी है तो ऐसी ग्रेडिंग सिस्टम के लिए वही नियम मान्य होंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम अध्यादेश के अन्तर्गत प्रगणित किये गये हों तथा प्रभावशील हों।

8.5 प्रत्येक परीक्षार्थी को यह पात्रता कि वह परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के अन्दर सम्पूर्ण प्रश्न-पत्रों की लिखित मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएँ देख सके। ऐसे अवलोकन हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न-पत्र रु. 250/- अथवा समय-समय पर निर्धारित/ मान्य किया गया शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

8.6 परीक्षार्थी को परीक्षा फल घोषित होने के उपरान्त एक या एक से अधिक प्रश्न-पत्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के अंकों की परिगणना करवाने की पात्रता होगी किन्तु ऐसी परिगणना के आवेदन हेतु प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए रु. 50/- शुल्क देय होगी।

8.7 परिगणना के लिए परीक्षार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दौरान यह पता चलता है कि संबंधित परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिकाओं की गणना गलत हुई है अथवा कोई प्रश्न-पत्र मूल्यांकित होने से छूट गया है अथवा ऐसी कोई त्रुटि हो गयी हो जिससे परीक्षार्थी के अंक प्रभावित होते हैं, के लिए कुलपति को यह अधिकार होगा कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका, मूल्यांकनकर्त्ता के अलावा अन्य किसी संबंधित विषय विशेषज्ञ से उत्तर पुस्तिका का पुर्नमूल्यांकन कराये और ऐसे पुर्नमूल्यांकन से संबंधित छात्र का परीक्षा फल भी प्रभावित हो सकेगा, किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में पुर्नमूल्यांकन की सामान्य पद्धति विश्वविद्यालय में लागू नहीं होगी।

9- अन्य उपबन्धः-

9.1 परीक्षा में प्रवेश, संचालन एवं अन्य समस्त परीक्षा से संबंधित प्रावधान सामान्य परीक्षा संचालन नियम/ अध्यादेश के अनुसार मान्य होंगे।

9.2 इस अध्यादेश में प्रावधानित उपबन्धों के रहते हुए भी यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित पाठ्यक्रमों के लिए कुलपति का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

** पंचकर्म तकनीशियन प्रमाण-पत्र विद्या परिषद की इक्कीसबीं बैठक दिनांक 21.08.2019 में यह पाठ्यक्रम जोड़ा गया है। कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.09.2019 द्वारा अनुमोदित।

अध्यादेश 37 के अन्तर्गत परिशिष्ट - 1

(विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 05.08.2014 के अनुसार

प्रमाणपत्र एवं प्रशिक्षण एकजाई हेतु)

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रवेश के लिए अर्हता	आयु	प्रवेश प्रक्रिया	परीक्षा रुपरेखा
1.	पाण्डुलिपि विज्ञान प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	स्नातक	कोई बन्धन नहीं	प्रावीण्य सूची के आधार पर	कुल चार प्रश्न पत्र प्रत्येक 100 अंकों, का प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय में 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक आंतरिक मूल्याकन। चतुर्थ प्रश्न पत्र परियोजना कार्य का 100 अंक। परियोजना कार्य का मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा
2.	संस्कृत सम्भाषाण एवं अनुप्रयोग प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	10+2 उत्तीर्ण म.प्र. बोर्ड या विधि मान्य समकक्ष बोर्ड	तदैव	तदैव	तदैव
3.	नाट्यशास्त्रएवं रंगमंच प्रमाण पत्र (अंशकालीन)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
4.	हिन्दी-पालि भाषा प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
5.	हिन्दी-संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
6.	हिन्दी बोली प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
7.	लोक संगीत प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	तदैव	तदैव	तदैव	प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक होगा जो 100 अंक का होगा जिसमें

						70 अंक लिखित परीक्षा एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन होगे। प्रत्येक सेमेस्टर में दो प्रायोगिक परीक्षा 100 अंकों का होगा जिसका मूल्यांकन वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से होगा।
8.	सुगम संगीत प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
9.	रूपाकन कलायें प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	तदैव	तदैव	तदैव	कुल चार प्रश्न पत्र 100–100 अंक होगे जिनमें से एक प्रश्नपत्र सैद्धांतिक के होगे। इनमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक आन्तरिक मूल्यांकन का होगा तीन प्रायोगिक परीक्षा होगी जिसका मूल्यांकन वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से होगा।
10.	हस्त छपाई कला प्रमाणपत्र (अंशकालीन)	छः माह	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
11.	हस्त छपाई कला प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 माह	10 वीं परीक्षा	तदैव	तदैव	एक प्रायोगिक परीक्षा 100 अंक की होगी। परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा कराई जायेगी।
12.	लोक गीत गायन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	3 माह	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
13.	अल्पना मांडना रंगोली	3 माह	10+2	तदैव	तदैव	200 अंको की प्रायोगिक परीक्षा होगा।
14.	अंलकारित मत्स्य	21	10+2	तदैव	तदैव	तदैव

	एवं जल शाला	दिवस				
15.	ज्योर्तिविज्ञान प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	कुल चार पत्र 100 अंकों के होगे जिसमें तृतीय प्रश्न पत्र सैद्धांतिक और एक प्रश्न पत्र प्रायोगिक होगा।
16.	हिन्दी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	कुल चार प्रश्न पत्र होगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों के होगे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्न पत्रों में 70 अंकी संत्रात परीक्षा और 30 अंक सतत मूल्यांकन होगे चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रायोगिक परीक्षा के लिए जिसमें 60 शब्द प्रतिमिनिट का डिक्टेशन का होगा।
17.	वेब डिजाइनिंग प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	कुल चार प्रश्न पत्र एवं एक प्रायोगिक कार्य का होगा। प्रत्येक 100 अंक के होगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में 70 अंकों का संत्रात और 30 अंक सतत् मूल्यांकन का होगा।
18.	कार्यालय संगणक अनुप्रयोग प्रशिक्षण	15 दिवस	10+2	तदैव	तदैव	200 अंको की प्रायोगिक परीक्षा होगा।
19.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	कुल चार प्रश्न पत्र एवं एक प्रायोगिक कार्य का होगा। प्रत्येक 100 अंक के होगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में 70 अंकों का संत्रात और 30 अंक सतत् मूल्यांकन का होगा।
20.	2 डी ऐनीमेशन प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	तदैव

21.	ग्राफिक्स डिजाइनिंग प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	तदैव
22.	जैन धर्म एंव दर्शन प्रमाण पत्र	छः माह	10+2	तदैव	तदैव	कुल 4 प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे जिनमें से 2 सैद्धांतिक एंव 1 परियोजना कार्य का होगा।
23	जूट शिल्प प्रशिक्षण	तीन माह	कोई बाध्यता नहीं	तदैव	तदैव	200 अंको की प्रायोगिक परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा संचालित की जावेगी।
24	प्रमाण पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी	6 माह	10+2	कोई बन्धन नही	प्रवीण्य सूची अनुसार	कुल चार प्रश्न पत्र प्रत्येक 100 अंको, प्रथम,द्वितीय, एंव तृतीय में 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन,चतुर्थ प्रश्न पत्र परियोजना कार्य, जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा
26	प्रमाण पत्र पंचगव्य	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
27	प्रमाण पत्र सुमंगलम विकास	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
28	प्रमाण पत्र जर्मन भाषा	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
29	प्रमाण पत्र फ्रेंच भाषा	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
30	प्रमाण पत्र अंग्रेजी भाषा	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
31	प्रमाण पत्र प्राकृत भाषा	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव
32	प्रमाण पत्र अनुवाद	6 माह	10+2	–	तदैव	तदैव

33	**प्रमाण पत्र हिन्दी भाषा (विदेशी विद्यार्थीयों के लिए)**	**6 माह**	**10+2**	**–**	**तदैव**	**तदैव**
34	**प्रशिक्षण नाट्यकला**	**3 माह**	**10 वीं**	**–**	**तदैव**	**200 अंको का प्रायोगिक परीक्षा**
35	**प्रशिक्षण हिंदी अंग्रेजी भाषा**	**3 माह**	**10 वीं**	**–**	**तदैव**	**200 अंको का प्रायोगिक परीक्षा**

टीप : –

1. शुल्क – अध्यादेश – 39 अनुसार देय होगा। विश्वविद्यालय को समय–समय शुल्क निर्धारण का अधिकार होगा।
2. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को कुलपति के अनुमति उपरान्त विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्यादेश क्रमांक– 38
स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम प्रवेश, परीक्षा, एवं अधिनियम की धारा 36 (ध) के अंतर्गत निर्मित मूल्यांकन पद्धति संबंधी नियम

1 **प्रस्तावना–** अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत धारा 7 (पांच) के अंतर्गत अध्यादेशों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के उपाधि पत्र एवं प्रमाण–पत्र के अध्ययन हेतु प्रवेश व परीक्षा के नियम विनियमित किये जाने हैं। इन स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों में अंतर विषयक् अध्ययन एवं सहज अनुभूति को उच्च वरीयता के साथ सम्मिलित किया जाना है। उच्च गुणवत्ता की दृष्टि से समग्र विषयों का अध्ययन, प्रवेश परीक्षा एवं मूल्यांकन के लिये चयन आधारित क्रेडिट पद्धति (सी.बी.सी.एस.)के अनुसार विषयवार पाठ्यक्रमों की महत्ता विभाजन, अंकों का वितरण तथा अध्ययन अध्यापन तथा परीक्षा व्यवस्था इस क्रेडिट पद्धति से समग्र हो सकेगी।

2 **सक्षिप्त नाम एवं प्रभावशीलता–**

2.1 यह नियम ''विश्वविद्यालय के स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम प्रवेश, परीक्षा एवं मूल्यांकन चयन आधारित क्रेडिट पद्धति मूल्यांकन (सी.बी.सी.एस.) नियम'' जाने जायेंगे।

2.2 यह अध्यादेश उस दिनांक से प्रवृत्त होगा या प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा जिस दिनांक को साधारण परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् विश्वविद्यालय अधिसूचित करे।

3.1 परिभाषाएं–

''स्नातक प्रतिष्ठा'' से अभिप्रेत है तीन वर्षीय स्नातक पाठयक्रम जिसमें किसी एक विषय, जिसे विद्यार्थी चयन करे, पर प्रतिष्ठा स्तर का अध्ययन कर सकेगा, शेष दो सहायक विषय एवं आधार पाठ्यक्रम स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के भाग होंगे।

3.2 ''सी.बी.सी.एस.'' से अभिप्रेत है ''चयन आधारित क्रेडिट पद्धति'' (च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम) मूल्यांकन।

3.3 ''आरक्षण'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निर्धारित आरक्षण नियम।

3.4 **''अधिभार'' से अभिप्रेत है** मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों या प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों, जैसा लागू हो, पर दिये जाने वाले अधिभार अंक/प्रतिशत ।

अन्य समस्त परिभाषाएं अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों एवं विभिन्न परिनियमों, अध्यादेश एवं विनियमों में दी गई परिभाषाएं आवश्यकतानुसार इस अध्यादेश के लिये समुचित होने पर ली जा सकेगी।

4. क्रेडिट पद्धतिः– प्रत्येक स्नातक(प्रतिष्ठा) उपाधि एवं स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. उपाधि कार्यक्रम एक निश्चित क्रेडिट का होगा। क्रेडिट्स कार्यक्रम विभिन्न पाठ्यक्रमों के महत्व (weightage) को दर्शाता है। विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड प्वांइट (क्रेडिट संख्या के साथ) विद्यार्थी की उपलब्धियों का मापन है।

SGPA-Semester Grade Point Average (सेमेस्टर ग्रेड प्वांट औसत), WAM-Weighted Average Marks (भारित औसत अंक), CGPA- Cumulative Grade Point Average (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत), OWAM-Overall Weighted Average Marks

(सम्पूर्ण भारित औसत अंक), क्रमशः एक सेमेस्टर में विद्यार्थी द्वारा कुल प्रदर्शन (total performance) तथा दूसरे एवम्, इसके आगे के सभी सेमेस्टर में विद्यार्थी के प्रदर्शन को दर्शाता है। इस कारण CGPA-Cumulative Grade Point Average (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) तथा OWAM-Overall Weighted Average Marks (सम्पूर्ण भारित औसत अंके), एक विद्यार्थी के प्रदर्शन का संकेतक (indicator) हैं।

4.1 एक सेमेस्टर में विद्यार्थी की प्रगति (Performance) का मापन WAM-Weighted Average Marks (भारित औसत अंक), OWAM-Overall Weighted Average Marks (सम्पूर्ण भारित औसत अंक), SGPA-Semester Grade Point Average (सेमेस्टर ग्रेड प्वांट औसत), सेमेस्टरग्रेड प्वाइंट औसत तथा CGPA-Cumulative Grade Point Average (संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत) द्वारा किया जाएगा, विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

WAM, OWAM, SGPA, CGPA, की गणना

1- WAM = $\Sigma CiMi / \Sigma Ci$

2- SGPA = $\Sigma CiGi / \Sigma Ci$

3- OWPM = $\Sigma\Sigma CniMni / \Sigma\Sigma Cni$

4- CGPA = $\Sigma\Sigma CniGni / \Sigma\Sigma Cni$

जहाँ

Ci – i वें पाठ्यक्रम के लिए केडिट की संख्या

Mi – i वें पाठ्यक्रम में प्राप्तांक

Gi – i वें पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वांइट

Cni – n वें सेमेस्टर के i वें पाठ्यक्रम के लिए केडिट की संख्या

Mni – n वें सेमेस्टर के i वें पाठ्यक्रम में प्राप्तांक

Gni – n वें सेमेस्टर के i वें पाठ्यक्रम में प्राप्त ग्रेड प्वांइट

4.2 ग्रेडिंग पद्धति एवं मूल्यांकन विधि

विद्यार्थी का मूल्यांकन उनके द्वारा अर्जित अंक, ग्रेड प्वाइंट, ग्रेड एवम् श्रेणी को ग्रेडिंग पद्धति द्वारा 10 बिन्दु स्केल पर दर्शाया जाएगा। इसमें अधिकतम संभव 9 प्वाइंट में से विद्यार्थी ग्रेड प्वाइंट अर्जित करेगा।

नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार ग्रेड पद्धति प्रत्येक पाठ्यक्रम में लागू होगी –

अंक	ग्रेड प्वाइंट
75-100	8.16-9.0
65-74	6.50-8.15
60-64	5.66-6.49
55-59	4.83-5.65
40-54	4.00-4.82
0-39	0-3.99

विद्यार्थी द्वारा सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर उसके द्वारा अर्जित संचयी ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर निम्नानुसार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा –

CGPA	लेटर ग्रेड	श्रेणी

8.5-9.00	ए+	उच्च प्रथम श्रेणी
7.50-8.49	ए	मध्यम प्रथम श्रेणी
6.50-7.49	ए-	निम्न प्रथम श्रेणी
5.50-6.49	बी+	उच्च द्वितीय श्रेणी
4.50-5.49	बी	मध्यम द्वितीय श्रेणी
4.0-4.49	बी-	निम्न द्वितीय श्रेणी
0-3.99	एफ	अनुत्तीर्ण

व्याख्या-

1. अक्षर ग्रेड ए+, ए, ए-, बी+, बी, बी- से तात्पर्य है कि विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है।
2. एफ ग्रेड दर्शाता है कि विद्यार्थी का प्रदर्शन खराब है अर्थात् पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण है। एफ ग्रेड के विद्यार्थी को संबंधित अध्यादेश की शर्तों के आधीन बाद की परीक्षाओं में शामिल होना होगा। जब तक कि विद्यार्थी को उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त नहीं हो जाता है।
3. परियोजना कार्य/लघुशोध प्रबंध/प्रशिक्षण को पूर्ण नहीं करने पर एक्स ग्रेड आवंटित होगा। कार्य पूर्ण करने पर नियमित ग्रेड में बदला जायेगा। एक्स ग्रेड को एफ ग्रेड की तरह माना जाएगा।

4.3 ग्रेड प्वांइट की प्रतिशत अंक में तुल्यता-

पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त ग्रेड प्वांइट की प्रतिशत अंक में तुल्यता निम्न सूत्र से प्राप्त की जा सकेगीः-

प्रतिशत अंक त्र $PL + \frac{(GP-GL)}{MF}$

जहाँ GP-ग्रेड प्वांइट, PL-प्रतिशत अंक के संगत परिसर की निम्न सीमा, GL-संगत ग्रेड प्वांइट परिसर की निम्न सीमा, MF-संगत परिसर के लिए गुणन घटक हैं।

नोट- विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड प्वाइंट के संगत PL, GL, MF के मान निम्न सारणी से लिए जाएगें:-

ग्रेड प्वाइंट परिसर (GL-GU)	**गुणन घटक** (MF)	**प्रतिशत अंक परिसर** (PL **एवं अधिक**..........)
8.16-9.0	0.0336	75 एवं अधिक
6.5-8.15	0.1833	65 एवं अधिक लेकिन 75 से कम
5.66-6.49	0.166	60 एवं अधिक लेकिन 65 से कम
4.83-5.65	0.166	55 एवं अधिक लेकिन 60 से कम
4.00-4.82	0.0547	40 एवं अधिक लेकिन 55 से कम
0-3.99	0.01023	0 एवं अधिक लेकिन 40 से कम

नोट- एमएफ का उपयोग परिशुद्ध (exact) ग्रेड प्वांइट की गणना के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग OWPM को CGPA में बदलने में नहीं होगा।

5. **ग्रेड कार्ड** : सेमेस्टर परीक्षा के अंत में प्रत्येक विद्यार्थी को ग्रेड कार्ड जारी किया जाएगा। इसमें निम्नांकित जानकारी होगी-

5.1 सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्तांक

5.2 सेमेस्टर में पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम में अर्जित क्रेडिट

5.3 प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रदर्शन को अक्षर ग्रेड से दर्शाया जायेगा

5.4 सेमेस्टर में पंजीकृत सभी पाठ्यक्रमों का SGPA तथा WAM
5.5 कार्यक्रम को पूर्ण करने पर CGPA, OWPM, CLASS (वर्ग) तथा सभी पाठ्यक्रमों में ग्रेड्स को दर्शाया जाएगा।
5.6 पंचम सेमेस्टर में प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रवेश गत चारों सेमेस्टर उत्तीर्ण घोषित होने पर प्राप्त होगा।
5.7 स्नातक(प्रतिष्ठा) उपाधि, अध्ययन के सभी छः सेमेस्टर अनिवार्य विषय सहित उत्तीर्ण होने पर प्रदान की जाएगी।
5.8 सेमेस्टर पद्धति में प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम 16 सप्ताह कुल 64 अध्ययन घंटे में पूर्ण करना होगा।
5.9 यदि किसी सेमेस्टर पाठ्यक्रम का एक विषय का अध्यापन एल–टी–पी घटकों (एल–सैद्धांतिक, टी–ट्यूटोरियल कक्षा, पी–प्रायोगिक कक्षा) में किया जाता है तो इस प्रश्नपत्र में प्रतिमाह अध्यापन के घंटों का विभाजन/बंटन निम्नानुसार होगा–
अ– एल : 1 घंटे प्रति सप्ताह के सैद्धांतिक व्याख्यान पर 1 क्रेडिट आवंटित होगी।
ब– टी : कम से कम 2 घंटे प्रतिसप्ताह की ट्योटोरियल कक्षा पर 1 क्रेडिट आवंटित होगी।
स– पी : कम से कम 2 घंटे प्रतिसप्ताह की प्रायोगिक कक्षा पर 1 क्रेडिट आवंटित होगी।
5.10 यदि एक विद्यार्थी किसी सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का पाठ्यक्रम/विषय 16 सप्ताह में सेमेस्टर के दौरान सफलतापूर्वक पूर्ण करता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यार्थी ने 4 क्रेडिट अर्जित की है।
5.11 विद्यार्थी 134 क्रेडिट का स्नातक (प्रतिष्ठा) पाठ्यक्रम कम से कम 6 सेमेस्टर में और अधिक से अधिक 10 सेमेस्टर में पूर्ण करने की सुविधा रहेगी।
5.12 षष्ठम सेमेस्टर में विद्यार्थी या दो/तीन विद्यार्थियों के समूह को एक लघु प्रोजेक्ट आवंटित होगा। प्रत्येक विद्यार्थी को इसमें किए जाने वाले कार्य का उचित आवंटन होगा। 4 क्रेडिट के प्रोजेक्ट में क्रेडिट का आवंटन 1 : 3 का होगा। इसमें विद्यार्थी को 1 घंटे प्रति सप्ताह अपने निर्देशक से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा।
5.13 प्रत्येक विद्यार्थी को पंचम/षष्टम सेमेस्टर के दौरान दो–तीन विद्यार्थियों के छोटे समूह में, एक अध्यापक की देख–रेख में विषय से संबंधित एक लघु प्रोजेक्ट कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न करना होगा।

6. **स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम संरचना–**

6.1 स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम तीन वर्ष में पूर्ण होगा।
6.2 प्रथम दो वर्षों में विद्यार्थी को अपने संकाय के विषय समूहों (तीन विषय) में से किसी एक समूह का चयन कर अध्ययन करना होगा। विद्यार्थी इन तीन विषयों के साथ एक आधार विषय का भी अध्ययन करेगा।
6.3 यह तीन वर्षीय पाठ्यक्रम कुल छः सेमेस्टर में विभक्त होगा। प्रत्येक वर्ष में छः–छः माह के दो सेमेस्टर होंगे।
6.4 प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक विद्यार्थी तीनों विषयों एवं आधार विषय के एक–एक प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेगा। इस प्रकार से चार सेमेस्टर प्रत्येक विषय के कुल चार–चार प्रश्नपत्रों का अध्ययन करेगा।
6.5 चार सेमेस्टर (अर्थात् दो वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए अधिकृत/योग्य होगा। पांचवें सेमेस्टर से विद्यार्थी अपनी रूचि एवम् उच्च अंक प्राप्त विषय का अध्ययन प्रतिष्ठा उपाधि प्राप्त करने के लिए करेगा।

6.6 आधार विषय के रूप में प्रथम सेमेस्टर से छठवें सेमेस्टर तक विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर के लिये दिये गये आधार विषय का किसी एक विषय पर आधार पाठ्यक्रम करना होगा।

6.7 स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम कुल 134 क्रेडिट का होगा।

7 क्रेडिट का विभाजन निम्नानुसार होगा –

तालिका – 1

सहायक विषय 1	24
सहायक विषय 2	24
प्रतिष्ठा विषय	68
आधार विषय	18
कुल क्रेडिट	134

स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक क्रेडिट का विभाजन विषयवार निम्नानुसार होगा–
चतुर्थ सेमेस्टर तक क्रेडिट का विभाजन विषयवार निम्नानुसार होगा –

तालिका – 02

षड़मासी / विषय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ
विषय 1	6	6	6	6
विषय 2	6	6	6	6
विषय 3	6	6	6	6
आधार विषय	3	3	3	3
योग	21	21	21	21

प्रतिष्ठा उपाधि के लिए (पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर) क्रेडिट का विभाजन निम्नानुसार होगा–

तालिका – 03

सेमेस्टर / विषय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम	षष्ठम परियोजना कार्य सहित	योग

प्रतिष्ठा विषय	6	6	6	6	20	20 4 परियोजना कार्य	68
सहायक विषय 1	6	6	6	6	–	–	24
सहायक विषय 2	6	6	6	6	–	–	24
आ.पा.	3	3	3	3	3	3	18
योग	21	21	21	21	23	27	134

पंचम एवम् षष्ठम सेमेस्टर में प्रतिष्ठा विषय का क्रेडिट विभाजन निम्नानुसार होगा :–

सैद्धांतिक विषयः– प्रत्येक सेमेस्टर में 5–5 क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम प्रश्न–पत्र होंगे एवम् षष्ठम सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक परियोजना कार्य अतिरिक्त होगा।

प्रायोगिक विषयः– (1) प्रत्येक सेमेस्टर में 4–4 क्रेडिट के 4 प्रश्नपत्र तथा 2–2 क्रेडिट के दो प्रायोगिक कार्य तथा षष्ठम् सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक परियोजना कार्य अतिरिक्त होगा।

(2) चित्र–कला, संगीत, वादन एवम् नृत्य जैसे विषयों के प्रत्येक सेमेस्टर में 2–2 क्रेडिट के दो पाठ्यक्रम (प्रश्न–पत्र) तथा 4–4 क्रेडिट के चार प्रायोगिक कार्य तथा षष्ठम सेमेस्टर में 4 क्रेडिट का एक परियोजना कार्य।

8. **प्रवेश–** प्रत्येक स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार होगीः–

स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु प्रवेशार्थी मध्यप्रदेश राज्य के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा किसी भी राज्य मण्डल जिसे म.प्र. राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त हो अथवा किसी विश्वविद्यालय की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) या समकक्ष परीक्षा 50 प्रतिशत अंक या समान ग्रेड में उत्तीर्ण परीक्षार्थी होना अनिवार्य है।

9. **आयु संबंधी पात्रता –**

अ. (क) प्रवेशार्थी की आयु प्रवेश लेने वाले वर्ष की 1 जुलाई को 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहियें। किन्तु यह भी कि आयु में कुलपति की अनुमति से अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है परन्तु यह भी कि विश्वविद्यालय के कुछ स्नातक/उपाधि/ प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में आयु सीमा का बंधन कोई नहीं रहेगा किंतु ऐंसे पाठ्यक्रमों की सूची अलग से प्रतिवर्ष अधिसूचित की जायेगी। प्रवेश हेतु महिलाओं के लिए आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

(ख) आयु–सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये विद्यार्थियों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों पर लागू नहीं है।

(ग) योग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयु–सीमा का बंधन नहीं होगा।
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जा सकेगी।
(ड.) निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।

ब. एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में कक्षा प्रोन्नति/स्थानान्तरण स्वयंमेव होगा किंतु संबंधित परीक्षार्थी को पूर्व के सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है किंतु किसी भी परिस्थिति में षष्ठ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व संबंधित विद्यार्थी को पूर्व के समस्त सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

स. प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षार्थी को प्रवेश उसी अवस्था में मान्य होगा जब उसके प्राप्तांक, प्रतिशत, स्थान की उपलब्धता एवं संकाय जो निर्धारित अन्य मानक पूरा करता हो।

द. विद्यार्थी प्रवेश लेने के 7 दिवस के अंदर निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापन प्रारम्भ होने के पूर्व विषय परिवर्तन कर सकता है किंतु ऐसा परिवर्तन ऐच्छिक विषय में स्थान की उपलब्धता के आधार पर ही संभव होगा। स्थान उपलब्ध नहीं होने पर पाठ्यक्रम विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

10. **संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तनः–** स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में अर्हता परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाने के बाद ही उनका गुणानुक्रम निर्धारित होगा और अधिभार घटे हुए प्राप्तांकों पर ही देय होगा।

11. प्रवेश प्रक्रियाः– विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में सफल विद्यार्थी प्रवेश नियमों के अंतर्गत (योग्यता सूची) आधार पर स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होगें।

11.1 विद्यार्थी का प्रवेश संकाय प्रवेश समिति जो कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्य करेगी, की अनुशंसा के आधार पर होगा।

11.2 विद्यार्थी जिसका विश्वविद्यालय की प्रवेश वरीयता सूची में नाम शामिल है, को विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। यदि विद्यार्थी ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और वह तब तक पुनःप्रवेश नही पा सकता जब तक कि प्रवेश समिति या सक्षम प्राधिकारी शुल्क जमा करने की तिथि में विस्तार न कर दे या फिर वह उसके प्रवेश करने की संस्तुति न कर दे।

11.3 विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों जो कि भारत सरकार के द्वारा नामित हों जिनको कि सरकार छात्रवृति दे रही हो या वे विद्यार्थी जो कि स्व–वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रवेश चाहते हों को प्रवेश दिया जावेगा। इन विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय की विदेशी छात्र प्रवेश समिति के माध्यम से लिए गए आवेदन पत्रों पर समिति की संस्तुति के आधार पर किया जावेगा।

12. प्रवेश हेतु पात्रता/ अपात्रता :

12.1 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहा हैं या चालान प्रस्तुत किया जा चुका हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में विद्यार्थियों/ अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर प्रमाणित आरोप

हों या उनमें चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो तो ऐसे विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिये कुलपति कदापि अधिकृत नहीं है।

12.2 विश्वविद्यालय में तोड़ फोड़ करने या विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने के प्रमाणित दोषी और रैगिंग के प्रमाणित आरोपी विद्यार्थियों को भी कुलपति प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है। रैगिंग के संदर्भ में यू.जी.सी. के ज्ञाप क्र. एफ–1–16/2007 (सी पी पी ।।) अप्रेल 2009 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन अनिवार्य है। इस संबंध में म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र क्र. 829/469/आउशि/शा–1/08 दिनांक 18 जून 2008 के अनुसार जारी टालरेंस पॉलिसी (Zero Tolerance Policy) लागू रहेगी।

13. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

13.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए अर्हता परीक्षा में प्राप्तांक एवं अधिभार को यदि देय है तो अधिभार को जोड़कर समग्र प्रतिशत के अंको के आधार पर गुणानुक्रम का निर्धारण किया जाएगा।

13.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयारी की जाएगी।

13.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत विश्वविद्यालयों में शाला–स्तर के अध्यापन के कारण संबंधित बोर्ड द्वारा उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता यदि प्राप्त हो तो उस बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जा सकेगा।

14. आरक्षण– विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण नीति मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर घोषित एवं जारी की गई आरक्षण नीति यथास्वरूप मान्य होगी।

15. अधिभारः– अधिभार गुणानुक्रम निर्धारण के लिए प्रदान किया जायेगा। पात्रता हेतु इसका उपयोग नही किया जाएगा। **अर्हता परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा।** अधिभार के लिये सभी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रवेश के लिए आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद/जमा किये गये प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर केवल सर्वाधिक अधिभार का लाभ एक ही वर्ग में देय होगा।

15.1 प्रतिष्ठा (आनर्स) विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

15.2 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/ रूपांकन प्रतियोगिताएं –

1. लोक शिक्षण संचालयन अथवा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला/संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर में प्रतियोगिता में –
   (क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को– 2 प्रतिशत
   (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को –4 प्रतिशत
2. उपर्युक्त कंडिका 15.2 (1) में उल्लेखित मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग /संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :–

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को प्रतिशत – 6

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को प्रतिशत – 7

(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को प्रतिशत – 5

3. भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य
4. मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को प्रतिशत –15

(ख) टीम प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को प्रतिशत –12

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को प्रतिशत –10

15.3 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स तथा कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित और प्रयास करने वाले दल के सदस्य को – 10 प्रतिशत

15.4 मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मध्यप्रदेश टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) बशर्ते कि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा जारी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा अनिवार्यतः प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य हों।

15.5 जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों और उनके आश्रितों को –1 प्रतिशत

16. **विशेष प्रोत्साहन :** एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केडेटस तथा ओलम्पिक/एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिट ऑफ इंडिया, एस.जीएफ.आई. द्वारा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को अर्हता पूर्ण होने पर बगैर किसी गुणानुक्रम के उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये जिनके वें पात्र हैं।

बशर्ते कि –

1. इस प्रकार के उनके प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, और
2. यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु यह भी कि इस प्रकार की सुविधा अन्य, अर्थात दूसरे स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये फिर एक नई उपलब्धि प्राप्त करना आवश्यक होगा।

16.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिये स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण–पत्र तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र ही अधिभार के लिये मान्य किये जायेंगे।

16.2 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनमें राज्य सरकार सह–प्रायोजक हो, उसमें वहाँ प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को अधिभार के प्रतिशत की गणना कण्डिका 15.4 के अनुरूप होगी।

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु जारी किये गये नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत दिये गये संबंधित प्रावधान यथास्वरूप विश्वविद्यालय में भी मान्य होंगे।

17. **विशेष :**

17.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार या गलत जानकारी देकर, जानबूझकर अथवा छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों या प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश किसी आवेदक को यदि प्रवेश मिल जाता है, तब संज्ञान में आने पर ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कुलपति को होगा।

17.2 प्रावधिक प्रवेश के मामले में संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष पृथक सूची तैयार करेंगे और विश्वविद्यालय को नामांकन के लिये फार्म भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों ने वे सारी पूर्तियाँ पूरी कर ली हैं, जिनके अभाव में उन्हें तत्समय प्रावधिक प्रवेश दिया गया था।

17.3 नियमित प्रवेश लेने के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति के बाद बिना किसी समुचित कारण अथवा बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार कुलपति को होगा।

17.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 17.1 एवं 17.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे संस्था से निष्कासित करने का अधिकार कुलपति का होगा।

17.5 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय छोड़ने या उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसके निष्कासन की दशा में विद्यार्थी को सुरक्षा की राशि (कॉशन मनी) के अलावा अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

17.6 (अ) तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अन्यत्र प्रवेश हो जाने पर तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी को रू. 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर जमा की गई शेष राशि वापिस की जाएगी। लेकिन उपर्युक्त स्थिति में स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थी को सुरक्षा राशि (कॉशमनी) के अलावा अन्य कोई और राशि वापिस नही की जायेगी।

17.7 (ब) प्रावधिक प्रवेशित विद्यार्थी के अनुत्तीण घोषित होने पर उसके प्रवेश के नियमित न हो पाने की स्थिति में उसे रूपये 100/– प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि लौटाई जाएगी।

17.8 इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन निरसन का संपूर्ण अधिकार म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

18. **आरक्षण/अतिरिक्त अंकों की सुविधा**

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध कुल प्रवेश स्थानों में म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर जारी प्रवेश पात्रता नियमों का पालन करते हुए, विभिन्न वर्गो हेतु निर्धारित प्रतिशत में स्थान आरक्षित होगें। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों को भी प्रवेश–परीक्षा में सम्मिलित हो कर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

अतिरिक्त अंकों की सुविधा (अधिभार) केवल गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर ही अधिभार देय होगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

19.. परीक्षा योजना में क्रेडिट आवंटन–

19.1.अ – क्रेडिट का आवंटनः

क. प्रत्येक सेमेस्टर के सभी सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों में एक सप्ताह में एक घंटे के व्याख्यान पर एक क्रेडिट आवंटित होगी।

ख. सेमेस्टर में दो घंटे के प्रायोगिक कार्य प्रति सप्ताह पर एक क्रेडिट आवंटित होगी।

ग. क्रेडिट पूर्णांकों में होगी। जहाँ तक संभव हो, प्रति सैद्धांतिक पाठ्यक्रम कम से कम 3 क्रेडिट का एवं प्रायोगिक पाठ्यक्रम कम से कम 2 क्रेडिट का होगा।

19.2 स्नातक (प्रतिष्ठा) की परीक्षा छः सेमेस्टर में संचालित होगी जो कि सामान्यतः दिसम्बर/मई माह में या संबंधित अधिष्ठाता द्वारा निश्चित की गई तिथियों में संचालित होगी।

19.3 विद्यार्थी की अकादमिक उपलब्धियों का मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययन किए पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा।

20. उपस्थिति– विभिन्न प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों, स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रमों में अध्ययन उपरांत संबंधित परीक्षा में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विभागाध्यक्ष को विद्याार्थी की उपस्थिति कुलपति का निम्नांकित विवरण के अनुसार भेजना अनिवार्य होगा।

अ संबंधित सेमेस्टर में 75 प्रतिशत या अधिक उपस्थिति वाले छात्रों की सूची।

ब 75 प्रतिशत से कम किंतु 60 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्रों की सूची । ऐसे छात्रों को जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है किंतु 60 प्रतिशत या उससे अधिक है किन्तु बीमार होने के कारण के संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष कुलपति को उपस्थिति में छूट देने हेतु स्पष्ट अनुशंसा के साथ यह सूची प्रस्तुत करेगा।

स ऐसी सूची जिसमें उन विद्यार्थियों के नाम होंगे जिन्होंने 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति दर्ज की है। ऐसे विद्यार्थियों को सेमेस्टर परीक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

इंजीनियरिंग, आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद, होम्योपैथी, फार्मेसी, कृषि, योग एवं अन्य ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें व्यवहारिक, प्रयोग सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, के लिये उपस्थिति 85 प्रतिशत न्यूनतम मान्य होगी तथा कुलपति द्वारा 15 प्रतिशत की छूट देने पर यह न्यूनतम 70 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिये। किंतु ऐसी छूट देने के पूर्व कुलपति को संतुष्टि होनी चाहिये कि संबंधित छात्र ने बीमारी के कारण उपस्थिति कम दी है। अन्य किसी भी प्रकरण में उपस्थिति में छूट देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

यदि कोई 60 प्रतिशत/ 70 प्रतिशत जो भी लागू हो, से कम उपस्थित रहता है किंतु वह पाठ्यक्रम फिर भी पूर्ण करता है, ऐसे छात्रों को सेमेस्टर में पुनः प्रवेश प्राप्त कर उपस्थिति पूर्ण करने के पश्चात् परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। किंतु निर्धारित पंजीयन अवधि की सीमा के अंतर्गत ही यह छूट मान्य होगी।

21. **परीक्षा योजना**–प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में ग्रेड पद्धति के अनुसार तैयार किये गये प्रति सेमेस्टर सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषयों के प्रश्नपत्र एवं आंतरिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा जैसा कि पूर्व के अनुच्छेदों में दर्शाया गया है, के अनुसार पूर्ण करना होगा।

21.1 (1) विद्यार्थी द्वारा अर्जित ग्रेड के अनुसार विद्याार्थी किसी भी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण या अनुतीर्ण घोषित किया जायेगा। यदि कोई परीक्षार्थी एफ ग्रेड के अंतर्गत संबंधित विषय में अनुतीर्ण रहता है तो उसे सेमेस्टर की पूरक/ द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। किंतु यह भी कि यदि कोई छात्र किसी सेमेस्टर के 50 प्रतिशत से ज्यादा विषय में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसे आगे के पूरक या द्वितीय परीक्षा में समस्त प्रश्नपत्रों को पूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देनी होगी।

किंतु यह भी कि यदि कोई छात्र दो या दो से कम विषयों में अनुतीर्ण रहता है तो पूर्व के सेमेस्टर में उत्तीर्ण किये गये विषय को अग्रणीत करते हुए आगे की पूरक/द्वितीय परीक्षा में अनुतीर्ण विषयों में बैठने की पात्रता होगी।

(2) स्नातक पाठ्यक्रम परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी का पंजीयन 5 वर्षो तक नियमित विद्यार्थी के रूप में रहेगा किंतु यदि वह स्नातक पाठ्यक्रम 5 वर्षो में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसका प्रवेश निरस्त मान्य होगा किंतु यह भी कि गंभीर बीमारी होने की स्थिति में, कुलपति की संतुष्टि होने तक, विद्यार्थी को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा किन्तु इस अवसर सहित किन्हीं भी परिस्थितियों में पंजीयन अवधि 6 वर्ष से अधिक की नहीं होगा।

(3) यदि विद्यार्थी 5 वर्ष तथा विशेष अवसर में बीमारी के कारण प्राप्त हुए विशेष अवसर के बाद भी प्रतिष्ठा पाठक्रम में अनुतीर्ण रहता है तो उसे नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। किसी भी विषय के प्रायोगिक, सत्रीय मूल्यांकन, प्रोजेक्ट, या इंटर्नशिप में किसी भी प्रकार की पूरक या द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी। परीक्षा संबंधी अन्य समस्त नियम परीक्षा, प्रवेश संबंधी अध्यादेश के अनुसार मान्य होगा।

(4) स्नातक प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा तथा द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठ सेमेस्टर की पूरक परीक्षा आयोजित होगी। इसी प्रकार जून माह में प्रत्येक पाठ्यक्रम की द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा एवं प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर की पूरक परीक्षाएं आयोजित होगी। इसी प्रकार से प्रत्येक सेमेस्टर की एक वर्ष में एक मुख्य परीक्षा एवं एक पूरक परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(5) किसी भी परीक्षार्थी को षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व पाठ्यक्रम के एक से पंचम सेमेस्टर की समस्त परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगी।

22. विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु बाहर के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/माध्यमिक शिक्षामंड़ल या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आने वाले विद्यार्थियों की प्रावीण्य गुणानुक्रम संबंधित विश्वविद्यालय की ग्रेड प्वाइंट मूल्यांकन पद्धति एवं उसके गुणांक घटक के अनुसार निर्धारित की जायेगी। इसके लिए यदि संबंधित छात्र की अंक सूची में यदि कोई गणना संबंधी विवरण उपलब्ध नहीं है तो उसे संबंधित संस्था से इस विश्वविद्यालय की ग्रेड प्वांइट/प्रतिशत के अनुसार गणना संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23. संरक्षित उपबंध–

इस अध्यादेश में वर्णित उपर्युक्त उपबंधों के संरक्षित रहते हुए भी यदि कोई ऐसे अवसर/प्रश्न उपस्थित होता है जिसका स्पष्ट विवरण पूर्व में दिये गये अनुच्छेदों में नहीं दिया गया है, के लिये अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत निर्मित परीक्षा संबंधी अथवा अकादमिक परिनियम और अध्यादेश जो संबंधित हो, के प्रावधान मान्य किये जा सकते हैं अथवा यदि इसके बाद भी कोई स्पष्ट विवरण नहीं होता है तो कुलपति का निर्णय प्रत्येक पाठ्यक्रम के विद्यार्थी के लिये अंतिम होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 39
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना*
(अधिनियम की धारा 36 घ के अन्तर्गत निर्मित)

क्र.	शुल्क	स्नानक	स्नातकोत्तर	एम.बी.ए.	बी.बी.ए.
1.	प्रवेश शुल्क (प्रतिवर्ष)	1000	1500	1500	1000
2.	शिक्षण शुल्क (प्रतिसेमेस्टर)	1200	2000	16000	8000
3.	परीक्षा शुल्क (प्रतिसेमेस्टर)	1200	2400	2400	1200
4.	विकास शुल्क (प्रतिवर्ष)	500	500	500	500
5.	प्रयोगशाला शुल्क (प्रति सेमेस्टर)’	500’	1500’	1000’	500’
6.	प्रयोगशाला धरोहर राशि (वापसी योग्य)	1000	2000	1000	500
7.	युवा उत्सव (प्रतिवर्ष)	100	100	100	100
8.	छात्र संघ गतिविधि शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50	50	50
9.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50	50	50
10.	परिचय पत्र शुल्क (प्रतिवर्ष 75)	75	75	75	75
11.	वाहन स्टेंड शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50	50	50
12.	क्रीडा गतिविधि शुल्क (प्रतिवर्ष)	100	100	100	100
13.	सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क	50	50	50	50
14.	आव्रजन (माइग्रेशन) शुल्क	200	200	200	200
15.	नामांकन शुल्क (प्रथम प्रवेश)	100	100	100	100
16.	वाचनालय शुल्क (वार्षिक)	100	100	100	100
17.	पुस्तकालय धरोहर राशि (वापसी योग्य)	500	500	500	500
18.	विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन शुल्क	50	50	50	50
19.	आन्तरिक परीक्षा शुल्क	200	200	200	200
20.	समूह बीमा योजना शुल्क	50	50	50	50
यथा स्थति अनुसार शुल्क					
1.	नामांकन विलंब शुल्क	150	150	150	150
2.	परिचय पत्र प्रतिलिपि शुल्क	100	100	100	100
3.	अंकसूची प्रतिलिपि शुल्क	100	100	100	100
4.	विषय परिवर्तन शुल्क	200	200	200	200

प्रति प्रायोगिक विषय

क्र.	स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	अवधि	शुल्क
1.	संगणक अनुप्रयोग	1 वर्ष	12,500/– प्रतिसेमेस्टर
2.	मौसम विज्ञान	1 वर्ष	12,500/– प्रतिसेमेस्टर

क्र.	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	अवधि	शुल्क
1.	संस्कार विधि एवं पूजा विधान	1 वर्ष	4,000/– प्रतिसेमेस्टर
2.	भारतीय इतिहास एवं वंशावली प्रबधंन	1 वर्ष	3,000/– प्रतिसेमेस्टर
3.	अनुवाद	1 वर्ष	5,000/– प्रतिसेमेस्टर
4.	पर्यटन प्रबधंन एंव तीर्थाटन	1 वर्ष	5,000/– प्रतिसेमेस्टर
5.	जैविक कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन	1 वर्ष	5,000/– प्रतिसेमेस्टर
6.	लोक पत्रकारिता	1 वर्ष	5,000/– प्रतिसेमेस्टर
7.	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	1 वर्ष	5,000/– प्रतिसेमेस्टर

क्र.	प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम	अवधि	शुल्क
1.	समकालीन समाज एवं चुनौतियाँ	6 माह	3,000/– एकमुश्त
2.	भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता	6 माह	3,000/– एकमुश्त
3.	सूचना प्रौद्योगिकी	6 माह	5,000/– एकमुश्त
4.	वेब डिजाइनिंग	6 माह	5,000/– एकमुश्त
5.	2–डी ऐनीमेशन	6 माह	5,000/– एकमुश्त
6.	ग्राफिक ऐनीमेशन	6 माह	5,000/– एकमुश्त
7.	सुमंगलम विकास	6 माह	3,000/– एकमुश्त
8.	विकास एवं पर्यावरण	6 माह	3,000/– एकमुश्त
9.	योग शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	3 माह	1,500/– एकमुश्त
10.	योग प्रशिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र	6 माह	4,000/– एकमुश्त
11.	जैविक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रमाण–पत्र	6 माह	6,000/– एकमुश्त
12.	जैवविविधता एवं पर्यावरण प्रमाण–पत्र	6 माह	5,000/– एकमुश्त
13.	वैदिक गणित प्रमाण–पत्र	6 माह	3,000/– एकमुश्त
14.	अनुवाद प्रमाण–पत्र	6 माह	5,000/– एकमुश्त
15.	कार्य संस्कृति संवर्धन प्रमाण–पत्र	6 माह	3,000/– एकमुश्त

क्र.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	अवधि	शुल्क
1.	कार्यालय संगणक अनुप्रयोग	15 दिवस	1,500/– एकमुश्त
2.	हिंदी शीघ्र लेखन	6 माह	4,000/– एकमुश्त
3.	लोकगीत गायन कला	3 माह	1,500/– एकमुश्त
4.	लोकपाक कला	3 माह	1,500/– एकमुश्त
5.	अटल समर्थ शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण	3 माह	5,000/– एकमुश्त
6.	मांडना अल्पना रांगोली प्रशिक्षण	3 माह	2,500/– एकमुश्त
7.	लोकनृत्य प्रशिक्षण	3 माह	2,500/– एकमुश्त
8.	लोकनाट्य कला प्रशिक्षण	3 माह	2,500/– एकमुश्त
9.	जूट शिल्प निर्माण कला प्रमाण–पत्र	6 माह	5,000/– एकमुश्त
10.	काष्ट शिल्प निर्माण डिप्लोमा	1 वर्ष	7,000/– एकमुश्त
11.	गोंदना निर्माण कला प्रशिक्षण	3 माह	2,500/– एकमुश्त
12.	योग चिकित्सा प्रशिक्षण	1 माह	5,00/– एकमुश्त
13.	जैविक कृषि प्रशिक्षण	15 दिन	4,000/– एकमुश्त

अधिनियम की धारा 36 घ के अंन्तर्गत निर्मित
विद्यानिधि (एम.फिल.)/विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि के लिए निर्धारित शुल्क

क्र.	शुल्क विवरण	विद्यानिधि (एम.फिल.)	विद्यावारिधि (पी–एच.डी.)
1.	प्रवेश परीक्षा के लिए शुल्क	2750	2750
2.	नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में एक बार)	100	100
3.	पंजीयन (एक बार) अ. आवेदन–पत्र (पंजीयन) ब. पंजीयन शुल्क	500 5000	500 5000
4.	पाठ्यक्रम कार्य (प्रति सेमेस्टर)		
	अ. बिना प्रयोगशाला के लिए	5000	5000
	ब. प्रयोगशाला की आवश्यकता सहित	10000	10000
5.	पाठ्यक्रम कार्य परीक्षा शुल्क (एक बार) प्रथम सेमेस्टर में	2000	2000
6.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	1200	1200
7.	पुस्तकालय धरोहर राशि (वापसी योग्य)	500	500
8.	सुरक्षा निधि शुल्क (वापसी योग्य)	3000	3000
9.	युवा उत्सव शुल्क (प्रतिवर्ष)	100	....
10.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50
11.	परिचय–पत्र शुल्क (प्रतिवर्ष)	75	75
12.	वाहन स्टेन्ड शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50
13.	क्रीड़ा गतिविधि शुल्क (प्रतिवर्ष)	100	....
14.	सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	....
15.	विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50
16.	सामूहिक बीमा योजना शुल्क (प्रतिवर्ष)	50	50
17.	विकास शुल्क (प्रतिवर्ष)	500	500
18.	शोधकार्य के लिए शिक्षण शुल्क (प्रति सेमेस्टर) शोध केन्द्र		
	अ. बिना प्रयोगशाला के लिए	5000	5000
	ब. प्रयोगशाला की आवश्यकता वालों के लिए	10000	10000
19.	शोधग्रंथ मूल्यांकन शुल्क	2500	10000
	अन्य शुल्क		
20.	उपाधि समयावधि विस्तार शुल्क	....	3000
21.	पुनः पंजीयन शुल्क	....	5000
22.	शोधग्रंथ पुनः मूल्यांकन शुल्क	....	10000
23.	द्वितीय मौखिक परीक्षा शुल्क (प्रथम मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर)	....	5000
24.	शोध ग्रंथ के परीक्षक के प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने का शुल्क (यदि शोधार्थी द्वारा मांगी जाये)	....	2000
25.	आव्रजन (माइग्रेशन शुल्क)	200	200
26.	अंकसूची प्रतिलिपि शुल्क	100	100
27.	नामांकन विलंब शुल्क (विश्वविद्यालय में एक बार)	150	150
28.	पंजीयन विलंब शुल्क	150	150
29.	परिचय–पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि शुल्क	100	100

नोटः–1. विश्वविद्यालय के उपरोक्त निर्धारित शुल्कों के अतिरिक्त शोध केन्द्रों द्वारा निर्धारित शुल्क शोधार्थी को संबंधित शोध केन्द्र पर देना होगा।

2. प्रवेश परीक्षा शुल्क वापिस नहीं होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

(48)

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

म०प्र० भोज (मुक्त) वि.वि. परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल– ४६२०१६ (म०प्र०)
दूरभाष : ०७५५–२४६१०३६

क्रमांक/ अबिवाहिविवि/स्था/2014 /2180 भोपाल,दिनांकः 11/11/14

अधिसूचना

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की विद्यापरिषद की बैठक दिनांक 28.10.2014 की अनुशंसा पर कार्यपरिषद के अनुमोदन दिनांक 28.10.2014 के पालन में स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा की उपाधि एवं एटीकेटी परीक्षा की निम्नलिखित शुल्क निर्धारित की जाती है :-

	विषय		राशि
1.	प्राविधिक (प्रोविज्नल) उपाधि शुल्क	-	रू. 250/-
2.	उपाधि शुल्क	-	रू. 400/-
3.	उपाधि की द्वितीय प्रति शुल्क	-	रू. 500/-
4.	आव्रजन (माईग्रेशन) की द्वितीय प्रति शुल्क	-	रू. 400/-
5.	पात्रता (एजीबिलिटी) प्रमाणपत्र शुल्क	-	रू. 300/-
6.	स्नातक स्तर की एटीकेटी परीक्षा शुल्क	-	(अ) रू. 200/- (प्रति विषय) (ब) अनुर्तीण (पूर्ण परीक्षा शुल्क)
7.	स्नातकोत्तर स्तर की एटीकेटी परीक्षा शुल्क	-	(अ) रू. 250/- (प्रति विषय) (ब) अनुर्तीण (पूर्ण परीक्षा शुल्क)
8.	अंशकालिन पाठ्यक्रम (3 माह, 6 माह व 1 वर्ष में पूर्व छात्र एवं अनुतीर्ण छात्र के रूप में शामिल परीक्षार्थी)	-	रू. 200/- (प्रति विषय की दर से)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेशानुसार
11.14
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि.वि. भोपाल

क्रमांक/ अबिवाहिविवि/स्था/2014 /2181 भोपाल,दिनांकः 11/11/14

प्रतिलिपिः

1. कुलपतिजी के निजी सहायक के माध्यम से कुलपतिजी को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव जी के सहायक के माध्यम से कुलसचिव जी को सूचनार्थ।
3. सभी विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक विभाग अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. वित्ताधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
5. छात्रकल्याण अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
7. प्रभारी परीक्षा/गोपनीय, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल को सूचनार्थ।
8. पूछ-ताक्ष कक्ष की ओर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाने हेतु।
9. निजी नस्ती।

11/11/14
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी वि.वि. भोपाल

---

*अधिसूचना क्रमाँक/एफ– /2017/अकादमी/अबिवाहिविवि/72 दिनांक 08/02/2017 के अनुसार तथा कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 17/11/2016 के प्रस्ताव क्र.07 पर लिए गये निर्णयानुसार अध्यादेश क्र.39 में किया गया आंशिक संशोधन शुल्क संचरना निर्धारण करने हेतु गठित समिति की अनुशंसा को मान्य करते हुए शुल्क संरचना का समय–समय पर आवश्यकतानुसार निर्धारण कुलपति जी के अनुमोदन उपरान्त लागू किया जा सकता है ।

अध्यादेश क्रमांक – 40
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी–उर्दू

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी उर्दू – प्रमाणपत्र** के रूप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** विदेशी माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है। ऐसे छात्रों की मातृभाषा हिंदी नहीं होगी अथवा उन्हें हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होगा।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा। प्रवेशार्थियों को शुल्क घोषित तिथि तक जमा करना होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र आधार के एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–उर्दू भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है, जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

*अध्यादेश क्रमांक – 41(विलोपित)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (द्वि–वर्षीय अंशकालिक)
हिंदी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी भाषा स्नातक स्तरीय पत्रोपाधि (द्वि–वर्षीय अंशकालिक)** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि** : यह पाठ्यक्रम दो अकादमिक सत्र का होगा। जो चार सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन हिंदी विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** विदेशी या भारत के किसी विधि मान्य शिक्षा मण्डल से न्यूनतम 10+2 परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी, एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा रूपरेखा :** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे एवं मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में पृथक–पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मलित होने के लिए एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परिक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में पूर्व परीक्षार्थी के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुर्नमूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।
10. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

---

*विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 22/06/2015 के पद कमांक 12 एवं कार्यपरिषद की बैठक एवं निर्णय दिनाँक 24/06/2015 के अनुसार अध्यादेश क्रमाँक 41 एवं अध्यादेश क्रमाँक 42 उपयोगी न होने के कारण विलोपित किया जाता है ।

*अध्यादेश क्रमांक – 42(विलोपित)
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (द्वि–वर्षीय पूर्णकालिक)
हिंदी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी भाषा स्नातकोत्तर पत्रोपाधि (द्वि–वर्षीय पूर्णकालिक)** नाम से जाना जायेगा।

2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम दो अकादमिक सत्र का होगा। जो चार सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन हिंदी विभाग के द्वारा किया जायेगा।

3. **प्रवेश : –**
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय– समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।

4. **अर्हतादायी योग्यता :** विदेशी या भारत के किसी विधि मान्य शिक्षा मण्डल से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।

5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।

6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यनूतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

9. **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा :–** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे एवं मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा।

पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मलित होने के लिए एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परिक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में पूर्व परीक्षार्थी के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुर्नमूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10.**विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

***विद्या परिषद की बैठक दिनॉंक 22/06/2015 के पद कमांक 12 एवं कार्यपरिषद की बैठक एवं निर्णय दिनॉंक 24/06/2015 के अनुसार अध्यादेश क्रमॉंक 41 एवं अध्यादेश क्रमॉंक 42 उपयोगी न होने के कारण विलोपित किया जाता है ।**

अध्यादेश क्रमांक – 43
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी–फ्रेंच भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी–फ्रेंच भाषा** के रुप में जाना जायेगा।

2. **अवधि :** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।

3. **प्रवेश : –**
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।

4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।

5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।

6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र आधार के एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–फ्रेंच भाषा होगी।

9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।

10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र

के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षा द्वारा होगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 44
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी–जर्मन भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी–जर्मन भाषा** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–जर्मन भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक - 45
प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी- जापानी भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण-पत्र **हिंदी- जापानी भाषा** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** : -
   (क) इस प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी अपने नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता** : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान** : इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क** : विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति** : परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना-पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी-फ्रेंच भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :-** प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा** : छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा।
11. **विवाद** : इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक - 46
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी– चीनी भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी– चीनी भाषा** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** : –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी– चीनी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक - 47
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी - स्पेनिश भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी–स्पेनिश भाषा** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि :** प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :-**
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/ राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–स्पेनिश भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :-** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक से होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 48
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
हिंदी– अँग्रेजी भाषा

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **हिंदी– अँग्रेजी भाषा** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** :–
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययनकर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/ राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम **हिंदी– अँग्रेजी** भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ प्रश्नपत्र के लिए अनुवाद परियोजना अनिवार्य है। जो कि 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 49
*स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी–फ्रेंच भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी– फ्रेंच भाषा** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर– जुलाई/अगस्त से नवम्बर/दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश : –**
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–फ्रेंच भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा।

***हिंदी–फ्रेंच भाषा, हिंदी–जर्मन भाषा एवं अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम पत्रोपाधि को स्नातकोत्तर पत्रोपाधि** के नाम से किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22/06/2015 की पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 12 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्य परिषद की बैठक दिनांक 24/06/2015 में प्रस्ताव अनुमोदित ।

पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं सतत् मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11.**विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 50
*स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी–जर्मन भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी– जर्मन भाषा** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश : –**

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी– जर्मन भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे।

***हिंदी–फ्रेंच भाषा, हिंदी–जर्मन भाषा एवं अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम पत्रोपाधि को स्नातकोत्तर पत्रोपाधि** के नाम से किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22/06/2015 की पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 12 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्य परिषद की बैठक दिनांक 24/06/2015 में प्रस्ताव अनुमोदित ।

10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं आन्तरिक मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 51
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी– जापानी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी– जपानी भाषा** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय– समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी– जपानी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरूप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी का सैद्धांतिक एवं

सतत् मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 52
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी– चीनी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी– चीनी भाषा** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर–जुलाई/अगस्त से नवम्बर/दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय– समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम **हिंदी– चीनी भाषा** होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, 100 अंक के होंगे।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं सतत् मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 53
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी स्पेनिश

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **"अनुवाद"** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर–दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–फ्रेंच भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं सतत् मूल्यांकन में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 54
*स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी–अँग्रेजी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी– अँग्रेजी भाषा** नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर, द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रेल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी उपाधि प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय– समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी– अँग्रेजी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे।

***हिंदी–फ्रेंच भाषा, हिंदी–जर्मन भाषा एवं अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम पत्रोपाधि को स्नातकोत्तर पत्रोपाधि** के नाम से किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22/06/2015 की पूरक कार्यसूची के पद क्रमांक 12 पर लिये गये निर्णयानुसार कार्य परिषद की बैठक दिनांक 24/06/2015 में प्रस्ताव अनुमोदित ।

10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं सतत् मूल्यांकन में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 55
स्नातक प्रतिष्ठा
अनुवाद

1. **शीर्षक** – इस पाठ्यक्रम को ''स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद'' (बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), B.A.(Hons)) ट्रांसलेशन उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि** – यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर 6 माह का होगा।
3. **प्रवेश पात्रता** –
   I. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद के प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   II. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएँ, पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   V. अभ्यार्थी कंडिका 8 में दिए गए किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। एक से अधिक विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यार्थी को अलग अलग आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक समूह की अलग अलग प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यार्थी का प्रवेश होगा।
   VI. किसी अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क समय पर जमा करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश मान्य होगा।
   VII. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
   VIII. अभ्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और प्रवेश समिति अभ्यार्थी को बिना कारण बताते हुए प्रवेश से मना कर सकती है।
4. **प्रवेश आयु** – प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
5. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 60 है।
6. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति –**

I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक (जहाँ लागू होगा) कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, की जाएगी।

II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :–

i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

ii. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

8. **पाठ्यक्रम** :–

I. इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी को (1) आाधार पाठ्यक्रम (2) अनुवाद (3) हिंदी–अंग्रेजी व्याकरण का अध्ययन और (4) मशीनीकरण अनुवाद विषयों का अध्ययन करना होगा।

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

आधार पाठ्यक्रम :– भाषा (हिंदी/अँग्रेजी/संस्कृत में से कोई एक भाषा), कंप्यूटर (संगणक), उद्यमिता विकास, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण, योग एवं सामाजिक कार्य, भारतीय समाज और जीवन मूल्य।

नोट :– विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में आधार पाठ्यक्रम के एक प्रश्नपत्र (उपरोक्त क्रमानुसार) को लेना अनिवार्य है।

परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें :– सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:–

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिया है।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

V. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है।

9. **परीक्षा योजना :–**

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर अवधि में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से होगा।

II. प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

III. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगी।

IV. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है। उनका मूल्यांकन संबंधित विभागाध्यक्ष के द्वारा कराया जाएगा।

V. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।

VI. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में कैरिड होंगे।

VII. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

VIII. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद पाठ्यक्रम की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) नवंबर/दिसंबर और द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) मई/जून माह में सामान्यतः आयोजित की जावेगीं।

IX. विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा को सैद्धांतिक या प्रायोगिक या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य/लघुशोध प्रबंध में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार विषयों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन या कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य और लघुशोध प्रबंध में ही मिल सकती है।

X. छात्र/छात्रा को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) उत्तीर्ण करनें होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश के अपात्र होंगे।

XI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और उसी परीक्षा में छात्र/छात्राएँ परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

XII. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. **सेमेस्टर में प्रमोशन :-**

I. प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्रा निम्नलिखित स्थितियों में अनुत्तीर्ण माने जावेंगे :-

i. छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरा है। ऐसे छात्र/छात्रा स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं तो भविष्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

ii. छात्रा/छात्राएँ जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में अगले सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

iii. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो वह इस सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

11. **पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीति :–**

I. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विषयों को वरीयता क्रम में देना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक की परीक्षा बिना ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) के उत्तीर्ण की है, उन्हें **''उत्तीर्ण श्रेणी''** और दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी सेमेस्टर को ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) द्वारा उत्तीर्ण किया है, उन्हें **''प्रमोटेड श्रेणी''** में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत अथवा सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (SGPA) और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विषय में सेमेस्टर प्रथम से चतुर्थ के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के विषय में रिक्त स्थान पर प्रवेश दिया जावेगा।

परिणाम :–

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का, जिन्होंने षष्ठम् सेमेस्टर के अन्त तक सभी में उत्तीर्ण हैं, उनका परिणाम उत्तीर्ण घोषित होगा और उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **''क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन''** अध्यादेश–38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. सेमेस्टर परीक्षा के घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

IV. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

V. पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर, जिन छात्र/छात्राओं का अनुत्तीर्ण या ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) है, उन्हें नियमित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर होगा; पूरक अथवा विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

VI. स्नातक (प्रतिष्ठा) अनुवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

12. इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 56
स्नातकोत्तर अनुवाद

1. ***शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर अनुवाद अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)** नाम से जाना जाएगा।

   **इस पाठ्यक्रम को कला निष्णात – एम.ए.(अनुवाद) अथवा मास्टर ऑफ आर्टस (अनुवाद) नाम से जाना जाएगा ।*

2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर अनुवाद दो अकादमिक वर्षों का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।

3. ***अर्हता एवं प्रवेश :–**

   I. **एम.ए.(अनुवाद) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक उपाधि होगी तथा हिंदी अथवा किसी भारतीय भाषा एवं अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान हो।*

   II. **किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से अनुवाद विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अनुवाद प्रवेश के पात्र होंगे।* **(विलोपित)**

   III. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

   अथवा

   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद्/कार्यपरिषद समिति का होगा।

   IV. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथवा म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

   V. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

4. प्रत्येक विषय में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।

5. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।

---

*कंडिका क्रमाँक 1 शीर्षक एवं 2 अर्हता एवं प्रवेश की उपकंडिका (I) में संशोधन तथा उपकंडिका (II) को विलोपित किया गया । प्रकरण विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुशंसित तथा कार्य परिषद की बैठक दिनाँक .... में अनुमोदित ।

विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

6. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

7. ***परीक्षा रूपरेखा :–**

I. **एम.ए. अनुवाद पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्नपत्र, द्वितीय सेमेस्टर में 4 प्रश्नपत्र, तृतीय सेमेस्टर में 4 प्रश्नपत्र होंगे। चतुर्थ सेमेस्टर में 3 प्रश्न पत्र के साथ एक परियोजना कार्य (लघुशोध प्रबंध तथा किसी निर्धारित कार्यालय में पूर्ण किए गए प्रदत्त कार्य की पुष्टि एवं मौखिकी) होगी।*

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

8. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–**

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 5 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए. टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र.–7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

---

*कंडिका क्रमाँक 7 परीक्षा रूपरेखा की उपकंडिका (I) में संशोधन किया गया । प्रकरण विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुशंसित तथा कार्य परिषद की बैठक दिनाँक .... में अनुमोदित ।

IX. मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

9. ललित कलाएँ एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में नियमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर उपरांत प्रायोगिक परीक्षा होगी।

10. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

11. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

12. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

13. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।

14. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश-38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।

15. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु.कृ.-1 (कुलपति कृपांक-1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

16. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।

17. स्नातकोत्तर अनुवाद विज्ञान का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

18. **अध्यादेश की व्याख्या :-** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 57
प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम
प्रयोजन मूलक हिंदी

1. **शीर्षक :** यह प्रमाण–पत्र **प्रयोजन मूलक हिंदी** के रुप में जाना जायेगा।
2. **अवधि** : प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम छः माह का अर्थात् एक सेमेस्टर का होगा। यह पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण लाभार्थियों को सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित कालखंडों में भी सम्पादित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** : –
   (क) इस प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) अंशकालिक, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नियमित पाठ्यक्रम के साथ अध्ययन कर सकता है।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75% अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15% की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र होंगे।
10. **परीक्षा :** छः माही प्रमाणत्र पाठ्यक्रम कुल 400 अंकों का है। इस पाठ्यक्रम में चार प्रश्नपत्र है। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्रों में 70 अंक सत्रांत परीक्षा के लिए होंगे और 30 अंकों का सतत आंतरिक मूल्यांकन सम्बन्धित शिक्षक द्वारा कराया जायेगा। चतुर्थ परियोजना कार्य अनिवार्य है, जो कि 100 अंकों का होगा।
11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 58
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
प्रयोजनमूलक हिंदी

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **"प्रयोजनमूलक हिंदी"** पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन हिंदी विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम 10+2 परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय– समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना अनुवाद हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंक के होंगे।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर अनुरुप होगा। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 59
स्नातक (प्रतिष्ठा)
प्रयोजनमूलक हिंदी

1. **शीर्षक** – इस पाठ्यक्रम को ‘‘स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी’’ (बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), B.A.(Hons)) फंक्शनल हिंदी उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि** – यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा।
3. **प्रवेश पात्रता** –
   I. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी में प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   II. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएँ, पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   V. किसी अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
   VI. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
   VII. अभ्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और विश्वविद्यालय अभ्यार्थी को बिना कारण बताते हुए प्रवेश से मना कर सकती है।
4. **प्रवेश आयु** – प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार होगा। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
5. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 60 है।
6. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति** –
   I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक (जहाँ लागू होगा) कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, की जाएगी।

II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :-

iv. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

v. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

vi. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

8. **पाठ्यक्रम** :-

I. प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल द्वारा बनाने के उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगां

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

आधार पाठ्यक्रम :- भाषा (हिंदी/अँग्रेजी/संस्कृत में से कोई एक भाषा), कंप्यूटर (संगणक), उद्यमिता विकास, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण, योग एवं सामाजिक कार्य, भारतीय समाज और जीवन मूल्य।

नोट :- विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में आधार पाठ्यक्रम के एक प्रश्नपत्र (उपरोक्त क्रमानुसार) को लेना अनिवार्य है। आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विद्यार्थी को (1) प्रयोजनमूलक हिंदी (2) संचार माध्यम (3) राजभाषा इन तीनों विषयों का अध्ययन करना होगा।

परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें :-

सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:-

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिया है।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

V. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है।

9. **परीक्षा योजना** :-

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर अवधि में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक द्वारा होगा।

II. प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

III. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष/समन्वयक द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगी।

IV. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है। उनका मूल्यांकन विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जाएगा।

V. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय

में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक कुलपति के अनुमति उपरांत छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।

VI. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में कैरिड होंगे।

VII. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

VIII. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) नवंबर/दिसंबर और द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) मई/जून माह में सामान्यतः आयोजित की जावेगी।

IX. विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा को सैद्धांतिक या प्रायोगिक या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य/लघुशोध प्रबंध में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार विषयों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन या कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य और लघुशोध प्रबंध में ही मिल सकती है।

X. छात्र/छात्रा को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) उत्तीर्ण करनें होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश के अपात्र होंगे।

XI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और उसी परीक्षा में छात्र/छात्राएँ परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के. टी. (Allow To Keep in Term) की अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

XII. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. **सेमेस्टर में प्रमोशन** :-

I. प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्रा निम्नलिखित स्थितियों में अनुत्तीर्ण माने जावेंगे:-

i. छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरा है। ऐसे छात्र/छात्रा स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं तो भविष्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

ii. छात्र/छात्राएँ जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में अगले सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

II. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो वह इस सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

11. **पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीति** :-

I. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विषयों को वरीयता क्रम में देना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक की परीक्षा बिना ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) के उत्तीर्ण की है, उन्हें **"उत्तीर्ण श्रेणी"** और दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी सेमेस्टर को ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) द्वारा उत्तीर्ण किया है, उन्हें **"प्रमोटेड श्रेणी"** में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत अथवा सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (SGPA) और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विषय में सेमेस्टर प्रथम से चतुर्थ के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के विषय में रिक्त स्थान पर प्रवेश दिया जायेगा।

परिणाम :-

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का, जिन्होंने षष्ठम् सेमेस्टर के अन्त तक सभी में उत्तीर्ण हैं, उनका परिणाम उत्तीर्ण घोषित होगा और उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **"क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन"** अध्यादेश-38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ.-1 (कुलपति कृपांक-1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. सेमेस्टर परीक्षा के घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

IV. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

V. पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर, जिन छात्र/छात्राओं का अनुत्तीर्ण या ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) है, उन्हें नियमित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर होगा; पूरक अथवा विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

VI. स्नातक (प्रतिष्ठा) प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

12. इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 60
स्नातकोत्तर
प्रयोजनमूलक हिंदी

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर कला प्रयोजनमूलक हिंदी अथवा मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) फंक्शनल हिंदी** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर प्रयोजन मूलक हिंदी पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षों का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश :–**
   I. स्नातकोत्तर प्रयोजन मूलक हिंदी पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक अनुवाद विषय अथवा स्नातक कला होगी।
   II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से अनुवाद विषय स्नातक उपाधि प्राप्त अथवा स्नातक कला उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रवेश के पात्र होंगे।
   III. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

   अथवा

   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवं कार्यपरिषद का होगा।
   IV. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु प्रवेश वर्ष के 1 जुलाई को 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।
   V. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।
4. प्रयोजन मूलक हिंदी पाठ्यक्रम के विषय पाठ्यक्रमानुसार रहेंगे।
5. प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।
6. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/ प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है।
   विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।
7. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।
8. **परीक्षा की रूपरेखा :–**

I. इस पाठ्यक्रम में प्रथम से तृतीय सेमेस्टर तक चार सैद्धांतिक प्रश्न पत्र होंगे। चतुर्थ सेमेस्टर में तीन सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के साथ चतुर्थ प्रश्न पत्र परियोजना कार्य का होगा। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र 100 अंको का होगा जिसमें 70 प्रतिशत अंक वाह्य मूल्यांकन और 30 प्रतिशत अंक सतत् मूल्यांकन का होगा। परियोजना कार्य 100 अंको का होगा जिसका वाह्य मूल्यांकन होगा।

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :-

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए. टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने के पात्रता नहीं रहेगी और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और द्वितीय सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रं.-7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा कराएगा।

IX. मूल्यांकन प्रक्रिया का सतत् आंतरिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

10. पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा रूपरेखा अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

11. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित

सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

12. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

13. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर के चारों सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्नपत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाणपत्र दिया जाएगा। मूल अंक सूची में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय अंकित नहीं होगा।

14. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश–38 ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।

15. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु. कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

16. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।

17. स्नातकोत्तर प्रयोजनमूलक हिंदी का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

18. **अध्यादेश की व्याख्या :–** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 61
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
हिंदी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी भाषा पत्रोपाधि पाठ्यक्रम** के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। जो कि दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन हिंदी विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय-समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** विदेशी या भारत के किसी विधि मान्य शिक्षा मण्डल से न्यूनतम 10+2 या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **स्थान–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय- समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम एवं परीक्षा रूपरेखा :** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे एवं मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। पाठ्यक्रम के आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। विद्यार्थी को न्यूनतम सैद्धांतिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मलित होने के लिए एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परिक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में पूर्व परीक्षार्थी के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुर्नमूल्यांकन और

एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 62
परीक्षकों की नियुक्ति
(अधिनियम 2011, धारा 36, उपधारा (श) के अंतर्गत)

1. शीर्षक – यह अध्यादेश अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल 2011 अधिनियम के अंतर्गत ''परीक्षकों की नियुक्ति'' से जाना जायेगा।

2. प्रयोजन – इस विश्वविद्यालय द्वारा सभी संचालित पाठ्यक्रमों के अध्ययन विषयों के परीक्षाओं पर लागू होगा।

3. परिभाषायें

(क) 'परीक्षा' से अभिप्रेत वह सभी परीक्षायें जो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों (नियमित/अंशकालीन) के लिये विद्यार्थियों के मूल्यांकन (लिखित/ प्रायोगिक/मौखिक) के लिये आयोजित की जाती है।

(ख)' आंतरिक परीक्षक'' से अभिप्रेत है कि

(I) इस विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग/अध्ययन केन्द के शिक्षक जो विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों के रचना के लिये प्राश्निक परीक्षक नियुक्त हैं।

(II) प्रायोगिक/मौखिक/सेशनल आदि परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र या अध्ययन केन्द्र या विश्वविद्यालय शिक्षण केन्द्र पर आयोजित परीक्षा में नियुक्त शिक्षक।

(ग) 'बाह्य परीक्षक' से अभिप्रेत है कि आन्तरिक परीक्षक के अतिरिक्त शिक्षक जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम परीक्षा के लिये नियुक्त हैं।

(घ) 'सह परीक्षक' से अभिप्रेत है कि लिखित परीक्षा में प्राश्निक परीक्षक को छोड़कर नियुक्त शिक्षक।

कुलपति प्रत्येक विषय के परीक्षा कार्य के संचालन के लिये परीक्षा समिति का गठन करेंगे जो इस प्रकार है –

(I) संकाय अध्यक्ष – संयोजक

(II) संबंधित विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल का अध्यक्ष– पदेन सदस्य

(III) कुलपति द्वारा पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल में – सदस्य से नामांकित शिक्षक (जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा)

2. कुलसचिव कार्यालय विभिन्न विषयों में परीक्षकों की नियुक्ति के लिये निर्धारित अर्हताधारी नियमित शिक्षकों की सूची तैयार करायेगा। यह सूची दो भागों में होगी। प्रथम सूची में इस विश्वविद्यालय /अध्ययन केन्द्र में विभिन्न विषयों में कार्यरत परीक्षक के लिए अर्हताधारी नियमित शिक्षक और दूसरी सूची में इस विश्वविद्यालय को छोड़कर विभिन्न विषयों में परीक्षक के लिए अर्हताधारी शिक्षक

होंगे। जिसे कुलसचिव कार्यालय विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर अथवा अध्यक्ष अध्ययन मंडल के दिशा निर्देश से तैयार की जायेगी।

3. जहॉ तक संभव हो परीक्षकों की सूची में निम्न सूचनायें अंकित होनी चाहिए –

(।) शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर का अध्यापन अनुभव, शोध अनुभव।

(।।) विशिष्टीकरण का विषय।

(।।।) विश्वविद्यालय में परीक्षक होने के पूर्व का अनुभव वर्षो में।

4. उक्त परीक्षकों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा विषय से संबंधित परीक्षा समिति को उपलब्ध कराई जायेगी। परीक्षा समिति को परीक्षकों की सूची में अर्हताधारी शिक्षकों के नाम एवं शैक्षणिक अनुभव जोड़ने अथवा विलोपित करने का अधिकार होगा।

5. कुलसचिव प्रत्येक परीक्षा (प्रायोगिक/मौखिक) में सम्मिलित परीक्षार्थियों की अनुमानित संख्या परीक्षा समिति को उपलब्ध करायेंगे।

6. परीक्षा समिति निम्न प्रावधानों के अंतर्गत परीक्षकों की अनुशंसा करेगी –

(क) प्रत्येक लिखित प्रश्न पत्रों की रचना के लिए तीन प्राश्निक परीक्षकों का पैनल उपलब्ध करायेगी।

(ख) सह परीक्षक का नाम जहॉ आवश्यक हो। सह परीक्षक की संख्या आवश्यक संख्या से न्यूनतम 50 प्रतिशत अधिक उपलब्ध करायेंगी।

(ग) विभिन्न परीक्षा केन्द्रो के लिये प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के लिए परीक्षकों की सूची तैयारी करेगी।

(घ) प्रत्येक विषय के माडर्नाइजेशन के लिये तीन माडरेटर का पेनल उपलब्ध करायेगी।

7. कुलपति प्राश्निक, प्रायोगिक/मौखिक/प्रोजेक्ट कार्य के लिये परीक्षा समिति द्वारा परीक्षकों की अनुशंसित सूची में से सामान्यतः परीक्षक को नियुक्त करेंगे। कुलपति परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित सूची के बाहर अर्हताधारी शिक्षक को परीक्षक नियुक्ति कर सकते हैं, अगर कुलपति इस प्रकार की अनुशंसा से संतुष्ट नहीं है।

8. प्राश्निक परीक्षक और सह–परीक्षक की योग्यता इस प्रकार है –

(अ) प्राश्निक परीक्षक योग्यता

(।) सभी संकायों के स्नातकोत्तर विषय की

1. विषय में 7 वर्ष का स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुभव
2. विषय में 5 वर्ष का स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुभव शोध सहित/कुल स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर 10वर्ष का अनुभव

(।।) एल.एल.एम परीक्षा विधि में स्नातकोत्तर या उच्च स्तर की उपाधि, एल.एल. एम. स्तर पर 7वर्ष का शैक्षणिक अनुभव, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या विधि (बार) का 15 वर्षो का अनुभव।

(iii) सभी संकायों के स्नातक स्तर परीक्षा/स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर (अभियांत्रिकी, विधि,चिकित्सा और आयुर्वेद का 7 वर्ष का शैक्षणिक को छोड़कर) अनुभव।

(iv) अभियांत्रिक संकाय के सभी स्नातक स्तर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर और परीक्षा व्यावसायिक अनुभव 7 वर्षो का।

(v) आयुर्वेद संकाय में स्नातक स्तर की परीक्षा विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर का न्यूनतक 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव

(vi) एल.एल.बी. परीक्षा एल.एल.बी. और एल.एल.एम. स्तर का न्यूनतक 5 वर्षो का शैक्षणिक अनुभव या जिला न्यायाधीश का सात वर्ष का अनुभव या बार में 12 वर्षो का अनुभव

(vii) सभी संकायों द्वारा संचालित पत्रोपाधि विषय में स्नातक स्तर का 3 पाठ्यक्रम परीक्षा(आयुष संकाय,व्यवसायिक वर्ष और पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्रशासन संकाय को छोड़कर) का 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव।

(viii) आयुष संकाय में संचालित पत्रोपाधि विषय में विद्यावारिधी या पाठ्यक्रम परीक्षा स्नातकोत्तर उपाधि या स्नाताकेत्तर पत्रोपाधि या समकक्ष अर्हता और किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या चिकित्सा महाविद्यालय जो राष्ट्रीय आयुष परिषद से मान्यता प्राप्त हो में संबंधित विषय का न्यूनतक 5 वर्षो का शैक्षणिक अनुभव

(ix) व्यवसायिक प्रबंधन में पत्रोपाधि परीक्षा विषय में स्नातक स्तर का 7 वर्षो का शैक्षणिक अनुभव या स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर पत्रोपाधि का 5 वर्षो का शैक्षणिक अनुभव

<u>सह–परीक्षक</u>

सह परीक्षक के लिये शैक्षणिक योग्यता प्राश्निक परीक्षक के समतुल्य परन्तु शैक्षणिक /व्यवसायिक अनुभव प्राश्निक परीक्षक से 2 वर्ष कम, सह परीक्षक के लिये मान्य होंगे। परन्तु स्नातक परीक्षा के लिये आंतरिक परीक्षक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र में उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे शिक्षक जिनका स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन का तीन वर्ष का अनुभव हो वे सह–परीक्षक का कार्य कर सकेंगे।

9. (I) स्नातकोत्तर कक्षाओं की प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक संबंधित विषय के आचार्य, उपाचार्य या महाविद्यालय के प्राध्यापक या सह प्राध्यापक स्तर का होना अनिवार्य है परन्तु ऐसे बाह्य परीक्षक इस विश्वविद्यालय/अध्ययन केन्द्र के बाहर के हों।

(II) स्नातक कक्षाओं की प्रायोगिक और मौखिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर का 3 वर्षो का शैक्षणिक अनुभव होना अनिवार्य हैं जो विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन केन्द्र के बाहर के हों।

(III) स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा के लिये आन्तरिक परीक्षक की नियुक्ति विषय के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर विषय के शिक्षकों में से कुलपति के अनुमोदन पर की जायेगी।

10. (I) स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा के लिए प्राश्निक परीक्षक 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय/अध्ययन केन्द्र के बाहर के होंगे। स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए 30 प्रतिशत प्राश्निक परीक्षक विश्वविद्यालय के बाहर के होंगे।

(II) सभी सह परीक्षक आंतरिक होंगे परन्तु संबंधित विषय में सह परीक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय से बाहर शिक्षक जिनकी निर्धारित अर्हता पूर्ण है, सह परीक्षक बनाये जा सकेंगे।

(III) विश्वविद्यालय के कार्यरत शिक्षक जो प्राश्निक परीक्षक एवं सह परीक्षक की योग्यता पूर्ण करते हैं सामान्यतः उनकी नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर की जायेगी।

11. सामान्यतः सैद्धांतिक परीक्षा में प्राश्निक परीक्षक या सह परीक्षक संबंधित विषय में किसी एक प्रश्न पत्र के लिए नियुक्त होंगे परन्तु अगर परीक्षा समिति आवश्यक मानती है तो किसी शिक्षक को अधिकतम दो प्रश्न पत्रों की रचना (एक स्नातक एवं दूसरा स्नातकोत्तर स्तर पर) के लिये प्राश्निक परीक्षक की अनुशंसा कर सकती है। ऐसे परीक्षक को संबंधित विषय में अधिकतम दो प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके लिए परीक्षा समिति स्पष्ट कारण सहित कुलपति को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

12. सामान्यतः स्नाताकोत्तर स्तर पर एक ही समसत्र में किसी भी विषय की लिखित परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन के एक ही शिक्षक से नहीं कराया जायेगा।

13. स्नातकोत्तर परीक्षा के प्राश्निक परीक्षक को उसी कक्षा का मौखिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा।

14. स्नातक स्तर की प्रायोगिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक की नियुक्ति 120 परीक्षार्थियों के लिये होगी।

15. किसी भी बाह्य परीक्षक को सामान्यतः दो कक्षाओं के लिए परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा परन्तु किसी परीक्षा केन्द्र पर स्नातक स्तर के परीक्षा के लिये सभी समसत्रों में परीक्षार्थी की संख्या 120 से कम हो तो शिक्षक को सभी समसत्रों के लिए बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

16. किसी भी लिखित परीक्षा के किसी प्रश्न पत्र में सामान्यतः परीक्षक को अधिकतम 250 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना होगा। सह परीक्षक की नियुक्ति उसी स्थिति में की जायेगी जब उस प्रश्न पत्र में प्राश्निक परिक्षक को मूल्यांकन के लिए आवंटित उत्तर पुस्तिका के उपरान्त शेष उत्तर पुस्तिकाओं की न्यूनतम संख्या 200 से अधिक होगी।

17. किसी भी शिक्षक को परीक्षक की नियुक्ति की अनुशंसा करने के पूर्व परीक्षा समिति को सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षक हिन्दी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर सकता है (अंग्रेजी या अन्य विषय की साहित्य को छोड़कर)।

18. किसी परीक्षक की नियुक्ति एक समसत्र के लिये होगी परन्तु उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

19.(1) किसी भी शिक्षक को प्राश्निक परीक्षक अथवा प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में बाह्य परीक्षक के रूप में लगातार 3 वर्ष या 6 समसत्रों के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

एक वर्ष अथवा दो समसत्रों के अंतराल के बाद उसे पुनः परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है बशर्ते–

(क) अगर संबंधित विषय में शिक्षक की संख्या समुचित न होने की दशा में आन्तरिक परीक्षक के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) किसी विषय से संबंधित विशेषज्ञ को 3 वर्ष अथवा 6 समसत्रों के बाद भी अधिकतम दो वर्ष अथवा 4 समसत्रों के लिये परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(ग) अगर किसी शिक्षक के परीक्षा कार्य से विश्वविद्यालय असंतुष्ट है तो उसे कभी भी परीक्षा कार्य से अलग किया जा सकता है।

(2) परीक्षा कार्य से असंतुष्ट का तात्पर्य है कि –

(क) परीक्षक के मूल्यांकन उपरांत जांच से स्पष्ट होता है कि परीक्षक के गलत मूल्यांकन से परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो रहा है ।

(ख) कार्यपरिषद के संज्ञान में आता है कि परीक्षक किसी विशिष्ट कारण के बिना मूल्यांकन में विलम्ब कर रहा है।

(ग) मुख्य परीक्षक द्वारा परीक्षक के संबंध में विपरीत प्रतिवेदन है।

(घ) अगर कार्यपरिषद का निष्कर्ष है कि –

(I) परीक्षक की निष्ठा पर सन्देह है या परीक्षक परीक्षार्थियों से संबंधित है।

(II) अगर परीक्षक द्वारा रचित प्रश्न पत्र स्तरहीन है।

20. (क) किसी प्रश्न पत्र में मात्र एक परीक्षक की आवश्यकता है तो प्राश्निक परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा।

(ख) किसी प्रश्न पत्र में एक से अधिक परीक्षक की आवश्यकता है तो प्राश्निक परीक्षक मुख्य परीक्षक होगा। जिसका दायित्व –

(I) प्रश्न पत्र की रचना व प्रश्नों के उत्तर के लिये दिशा निर्देश।

(II) सह परीक्षकों के लिये दिशानिर्देश जिससे सम्पूर्ण मूल्यांकन स्तरीय और उसमें समानता हो।

(III) मुख्य परीक्षक को आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन।

(iv) पांच आदर्श मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकों को सह परीक्षक को प्रेषित करना। इस प्रकार की भेजे जाने वाली आदर्श पुस्तिकायें सभी श्रेणी (जैसे अनुतीर्ण, तृतीय, द्वितीय और प्रथम श्रेणी) की हों।

(v) अगर किसी प्रश्न पत्र में उप मुख्य परीक्षक हो तो उसके कार्य निर्धारण का दायित्व।

(vi) सह परीक्षकों द्वारा प्रेषित मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच एवं तदनुसार सह परीक्षकों का निर्देश एवं सह परीक्षकों के मूल्यांकन का अनुमोदन।

(vii) कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को सह परीक्षक के मूल्यांकन से संबंधित प्रतिवेदन।

(viii) अगर किसी प्रश्न पत्र में 6 से अधिक सह परीक्षक होने पर विश्वविद्यालय उप मुख्य परीक्षक की नियुक्ति करेगा जो मुख्य परीक्षक के निर्देशों के अनुसार आवंटित सह परीक्षकों के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर सतत् ध्यान रखेगा।

(ix) मुख्य परीक्षक मूल्यांकन के लिए प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं में से पांच उत्तर मुल्यांकित आदर्श पुस्तिकाओं को प्रत्येक सह परीक्षक को तीन दिवस के अन्दर उपलब्ध करायेगा।

(x) सह परीक्षक मुख्य परीक्षक से प्राप्त मूल्यांकित आदर्श उत्तरपुस्तिकाओं और निर्देश प्राप्त होने के दो दिवस के अंदर 10 मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को लिए मुख्य परीक्षक को पुनः जांच कर भेजेगा। इस अवधि में सह परीक्षक मूल्यांकन कार्य जारी रहेगा और मुख्य परीक्षक द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुरूप पूर्व में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जांच कर तदनुसार मूल्यांकन कार्य करेगा।

(xi) सह परीक्षक मुख्य परीक्षक का दुबारा 5 मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को भेजेगा।

(xii) अगर सह परीक्षक को उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के दस दिवस के अंदर मूल्यांकन हेतु मुख्य परीक्षक से निर्देश प्राप्त नहीं होता है तो वह कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेगा। अगर किसी सह परीक्षक से निर्धारित अवधि में मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका मुख्य परीक्षक को प्राप्त नहीं होती है तो वह सह-परीक्षक को स्मरण दिलाते हुए कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को सूचित करेगा।

(xiii) मुख्य परीक्षक, उप मुख्य परीक्षक (अगर हो) एवं सह परीक्षक, को समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

(xiv) विद्या परिषद के निर्णय अनुसार मुख्य परीक्षक और सह परीक्षक के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के आदान प्रदान की आवश्यकता नहीं है तो

प्रत्येक सह परीक्षक, मुख्य परीक्षक द्वारो मूल्यांकन के लिए निर्मित निर्देशों अनुसार मूल्यांकन कार्य करेगा।

21. अगर किसी कारण से प्राश्निक परीक्षक मुख्य परीक्षक का दायित्व निवर्हन नहीं करना चाहता है या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन नहीं करना चाहता है तो उसे प्राश्निक परीक्षक के पारिश्रमिक राशि का आधा भुगतान होगा। शेष आधी राशि उसे विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त मुख्य परीक्षक या परीक्षक को देय होगी जो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगा। बशर्ते अगर प्राश्निक परीक्षक का स्वर्गवास मूल्यांकन के पूर्व होने पर पारिश्रमिक की पूरी राशि उनके उत्तराधिकारी को देय होगी।

22. प्रत्येक प्रायोगिक /मौखिक परीक्षा सम्पन्न करने के लिए एक आंतरिक व एक बाह्य परीक्षक का बोर्ड होगा। एल.एल.एम. के मौखिक परीक्षा के लिये दो बाह्य परीक्षक एवं एक आंतरिक परीक्षक का संयुक्त बोर्ड होगा। परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए संयुक्त दायित्व संबंधित बोर्ड का होगा।

23. विद्यावारिधि एवं विद्यानिधि उपाधियों के शोध प्रबंध अथवा लघु शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए संबंधित विषय की परीक्षा समिति क्रमशः दस परीक्षकों एवं पॉच परीक्षकों का पेनल तैयार करेगी। कुलपति इस पैनल से परीक्षको की नियुक्ति करेंगे।

24. विद्यावारिधि एवं विद्यानिधि संयुक्त प्रवेश परीक्षा संबधित विषय की परीक्षा समिति 6 परीक्षकों का पेनल निर्मित करेगी। जिसमें परीक्षक विश्वविद्यालय के आचार्य या सह आचार्य या महाविद्यालय स्तर के प्राध्यापक/सह प्राध्यापक पद से नीचे स्तर का नहीं होना चाहिए। प्राश्निक परीक्षक इस विश्वविद्यालय के बाहर का होगा और वह संबंधित विषय में इस विश्वविद्यालय का शोध निर्देशक के लिए पंजीकृत न हो।

25. कोई भी शिक्षक जिसका संबंधी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह शिक्षक उस परीक्षा का प्राश्निक परीक्षक, बाह्य परीक्षक (प्रायोगिक एवं मौखिक) तथा सह परीक्षक का कार्य नहीं कर सकता है।

चिकित्सा संकाय और कृषि संकाय के लिये पृथक अध्यादेश 62 का पूरक भाग आवश्यकतानुसार तैयार किया जायेगा।

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 20/01/2014 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक-63

(संदर्भ खंड - धारा 36 के खंड (अ) (क) (ग) (ज))

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र में छात्रों का प्रवेश, छात्रों का स्थानांतरण और अनुशासन बनाये रखना

1. **परिभाषाएं**

इस अध्यादेश में, जब तक कि विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं है

(क) ''समकक्ष परीक्षा'' से तात्पर्य है परीक्षा जो आयोजित की गई है।

i किसी भी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, या

ii इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा जिसे इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्मिलित किया गया है, और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 के अंतर्गत आयोजित अपनी इस परीक्षा के या अंतिम परीक्षा के समकक्ष, जैसा भी मामला हो, के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

2. सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश अभियांत्रिकी, चिकित्सा और आयुर्वेद के अतिरिक्त निम्न सिद्धांतों से संचालित होंगे :-

   I. प्रवेश एक अधिकार के रूप में मान्य नहीं होगा।

   II. पात्रता से प्रवेश का अन्तर्निहित अर्थ नहीं निकाला जाएगा।

   III. विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी संस्थानों में प्रवेश इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार संचालित होंगे।

3. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या अध्ययन केन्द्र (इसके पश्चात् इसे संस्थान बुलाया जाएगा) में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र संस्थान के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रवेश के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर या उससे पहले ऐसे संस्थान से, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्राप्त निर्धारित फार्म पर अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा।

4. प्रवेश के लिए आवेदन में अन्य दस्तावेजों के साथ (i) अंतिम विद्यालय या महाविद्यालय संस्थान, जहाँ छात्र उपस्थित हुआ, के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (ii) पूर्वोक्त के अनुसार प्रवेश के लिए आवेदक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्यप्रदेश या इस विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र के अतिरिक्त ऐसे बोर्ड या विश्वविद्यालय जैसा

भी मामला हो कुलसचिव/सचिव द्वारा जारी एक पात्रता प्रमाणपत्र एवं प्रवास प्रमाण पत्र निर्धारित आव्रजन शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यदि आवेदन करते समय प्रवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवेदक के लिए समय सीमा में संभव नहीं हो तो वह उस समय में इस आशय के साथ आवेदन कर सकता है कि प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही उसे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए उसे उतने समय के लिए अनुमति प्रदान की जाए जितना कि विश्वविद्यालय निर्दिष्ट कर सकें।

परन्तु जो छात्र विश्वविद्यालय के द्वितीय या अनुपूरक सेमेस्टर की परीक्षा देने की पात्रता रखता है उसे ऊपर निर्धारित तिथि तक अगले उच्च सेमेस्टर की कक्षा में अनंतिम प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी।

5. परन्तु यह और की कुलपति उन उम्मीदवारों के मामले में दाखिले का अधिकार रखता है। जो उम्मीदवार संवीक्षापरीक्षा में सफल हैं और परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रवेश के लिए आते हैं

6. ऐसे उम्मीदवार जो अन्य विश्वविद्यालयों से उनके माता-पिता/अभिभावक के स्थानांतरण के कारण ऊपर दी गई अंतिम तिथि के बाद इस बात की स्पष्ट समझ के साथ आते हैं कि प्रावधान के अंतर्गत ऐसे सभी छात्रों की उपस्थिति सत्र के प्रारंभ होने की तिथि से गिनी जाएगी।

7. 31 जुलाई या प्रवेश की अंतिम तिथि तक संस्थान में भर्ती सभी छात्रों की पूर्ण सूची संस्था के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 7 अगस्त तक इस प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित कर दी जाएगी कि सभी दाखिले विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार किए गए हैं और कोई अपवाद इस संबंध में नहीं है। अभियांत्रिकी, आयुर्वेद और चिकित्सा महाविद्यालय और अन्य संबद्ध संकाय जैसा भी मामला हो, प्रवेश के लिए ऐसी सूची आखिरी परामर्श के अंत तक अग्रेषित करेंगे।

8.

(1) संस्था के प्रमुख द्वारा छात्र को प्रवेश देने और उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करते ही उसे शीघ्रातिशीघ्र संस्था के एक सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा।

(2) सत्र के प्रांरभ होने के बाद संस्था में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्र के लिए वर्ष के जुलाई माह से ट्यूशन फीस का भुगतान करना आवश्यक होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय में किसी अन्य संस्था से स्थानांतरित होकर न आया हो और उस पूर्व संस्था में उसने पूर्ववर्ती महीने तक की फीस का भुगतान न कर दिया हो।

9. संस्था का प्रमुख एक छात्र को पाठ्यक्रम के लिए वैकल्पिक विषयों को बदलने या कुलपति के अनुमोदन के साथ 31 जूलाई तक या प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर संकाय बदलने की अनुमति दे सकता है तथापि, अन्तर संकायस्थानांतरण नियम अलग से निर्धारित होंगे।

10.इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी छात्र को प्रवास प्रमाण पत्र के बिना एक संस्था/विभाग से दूसरी संस्था/विभाग में प्रवजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसी एक संस्था से दूसरी संस्था में प्रवास के लिए किसी भी मामले में उस तारीख के पश्चात् अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि आगामी परीक्षा में प्रवेश हेतु दिया गया छात्र का आवेदन कुलसचिव को अग्रेषित कर दिया गया हो।

11. (1) पैरा 10 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एक छात्र जो, एक शैक्षणिक सत्र के दौरान उस संस्था को, जिसका कि वह एक सदस्य बन गया है, छोड़ने की इच्छा रखता है उसे संस्था के प्रमुख को संस्था छोड़ने के कारणों का वर्ण नकरते हुए लिखित में सूचना देना होगा और आगे उस संस्था, यदि कोई है का नाम निर्दिष्ट करना होगा, जिसमें वह सम्मिलित होना चाहता है। यदि अन्य संस्था का यह परिवर्तन उसी मुख्यालय में स्थित संस्था के लिए है तो संस्था का प्रमुख इस तरह के बदलाव का औचित्य साबित करने के लिए दिए गए कारण पर विचार करेगा। यदि इस तरह के परिवर्तन का औचित्य सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सुदृण कारण हैं तो वह उसी के अनुसार आदेश पारित कर सकते हैं।

(2) इस तरह का आदेश पारित किए जाने पर प्रश्नगत छात्र

I. प्रवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के महीने तक संस्था को देय सभी शुल्कों का भुगतान करेगा और

II. यदि संस्था के प्रमुख ऐसा करना आवश्यक समझें तो वो सभी छात्रवृत्ति, यदि कोई है, जिनका भुगतान उसे संस्था के कोष से किया गया है, को वापस करेगा।

(3) जब छात्र उक्त सभी भुगतान कर देगा, तब संस्था का प्रमुख एक प्रवास प्रमाणपत्र जारी करेगा।

12. एक छात्र जो एक संस्था/विभाग से विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरिक होकर आता है तो उसे ट्यूशन फीस की ऐसी किश्तों का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिनका भुगतान वह पहले ही उस संस्था में कर चुका है जिससे वह स्थानांतरित हुआ है।

13. विश्वविद्यालय में प्रत्येक छात्र से हर समय अच्छे व्यवहार, अध्ययन में परिश्रम, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उचित रूचि लेने

और उस संस्था, जिसका कि वह छात्र है, और विश्वविद्यालय के सभी अनुशासन नियमों के पालन की अपेक्षा होगी।

14. जब एक छात्र विश्वविद्यालय या संस्था के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन के उल्लंघन या लगातार आलस्य या कदाचार का दोषी है तो संस्था के प्रधान अपराध की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार?

(क) ऐसे छात्र को एक सप्ताह से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर सकते हैं

या

(ख) ऐसे छात्र को संस्था से निष्कासित कर सकते हैं,
(ग) ऐसे छात्र को उत्तरवर्ती सत्र के लिए अयोग्य घोषित कर सकते है,
(घ) ऐसे छात्र को निकाल सकते हैं।

15. पूर्वोक्त में किसी भी दण्ड को देने से पहले संस्था के प्रधान स्वयं संबंधित छात्र को व्यक्तिगत सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेंगे और दण्ड देने के कारणों को लिखित में दर्ज करेंगे। संस्था/विभाग के प्रमुख एक जांच समिति का गठन कर सकते हैं जिसमें मामले की जांच करने और छात्र के अपराध पर रिपोर्ट

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक–65
शैक्षणिक विभागों के विभागाध्यक्षों की नियुक्ति, अधिकार एवं कर्तव्य (विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कंडिका 21(1) के अंतर्गत)

विभागाध्यक्ष की नियुक्ति,

1. कुलपति विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सम्बन्धित विभागों में कार्यरत, आचार्य/प्राध्यापक/उपचार्य (रीडर) में से वरिष्ठतानुसार एवं चक्रीय क्रम में 3 वर्ष के लिए विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगें। परन्तु कुलपति को विशेष कारणों से विभागाध्यक्ष की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर नही करने का अधिकार होगा परन्तु इस स्थिति में कार्यपरिषद् से अनुमति प्राप्त करनी आवशयक होगी।
2. यदि किसी विभाग में आचार्य/प्राध्यापक/उपाचार्य (रीडर) कार्यरत नहीं है तो कुलपति किसी अन्य विभाग के आचार्य या प्राध्यापक अथवा सम्बन्धित विषय में कार्यरत सेवानिवृत शिक्षक (जो सेवा निवृत के पूर्व आचार्य/उपाचार्य/सह प्राध्यापक अथवा प्राध्यापक पद धारण किया हो) को नियुक्त कर सकते है। यह नियुक्ति न्यूनतम एक वर्ष की होगी परन्तु कुलपति को अवधि में वृद्धि करने का अधिकार होगा।
3. विभागाध्यक्ष की कार्य अवधि अधिकतम 3 वर्ष की होगी। कुलपति किसी भी विभागाध्यक्ष के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उसकी नियुक्ति अवधि (3 वर्ष) के पूर्व किसी समय समाप्त कर सकते है।
4. किसी भी आचार्य/प्राध्यापक/सह आचार्य का विभागाध्यक्ष नियुक्त होना आधिकार नहीं होगा परंतु कुलपति किसी को भी आचार्य/प्राध्यापक/सह आचार्य के कार्य और कार्य क्षमता के मूल्यांकन के आधार पर स्वंय के विवेक से उसे विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त कर सकते हैं।
5. विभागाध्यक्ष गैर अवकाशीय (नान वेकेशनल) अधिकारी होगा। वेकेशन के एवज में विभागाध्यक्ष को नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। विभागाध्यक्ष का कार्य आवश्यक कर्तव्यों की श्रेणी में होगा।

(ब) विभागाध्यक्ष का कर्तव्य

1. विभागाध्यक्ष और विभाग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के सभी अभिलेखों का अभिरक्षण (कस्टोडियन) होगा। कुलपति अथवा कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित अभिलेखों को सुरक्षित ढंग से रख–रखाव करेगें।
2. विभाग में शैक्षणिक, शोध और अन्य शैक्षणिक कार्य जो समय–समय पर कुलपति, विद्यापरिषद् और कार्यपरिषद् द्वारा निर्देशित किये गये हो, उनको नियोजित करेगें।
3. अन्य विभागों और शोध संस्थानों के साथ शोध कार्यो को प्रोन्नत करेगें, और अंतर विषयक अन्य सम्बद्ध शैक्षणिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करगें।

4. विभाग के शैक्षणिक, शोध एवं प्रशासनिक कार्यो का मूल्यांकन समय-समय पर करेगें एवं तद्नुसार सम्बन्धित को निर्देशित करेगें।
5. विभाग में उपलब्ध उपकरणों का रख-रखाव विभाग के अन्य शिक्षकों के सहयोग से करेगें।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य शासन और विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के कार्यभार, आचार-संहिता आदि के संबंध में प्रसारित निर्देशों का कडाई से क्रियान्वयन करगें।
7. विभाग के आय-व्यय का लेखा रखेगें। शिक्षकों को प्राप्त प्रोजेक्ट के एकाउन्ट का संधारण करेंगे।
8. कुलपति द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन कराना। विभागाध्यक्ष कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।
9. अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम में विहित सभी निर्देशों को पालन करगें।
10. विश्वविद्यालय कार्यो में कुलपति को सहयोग प्रदान करेंगे ।
11. विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण निर्णयन में, विभागीय समिति जिसमें विभाग के वरिष्ठतम आचार्य/सहआचार्य/सहायक आचार्य होगें का सहयोग प्राप्त करेंगे।
12. विभाग मे विभिन्न अनुदान राशियों से क्रय की जाने वाली सामग्री (उपकरण, केमिकल्स एवं अन्य सभी सामग्री) म.प्र. भंडार क्रय नियमों और विश्वविद्यालय क्रय नियमों के अनुसार क्रय की जावेगी। विभागाध्यक्ष क्रय प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेगें। इससे सम्बन्धित सभी अभिलेखों को संधारित करेंगे। विभागीय सामग्री की स्कंध (स्टॉक) पंजी और विभागीय पुस्तकालय को संधारित एवं रक्षण सुनिश्चित करेगें।
13. विभागीय पुस्तकालय की व्यवस्था, एवं रख-रखाव और सुरक्षा का दायित्व विभागाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी का होगा।

अधिकारः-

1. कुलपति के नियंत्रण एवं अनुमोदन उपरान्त विभागीय शोध परियोजना में परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत शोधार्थियों एवं शोध सहायक की नियुक्ति करना।
2. कुलपति के अनुमोदन पश्चात विभाग में कार्यरत अशैक्षणिक स्टॉफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
3. शैक्षणिक स्टॉफ के विभागीय कार्यो की समीक्षा करना। समीक्षा प्रतिवेदन से कुलपति को अवगत् कराना।

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28/10/2014 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 68
स्नातक (प्रतिष्ठा)
पत्रकारिता एवं जनसंचार

1. **शीर्षक** – इस पाठ्यक्रम को ''स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार'' उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि** – यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा।
3. **प्रवेश पात्रता –**
   I. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार के प्रथम सेमेस्टर मे प्रवेश के लिए हायर सेकेन्डरी (10+2) की म.प्र या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   II. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर प्रवेश नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार होगा।
   III. प्रवेश में म.प्र.शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
   IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राएँ, पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (अंशकालीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
   V. अभ्यार्थी कंडिका 8 में दिए गए किसी एक विषय समूह में प्रवेश ले सकता है। एक से अधिक विषय समूह में प्रवेश के लिए अभ्यार्थी को अलग अलग आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक समूह की अलग अलग प्रावीण्य सूची के आधार पर अभ्यार्थी का प्रवेश होगा।
   VI. किसी अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा।
   VII. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
   VIII. अभ्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और प्रवेश समिति अभ्यार्थी को बिना कारण बताते हुए प्रवेश से मना कर सकती है।
4. **प्रवेश आयु** – प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की आयु दिनांक 1 जुलाई को अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी एवं महिला अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है। निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

5. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय समूह में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 60 है।
6. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति** –
   I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक (जहाँ लागू होगा) कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो बाद में हो, की जाएगी।
   II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :–
   i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)
   ii. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)
   iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।
8. **पाठ्यक्रम** :–
   I. प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम विषय के पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल द्वारा बनाने के उपरांत विद्या परिषद् के अनुमोदन उपरांत मान्य होगां
   II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

आधार पाठ्यक्रम :– भाषा (हिंदी/अँग्रेजी/संस्कृत में से कोई एक भाषा), कंप्यूटर(संगणक), उद्यमिता विकास, भारतीय संस्कृति एवं पर्यावरण, योग एवं सामाजिक कार्य, भारतीय समाज और जीवन मूल्य।

नोट :– विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में आधार पाठ्यक्रम के एक प्रश्नपत्र (उपरोक्त क्रमानुसार) को लेना अनिवार्य है।

विद्यार्थी को आधार पाठ्यक्रम के अतिरिक्त निम्न विषयों में से तीन विषय का चयन करना होगा।

1 जनसंचार

2 मुद्रित माध्यम

3 प्रसारण माध्यम

4 जनसम्पर्क एवं जनमाध्यम

9. **परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्तें** :–

सेमेस्टर परीक्षा में सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं। जो निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करते हैं:–

   I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) परीक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिया है।

V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

VI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है।

10. **परीक्षा योजना :-**

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं का आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन, प्रत्येक सेमेस्टर अवधि में, प्रत्येक विषय में, संबंधित शिक्षक अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त दो शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से होगा।

II. प्रत्येक विषय में आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक छात्र/छात्रा को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

III. आंतरिक मूल्यांकन/सतत् मूल्यांकन की प्रक्रिया जैसे सेमीनार, परीक्षा आदि, विभागाध्यक्ष/ समन्वयक द्वारा सभी विषयों के लिए समान रूप से लागू होगी।

IV. जिन विषयों में कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध है। उनका मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय के द्वारा कराया जाएगा।

V. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/ राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष/समन्वयक स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।

VI. अनुत्तीर्ण छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में कैरिड होंगे।

VII. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

VIII. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम की प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) नवंबर/दिसंबर और द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) मई/जून माह में सामान्यतः आयोजित की जावेगीं।

IX. विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा को सैद्धांतिक या प्रायोगिक या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य/लघुशोध प्रबंध में अधिकतम

कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार विषयों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक/सतत् मूल्यांकन या कार्ययोजना/क्षेत्रकार्य और लघुशोध प्रबंध में ही मिल सकती है।

X. छात्र/छात्रा को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) उत्तीर्ण करनें होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर मे प्रवेश के अपात्र होंगे।

XI. ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और उसी परीक्षा में छात्र/छात्राएँ परीक्षा मे सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) की अलग से परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

XII. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार के छात्र/छात्राओं को प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक कार्य में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

11. सेमेस्टर में प्रमोशन :-

I. प्रथम सेमेस्टर के छात्र/छात्रा निम्नलिखित स्थितियों में अनुत्तीर्ण माने जावेंगे :-

i. छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

छात्र/छात्रा की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा का आवेदन पत्र नहीं भरा है। ऐसे छात्र/छात्रा स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में पुनः सम्मिलित होना चाहते हैं तो भविष्य में आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं।

ii. छात्रा/छात्राएँ जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में अगले सेमेस्टर में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

II. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र/छात्राओं की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर पाए हैं तो वह इस सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्र/छात्राओं को संबंधित सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

12. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीति :-

I. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

II. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विषयों को वरीयता क्रम में देना अनिवार्य है।

III. प्रवेश समिति सभी आवेदनों को दो श्रेणी में विभाजित करेगी। प्रथम श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक की परीक्षा बिना ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) के उत्तीर्ण की है, उन्हें **''उत्तीर्ण श्रेणी''** और

दूसरे श्रेणी उन छात्र/छात्राओं की होगी जिन्होंने किसी सेमेस्टर को ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) द्वारा उत्तीर्ण किया है, उन्हें **"प्रमोटेड श्रेणी"** में सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक छात्र/छात्राओं को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत अथवा सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (SGPA) और छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिष्ठा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक विषय में सेमेस्टर प्रथम से चतुर्थ के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के विषय में रिक्त स्थान पर प्रवेश दिया जायेगा।

परिणाम :–

I. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं का, जिन्होंने षष्ठम् सेमेस्टर के अन्त तक सभी में उत्तीर्ण हैं, उनका परिणाम उत्तीर्ण घोषित होगा और उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **"क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन"** अध्यादेश–38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. सेमेस्टर परीक्षा के घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं।

IV. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

V. पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर, जिन छात्र/छात्राओं का अनुत्तीर्ण या ए.टी.के.टी. (Allow To Keep in Term) है, उन्हें नियमित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर होगा; पूरक अथवा विशेष परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

VI. स्नातक (प्रतिष्ठा) पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

13. इस अध्यादेश मे किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 26/09/2013 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक–69
शोध अध्येता वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार
(अधिनियम धारा 36 (2) के अन्तर्गत निर्मित)

1. **शीर्षक, प्रयोजन और प्रभाव**

(क) **शीर्षकः** यह अध्यादेश अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् छात्रों को ''शोध अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति पदक एवं पुरस्कार'' आदि प्रदाय की जाने की शर्तों के रूप मं जाना जायेगा।

(ख) **प्रयोजनः** इस विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को उच्च मानक प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जायेगा।

(ग) **प्रभावः** विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावशील होगा।

2. **परिभाषाएं** –

2.1 शासन से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन भोपाल

2.2 उच्च शिक्षा विभाग से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा भोपाल

2.3 आयुक्त उच्च शिक्षा से अभिप्रेत है कि आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा

2.4 विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

2.5 लाभान्वित वर्ग से अभिप्रेत है कि इस विश्वविद्यालय में विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थी

2.6 पाठ्यक्रम से अभिप्रेत है कि सम्बन्धित विषय का पूर्ण अध्ययन एवं परीक्षा।

2.7 स्वर्ण पदक से अभिप्रेत है कि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किये गये नियमित उपाधि पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर दिया गया स्वर्ण पदक।

2.8 रजत पदक से अभिप्रेत है कि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किये गये नियमित उपाधि पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर प्रदाय रजत पदक।

2.9 कांस्य पदक से अभिप्रेत है कि विद्यार्थी द्वारा अध्ययन किये गये नियमित उपाधि पाठ्यक्रम के लिए परीक्षा में प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान प्राप्त करने पर प्रदाय कांस्य पदक।

2.10 छात्र सहायतावृत्ति से अभिप्रेत है कि किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थी को मध्यप्रदेश शासन, विश्वविद्यालय अथवा किसी भी अधिकृत दानदाता से जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्य हो, उसे सहायता राशि अथवा पुस्तक क्रय हेतु राशि प्रदाय।

2.11 दानदाता से अभिप्रेत है कि कोई एकल, व्यक्ति, समाज सेवी संस्थान/संगठन/ट्रस्ट।

3.0***पदक –**

विश्वविद्यालय नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए पृथक–पृथक स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक प्रदान करेगा। *ये पदक अटल स्वर्ण/अटल रजत/अटल कांस्य के नाम से जाने जायेंगे तथा इन पर होने वाला व्यय भार विश्वविद्यालय अपने को विद्यार्थियों कोष से वहन करेगा ।*

अटल स्वर्ण पदक का कुल वजन 30 ग्राम होगा जिसमें 29 ग्राम चाँदी (99 प्रतिशत शुद्धता) तथा 01 ग्राम स्वर्ण (24 कैरेट) की पॉलिश होगी। इस पदक का व्यास 02 इंच एवं साथ में हुक होगा ।

अटल रजत पदक का वजन 30 ग्राम चाँदी (99 प्रतिशत शुद्धता) का होगा जिसका व्यास 02 इंच तथा हुक भी होगा ।

अटल कांस्य पदक का वजन 30 ग्राम कांस्य धातु का होगा जिसका व्यास 02 इंच तथा हुक भी होगा ।

उक्त पदकों को प्रदान करने की शर्तें निम्न होगी –

(क) **स्वर्ण पदक**

विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा की प्रावीण्य सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों और प्रत्येक सेमेस्टर में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किये हों।

(ख) **रजत पदक**

विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा की प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किये हों और प्रत्येक सेमेस्टर में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किये हों।

(ग) **कांस्य पदक**

विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि परीक्षा की प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान प्राप्त किये हों और प्रत्येक सेमेस्टर में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक अर्जित किये हों।

3.1 **पदकों को प्रदाय करने की अन्य शर्तें**

उक्त सभी पदकों के लिए वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने–

I. संबंधित पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर को प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण किया है।
II. पूरे पाठ्यक्रम अवधि में विद्यार्थी के विरूद्ध अनुचित साधन उपयोग या अनुशासनहीनता या पुलिस प्रकरण दर्ज न हो।
III. विद्यार्थी किसी कृत्य के लिए दंडित नहीं किया गया है।

***3.0 पदक- अधिसूचना क्रमाँक 182/अकादमी/अबिवाहिविवि/2017 दिनाँक 11/04/2017 के अनुसार विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30/03/2017 तथा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 30/03/2017 में अनुमोदित ।**

उक्त बिन्दु 3.1 (II या III) के लिए अधिष्ठाता छात्र कल्याण परिषद का प्रमाणिकरण अनिवार्य होगा।

3.2 **पदक प्रदान करने की प्रक्रिया**

(क) उक्त सभी पदकों को प्रदान करने के लिए कुलपति समिति का गठन निम्नानुसार करेंगे।

I.	वरिष्ठतम अधिष्ठाता	संयोजक
II.	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	सदस्य
III.	प्राध्यापक (एक)	सदस्य
IV.	दानदाता अथवा नामांकित व्यक्ति	सदस्य
V.	परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव	सदस्य

(ख) कंडिका 3.2 के द्वारा गठित समिति विभिन्न पदकों की श्रेणी के लिए विद्यार्थियों का चयन करेगी और कुलपति को प्रस्तुत करेगी।

(ग) कार्य परिषद विभिन्न पदकों के लिए चयनित विद्यार्थियों का अनुमोदन करेगी।

3.3* **प्रायोजित पदक**

एक – प्रायोजित पदक के सहयोगी के द्वारा जिस नाम से पदक प्रदान किये जाने की इच्छा व्यक्त की जायेगी, उसे उस पदक के पीछे लिखवाया जायेगा ।

दो – प्रायोजित पदक प्रदान करने हेतु अर्हताएँ निम्नानुसार होंगी :–

1. ***प्रायोजित स्वर्ण पदक –*** *विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक (प्रतिष्ठा)/स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों, परन्तु सभी सेमेस्टर में कुल 65 प्रतिशत अंक से कम न हो एवं उसने सभी सेमेस्टरों की परीक्षायें एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हों ।*
2. ***प्रायोजित रजत पदक –*** *विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक (प्रतिष्ठा)/स्नातकोत्तर परीक्षा के किसी भी विषय में द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों, परन्तु सभी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत अंक से कम न हों एवं उसने सभी सेमेस्टरों की परीक्षाएँ एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हों ।*
3. ***प्रायोजित कांस्य पदक –*** *विद्यार्थी जिसने नियमित स्नातक (प्रतिष्ठा)/स्नातकोत्तर परीक्षा के किसी भी विषय में तृतीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों, परन्तु सभी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत अंक से कम न हों एवं उसने सभी सेमेस्टरों की परीक्षाएँ एक ही प्रयास में उत्तीर्ण की हों ।*
4. *यदि किसी विषय स्नातक (प्रतिष्ठा)/स्नातकोत्तर परीक्षा में किसी पदक के लिए 2 विद्यार्थी समान रूप से योग्य पाये जाते हैं, तो उसमें से जिस विद्यार्थी की उम्र कम होगी, वह पदक का पात्र होगा तथा उसे वह पदक प्रदान किया जावेगा ।*

5. यदि कोई सहयोगी प्रथम दीक्षान्त समारोह में कोई पदक देना चाहे तो उसे पदक की प्रायोजित राशि के अतिरिक्त, पदक की वास्तविक लागत राशि का अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।

6. यदि नियमों के निर्वाचन में कोई कठिनाई होती है तो उसका निराकरण कुलपति जी द्वारा किया जायेगा ।

(क) कार्य परिषद् के स्वीकृति उपरांत दानदाता नियमित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्वर्ण पदक, रजत पदक एवं कांस्य पदक प्रदान कर सकती है।

(ख) दानदाता को पदकों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय में वृतिदान (इन्डाउमेन्ट) राशि जमा करना होगा वृतिदान से प्राप्त राशि विश्वविद्यालय इंडिया ट्रस्ट अधिनियम 1882 की कंडिका 20 के अंतर्गत प्रतिभूति में निवेश कर सकती है।

(ग) विभिन्न श्रेणी के मेडल प्रदान करने के लिए प्रतिभूति की राशि निम्न होगी–

1. स्वर्ण पदक – न्यूनतम एक लाख
2. रजत पदक – न्यूनतम 50 हजार
3. कांस्य पदक – न्यूनतम 25 हजार

3.4 विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् वृतिदान (एन्डावउमेन्ट) राशि का संचालन करेगी।

3.5 प्रत्येक प्रायोजित पदक को प्रदाय करने के लिए पृथक–पृथक विनियम कार्य परिषद् बनायेगा।

3.6 प्रायोजित पदक के लिए विघार्थियों का चयन कंडिका 3.2 (क) में उल्लेखित गठित समिति करेगी।

3.7 समिति द्वारा चयनित छात्रों का अनुमोदन कार्य परिषद दानदाता की शर्ते जो विनियम में उल्लेखित है उनको दृष्टिगत रखते हुए निर्णय देगी जहां तक संभव होगा दान दाताओं की इच्छाओं का सम्मान करेगी।

3.8 कार्य परिषद् से प्रायोजित पदको के अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी का नाम प्रायोजित दानदाता/संस्था को कुलसचिव लिखित सूचना देंगे।

3.9* ***विलोपित ।***

3.10 विश्वविद्यालय पदकों के लिए चयनित विद्यार्थियों को नियमित दीक्षान्त समारोह अथवा विशेष रूप से आयोजित दीक्षांत समारोह में विभूषित करेगा।

3.11 दीक्षान्त समारोह में प्रायोजित पदक वाले दानदाता/संस्था को विश्वविद्यालय आमंत्रित करेगा परन्तु दानदाता/संस्था द्वारा नामांकित व्यक्ति यात्रा व्यय स्वयं वहन करेगा।

---

*3.3 (1 से 6) एवं 3.9(विलोपित) – कार्य परिषद् की बैठक दिनाँक 30/03/2017 में अनुशंसित एवं साधारण सभा की बैठक दिनाँक 03/04/2017 में प्राप्त अनुमोदन के परिपालन में अधिसूचना क्रमाँक/604/अकादमी/अबिवाहिविवि/2018 दिनाँक 13/06/2018 के अनुसार संशोधित ।

3.12 यदि किसी वर्ष में प्रदान किये जाने वाले पदको के लिए विद्यार्थी कंडिका 3.0 एवं 3.1 में उल्लेखित मानकों को पूर्ण नहीं करता है तो कार्य परिषद् को उक्त पदक उस वर्ष के लिए लम्बित करने का अधिकार होगा।

4. **शोध अध्येता वृति और छात्रवृति**

(क) दानदाता अगर किसी शोधार्थी अथवा नियमित स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थी को शोधवृति और छात्रवृति प्रदान करने के लिए इच्छुक है तो दानदाता को वृतिदान राशि निम्नअनुसार विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी।

(I) शोधार्थी को न्यूनतम रूपये 400/- प्रतिमाह कुल दो वर्ष (24 माह) के लिए जिसके लिए वृतिदान (एन्डाउनमेन्ट) राशि रूपये 80,000/- जमा करना होगा।

(II) नियमित स्नातकोत्तर उपाधि के लिए विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न्यूनतम रूपये 300/- प्रतिमाह, कुल 4 सेमेस्टर (24 माह) के लिए रूपये 40,000/- वृतिदान राशि जमा करना होगा।

(III) नियमित स्नातक उपाधि के एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति न्यूनतम रूपये 250/- प्रतिमाह कुल 6 सेमेस्टर (36 माह) के लिए रूपये 40,000/- वृतिदान राशि जमा करना होगा।

4.1 कार्य परिषद् प्रत्येक शोध वृति और छात्रवृति के लिए पृथक-पृथक विनियम बनायेगी।

4.2 शोध अध्येतावृति और छात्रवृति की अन्य शर्तें अध्यादेश 5 के अनुसार संचालित होगी।

5. **पुरस्कार**

यदि दान दाता किसी नियमित स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी छात्र को उसके उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान करने के लिए इच्छुक है तो दानदाता को वृतिदान राशि विश्वविद्यालय में निम्नानुसार जमा करनी होगी।

(i) स्नातक स्तर

न्यूनतम रूपये 200/- के समतुल्य सामग्री या मोमेन्टो प्रदान किया जायेगा। इसके लिए दानदाता को रूपये 5000/- की वृतिदान राशि जमा करनी होगी। अधिक पुरस्कार राशि के लिए वृतिदान राशि अनुपातिक होगी।

(ii) स्नातकोत्तर स्तर

न्यूनतम रूपये 400/- के समतुल्य या मोमेन्टो प्रदान किया जायेगा जिसके लिए पुरस्कार राशि रूपये 10,000/- होगी अधिक पुरस्कार राशि अनुपातिक होगी।

(iii) विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा हिंदी भाषा में प्रत्येक वर्ष प्रकाशित शोध पत्रों में से उत्कृष्ट शोध पत्र के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(क) उत्कृष्ट शोध पत्रों का चयन विषयवार सम्बंधित विषय का अध्ययन मंडल करेगा और प्रस्तुत शोध पत्रों में से अधिकतम तीन शोध पत्रों का चयन करेगा। उक्त चयनित शोध पत्रों को दो वाह्य विषय विशेषज्ञ को एक उत्कृष्टतम शोध पत्र के चयन के लिए भेजा जायेगा। वाह्य विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम मान्य होगा।

यदि किसी विषय में चयन के लिए शोध पत्रों की संख्या दो या उससे कम है तो उस विषय में उस वर्ष उत्कृष्ट शोध पत्र का चयन लम्बित रहेगा।

(ख) प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी से 31 दिसम्बर की अवधि में प्रकाशित शोध पत्र ही चयन प्रक्रिया में सम्मलित होंगे।

6. **विश्वविद्यालय द्वारा पीठ की स्थापना**

(क) किसी विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर मानद पीठ की स्थापना केन्द्र शासन/राज्य शासन/पंजीकृत संगठन/विश्वविद्यालय स्वयं स्थापित कर सकता है।

(ख) अगर कोई दानदाता पीठ स्थापित करने के लिए इच्छुक है तो दानदाता को पीठ स्थापना के लिए वृतिदान राशि रूपये 1.50 करोड़ विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। इस पीठ पर नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को रूपये 8,000/- प्रतिमाह मानदेय देय होगा। इसके साथ नियमानुसार अन्य लाभ की पात्रता होगी।

(ग) दानदाता द्वारा कुलसचिव को इस आशय के साथ जिस व्यक्ति के नाम पर पीठ स्थापित होनी है उसके आत्मवृत के साथ लिखित प्रस्ताव देगा।

(घ) कार्य परिषद् को दानदाता का प्रस्ताव स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

7. **स्मृति व्याख्यान श्रृंखला माला**

7.1 विश्वविद्यालय स्वयं अथवा दानदाता स्मृति व्याख्यान श्रृंखला किसी भी व्यक्ति के नाम पर स्थापित कर सकता है।

7.2 स्मृति व्याख्यान माला स्थापित करने के लिए वृतिदान की राशि रू. 11.00 लाख जमा करनी होगी। इस राशि से निम्न मदों पर व्यय का प्रावधान होगा।

(i) यात्रा देयक एवं दैनिक भत्ते पर व्यय

(ii) स्थानीय अतिथि सत्कार (Hospitility) व्यय

(iii) वाहन व्यय

(iv) मानदेय राशि न्यूनतम रूपये 10,000/-

7.3 दानदाता को किसी व्यक्ति के नाम पर स्मृति व्याख्यान माला का प्रस्ताव व्यक्ति के आत्मवृत सहित कुलसचिव को उपलब्ध कराएगा जिस पर कार्य परिषद् विचार कर स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

8. उपरोक्त सभी शोधवृति, छात्रवृति, पदक आदि के संबंध में प्रत्येक तीन वर्ष के बाद विश्वविद्यालय समीक्षा का अधिकार होगा।

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28/10/2014 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 70
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
संस्कार विधि एवं पूजा–विधान

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर पत्रोपाधि **"संस्कार विधि एवं पूजा–विधान "** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश : –**
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** इस विश्वविद्यालय या भारत के किसी अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी परीक्षा माना जाएगा।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में सत्रांत के लिखित परीक्षा 70 अंकों के होंगे। मूल्यांकन वाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। इसके अंक 100

निर्धारित हैं। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश–7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा।

10.**विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 71
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
अनुवाद

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि **"अनुवाद "** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम

आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10.**विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 72

विद्यावाचस्पति उपाधि (डी. एससी., डी. लिट., एलएल. डी.)

(अधिनियम 2011 की धारा 7(चार) एवं 36 (ख) के अंतर्गत)

(1) शीर्षक, प्रयोजन और प्रभाव

(क) शीर्षक– अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल विद्यावाचस्पति विज्ञान (डी. एससी.), विद्यावाचस्पति–कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन (डी. लिट्.) और विद्यावाचस्पति– विधि (एलएल.डी.) के रूप में जाना जायेगा।

(ख) प्रयोजन– विद्यावाचस्पति उपाधि उस अभ्यर्थी को प्रदान की जा सकेगी जिसके शोध कार्य का अभिलेख उसकी प्रतिभा और कार्य की मौलिकता को प्रकट करता हो। ऐसे अनुसंधान कार्य के लिए विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, प्रबन्धन, विधि संकायों और कृषि विज्ञान में अध्यादेश–2 में निहित विभिन्न विषयों में विद्यावाचस्पति उपाधि देने के प्रयोजन से यह अध्यादेश है।

(ग) प्रभाव– विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावशील होगा।

(2) विद्यावाचस्पति उपाधि पंजीयन हेतु अर्हतायें

कोई भी अभ्यर्थी जो इस विश्वविद्यालय के विद्याविद्यावाचस्पति (डी. एससी., डी. लिट., एलएल. डी.) में प्रवेश लेना चाहता है उसे सम्बन्धित क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध का अनुभव हो तथा निम्न शर्ते पूरी करता हो–

(क) इस विश्वविद्यालय या अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) उपाधि धारक होना चाहिए।

(ख) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर कक्षा के अध्यापन का पाँच वर्ष का अनुभव हो।

अथवा

विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित विषय में पाँच वर्ष का शोध अनुभव होना चाहिए।

(ग) अभ्यर्थी का सम्बन्धित विषय में दस शोध पत्र निर्दिष्ट राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो जिसमें न्यूनतम तीन शोध पत्र में अभ्यर्थी एकल लेखक हो। या उच्चस्तरीय 5 पुस्तकों का प्रकाशन हो जिन्हे शोध समिति मान्य करे।

(3) आवेदन – विद्यावाचस्पति उपाधि पंजीयन के लिए उपर्युक्त अर्हताएँ पूर्ण करने वाले निर्धारित आवेदन पत्र (अनुलग्नक 1) पंजीयन शुल्क सहित इच्छुक अभ्यर्थी को निम्न सहपत्रों के साथ कुलसचिव/निदेशक शोध को प्रत्येक अकादमिक वर्ष के 31 जुलाई अथवा विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथि तक जमा करना होगा। प्रत्येक सहपत्र अभ्यर्थी द्वारा स्व–सत्यापित होना आवश्यक है।

(1) अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता।

(2) नियोक्ता का अध्यापन/शोध अनुभव प्रमाणपत्र तथा विद्यावाचस्पति कार्य हेतु पंजीयन कराने की अनुमति का प्रमाणपत्र।

(3) नियोक्ता का नियमित शिक्षक अथवा शोध संस्थान के कार्य करने का प्रमाणपत्र।

(4) स्वयं का स्व–हस्ताक्षरित, दो पासपोर्ट आकार का फोटो।

(5) शोध कार्य का शीर्षक, विषय, एवं संकाय।

(6) 10 प्रतियों में शोध कार्य की संक्षेपिका अधिकतम 3000 शब्दों में जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रस्तावित शोध कार्य मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है।

(7) विद्यावाचस्पति विषय से सम्बन्धित न्यूनतम 10 शोध पत्र जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित हो की छाया प्रति।

(8) शोध केन्द्र के विषय के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं प्राचार्य/निदेशक द्वारा प्रमाणपत्र जिसमें उल्लेख हो कि–

(क) शोध केन्द्र पर शोध कार्य करने की अनुमति।

(ख) संबंधित विषय पर शोध कार्य के लिए उत्कृष्ट सुसज्जित, सुदृढ़ और ई–पुस्तकालय और शोध पत्रों के मुद्रण के लिए फोटोस्टेट आदि की सुविधा है।

(ग) प्रायोगिक कार्य के लिए उपकरण, एवं उत्कृष्ट प्रयोगशाला उपलब्ध है।

(9) विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अथवा विषय से सम्बन्धित विद्यावाचस्पति प्राप्त दो व्यक्तियों का प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी एवं प्रस्तुत विषय विद्यावाचस्पति उपाधि के लिये उपयुक्त है।

3.1 विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए अभ्यर्थी को शोध निर्देशक का आवंटन नहीं होगा परन्तु अगर अभ्यर्थी इच्छुक हैं तो विषय से सम्बन्धित विद्वान को परामर्शी बना सकता है, जो सम्बन्धित विषय में विद्यावाचस्पति उपाधि धारक हो।

3.2 आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीयन शुल्क कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नाम पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का पंजीयन के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) पंजीयन

विद्यावाचस्पति उपाधि पंजीयन के लिए अभ्यर्थी को विषय के 'विद्यावाचस्पति शोध पंजीयन समिति' के समक्ष मौखिक प्रस्तुतीकरण करना होगा। विद्यावाचस्पति शोध पंजीयन समिति का गठन इस प्रकार है–

I. कुलपति

II. सम्बन्धित विषय का वरिष्ठतम आचार्य

III. संकायाध्यक्ष

IV. सम्बन्धित विषय का विभागाध्यक्ष

V. अध्ययन मण्डल का संयोजक/अध्यक्ष

VI. दो बाह्य विषय विशेषज्ञ सदस्य जो विश्वविद्यालय के आचार्य स्तर का हो और विद्यावाचस्पति उपाधि धारक हो जिसे अभ्यर्थी के शोध संक्षेपिका के आधार पर संकायाध्यक्ष द्वारा चार नामों के सूची से कुलपति नामांकित करेंगे।

गणपूर्ति के लिए चार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, जिसमें दो बाह्य विषय विशेषज्ञ का उपस्थिति अनिवार्य है।

4.1 मौखिक प्रस्तुतीकरण करने के लिए कुलपति के अनुमोदन उपरांत कुलसचिव शोध केन्द्र स्थान, तिथि एवं समय को अधिसूचित करेंगे।

4.2 शोध उपाधि समिति अभ्यर्थी के प्रस्तुतीकरण उपरांत पंजीयन को अनुमोदित, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। अस्वीकार करने पर अभ्यर्थी को उसी शोध कार्य के लिए पुनः आवेदन का अवसर नहीं होगा। संशोधित करने की स्थिति में समिति द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं के आधार में पुनः शोध संक्षेपिका पंजीयन शुल्क सहित प्रस्तुत करना होगा। अगर आवश्यक होगा तो अभ्यर्थी को पुनः मौखिक प्रस्तुतीकरण देना होगा। पुनः पंजीयन का दिनांक समिति की बैठक दिनांक अथवा पंजीयन आवेदन प्रस्तुत दिनांक से होगा।

(5) शोध उपाधि समिति द्वारा पंजीयन का अनुमोदन एवं विद्या परिषद के स्वीकृत उपरान्त कुलसचिव द्वारा अभ्यर्थी को पंजीयन की सूचना देनी होगी। पंजीयन पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अन्दर अभ्यर्थी को अध्यादेश 39 में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा तद्उपरान्त अभ्यर्थी का विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए पंजीयन मान्य होगा। पंजीयन की तिथि अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के आवेदन तिथि या शोध उपाधि समिति के अनुमोदन तिथि से मान्य होगा।

(6) सामान्यतः शोधार्थी उसी विषय में विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए शोध करेगा जिस विषय में उसने विद्यावारिधि की उपाधि प्राप्त की है, परन्तु विषय से सहविषय/अर्न्तविषय में शोध कार्य की अनुमति शोध उपाधि समिति प्रदान कर सकती है।

(7) पंजीयन उपरान्त शोध केन्द्र के विषय के विभागाध्यक्ष एवं प्राचार्य/शोध निदेशक के अग्रेषण उपरान्त शोधार्थी को अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन (अनुलग्नक 2) निर्धारित शुल्क के साथ विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा। दो लगातार अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन न प्रस्तुत करने पर शोधार्थी का पंजीयन स्वमेव में निरस्त हो जायेगा।

(8) **शोधग्रंथ की प्रस्तुति :**

विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए शोधग्रंथ प्रस्तुत करने की अवधि पंजीयन तिथि से न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम पाँच वर्ष होगी। कुलपति शोधग्रंथ जमा करने की अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि कर सकते हैं। जिसके लिए शोधार्थी को उपयुक्त कारण के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन देना होगा। कुलपति विचार उपरान्त अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार /अस्वीकार का अधिकार होगा। शोधार्थी एक वर्ष के समय वृद्धि के बाद भी शोधग्रंथ नहीं जमा कर पाता है, तो उसका पंजीयन निरस्त हो जायेगा। अभ्यर्थी का पुनः पंजीकरण कंडिका 3 में दर्शायी प्रक्रिया अनुसार होगा।

8.1 शोधार्थी को शोधग्रंथ जमा करने के पूर्व न्यूनतम तीन शोध पत्र निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित करना अनिवार्य है। इस आशय की सूचना शोधार्थी शोधग्रंथ जमा करने के 6 माह पूर्व कुलसचिव को आवेदन द्वारा देनी होगी। कुलसचिव तद्उपरान्त शोधार्थी को छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति के समक्ष किये गये शोध कार्य के मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए तिथि एवं समय निर्धारित कर शोधार्थी को उपस्थित होने के लिये सूचित करेंगे।

8.2 छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति का गठन निम्नानुसार है

I. कुलपति – अध्यक्ष
II. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सम्बन्धित विषय के वरिष्ठतम आचार्य – सदस्य
III. संकायाध्यक्ष – सदस्य
IV. विषय का विभागाध्यक्ष – सदस्य
V. विषय के अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष – सदस्य
VI. एक बाह्य विषय विशेषज्ञ जो शोधार्थी के पंजीयन में उपस्थित थे। – सदस्य

गणपूर्ति एक बाह्य विषय विशेषज्ञ और अन्य दो सदस्य से पूर्ति हो जायेगी।

मौखिक प्रस्तुतीकरण में विभाग के शिक्षक शोधार्थी एवं अन्य शिक्षक/विद्वान उपस्थित रह सकते हैं। कुलसचिव मौखिक प्रस्तुतीकरण की सूचना एक सप्ताह पूर्व सभी विभागाध्यक्षों को एवं सूचना पटल पर देना अनिवार्य है।

छानबीन सामिति शोधार्थी को शोधग्रंथ जमा करने के लिए स्वीकार कर सकता है। अथवा स्पष्ट कारणों सहित शोधार्थी को शोध कार्य में संशोधन करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

8.3 छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति के शोधग्रंथ जमा करने के अनुमोदन उपरान्त शोधार्थी शोध कार्य की संक्षेपिका 10 प्रतियों में और शोधग्रंथ की 5 टंकण प्रति एवं साफ्ट (सीडी) निर्धारित शुल्क सहित कुलसचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

8.4 शोधग्रंथ का प्रारूप निम्न अनुसार होगा–

1. मुख्यपृष्ठ।
2. आंतरिक पृष्ठ।
3. शोधार्थी का घोषणा–पत्र। – (अनुलग्नक–3)
4. परामर्शदाता (अगर है तो) का प्रमाण–पत्र।– (अनुलग्नक–4)
5. विषय का विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र। – (अनुलग्नक–5)
6. आभार कथन।
7. विषय सूची।
8. शोध कार्य का अध्यायवार विवरण।
9. शोधार्थी का शोध कार्य से सम्बन्धित प्रकाशित शोध आलेख की मुद्रित प्रति।
10. प्रकाशित शोध पत्रों की सूची।
11. सन्दर्भ सूची।
12. शब्द अनुक्रमणिका।
13. शोधार्थी का फोटो सहित आत्मवृत्त (एक पृष्ठ से अधिक नहीं)

(9) शोधग्रंथ का मूल्यांकन :

कुलसचिव छानबीन (स्क्रीनिंग) समिति के बाह्य विशेषज्ञ से न्यूनतम दस परीक्षकों का पैनेल सील बन्द लिफाफे में प्राप्त करेंगे। जिसमें विदेशी विशेषज्ञ भी सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षक का विश्वविद्यालय के आचार्य/राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विद्वान होना अनिवार्य है।

9.1 **(क)** शोधग्रंथ प्राप्त होने के उपरान्त कुलसचिव परीक्षा समिति को परीक्षक की सूची बनाने के लिए आमन्त्रित करेंगे। उक्त समिति बाह्य परीक्षक द्वारा दिये गये परीक्षकों के पैनेल को दृष्टिगत रखते हुए छः परीक्षकों का पैनेल तैयार कर सील बन्द लिफाफे में शोध विभाग/कुलसचिव को उपलब्ध करायेंगे। सभी परीक्षक प्रदेश के बाहर का होना चाहिए। परीक्षा समिति को बाह्य परीक्षक द्वारा दिये गये पैनेल में से 50 प्रतिशत परीक्षकों का परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

(ख) परीक्षा समिति द्वारा दिये गये पैनेल से कुलपति शोधग्रंथ के मूल्यांकन के लिए तीन परीक्षकों को नियुक्त करेंगे।

(ग) शोध विभाग कुलपति द्वारा अनुमोदित तीन परीक्षकों को संक्षेपिका के साथ शोधग्रंथ मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की स्वीकृति के लिए भेजेगा। परीक्षकों से लिखित स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत शोधग्रंथ को मूल्यांकन के लिए भेजा जायेगा। अगर नियुक्त परीक्षक की स्वीकृति एक माह में प्राप्त नहीं होती है, तो कुलपति को परीक्षकों के पैनेल में से अन्य परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।

अगर कोई विदेश का परीक्षक हो और शोधार्थी शोधग्रंथ ''वायु सेवा डाक'' से भिजवाने के लिये इच्छुक है, तो शोधार्थी को डाक का व्यय स्वयं वहन करना होगा।

(घ) शोधग्रंथ मूल्यांकन के लिए नियुक्त तीनों परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शोध प्रतिवेदन (अनुलग्नक- 6) अलग - अलग तीन माह की समयावधि में देना होगा। अगर कोई भी परीक्षक शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण चाहता है, वह लिखित में कुलसचिव को भेज सकता है। कुलसचिव शोधार्थी को परीक्षक का नाम बिना बताये परीक्षक के द्वारा दिये गये बिन्दुओं को स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध करायेगा। शोधार्थी से प्राप्त स्पष्टीकरण को कुलसचिव सम्बन्धित परीक्षक को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षक शोध प्रतिवेदन में वांछित बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदन भेजेंगे।

(च) निर्धारित अवधि में परीक्षक से मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त न होने पर कुलपति परीक्षक पैनेल से किसी अन्य परीक्षक की नियुक्ति करेंगे। परीक्षक की शोध संक्षेपिका एवं विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये सभी अभिलेखों को विश्वविद्यालय को वापस करना होगा।

(10) परीक्षकों का मूल्यांकन प्रतिवेदन

10.1 यदि तीनों शोध परीक्षक शोधग्रंथ को उपाधि के लिये मान्य करते हैं, तो शोधार्थी को मौखिक परीक्षा के लिये आमन्त्रित किया जायेगा।

10.2 यदि दो परीक्षक शोध प्रबन्ध को मान्य करते हैं और तीसरा परीक्षक अस्वीकार या संशोधित करता है, तो कुलपति परीक्षक पैनेल में से चौथा परीक्षक नियुक्त करेंगे, जिसे शोधग्रंथ मूल्यांकन के लिए भेजा जायेगी। परीक्षक को पूर्व परीक्षक का प्रतिवेदन नहीं भेजा जायेगा। चौथे परीक्षक का प्रतिवेदन मान्य होगा। अगर चौथे परीक्षक भी शोधग्रंथ को संशोधित करने की सिफारिश करता है, तो शोधार्थी को परीक्षक द्वारा दिये गये बिन्दुओं पर शोध को संशोधित करना होगा। विश्वविद्यालय शोधार्थी को परीक्षक द्वारा दिये गये बिन्दुओं को उपलब्ध कराना होगा। संशोधित शोध ग्रंथ प्रेषित करने की न्यूनतम अवधि छः माह और अधिकतम 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष के बाद शोधार्थी शोध ग्रंथ जमा नहीं कर पाता है, तो शोधार्थी को संशोधित शोधग्रंथ जमा करने के साथ शुल्क जमा करना होगा। कुलपति संशोधित शोधग्रंथ को परीक्षक के पैनेल में से दो परीक्षकों को नियुक्त करेंगे। जिन्हे संशोधित शोधग्रंथ मूल्यांकन के लिये भेजा जायेगा। अगर दोनों परीक्षक संशोधित शोध ग्रंथ को उपाधि के लिये मान्य करते हैं, तो शोधार्थी को मौखिक परीक्षा के लिये आमन्त्रित किया जायेगा। यदि दोनों परीक्षक शोध ग्रंथ को अमान्य करते अथवा एक अमान्य और दूसरा संशोधित करते है अथवा दोनों परीक्षक संशोधित करते है तो शोधग्रंथ अमान्य होगा।

10.3 यदि तीनों परीक्षकों ने शोधग्रंथ को अमान्य अथवा संशोधित किया है या दो परीक्षक ने अमान्य अथवा संधोधित किया है और तीसरे परीक्षक ने मान्य किया तो शोध ग्रंथ अमान्य होगा।

(11) खुली मौखिक परीक्षा

11.1 कुलपति द्वारा शोधग्रंथ मूल्यांकन परीक्षा का शोध मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार करने के उपरान्त शोधार्थी को खुली मौखिक परीक्षा देनी होगी। जिसके लिए कुलसचिव शोधार्थी को लिखित में सूचित करेंगे। मौखिक परीक्षा में तीनों परीक्षक के आमंत्रण पत्र भेजा जायेगा। जिसमें से न्यूनतम दो परीक्षक का उपस्थित होना अनिवार्य है।

11.2 मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय के सम्बन्धित विषय के शिक्षण विभाग अथवा कुलपति द्वारा अनुमोदित केन्द्र पर आयोजित की जायेगी। कुलसचिव मौखिक परीक्षा का स्थान, तिथि एवं समय न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व सभी शिक्षण विभाग एवं विश्वविद्यालय के शोध केन्द्र को सूचित करेंगे। अधिसूचना सूचना पटल पर भी चस्पा की जायेगी।

11.3 मौखिक परीक्षा में शोधार्थी किये गये कार्य को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तुतीकरण उपरान्त मौखिक परीक्षा के लिये नियुक्त परीक्षक शोधार्थी से प्रस्तुत शोध सम्बन्धी विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं। परीक्षक के अतिरिक्त अन्य भी प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु पूछे जाने वाले प्रश्न को लिखित में मौखिक परीक्षा में उपस्थित परीक्षक को उपलब्ध कराना होगा अगर परीक्षक प्रश्न उचित समझता

है तो उसी प्रश्न को शोधार्थी से पूछा जा सकता है। परीक्षक शोधग्रंथ के अतिरिक्त प्रस्तुत शोध विषय पर प्रश्न पूछ सकता हैं।

11.4 यदि परीक्षक शोधार्थी के मौखिक परीक्षा से सन्तुष्ट नही है तो शोधार्थी को पुनः मौखिक परीक्षा देनी होगी। जिसके लिये शोधार्थी द्वितीय मौखिक परीक्षा के लिये निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अगर परीक्षक शोधार्थी द्वारा दी गई द्वितीय मौखिक परीक्षा से सन्तुष्ट नही है तो शोध ग्रंथ अस्वीकार मान्य होगा।

11.5 मौखिक परीक्षा उपरान्त शोध मूल्यांकन प्रतिवेदन और मौखिक परीक्षा का प्रतिवेदन विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करना है तत्पश्चात विद्या परिषद के अनुमोदन सहित कार्य परिषद के स्वीकृत उपरांत शोधार्थी विद्यावाचस्पति उपाधि के लिए मान्य होगा।

कार्य परिषद की स्वीकृत उपरान्त कुलसचिव अधिसूचना जारी कर सकेगे तथा आगामी दीक्षांत समारोह में विद्यावाचस्पति उपाधि प्रदान की जायेगी।

11.6 शोधार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद परीक्षक का प्रतिवेदन प्रदान किया जा सकता है, परन्तु प्रतिवेदन में परीक्षक का नाम प्रगट नहीं किया जायेगा।

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास न्यास

सफलता पूर्वक सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर और अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अभ्यर्थी प्रस्तुत शोधग्रंथ की सीडी को विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। जिसे विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजेगा। जिससे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इनफ्लिबनेट पर डालकर समस्त विश्वविद्यालय एवं संस्थानों को उपलब्ध करा सके।

(13) उपाधि वापिस होना

यदि उपाधि से सम्बन्धित व किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विश्वविद्यालय को अधिनियम 2011 में निहित अधिकारों के अन्तर्गत परिनियम की कण्डिका 34 की उपधारा 34(झ) के अन्तर्गत उपाधि को निरस्त उपरान्त वापिस लेने का अधिकार होगा।

(14) अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत न आने वाले स्थितियों में निर्णय ऐसी परिस्थितियाँ जो इस अध्यादेश के अन्तर्गत नहीं आती हैं उनके सम्बन्ध में विद्यापरिषद निर्णय करेगी। आपातकालीन स्थिति में कुलपति विद्यापरिषद के अनुसमर्थन में निर्णय ले सकेगें। जो सभी को मान्य होगा।

मूल्य– 300/– रूपये

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

पंजीकरण संख्या........

भोज (मुक्त) वि.वि. परिसर, कोलार मार्ग, भोपाल (म0प्र0) 462 016 (कार्यालय द्वारा भरा जाए)

दूरभाषः 0755–2491039,

क्रमसंख्या..........   अणुडाकः abvhvbpl@gmail.com वेबसाईटः www.abvhv.org

स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का छायाचित्र लगायें

सत्र 2014–15

वाचस्पति उपाधि (डी. एससी./डी. लिट./एलएल. डी.)

विषय ....**संकाय**...

आवेदन–पत्र

1. आवेदक का नाम (हिंदी में स्पष्ट अक्षरों में) ....
   (अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में) ....
2. पद एवं कार्यालय का नाम ....
3. लिंग चिन्हित √करें   स्त्री ☐   पुरूष ☐
4. पिता/पति का नाम ....
5. जन्म तिथि   ☐☐ दिन   ☐☐ माह   ☐☐☐☐ वर्ष
6. राष्ट्रीयता ....
7. वैवाहिक स्थिति चिन्हित √करें   विवाहित ☐   अविवाहित ☐
8. मातृभाषा ....
9. वर्ग : जो लागू हो, चिन्हित √करें   सामान्य ☐ अनु.जाति ☐ अनु. जनजाति ☐
   (प्रमाण पत्र अनिवार्यत संलग्न करें)   अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ विकलांग ☐
   कश्मीरी विस्थापित ☐
   पूर्वोत्तर राज्य के विद्यार्थी ☐   अन्य ....
10. आवेदक का पत्राचार का पता ....
    ....
    ....
    अणुडाक (ईमेल) ....
    दूरभाष ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐   मो. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
11. आवेदक का स्थायी पता ....
    ....
    अणुडाक (ईमेल) ....
    दूरभाष ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐   मो. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

12. आवेदक कौन–कौन सी भाषाएँ जानता / जानती है (1) .... (2) .... (3) ....

13. शैक्षणिक योग्यता (उल्लेखित परीक्षाओं की अंकसूची और उपाधि की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें)

परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	विषय / लघुशोध प्रबंध / शोधग्रंथ का शीर्षक
स्नातकोत्तर						
विद्यानिधि (एम.फिल.)						
विद्यावारिधि (पी–एच.डी.)						

14. शोध अनुभव : .... वर्ष .... संस्था / संस्थान का नाम .... (विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त उपरान्त किये गये शोध एवं प्रकाशित शोधपत्रों का संक्षिप्त विवरण संलग्न करें)

15. क्या आपके विरूद्ध पहले कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ? .... यदि हां, तो कारण स्पष्ट करें ....

16. विद्यावारिधि (पी–एच.डी.) शोधग्रंथ का शीर्षक : ....

17. (क) प्रकाशित शोधपत्र (तालिका में केवल शोधपत्रों की संख्या का उल्लेख करें)

क्रमांक	स्तर	स्वीकृत	प्रकाशित
शोध पत्रिका	राष्ट्रीय		
	अंतरराष्ट्रीय		

(ख) प्रकाशित पुस्तक का विवरण (पुस्तक की प्रति संलगन करें)

18. प्रस्तावित वाचस्पति विषय से सम्बन्धित न्यूनतम 10 शोधपत्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित हों। जिसमें तीन शोधपत्र में आवेदक एकल लेखक हो।

पृथक पृष्ठ पर प्रकाशित शोधपत्र का विवरण संलग्न करें जिसमे लेखक / लेखकों के नाम, शोध पत्र का शीर्षक, शोध पत्रिका का नाम, वर्ष, संस्करण क्रमांक, पृष्ठ।

19. पंजीयन शुल्क की ड्राफ्ट / रसीद संख्या ....दिनांक .... बैंक का नाम .... राशि .... (यदि आवेदन–प्रपत्र वेबसाइट द्वारा लिया गया हो)।

घोषणा–पत्र

मैं...एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं सत्य हैं। कोई भी सूचना असत्य पायी जाने पर यदि मेरा प्रवेश निरस्त किया जाता है तो वह मुझे मान्य होगा।

दिनांक ....

स्थान .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. .... विभाग .... इस .... विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में विषय .... में नियमित शिक्षक के रूप में स्नातकोत्तर के अध्यापन का .... वर्ष का अनुभव/संस्थान/संस्था में विषय में .... नियमित शोधकर्ता के रूप में ....वर्ष का अनुभव है।

विभागाध्यक्ष
प्राचार्य/संस्थान प्रमुख

हस्ताक्षर

मुद्रा सहित

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

(क) आवेदक द्वारा वाचस्पति उपाधि के लिए प्रस्तावित विषय पर शोध कार्य के लिए उत्कृष्ट सुसज्जित, सुदृढ़ और ई–पुस्तकालय और शोधपत्रों के छायाप्रति कराने आदि की सुविधा है।

(ख) प्रायोगिक कार्य के लिए उपकरण एवं उत्कृष्ट प्रयोगशाला उपलब्ध है।

(ग) वाचस्पति उपाधि के लिए इस संस्था/संस्थान को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शोध केन्द्र मान्य होता है तो आवेदक को नियमानुसार शोध कार्य करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। आवेदक को संस्था/संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क देना अनिवार्य होगा।

विभागाध्यक्ष **प्राचार्य/संस्थान**
प्रमुख शोध केन्द्र

हस्ताक्षर मुद्रा सहित

चिन्हांकन सूची (चिन्हित √करें)

1. नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अध्यापन / शोध अनुभव प्रमाणपत्र तथा वाचस्पति कार्य हेतु पंजीयन कराने की अनुमति का प्रमाणपत्र ☐
2. नियोक्ता द्वारा प्रदत्त नियमित शिक्षक अथवा शोध संस्थान के कार्य करने का प्रमाणपत्र ☐
3. स्वयं का स्व-हस्ताक्षरित, दो पासपोर्ट आकार का फोटो ☐
4. वाचस्पति उपाधि के लिए प्रस्तावित शोध कार्य का (क) शीर्षक ☐ (ख) विषय ☐
   (ग) संकाय ☐
5. 10 प्रतियों में शोध कार्य की संक्षेपिका अधिकतम 3000 शब्दों में। जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि प्रस्तावित शोध कार्य मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है । ☐
6. वाचस्पति विषय से सम्बन्धित न्यूनतम 10 शोध पत्र जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय निर्दिष्ट शोध पत्रिका में प्रकाशित हो, की छाया प्रति (जिसमे तीन शोधपत्र में आवेदक एकल लेखक हो) ☐
7. शोध केन्द्र के विषय के विभागाध्यक्ष की अनुशंसा एवं प्राचार्य/निदेशक द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र
   जिसमें उल्लेख हो कि- ☐

(क) शोध केन्द्र पर शोध कार्य करने की अनुमति

(ख) संबंधित विषय पर शोध कार्य के लिए उत्कृष्ट सुसज्जित, सुदृढ़ और ई-पुस्तकालय और शोधपत्रों की छायाप्रति कराने आदि की सुविधा है का प्रमाणपत्र ☐

(ग) प्रायोगिक कार्य के लिए उपकरण, एवं उत्कृष्ट प्रयोगशाला उपलब्ध है ☐

8. विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् अथवा विषय से सम्बन्धित वाचस्पति उपाधि प्राप्त दो व्यक्तियों का प्रमाणपत्र जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि अभ्यर्थी एवं प्रस्तुत विषय वाचस्पति उपाधि के लिये उपयुक्त है ☐

शोध प्रारूप प्रस्तुति प्रपत्र एवं प्रतिवेदन (छः प्रतियों में)

1.	शोधार्थी का नाम (हिन्दी में)	
	शोधार्थी का नाम (अंग्रेजी में)	
2.	शोध कार्य का प्रस्तावित शीर्षक (हिन्दी में)	
	शोध कार्य का प्रस्तावित शीर्षक (अंग्रेजी में)	
3.	शोध केन्द्र का नाम एवं पता	
4.	प्रस्तावित शोध कार्य का महत्व	
5.	प्रस्तावित शोध कार्य के उद्देश्य	
6.	प्रस्तावित शोध कार्य के विषय में अब तक हुए शोध कार्य की समीक्षा	
7.	प्रस्तावित शोध कार्य में पाया गया शोध अन्तराल	
8.	मुख्य परिकल्पना	
9.	प्रस्तावित शोध कार्य की प्रविधि	
10.	प्रस्तावित शोध कार्य की प्रदर्श चयन तकनीक	
11.	प्रस्तावित शोध कार्य के प्राथमिक स्रोत	
12.	प्रस्तावित शोध कार्य के द्वितीयक स्रोत	
13.	संभावित अध्याय योजना	
14.	शोध प्रारूप में उल्लेखित संदर्भ ग्रंथ/शोध पत्रिकाएँ/शोध आलेख इत्यादि की सूची	

शोधार्थी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

प्रस्तावित शोध प्रारूप अनुमोदनार्थ अग्रेषित

शोध परामर्शी के हस्ताक्षर (अगर हो)
दिनांक एवं मुद्रा

शोध कार्य का छः माही प्रगति विवरण

1.	शोधार्थी का विवरण	
(क)	नम	
(ख)	पदनाम (यदि लागू हो)	
(ग)	संस्थान का नाम जहाँ कार्यरत हैं (यदि लागू हो)	
(घ)	प्रगति विवरण की समयावधि	
2.	पंजीकरण पत्र क्रमांक एवं दिनांक	
3.	शोध पंजीकरण शीर्षक (हिन्दी में)	
4.	शोध परामर्शी (को) का विवरण (अगर हो तो)	
	शोध परामर्शी	
	(क) नाम	
	(ख) पदनाम	
	(ग)संस्था जहाँ पर कार्यरत है	
5.	शोध केन्द्र/संस्थान का नाम जहाँ शोधकार्य संपादित किया गया	
6.	शोध क्षेत्र एवं प्रस्तावित शोध का शीर्षक	
7.	प्रगति विवरण	
(क)	क्या शोधार्थी द्वारा प्रगति विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है।	
(ख)	क्या शोध पत्रों का प्रकाशन किया गया है? यदि हाँ तो विवरण देवें।	
(ग)	क्या संगोष्ठी/सम्मेलन आदि में सहभागिता की गई है? यदि हाँ तो विवरण देवें।	
8.	क्या लागू सत्र हेतु शोधकार्य शुल्क जमा करवा दिया गया है? यदि हाँ तो रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	

दिनांक **शोधार्थी के हस्ताक्षर**

9. परामर्शी टीप
(क) उपस्थिति
(ख) प्रगति
(ग) शोधकार्य पूर्ण होने का अनुमानित समय

10. शोध परामर्शी की संस्तुति
दिनांक **शोध परामर्शी(कों) के हस्ताक्षर**
स्थान (अगर हो तो)

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
विभागाध्यक्ष/प्रभारी
शोध केन्द्र

हस्ताक्षर मुद्रा सहित
प्राचार्य/निदेशक
शोध केन्द

परिशिष्ट –5

अभ्यर्थी के घोषणा–पत्र का प्रारूप

मैं, ...पुत्र/पुत्री .... एतद् द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि शीर्षक ....पर प्रस्तुत शोधग्रंथ मेरे शोध निर्देशक डॉ0......................................के परामर्श में किया गया शोध मौलिक कार्य है। इस शोधकार्य का आंशिक अथवा पूर्ण भाग किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी उपाधि अथवा डिप्लोमा अर्जित करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस शोधकार्य में मैंने आवश्यक प्राथमिक, द्वितीयक स्रोत और सामग्री के संकलन को समुचित रूप से साभार प्रकट करते हुए सम्मिलित किया है। इस शोधग्रंथ की संपूर्ण सामग्री और प्रस्तुति की मौलिकता का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं मैं वहन करता/करती हूँ। विश्वविद्यालय के संबंधित प्रवृत्त अध्यादेश के प्रावधानों की मैंने पूर्ति कर ली है।

दिनांकः

शोधार्थी के हस्ताक्षर

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28/10/2014 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 73
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एक वर्षीय)
विधि – एलएल.एम.

प्रस्तावनाः–

स्नातकोत्तर विधि शिक्षा में उत्तरोत्तर आरेह परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा देश के सभी विश्वविद्यालयों को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र क्रमांक 5–I/99,18 जून 2013 के दिशा निर्देशों के अनुसार अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल ने स्नातकोत्तर विधि (एलएल.एम.) एक वर्षीय पाठ्यक्रम हिन्दी में आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

1. **उद्देशिकाः**–इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर विधि (एलएल.एम.) (एक वर्षीय) के नाम से जाना जायेगा। इस पाठयक्रम का उद्देश्य विधि शिक्षा के क्षेत्र में परम्परागत विषयों तथा आधुनिकतम विषयों में छात्रों को उच्चतर विधिक शिक्षा का ज्ञान देना है।

2. **अवधिः–** स्नातकोत्तर (एक वर्षीय) विधि पाठयक्रम का शिक्षण सत्र एक वर्ष का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।

   इसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में 30 संपर्क घंटे/कक्षा तथा प्रत्येक सेमेस्टर की कुल अवधि 18 सप्ताह होगी। जिसमें कक्षा (पीरियड) अध्यापन, पुस्तकालय कार्य, संगोष्ठी एवं शोध कार्य सम्मिलित होगा।

   एक वर्षीय एलएल .एम. पाठ्यक्रम कुल 24 क्रेडिट का होगा। जिसमे तीन क्रेडिट के अनिवार्य विषय होगे जो 9 क्रेडिट सृजित करेगें और 6 ऐच्छिक विषय होगें, प्रत्येक ऐच्छिक विषय दो क्रेडिट के होगें। तीन क्रेडिट का शोध प्रबंध होगा।

3. **प्रवेश की अर्हता :–**

   1.इस पाठ्यक्रम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी विधि मान्य संस्था से तीन वर्षीय अथवा पॉच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम से स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र एलएल.एम.एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता रखते हैं।

अध्ययन/अध्यापन का माध्यम/प्रवेश प्रक्रिया :–

(1) इस पाठ्यक्रम मे अध्ययन/अध्यापन का माध्यम हिंदी होगा।

(2) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया स्नातक विधि में प्राप्त अंक–मेरिट के आधार पर अथवा प्रवेश परीक्षा (एन्ट्रेन्स टेस्ट) के आधार पर होगी। प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण इस विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् ध्दारा किया जायेगा।

4 1.प्रवेश प्रक्रिया में मध्यप्रदेश शासन ध्दारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

2. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश संख्या विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. **उपस्थिति–**

अध्ययनरत् छात्र /छात्राओं को सैद्धांतिक सतत् मूल्याकांन एवं परियोजना कार्य मे पृथक पृथक 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष प्रकरणों में विश्वविद्यालय के परीक्षा के सामान्य प्रावधानो के अंन्तर्गत परीक्षार्थी की उपस्थिति मे 15 प्रतिशत् उपस्थिति शिथिल (छूट) की जा सकती है। ऐसे छात्र/छात्रायें जो उपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा मे सम्मिलित होने के पात्र नही है उन्हे संबधित सेमेस्टर मे पुनः प्रवेश लेना होगा । ऐसे विद्यार्थियों को पूर्व मे आवंटित नामांकन क्रमांक यथावत रहेगा।

7.* **परीक्षा शुल्क** –

विश्वविद्यालय द्वारा समय समय निर्धारित शुल्क देय होगा।

परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकनः–

(अ) विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् द्वारा अनुमोदित एवं विहित अध्यापन, परीक्षा एवं पाठ्य विवरण प्रणाली (स्कीम) के अनुसार स्नातकोत्तर उपाधि के लिए परीक्षा संचालित करेगा।

(ब) विश्वविद्यालय की यह परीक्षा उन छात्र/छात्राओं के लिए होगी जो इस विश्वविद्यालय के नियमित छात्र है। यह पाठ्यक्रम एक वर्ष का होगा।

*(स) *(1) एल–एल.एम. एक वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अधिकतम दो प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी तथा इन विद्यार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा देने का अवसर दिया जायेगा। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल ऐसे विद्यार्थी यदि प्रथम सेमेस्टर के प्रश्न पत्र (अनुत्तीर्ण विषय) में पुनः अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें आगामी सत्र की प्रथम सेमेस्टर की पुर्नपरीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में शामिल होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा ।*

(2) द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अधिकतम दो प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को आगामी सत्र की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ आयोजित द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा (अनुत्तीर्ण विषय) में शामिल होने का अवसर दिया जायेगा । यदि ये विद्यार्थी इस विषय/विषयों में पुनः अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें सत्रांत में आयोजित द्वितीय सेमेस्टर की पूर्व परीक्षा में पूर्व विद्यार्थी के रूप में शामिल होने का अंतिम अवसर प्रदान किया जायेगा ।

(3) प्रथम सेमेस्टर के समस्त विषयों में उत्तीर्ण घोषित होने के पश्चात ही द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किया जा सकेगा ।

(4) दो से अधिक विषयों में उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण घोषित होंगे । अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को पूर्व विद्यार्थियों के रूप में परीक्षा में शामिल होने का एक ही अवसर संबंधित सेमेस्टर की आगामी सत्र की परीक्षा के साथ ही दिया जायेगा ।

(5) द्वितीय सेमेस्टर में लघुशोध प्रबंध के अंक अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की आगामी परीक्षा में अग्रनीत (कैरी फारवर्ड) किये जायेंगे ।

सेमेस्टर परीक्षा संचालन

(1) सभी सेमेस्टर परीक्षायें इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जायेंगी।

(2) सैद्धांतिक, लोक शोध प्रबन्ध (डेजरटेशन) प्रतिवेदन परियोजना का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

शोध प्रबन्धः–

लधु शोध प्रबन्ध 100 अंक का होगा जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक/परीक्षकों द्वारा किया जायेगा।

8. **सम्बद्ध विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने अंक एवं श्रेणी प्रदान से सम्बन्धित उपबन्धः–**

सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्र को प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक/परियोजना सतत् मूल्यकंन परियोजना न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा सभी विषयों को मिलाकर 50 प्रतिशत अंक आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षा को सम्मिलित करके प्राप्त करना होगा।

9 परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के दोनो सेमेस्टर के प्रप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वांइट औसत (CGPA) मे दिया जायेगा। श्रेणी और ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–38 क्रेडिट एवं श्रेणी निर्धारण द्वारा निर्धारित होगी।

10 श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जिसे (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंक सूची मे अंकित होगा।

11 पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नही है।

12 अध्यादेश की व्याख्या मे किसी विवाद अथवा मत भिन्नता की स्थिति में विद्या परिषद/ कार्यपरिषद का निर्णय अन्तिम और बन्धनकारी होगा।

उपाधि प्रदान करना–

1. विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/ छात्रा को जिसने एलएलएम की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विधि की उपाधि प्रदान करेगा। कोई भी छात्र/छात्रा जिसने नियमित छात्र के रूप मे विधि संकाय मे प्रवेश लिया है और उसने पाठ्यक्रम लधु शोध प्रबन्ध/संगोष्ठी लेख – जैसा कि पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट है, निर्धारित समयावधि मे पूर्ण कर लिया है तथा जिसने 50 प्रतिशत अंक अर्जित कर लिया है।वह स्नातकोत्तर विधि उपाधि प्राप्त करने का पात्र होगा।
2. उस छात्र/छात्रा पर कोई अदत राशि देय नही है।
3. उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नही है।

विवादः–इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम और सभी को मान्य होगा ।

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28/10/2014 द्वारा स्वीकृत)

कंडिका 7 की उपकंडिका (स)(1-5)* विद्या परिषद की बैठक दिनाँक 18/01/2017 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28/02/2017 में अनुमोदित । विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमाँक/198/ अकादमी/अबिवाहिविवि/ 2017 दिनांक 12/04/2017 के अनुसार यह संशोधन शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रभावशील होगा ।

अध्यादेश क्रमांक – 74
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
हिंदी–संस्कृत भाषा

1. **शीर्षक** : इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि **हिंदी–संस्कृत भाषा** " के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि** : पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश** : –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता** : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उर्त्तीण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क** : विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति** : किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–संस्कृत भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा** : प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र

के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 75
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (अंशकालीन)
हिंदी–पालि भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि **हिंदी–पालि भाषा''** के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–पालि भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना **भाषा अध्ययन एवं अनुवाद** हेतु गठित अध्ययन मण्डल के द्वारा की जाएगी। सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 प्रतिशत अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य

परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक–76
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (अंशकालीन)
रूपांकन कलाएँ

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि **''रूपांकन कलाएँ''** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 प्रतिशत अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में

सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा।

10.**विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्र.–77
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा
सायबर कानून

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को “**सायबर कानून में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम**“ नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर – दिसम्बर/जनवरी से मार्च/ अप्रैल अवधि में सम्पन्न होगा। इसका संचालन विधि विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :**
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश, अर्हतादायी उपाधि में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नही ले सकेगें।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** भारत के किसी भी विधि मान्य विश्वविद्यालय से न्यूनतम विधि स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी योग्यता माना जायेगा।
5. **स्थान –** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क** : विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते है।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :** पाठ्यक्रम की रचना विधि विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रथम सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे एवं द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र और एक परियोजना कार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप

होगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक एवं 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28/10/2014 द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमांक – 78
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (अंशकालीन)
हिंदी–बोली

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि **हिंदी–बोली** ''पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंको का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम

आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

संशोधित अध्यादेश क्रमांक – 79
(REVISED)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
मत्स्य एवं मत्स्यकी

1. **शीर्षक** : यह पाठ्यक्रम पत्रोपाधि मत्स्य एवं मत्स्यकी के नाम से जाना जायेगा।

2. **अवधि**** : यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।

3. **प्रवेश** :
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में गुणाक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकेगा।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।

4. **अर्हता*** : म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 जीवविज्ञान एवं कृषि विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले सकते हैं।

5. **स्थान** : इस पाठ्यक्रम के लिए 40 स्थान निर्धारित है।

6. **शुल्क** : विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति** : किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

8. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

9. **पाठ्यक्रम**** :– पाठ्यक्रम में 4 सैद्धांतिक प्रश्नपत्र निर्धारित होंगे तथा 01 परियोजना कार्य होगा। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं परियोजना कार्य पर 100 अंक प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित होंगे।

10. **परीक्षा**** :– प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 100 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 70 अंक सैद्धांतिक एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित होंगे। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं परियोजना कार्य के योगफल में 40 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण करने हेतु अर्जित करना होगा। परियोजना कार्य मौखिकी निर्धारित समय सारिणी अनुसार आयोजित होगी इसके लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- परियोजना एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- परियोजना कार्य परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।

- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेगीं । ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

11 **विवाद :–** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्/कार्य परिषद/कुलपति जी द्वारा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

---

* कंडिका क्रमाँक 4 में विद्या परिषद की बैठक दिनांक 22/06/2015 एवं कार्य परिषद की बैठक दिनांक 24/06/2015 द्वारा अनुमोदन कर अर्हता में जीव विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान भी जोड़ा गया है।

** कंडिका क्रमाँक 2,9, एवं 10 विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में संशोधन अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमांक – 80
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

1. **शीर्षक** : इस पाठ्यक्रम को पत्रोपाधि ''**पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान**'' नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि** : पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश** :
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अहर्तादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविघालय प्रवेश सम्बन्धी नियमों में समय पर संशोधन करने का अधिकार होगा।
4. **अहर्तादायी योग्यता** : म.प्र शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा अथवा विधि मान्य शिक्षा मंडल अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यार्थी को इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अहर्तादायी परीक्षा माना जायेगा।
5. **शुल्क** : विश्वविघालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्तिथि** : किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्तिथि न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. , एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, (जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम** : पाठ्यक्रम की रचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में पत्रोपाधि हेतु गठित पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्न पत्र होंगे। प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा** : प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णाक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। जिसमें बाध्य परीक्षा 70 अंकों की होंगी, तथा आतंरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 100 अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविघालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश क्रमांक–7 के अनुसार संपन्न होगी। पुनमूल्यांकन और एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा।

10. **विवाद** : इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मदभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविघालय की विधा परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 81
पत्रोपाधि (अंशकालीन) पाठ्यक्रम
मराठी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **मराठी भाषा''** पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। प्रथम सेमेस्टर – जुलाई/अगस्त से नवम्बर/ दिसम्बर द्वितीय सेमेस्टर– दिसम्बर/जनवरी से मार्च/अप्रैल अवधि में सम्पन्न होगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन का माध्यम हिंदी, मराठी भाषा होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :** पाठ्यक्रम की रचना **भाषा अध्ययन एवं अनुवाद** हेतु गठित अध्ययन मण्डल के द्वारा की जाएगी। सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा

किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन, एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10.**विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 82
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
आयुर्वेद पंचगव्य चिकित्सा पद्धति

1. **शीर्षक** : यह कार्यक्रम पत्रोपाधि पाठ्यक्रम आयुर्वेद पंचगव्य चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। इसे दो सेमेस्टर में विभाजित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :**
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकेगे।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 40 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस. सी में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति, उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम** :–
   - प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - इस प्रकार से विद्यार्थी को एक वर्ष में कुल 6 सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों प्रत्येक के 100 अंक कुल 600 अंक तथा 2 परियोजना कार्य प्रत्येक के 100 अंक कुल 200 अंक का अध्ययन करना होगा।
10. **परीक्षा–**

- प्रत्येक सैद्धांातिक एवं परियोजना प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे (सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 70 अंक बाह्य मूल्यांकन एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे) उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
- प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्राश्निक एवं परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 07 अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन एवं ए.टी.के.टी का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवादः** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 83
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य

1. **शीर्षक** : यह कार्यक्रम पत्रोपाधि पाठ्यक्रम पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि** : पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। इसे दो सेमेस्टर में विभाजित किया जायेगा।
3. **प्रवेश** :
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकेंगे।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता** : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले सकते हैं।
5. **स्थान** : इस पाठ्यक्रम के लिए 40 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क** : विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति** : परीक्षा में सम्मलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति, उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. पाठ्यक्रम :–
   - प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - इस प्रकार से विद्यार्थी को एक वर्ष में कुल 6 सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों प्रत्येक के 100 अंक कुल 600 अंक तथा 2 परियोजना कार्य प्रत्येक के 100 अंक कुल 200 अंक का अध्ययन करना होगा।
10. **परीक्षा–**

- प्रत्येक सैद्धांातिक एवं परियोजना प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे (सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 70 अंक बाह्य मूल्यांकन एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे) उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
- प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्राश्निक एवं परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 07 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन एवं ए.टी.के.टी का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवादः** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 84
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
औषधि पादप विज्ञान

1. **शीर्षक** : यह कार्यक्रम पत्रोपाधि पाठ्यक्रम औषधि पादप विज्ञान के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। इसे दो सेमेस्टर में विभाजित किया जायेगा।
3. **प्रवेश :**
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा में गुणानुक्रम के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में भी प्रवेश ले सकेगे।
   (ग) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 किसी भी विषय के साथ उत्तीर्ण छात्र ही प्रवेश ले सकते है।
5. **स्थान :** इस पाठ्यक्रम के लिए 40 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.सी में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति, उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. पाठ्यक्रम :–
   - प्रथम सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - द्वितीय सेमेस्टर में विद्यार्थी को तीन सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों तथा 1 परियोजना कार्य करना होगा।
   - इस प्रकार से विद्यार्थी को एक वर्ष में कुल 6 सैद्धांतिक प्रश्न–पत्रों प्रत्येक के 100 अंक कुल 600 अंक तथा 2 परियोजना कार्य प्रत्येक के 100 अंक कुल 200 अंक का अध्ययन करना होगा।

10. **परीक्षा–**

- प्रत्येक सैद्धांातिक एवं परियोजना प्रश्न पत्रों के अधिकतम अंक 100 होंगे (सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में 70 अंक बाह्य मूल्यांकन एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे) उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
- प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्राश्निक एवं परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश–7 अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन एवं ए.टी.के.टी का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवादः** इस अध्यादेश के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 85
पत्रोपाधि (अंशकालीन) पाठ्यक्रम
अंग्रेजी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **अंग्रेजी भाषा''** पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश :** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्त्तीण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन का माध्यम हिंदी, अंग्रेजी भाषा होगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र, प्रत्येक 100 अंकों के होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को परियोजना कार्य करना होगा।
9. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा। प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्र/छात्राओं को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्त्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र में 70 अंक सत्रांत में लिखित परीक्षा के होंगे। मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा होगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में एक प्रश्नपत्र परियोजना कार्य 100 अंकों का होगा। जिसका मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी परन्तु ऐसे परीक्षार्थियों को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन, एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश–7 के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक – 86

स्नातक – चित्रकला (बी.एफ.ए.– पेंटिंग)

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को स्नातक–चित्रकला (बी.एफ.ए.–पैंटिंग), उपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **पाठ्यक्रम का उद्देश्य –**
   I. इस पाठ्यक्रम द्वारा छात्रो को चित्रकला के सैद्धान्तिक और क्रियात्मक ज्ञान में प्रशिक्षित कर निपुण बनाना।
3. **अवधि –** यह उपाधि चार शैक्षणिक वर्ष की होगी, जो आठ सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा। प्रथम वर्ष यानि 2 सेमेस्टर आधार पाठ्यक्रम शेष स्नातक चित्रकला द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ष यानि तृतीय से अष्टम सेमेस्टर तक कुल चार वर्ष होगा।
4. **प्रवेश पात्रता –**
   1. स्नातक–चित्रकला (बी.एफ.ए.–पेंटिंग) के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
   2. अभ्यार्थी का प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्रवेश नियमों में किये गये संशोधनों के अनुसार होगा।
5. **प्रवेश आयु –** प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन नही होगा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति का पालन होगा।
6. **कुल स्थान –** प्रथम सेमेस्टर में स्नातक चित्रकला में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 20 है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
7. **शुल्क –** विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगें
8. **उपस्थिति –**
   I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि से की जाएगी।
   II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :–
      i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)
      ii. विश्वविद्यालय मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)
      iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।
9. **पाठ्यक्रम –** स्नातक–चित्रकला का पाठ्यक्रम 4 वर्षीय या 8 सेमेस्टर का होगा।

I. पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की रूपरेखा सम्बन्धित विषय के अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरान्त विद्या परिषद के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगी।

II. पाठ्यक्रम का अध्यापन और परीक्षा का माध्यम हिंदी होगी।

10. परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्ते :-

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में वे सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं, जो निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करते हैं:-

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) कक्षाओं में पृथक-पृथक उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिए है।

V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

11. परीक्षा योजना - यह पाठ्यक्रम चारवर्षीय होगा।

I. प्रथम वर्ष (प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) आधार पाठ्यक्रम में तीन सैद्धान्तिक और चार क्रियात्मक होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 70 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे।

II. द्वितीय वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष (तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम् और अष्टम् सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो सैद्धान्तिक और चार क्रियात्मक प्रश्नपत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 70 अंक बाहय मूल्यांकन और 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे।

न्यूनतम उत्तीर्णांक-

प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र और क्रियात्मक के आन्तरिक एवं बाह्य मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए अलग-अलग न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

I. विद्यार्थी किसी भी सेमेस्टर में अधिकतम 2 प्रश्नपत्र सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक में मिलाकर अनुत्तीर्ण होता है तो ऐटीकेटी के प्रावधानो के अन्तर्गत अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। विद्यार्थी दो से अधिक प्रश्नपत्र मे अनुत्तीर्ण होने पर अनुत्तीर्ण होगा और अगले सेमेस्टर में "पूर्व छात्र" के रूप मे परीक्षा में सम्मलित हो सकेगा। उत्तीर्ण होने के उपरान्त विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। सम्बन्धित सेमेस्टर में विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रश्न पत्रो/प्रायोगिक और सतत मूल्यांकन मे प्राप्त अंक यथावत रहेगे।

छात्र को सप्तम सेमेस्टर में प्रवेश के पूर्व सभी पूर्व के सेमेस्टर मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

12. परिणाम :-

I. स्नातक चित्रकला पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्राओं जिन्होने सभी सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके प्राप्तांकों के औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत

(CGPA) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **"क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन"** अध्यादेश–38 के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ–1 (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

IV. इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि छः वर्ष होगी।

13. विवाद – इस अध्यादेश मे किसी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की विद्या समिति/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमांक–87

विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग में विदेशी विद्यार्थियों के लिये प्रवेश नियम
(वि0वि0 अधिनियम 2011 की धारा 5 के अंतर्गत)

1. **नाम एवं प्रारंभ :–**यह अध्यादेश ''विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग में विदेशी विद्यार्थियों के लिये प्रवेश नियम'' से जाना जायेगा और उस तिथि से प्रवर्त्त होगें जिस तिथि से साधारण परिषद् अनुमोदित करेगी।

2. **परिभाषाऐं :–**

2.1 विदेशी विद्यार्थियों से अभिप्रेत है किः सभी भारतीय राष्ट्रीयता के विद्यार्थी को छोड़कर अन्य विद्यार्थी ''विदेशी विद्यार्थी'' की श्रेणी में मान्य है।

2.2 विश्वविद्यालय में संचालित सभी पाठ्यक्रमों में विदेशी छात्रों का प्रवेश इस अध्यादेश के साथ समय–समय पर मध्यप्रदेश शासन और केन्द्र शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुरूप होगा और लागू होगा।

2.3 अन्य समस्त परिभाषाऐं शब्द और अभिव्यक्ति जो इस अध्यादेश में उद्धरित है, अटल बिहारी वाजपेंयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, अधिनियम 2011 के अनुसार और अधिनियम के अंतर्गत निर्मित परिनियम अध्यादेश एवं विनियम में वर्णित है मान्य होगें।

3. **प्रवेश प्रक्रिया :–**

3.1 विदेशी विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिये पाठ्यक्रम प्रारंभ के 6 माह पूर्व कुलसचिव को सीधे आवेदन प्रेषित करेगें।

3.2 पाठ्यक्रम के अध्यादेश में निहित सभी शर्ते विदेशी विद्यार्थियों के लिए लागू होगी।

3.3 संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के निर्धारित न्यूनतम अर्हता विदेश के शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त उपाधि, प्रमाणपत्र के समतुल्यता आल इंडिया विश्वविद्यालय के समतुल्य नियमों एवं प्रावधानों के आधार पर मान्य होगी।

3.4 अगर विदेशी विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन दिया है वह अगर पाठ्यक्रम के अध्यादेश में निहित न्यूनतम अर्हता और शर्ते पूर्ण करता है तो विश्वविद्यालय विद्यार्थी को पाठ्यक्रम प्रारंभ के 3 माह पूर्व प्राविधिकी प्रवेश की सूचना विश्वविद्यालय पत्र द्वारा भेजेगी और विद्यार्थी का विस्तृत विवरण के साथ संबंधित भारतीय मिशन को भी सूचित करेगी।

3.5 प्राविधिकी प्रवेश सूचना पत्र के आधार पर संबंधित भारतीय मिशन विद्यार्थी को अध्ययन/विद्यार्थी वीसा संबंधित को विश्वविद्यालय प्रदान करेगा जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थी भारत में आकर विश्वविद्यालय में उपस्थित हो सके।

4. **प्राविधिकी प्रवेश सूचना पत्र निम्न शर्तो के अधीन होगा :–**

4.1 अगर विद्यार्थी चिकित्सा अथवा अन्य कारणों से अनुपयुक्त होता है तो विद्यार्थी द्वारा भारत आने वाले यात्रा व्यय अथवा अन्य किसी व्यय के लिय विश्वविद्यालय उत्तरदायी नही होगा।

4.2 ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्हें प्राविधिकी प्रवेश सूचना पत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया है वह अनिवार्यतः पाठ्यक्रम प्रारंभ की तिथि से 15 दिवस के अंदर विश्वविद्यालय में उपस्थिति की लिखित सूचना देगें अन्यथा प्रवेश स्वमेंव में निरस्त हो जायेगा।

4.3 विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उपस्थित होने के उपरांत विद्यार्थी उस मेडिकल परिक्षण जिस से एड्स के लिए एलाइजा परीक्षण भी है, विद्यार्थी को परीक्षण कराकर चिकित्सा प्रमाणपत्र को उपलब्ध करना होगा।

5. **शुल्क :–**

5.1 प्रत्येक विद्यार्थी को विश्वविद्यालय निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्न शुल्क जमा करना होगा।

5.2 पात्रता प्रमाणपत्र शुल्क

5.3 इमिग्रेशन शुल्क

5.4 प्रथम प्रवेश पर पंजीयन शुल्क

5.5 विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क

5.6 पंजीयन नवीनीकरण शुल्क (प्रतिवर्ष)

5.7 विद्यार्थी जिस वर्ष अध्ययन नही करता है उस वर्ष पंजीयन शुल्क देय नहीं होगा।

6. अध्यादेश 6 (परीक्षा सामान्य) में भाग 4 में स्वाध्यायी छात्र के नियमों के अंतर्गत कोई भी विदेशी छात्र स्वाध्यायी छात्र के रूप में वि0वि0 परीक्षा में सम्मिलित नही हो सकेगा।

7. विश्वविद्यालय अधिकारिता क्षेत्र में विदेशी विद्यार्थी को नागरिकता नही होगी।

8. किसी भी विदेशी विद्यार्थी का प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह विद्यार्थी निम्न प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध नही कराता है।

8.1 विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र

8.2 निर्धारित पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क जमा रसीद

8.3 माइग्रेशन शुल्क

8.4 मूल पासपोर्ट एवं अध्ययन/ छात्र विसा

8.5 निर्धारित चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाणपत्र

8.6 जिला प्रशासन पुलिस विभाग का प्रमाणपत्र जिसमें उल्लेख हो कि विद्यार्थी का विदेशी नागरिक के रूप मे पंजीयन हो गया है

8.7 निर्धारित न्यूनतम अर्हता का मूल प्रमाणपत्र, अंकसूची आचरण प्रमाणपत्र आदि।

9. **अध्ययन का माध्यम :**अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगा।

10. प्रत्येक विद्यार्थी को पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, विसा आदि विश्वविद्यालय कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाणपत्र और अन्य अभिलेख प्राप्त करना होगी। यह सभी प्रमाणपत्र और अभिलेख विश्वविद्यालय किसी एजेन्ट/प्रतिनिधि/मित्र आदि को प्रदान नही करेगा। इस प्रकार विद्यार्थी की स्वंम की उपस्थिति अनिवार्य एवं वाध्यताकारी है।

11. **विवाद** – अध्यादेश की व्याख्या अध्यादेश की व्याख्या मे किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति मे विद्या परिषद्/विद्यावारिधि का निर्णय वाध्यकारी होगा।

संशोधित अध्यादेश क्र.–88
(REVISED)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
हिंदी शीघ्रलेखन

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **हिंदी शीघ्रलेखन** पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि* :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश : –**
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्त्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी छात्र को परीक्षा में प्रविष्ठ होने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **स्थान*** – इस पाठ्यक्रम हेतु 30 स्थान निर्धारित हैं ।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी – भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम* :–** पाठ्यक्रम में कुल 04 प्रश्नपत्र होगें जिसमें से 2 सैद्धांतिक प्रश्नपत्र तथा 2 प्रायोगिक परीक्षाएँ होंगी । प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा । निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार छात्र को प्रायोगिक कार्य करना होगा। हिंदी शीघ्रलेखन में गति 100 शब्द प्रति मिनिट के साथ–साथ मुद्रलेखन में निर्धारित गति 30 शब्द प्रति मिनिट हासिल करनी होगी । शीघ्रलेखन की विषयवस्तु/अनुदेश को कम्प्यूटर टायपिंग द्वारा अनुवाद करना होगा ।
10. **परीक्षा* :** परीक्षा का आयोजन वार्षिक पद्धति से होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक पाने वाले

छात्र/छात्राओं का उत्तीर्ण घोषित किया जावेगा। पाठ्यक्रम में 2 सैद्धांतिक प्रश्नपत्र तथा 2 प्रायोगिक परीक्षाएँ प्रत्येक 100 अंकों की आयोजित होंगी । प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समय–सारिणी अनुसार आयोजित होंगी तथा प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर

ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।

- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेंगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

---

*कंडिका क्रमॉंक 2, 7, 9 एवं 10 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनॉंक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमांक– 89

स्नातक संगणक अनुप्रयोग (बी.सी.ए.)

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को **''स्नातक संगणक अनुप्रयोग''** के नाम से जाना जाएगा।

2. **अवधि :** यह उपाधि तीन अकादमिक वर्ष की होगी, जो छः सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा। इसमें नियमित प्रवेश दिया जाएगा।

3. **प्रवेश :** –

   I. स्नातक संगणक अनुप्रयोग के पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर हायर सेकेन्डरी (10+2) की परीक्षा गणित/भौतिक शास्त्र, वाणिज्य किसी भी विषय समूह के साथ म.प्र. या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   II. अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची के आधार पर या प्रवेश परीक्षा द्वारा होगा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित प्रवेश नियमों के अनुसार होगा।

   III. प्रवेश में म.प्र. शासन के आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

   IV. इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी पाठ्यक्रम अवधि में अन्य किसी भी पाठ्यक्रम (केवल एक अंशकालीन प्रमाणपत्र को छोड़कर) में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

   V. किसी अभ्यर्थी का पाठ्यक्रम में चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यार्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। कुलपति/संकायाध्यक्ष द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समयावधि में वृद्धि कुलपति/संकायाध्यक्ष के अनुमति पर ही की जा सकती है शुल्क जमा करने के उपरांत मानय होगा।

   VI. प्रत्येक विद्यार्थी का प्रवेश अस्थायी होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कभी और किसी भी सेमेस्टर में प्रवेश उचित कारणों के आधार पर निरस्त किया जा सकता है।

   VII. विद्यार्थी का प्रवेश पाना अधिकार नहीं है और प्रवेश समिति विद्यार्थी को बिना कारण प्रवेश अमान्य कर सकती है।

4. **प्रवेश आयु :** प्रवेश आयु के संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होंगे।

5. **पाठ्यक्रम में प्रवेश** हेतु 60 (साठ) स्थान निर्धारित हैं ।

6. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगा।

7. **उपस्थिति–**

I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना विद्यार्थीयों के प्रवेश तिथि से की जाएगी।

II. कुलपति को निम्न लिखित प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट, सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगाः–

i. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस)/एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

ii. विश्वविद्यालयीन मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्यस्तरीय/ राष्ट्रीय और अन्तरविश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

iii. दीर्घ अस्वस्थता (मान्य चिकित्सा द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि उचित कारणों के आधार पर।

8. पाठ्यक्रम :

I. पाठ्यक्रम विषय के अध्ययन मंडल द्वारा अनुमोदित एवं अकादमिक समिति की अनुशंसा उपरांत मान्य होगा।

II. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

III. सेमेस्टर प्रथम से षष्ठम तक विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए संचालित आधार विषय का एक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र अनिवार्य होगा।

IV. सेमेस्टर प्रथम से पंचम तक चार सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं एक प्रयोगिक कार्य 100 अंकों के होंगे।

V. सेमेस्टर षष्टम में तीन सैद्धांतिक प्रश्नपत्र, एक प्रायोगिक कार्य और एक परियोजना कार्य होगा प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा।

VI. परियोजना कार्य और प्रायोगिक कार्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

9. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों के लिए पात्रता एवं शर्तेः–

I. विद्यार्थी जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. विद्यार्थी जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. विद्यार्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी देय शुल्क जमा कर दिया है।

IV. विद्यार्थी जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं लगाई है।

10. परीक्षा रूपरेखा*:–

I. विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 7 परीक्षा संचालन सामान्य एवं अध्यादेश क्र.38 के अंतर्गत संचालित होगी।

II. सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के 100 में 70 अंक प्राश्निक एवं 30 अंक आन्तरिक सतत् मूल्यांकन के होंगे। सतत् मूल्यांकन कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

III. सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के प्राश्निक और आन्तरिक सतत् मूल्यांकन, प्रायोकिक कार्य तथा परियोजना कार्य में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक में पृथक पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।

IV. विद्यार्थी जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/ विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों उन प्रकरणों में विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदन उपरांत विद्यार्थी का सतत् मूल्यांकन हो सकता है।

V. अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में अग्रनीत (कैरिड) होंगे।

VI. किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी को सैद्धांतिक प्रायोगिक या आंतरिक सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) और चतुर्थ सेमेस्टर तक चार प्रश्नपत्रों या प्रायोगिक कार्य या आंतरिक सतत् मूल्यांकन में ही ए.टी.के.टी. की पात्रता होगा।

VII. **विद्यार्थियों को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) उत्तीर्ण करने होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के अपात्र होंगे।* ***(विलोपित)***

VIII. ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और परीक्षा आयोजित नहीं होगी।

11. सेमेस्टर में प्रमोशनः–

I. प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी निम्नलिखित स्थितियों में आगामी सेमेस्टर के पात्र नहीं होंगेः–

i. विद्यार्थी की पाठ्यक्रम में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है।

अथवा

विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत है, किन्तु परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा है।

ii. विद्याथी्र जो दो विषयों से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें अनुत्तीर्ण माना जाएगा और वे ‘‘पूर्व विद्यार्थी’’ के रूप में संबंधित सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।

II. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी परिणाम की किसी भी सेमेस्टर में उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है और/या किसी कारणवश परीक्षा

आवेदन पत्र नहीं भर पाए है तो वह संबंधित सेमेस्टर में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे विद्याथी को उस सेमेस्टर में पुनः प्रवेश लेना होगा।

12. पंचम सेमेस्टर में प्रवेश नीतिः–

पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व विद्यार्थियों को प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अनिवार्य है।

परिणामः–

I. परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 07 एवं अध्यादेश क्र. 38 के अनुसार संचालित होगा।

II. स्नातक संगणक अनुप्रयोग पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।

13. इस अध्यादेश में किसी भी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद होने पर निराकरण एवं निर्णय का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। जिसका निर्णय अंतिम होगा।

***कंडिका क्रमॉंक 10 परीक्षा रूपरेखा की उपकंडिका (vii) को निम्न अधिसूचना के परिपालन में विलोपित किया गया ।**

***अधिसूचना क्रमॉंक 179/अविबाहिविवि/परीक्षा/एफ–5/2017 दिनॉंक 30/11/2017 के अनुसार अध्यादेश की कंडिका क्रमॉंक 33(अ) एवं (ब) को विलोपित किया जाता है । कार्यपरिषद की बैठक दिनॉंक 01/09/2017 द्वारा उक्त संशोधन अनुमोदित किया गया तथा म.प्र.शासन के मार्गदर्शी सिद्धॉंत की निम्न कंडिकाओं को स्थापित किया जाता है –**

8.4.1 स्नातक कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम –

6. **सेमेस्टर के अंत में संबंधित सेमेस्टर की सभी सैद्धॉंतिक एवं प्रायोगिक (जहॉं लागू हों) विषयों की परीक्षा होगी ।**
7. **दो विषयों के प्रश्न पत्रों में (सैद्धॉंतिक एवं प्रायोगिक जहॉं लागू है) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को ए.टी.के.टी. की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा ।**
8. **विद्यार्थी एक समय में चार एटीकेटी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक विषयों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी ।**
9. **स्नातक पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी ।**
10. **विशेष परीक्षार्थी : राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रमों में प्रतिभागिता के कारण विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में पूर्णतः अथवा आंशिक अनुपस्थिति विद्यार्थियों को आगामी सत्र में आयोजित सेमेस्टर परीक्षाओं में (संबंधित सम/विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ) एटीकेटी विद्यार्थी के रूप में नहीं बल्कि ''विशेष परीक्षार्थी'' के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता होगी । एवं**

8.4.2 स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :

5. **सेमेस्टर के अंत में निर्धारित सभी सैद्धॉंतिक एवं प्रायोगिक (जहॉं लागू हों) प्रश्नपत्रों की परीक्षा होगी ।**
6. **दो प्रश्नपत्रों में (सैद्धॉंतिक एवं प्रायोगिक जहॉं लागू हैं) अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी को एटीकेटी की पात्रता होगी, अर्थात विद्यार्थी को अगले सेमेस्टर में स्वतः प्रवेश मिल सकेगा ।**
7. **विद्यार्थी एक समय में चार एटीकेटी के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश पा सकेगा, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में दो से अधिक प्रश्नपत्रों में एटीकेटी की पात्रता नहीं होगी ।**
8. **स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की होगी को प्रतिस्थापित किया जाता है ।**

अध्यादेश क्रमांक 90

स्नातकोत्तर नाट्यकला

1. **शीर्षक –** इस पाठ्यक्रम को **स्नातकोत्तर नाट्यकला अथवा मास्टर ऑफ ड्रामैटिक (एम.ए.)** नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :–** स्नातकोत्तर नाट्यकला पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश :–**
   I. स्नातकोत्तर नाट्यकला पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी।
   II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर नाट्यकला पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे।
   III. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थी को प्रवेश देगी।

   अथवा

   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के अकादमिक समिति/कार्यपरिषद समिति का होगा।
   IV. स्नातकोत्तर नाट्यकला पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को आयु सीमा की छुट है ।
   V. प्रवेश में म.प्र.शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।
4. इस पाठक्रम में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हें न्यूनाधिक कर सकते हैं।
5. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।
6. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।
7. **परीक्षा रूपरेखा :–** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

8. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :-**

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थिति कंडिका 5 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूर्व विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया गया हो।

VI. छात्र/छात्रा को अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व सेमेस्टर परीक्षा को उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, परंतु छात्र/छात्राएँ जिन्हें ए.टी.के.टी. के नियमों के अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्र हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रश्नपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए. टी.के.टी. प्राप्त हुई है; उन्हे अग्र में सम्मिलित होने के पात्रता नहीं रहेगी। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत अग्र सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ए.टी.के.टी. की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ होगी। ए.टी.के.टी. परीक्षा के लिए विशेष परीक्षा/पूरक परीक्षा आयोजित नहीं होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्टर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

VII. भूतपूर्व छात्र विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अंतर्गत सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

VIII. विषय के विभागाध्यक्ष, कार्य योजना/आंतरिक मूल्यांकन में अनुत्तीर्ण उपरांत ए.टी.के.टी. परीक्षा संबंधित विभाग कराएगा।

IX. प्रत्येक प्रश्नपत्र में 30 प्रतिशत आंतरिक मूल्यांकन का अंक निर्धारित है, जिसके मूल्यांकन का कार्य विषय विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/समन्वयक आंतरिक परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। सतत् आंतरिक मूल्यांकन में विद्यार्थी को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

X. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक कार्य, कार्ययोजना/लघुशोध प्रबंध में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

9. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत अकादमिक समिति के अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

10. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार का अवसर, सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरांत कर सकता है। श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन कर सकता है। चयन किए गए प्रश्नपत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड

सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर के स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।
12. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर परीक्षा के चारों सेमेस्टर के प्राप्तांक के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (ब्लच।) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के विनियम ''क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण'' द्वारा निर्धारित होगी।
13. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु.कृ.-1(कुलपति कृपांक-1), छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।
14. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकता है।
15. स्नातकोत्तर नाट्यकला विभाग का पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।
16. **अध्यादेश की व्याख्या :-** अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

संशोधित अध्यादेश क्र. 91*
(REVISED)
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
'सुगम–संगीत' तथा 'नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच'

1. **शीर्षक :** इस अध्यादेश के अंतर्गत दो पत्रोपाधि पाठ्यक्रम ''**सुगम–संगीत**'' तथा ''**नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच**'' **संचालित होंगे** । इन दोनों पाठ्यक्रमों की प्रकृति एक समान होने के कारण इन्हें एक ही अध्यादेश से संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।
2. **अवधि :** ये दोनों पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होंगे। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी पाठ्यक्रम की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :– इन** पाठ्यक्रमों की रचना सुगम-संगीत (ललितकला) तथा नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच पत्रोपाधि हेतु गठित अध्ययन मंडल के द्वारा की जायेगी । प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें से 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त करने होंगे।
   सुगम संगीत पाठ्यक्रम के सत्रांत में कुल 4 प्रश्नपत्र होंगे जिनमें से प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक तथा तृतीय एवं चतुर्थ प्रायोगिक होंगे।
   नाट्यशास्त्र एवं रंगमंच पाठ्यक्रम के सत्रांत में कुल 4 प्रश्नपत्र होंगे जिनमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक तथा चतुर्थ प्रायोगिक होंगे।

9. परीक्षा : पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन कार्य आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों द्वारा होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

- प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।
- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर

होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।

- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनो परीक्षाओं में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

10. **विवाद** : इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

---

* विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/8/2018 में संशोधन अनुमोदित किया गया ।

अध्यादेश क्र. 92

स्नातक चलिष्णुता विज्ञान

(बी.एम.एससी.)

1. **शीर्षक :** यह पाठ्यक्रम स्नातक चलिष्णुता विज्ञान (बी.एम.एससी) के नाम से होगा।
2. **उद्देश्य :** राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकलांग व्यक्ति 2006 के अनुच्छेद 48 के सन्दर्भ में दृष्टिबाधित व्यक्ति एवं दृष्टिबाधित के साथ अन्य विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति सुरक्षा के साथ अपने क्रियाकलाप और यात्रा कर सके, की पूर्ति हेतु संचालित है। इस पाठ्यक्रम के द्वारा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदेशक/प्रशिक्षक तैयार करना है। यह रोजागारोन्मुखी पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय और भारत सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र के अनुबन्ध संचालित होगा।
3. **अवधिः-** पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष होगी।
4. **प्रवेश नियम : -**

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले इच्छुक अभ्यार्थियों की न्यूनतम योग्यता कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक होगी।

   (ख) अभ्यार्थी को इस विश्वविद्यालय अथवा विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

   (ग) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश ''प्रवेश परीक्षा'' अथवा मेरिट के आधार पर होगा। जिसका निर्णय विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय विकलांगता पुनर्वास केन्द्र के द्वारा संयुक्त निर्णय से होगा।

   (घ) प्रवेश म.प्र. आरक्षण नियम अनुसार होगा।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण, परीक्षा और अन्स सभी शुलक देय होगा।
6. अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी-भाषा होगी।
7. **पाठ्यक्रम :-**

   (क) भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित और इस विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम मान्य होगा।

   (ख) प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षणिक वर्ष में आठ सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और एक प्रायोगिक कार्य करना होगा।

   (ग) पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के लिए न्यूनतम 220 दिवस अथवा 1320 कार्यलयीन घंटे इसमें परीक्षा दिवस सम्मिलित है, निर्धारित है।

   (घ) सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों के लिए 480 घंटे और प्रायोगिक कार्य के लिए 80 घंटे निर्धारित है।
8. **परीक्षा रूपरेखाः**
   1. परीक्षा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 7 परीक्षा सामान्य द्वारा संचालित होगी।

2. यह एक वर्षीय पाठ्यक्रम है अतः इस पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों की परीक्षा सत्रान्त में आयोजित होगी।
3. इस पाठ्यक्रम में कुल आठ सैद्धांतिक प्रश्न पत्र एवं एक प्रायोगिक परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित है। इस प्रकार कुल 900 अंकों की परीक्षा होगी।
4. प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र/विषय में 90 प्रतिशत प्राश्निक और शेष 10 प्रतिशत अंक आंतरिक के होंगे। आंतरिक मूल्यांकन विभाग द्वारा होगा।
5. प्रायोगिक परीक्षा में 75 प्रतिशत प्रायोगिक कार्य और 25 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। प्रायोगिक परीक्षा का मूल्यांकन बाह्य एवं आंतरिक परीक्षा द्वारा संयुक्त रूप से होगा।

9. परीक्षा परिणामः–

I. प्रत्येक सैद्धांतिक/विषय में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 40 प्रतिशत (प्राश्निक एवं आंतरिक सहित) अर्जित करना अनिवार्य होगा।

II. प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक (प्रायोगिक कार्य एवं आंतरिक सहित) अर्जित करना अनिवार्य होगा।

III. विद्यार्थी दो से अधिक प्रश्न पत्र, विषय एवं प्रायोगिक सहित में अनुत्तीर्ण होने पर परिणाम अनुत्तीर्ण होगा और इस पाठ्यक्रम से बाहर हो जावेगा।

IV. विद्यार्थी अगर अधिकतम दो विषय या प्रायोगिक में अनुत्तीर्ण होने पर पूरक श्रेणी में होगा। ऐसे विद्यार्थी का आगामी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिये दो अवसर प्राप्त होगा। अगर दो अवसर में भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो पाठ्यक्रम से बाहर हो जायेगा।

V. पूरक परीक्षा अलग से नहीं होगी बल्कि आगामी परीक्षा में ही विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।

VI. विशेष परीक्षा या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा। विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने पर अधिकतम दो प्रश्न पत्र/ विषय में पुनर्गणना करा सकता है। प्रायोगिक परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा।

VII. उत्तीर्ण विद्यार्थी का परिणाम की श्रेणी–प्रथम श्रेणी 60 प्रतिशत, द्वितीय श्रेणी 48 प्रतिशत एवं तृतीय श्रेणी 40 प्रतिशत होगी। अंकों के प्रतिशत की गणना विद्यार्थी द्वारा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अर्जित प्राप्तांकों का योग होगा।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश–93
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
धरोहर प्रबंधन एवं संग्रहालय विज्ञान

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को धरोहर प्रबंधन एवं संग्रहालय विज्ञान स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन इतिहास विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी उपाधि में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्रापत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायाी योग्यता माना जायेगा।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी – भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की संरचना इतिहास विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रथम सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे और एक परियोजना कार्य परीक्षा भी होगी। द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे एक परियोजना कार्य एवं मौखिकी होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
9. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णाक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होंगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा निर्धारित है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक

के द्वारा किया जावेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश–94
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका संचालन इतिहास विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी उपाधि में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधित किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या मान्यता प्रापत समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायाी योग्यता माना जायेगा।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी – भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की संरचना इतिहास विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी। प्रथम सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे और एक परियोजना कार्य परीक्षा भी होगी। द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे एक परियोजना कार्य एवं मौखिकी होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र एवं परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
9. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा योगफल में 50 प्रतिशत अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप होंगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा निर्धारित है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक

के द्वारा किया जावेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

संशोधित अध्यादेश क्रमाँक –95*
(REVISED)
संगणक अनुप्रयोग पत्रोपाधि (डी.सी.ए.)

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम ''संगणक अनुप्रयोग'' पत्रोपाधि पाठ्यक्रम नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि*** : पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा तथा वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश** :– प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता** : मध्यप्रदेश माध्यामिक शिक्षा मंडल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकेंगे।
5. **शुल्क** : विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति** : किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम** : अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम* :–** वार्षिक परीक्षा पद्धति में चार प्रश्नपत्र सैद्धांतिक होंगे तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें से 70 अंक परीक्षा तथा 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन में विभाजित होंगे। इसके अतिरिक्त एक परियोजना कार्य –50 तथा एक प्रायोगिक कार्य– 50 अंक का होगा। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 500 अंकों का होगा।
9. **परीक्षा*** : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 07 परीक्षा सामान्य के अनुसार संचालित होगी। जिसमे सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक/परियोजना कार्य सभी में 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में अर्जित करने होंगे।
   - प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।
   - विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके

पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी।

- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।

- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

10. **विवाद** : इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.02.2017 द्वारा स्वीकृत)

***** कंडिका क्रमॉंक 2, 8 एवं 9 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनॉंक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

अध्यादेश क्रमाँक – 96
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
पर्यावरणीय विधि

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय विधि में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका विधि विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी उपाधि में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी योग्यता माना जायेगा।
5. **स्थानः–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना विधि विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी तथा प्रथम सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे एवं प्रस्तुतीकरण, परियोजना कार्य व शोधपत्र लेखन विधि से संबंधित होगा तथा द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र और एक लघुशोध प्रबंध होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा सकल योगफल में 50 प्रशित अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्अर के अनुरूप

होगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक एवं 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमाँक – 97
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
बौद्धिक सम्पदा अधिकार

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को ''बौद्धिक संपदा अधिकार में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम'' नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा। इसका विधि विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3. **प्रवेश :** –

   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हतादायी उपाधि में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक परीक्षा या मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस पाठ्यक्रम के लिए अर्हतादायी योग्यता माना जायेगा।
5. **स्थानः–** इस पाठ्यक्रम के लिए 25 स्थान निर्धारित है।
6. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी – भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना विधि विभाग की पाठ्यक्रम समिति के द्वारा की जावेगी तथा प्रथम सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र होंगे एवं प्रस्तुतीकरण, परियोजना कार्य व शोधपत्र लेखन विधि से संबंधित होगा तथा द्वितीय सेमेस्टर में तीन प्रश्नपत्र और एक लघुशोध प्रबंध होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं परियोजना कार्य 100 अंक का होगा।
10. **परीक्षा :** प्रथम सेमेस्टर में प्रत्येक में न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा सकल योगफल में 50 प्रशित अंक पाने वाले विद्यार्थियों को ही द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश मिल सकेगा। द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्णांक प्रथम सेमेस्टर के अनुरूप

होगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक एवं 70 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित है। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश 7 के अनुसार सम्पन्न होगी। पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं रहेगा।

11. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/ कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमाँक–98

स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार अथवा मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन (एम.जे.एम.सी.) के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि : –** स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार दो अकादमिक वर्षों का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।
3. **अर्हता एवं प्रवेश : –**

   I. स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक होगी।

   II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या सम–विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र होगा।

   III. अभ्यार्थी स्नातक स्तर पर अध्ययन किए गए विषयों के अतिरिक्त स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इस पाठ्यक्रम में पत्रकारिता, संचार एवं समकक्ष स्तर के स्नातक अभ्यार्थियों को प्रथम वरीयता, कला स्नातक को द्वितीय वरीयता प्रवेश हेतु प्राप्त होगी। रिक्तता एवं प्रवीणता के आधार पर विज्ञान, विधि, वाणिज्य, प्रबंधन एवं अन्य विषयों के स्नातकों को प्रवेश पात्रता होगी।उ

   IV. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यार्थी को प्रवेश देगी।

   अथवा

   विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्या परिषद/कार्यपरिषद स्वीकृति उपरांत लागू होगा।

   V. स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की 1 जुलाई को आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगी। अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। महिला प्रायोजित अभ्यार्थी एवं सैन्य सेवाओं में सेवारत अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। निशक्तजन वग्र के आवेदकों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है।

VI. स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

VII. अन्य मान्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं इस विश्वविद्यालय के अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते है। परन्तु प्रवेश पूव्र विषय की अध्ययन मंडल की स्वीकृति उपरांत कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।

4. स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति न्यूनाधिक कर सकते हैं

5. **उपस्थिति** : प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की सैद्धांतिक/ प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य है। विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों मे भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/सांस्कृतिक/शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में संक्षम अधिकारी के प्रमाण-पत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकाय अध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

6. **शुल्क** : विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय-समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

7. **माध्यम :-**

   1. अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।

8. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता** : विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश- 7 परीक्षा सामान्य के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

9. पाठ्यक्रम संरचना और अंक विभाजन विषय की अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरांत अकादमिक समिति को अनुमोदन उपरांत मान्य होगा।

10. विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए प्रति सेमेस्टर अधिकतम दो प्रश्नपत्रों का चयन विद्यार्थी कर सकता है। चयन किए गए प्रश्न-पत्रों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में ही सम्मिलित होगा। विद्यार्थी को श्रेणी/ग्रेड सुधार के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत परीक्षा आवेदन प्रस्तुत करेगा।

11. छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम घोषणा उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके स्वयं की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर सकता है।

12. छात्र/छात्रा स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम के चारों सेमेस्टरों में उत्तीर्ण होने के उपरांत किसी विषय के एक या एक से अधिक वैकल्पिक प्रश्न-पत्र की परीक्षा में निर्धारित शुल्क जमा कर संबंधित सेमेस्टर में परीक्षा दे

सकता है। उत्तीर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी को प्रमाण–पत्र दिया जाएगा मूल अंकसूची में अतिरिक्त विषय अंकित नहीं होगा।

13. परीक्षा का परिणाम स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम की परीक्षाा के चारों सेमेस्टरों के प्राप्तांको के योगफल के आधार पर श्रेणी और ग्रेड प्वाइंट औसत (सी.जी.पी.ए.) में दिया जाएगा। श्रेणी एवं ग्रेड विश्वविद्यालय के अध्योदश–38 'क्रेडिट और श्रेणी निर्धारण' द्वारा निर्धारित होगी।

14. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा जो कु.कृ.–1 (कुलपति कृपांक–1), छात्र–छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

15. पुर्नमूल्यांकन का प्रावधान नहीं हैं विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् पुर्नगणना के लिए आवेदन कर सकता है।

16. स्नातकोत्तर पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम पूण्र करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

17. अध्यादेश की व्याख्या– अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मत भिन्नता की स्थिति में विद्या परिषद/ कार्य परिषद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमाँक-99
स्नातक शिक्षा (बी.एड)

1. शीर्षक :- यह पाठ्यक्रम स्नातक शिक्षा (बैचलर ऑफ एज्यूकेशन- बी.एड.) के नाम से होगा।

2. अवधि : - इस पाठ्यक्रम की अवधि दो अकादमिक वर्ष की होगी। प्रत्येक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। यह पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम होगा। छात्रों को पाठ्यक्रत के प्रवेश दिनांक से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि के अर्न्तगत कार्यक्रम पूर्ण करने की छूट होगी।

3. अर्हता एवं प्रवेश : -

(क) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता स्नातक उपाधि-विज्ञान, वाणिज्य, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, अभियांत्रिकी जिसमें गणित और विज्ञान की विशेषज्ञता होगी।

(ख) अभ्यर्थी इस विश्वविद्यालय या अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त होने पर प्रवेश के पात्र होगें।

(ग) स्नातक उपाधि (अभियांत्रिकी को छोड़कर) अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(घ) स्नातक अभियांत्रिकी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी के लिए 55 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा।

(ड) अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों के लिए स्नातक उपाधि में प्राप्त अंकों में 5 प्रतिशत की छूट होगी।

4. प्रवेश प्रक्रिया :-

(क) पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट के आधार पर अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा अथवा म.प्र. शासन के नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(ख) प्रवेश में म.प्र. शासन के आरक्षण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

5. स्थान :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार होगा।

6. शुल्क :- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क देय होगा। शुल्क संरचना के परिवर्तन का अधिकार कार्य परिषद का होगा।

7. माध्यम :- अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

8. उपस्थिति :- सभी पाठ्यक्रम तथा प्रायोगिक कार्य के लिए छात्र-छात्राओं के लिए न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति 90 प्रतिशत होगी । विशेष परिस्थितियों में 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार कुलपति को होगा।

9. पाठ्यक्रम :- पाठ्यक्रम की संरचना एवं अंक विभाजन विश्वविद्यालय शिक्षा विषय अध्ययन मंडल द्वारा किया जायेगा। जो विद्या परिषद द्वारा स्वीकृत उपरान्त प्रभावशील होगा।

10. परीक्षा योजना :-

1. परीक्षा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र. 7 परीक्षा संचालन और अध्यादेश 38 द्वारा संचालित होगी।
2. पुनर्गणना शुल्क जमा करने के उपरान्त पुर्नगणना के लिए पात्र होगा। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है ।

11. अध्यादेश की व्याख्या :- अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्यादेश क्रमाँक–100
स्नातकोत्तर– मत्स्य विज्ञान

10. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर मत्स्य विज्ञान अथवा मास्टर ऑफ फिशरीज साइंस (एम.एफ.एससी.) के नाम से जाना जायेगा।

11. **अवधि : –** स्नातकोत्तर मत्स्य विज्ञान पाठ्यक्रम दो अकादमिक वर्षो का पूर्वकालिक पाठ्यक्रम होगा। एक अकादमिक वर्ष दो सेमेस्टर का होगा। इस प्रकार दो अकादमिक वर्ष का पाठ्यक्रम चार सेमेस्टर का होगा।

12. **अर्हता एवं प्रवेश : –**

I. स्नातकोत्तर मत्स्य विज्ञान पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम योग्यता स्नातक मत्स्य विज्ञान/विज्ञान विषय की होगी।

II. किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालय या विधि मान्य संस्थान या समविश्वविद्यालय से विज्ञान/मत्स्य विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यार्थी इस विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मत्स्य विज्ञान में प्रवेश के पात्र होंगे।

III. अभ्यार्थी स्नातक स्तर विज्ञान/मत्स्य विज्ञान पर अध्ययन किया गया हो तो ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। अंतर विषयक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाठ्यक्रम समिति/विद्यापरिषद की अनुशंसा पर कुलपति को प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा।

IV. अभ्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर कंडिका 4 में दिए गये किसी एक या अधिक विषयों (अभ्यार्थी जिसे स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो) निर्धारित समयावधि में प्रवेश आवेदन दे सकते है।

V. विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति गुणानुक्रम के आधार पर अभ्याथ्री को प्रवेश देगी।

अथवा

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ''स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा'' और प्रवेश के नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्णय या संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद/कार्यपरिषद समिति की स्वीकृति उपरान्त होगा।

VI. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं की 1 जुलाइ को आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अथव म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार।

VII. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश में म.प्र. शासन के आरक्षण नीति और अधिभार का पालन किया जाएगा।

VIII. अन्य मान्य विश्वविद्यालय/संस्थाओं से पूर्णकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राएँ इस विश्वविद्यालय में अग्र सेमेस्टर में प्रवेश ले सकते है, परन्तु प्रवेश पूव्र विषय की

पाठ्यक्रम समिति/अध्ययन मण्डल की अनुशंसा उपरान्त कुलपति की अनुमति अनिवार्य है।

13. प्रत्येक विषय मे प्रवेश की न्यूनतम संख्या 20 है। विषय विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति इन्हे न्यूनाधिक कर सकते है।

14. **उपस्थिति :–** प्रत्येक सेमेस्टर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की सैद्धांतिक/प्रायोगिक और आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में न्यूनतम उपस्थिति 75प्रतिशत अनिवार्य है। विशेष प्रकरणों (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. शिविरों में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/ सांस्कृतिक/ शैक्षणिक कार्यक्रमों में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी/लंबी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र और विषय के विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर कुलपति को उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट देने का अधिकार होगा।

15. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं अन्य शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा। समय–समय पर शुल्क में संशोधन का अधिकार विश्वविद्यालय का रहेगा।

16. **माध्यम :–** अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी होगा।

17. **परीक्षा रूपरेखा :–**

I. सेमेस्अर प्रथम एवं तृतीय की परीक्षा प्रत्येक अकादमिक वर्ष में नवम्बर/दिसम्बर और सेमेस्टर द्वितीय एवं चतुर्थ की परीक्षा मई/जून में आयोजित होगी।

II. परीक्षा एवं अध्यापन की भाषा हिंदी होगी।

18. **परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता :–**

I. नियमित छात्र/छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र, निर्धारित शुल्क सहित, समयावधि में जमा करना होगा।

II. विद्यार्थी को सेमेस्टर में उपस्थित कंडिका 6 के अनुसार पूर्ण अनिवार्य है।

III. विद्यार्थी का विश्वविद्यालय में नामांकन होना अनिवार्य है।

IV. परीक्षा पूव्र विद्यार्थी के सभी शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

V. विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित नही किया गया हो।

VI. अंतर्गत अग्र सेमेस्टर में प्रवेश की अनुमति प्राप्त है, ऐसे छात्र/छात्रा सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है। ऐसे विद्यार्थी जो चार प्रशनपत्र और/अथवा प्रायोगिक परीक्षा अथवा आंतरिक मूल्यांकन में ए.टी.के. टी. प्राप्त हुई है, उन्हें अग्र में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रहेगी। इस प्रकार ए.टी.के.टी. द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त अग्र सेमेस्टर के साथ होगी। अतः प्रथम सेमेस्टर में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर तृतीय और सेमेस्अर द्वितीय में प्राप्त ए.टी.के.टी. सेमेस्टर चतुर्थ के साथ होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमाँक – 101*
संशोधित (REVISED)
पंचकर्म स्नातकोत्तर पत्रोपाधि

1. **शीर्षक :–** यह पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पंचकर्म के रूप में जाना जायेगा।
2. **अवधि' :–** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :** (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा एक ही सत्र में अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं ले सकेगें।
   (ग) प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/ राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम' :** पाठ्यक्रम में 4 सैद्धांतिक विषय/प्रश्नपत्र निर्धारित हैं तथा 2 प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित की जावेंगी। जो वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगी। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंक प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित होंगे।
9. **परीक्षा' :** प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 100 अंक निर्धारित हैं, जिसमें से 70 अंक सैद्धांतिक एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित होंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जायेंगे। विद्यार्थी को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक पृथक–पृथक अर्जित करना अनिवार्य है। प्रायोगिक परीक्षा निर्धारित समय सारिणी अनुसार आयोजित होगी ।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50ः अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।

- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद्/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

---

*कंडिका क्रमाँक 2,8 एवं 9 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित ।

अध्यादेश क्रमांक –102

चार वर्षीय अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम

(चयन आधारित क्रेडिट पद्धति के अंतर्गत) जुलाई 2016 अनुप्रयोज्य
(दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमोदित)

1.0 अभियांत्रिकी स्नातक कार्यक्रम चार वर्षीय (अष्ट सत्रक) होगा।

2.0 चार वर्षीय (अष्ट सत्रक) उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र विज्ञप्ति के आधार पर होगा। यद्यपि प्रवेश हेतु उच्चतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

3.0 अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना –

3.1 चार वर्षीय अभियांत्रिकी स्नातक पाठ्यक्रम की किसी भी शाखा में उपाधि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को न्यूनतम 180 क्रेडिट्स प्राप्त करनी होगें।

3.2 प्रत्येक सत्रक में न्यूनतम 14 सप्ताह का शिक्षण होगा।

3.3 प्रत्येक शाखा (उदाहरणार्थ वैद्युत अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी आदि) की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त परामर्श-प्रक्रिया उपरांत समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा।

3.4 **स्नातक कार्यक्रम की संरचना निम्नानुसार होगी :-**

आधार पाठ्यक्रम (आधारभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी कला एवं विज्ञान, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन), विभागीय मुख्य, विभागीय विकल्प एवं मुक्त स्रोत वैकल्पिक विषय होंगे, जो आठों सत्रक में वितरित एवं दो सत्रक प्रति शैक्षणिक वर्ष में वितरित होंगे। विभिन्न श्रेणियों में क्रेडिट का वितरण तालिका -1 में दिया गया है।

तालिका-1 वर्गवार नियत क्रेडिट की सीमाएं

पाठ्यक्रम श्रेणी	**क्रेडिट्स की निर्धारित सीमा**	
मुख्य मूलभूत विज्ञान	15-20	
अभियांत्रिकी कला और विज्ञान	15-20	45-60
मुख्य मानविकी और सामाजिक विज्ञान	15-20	
विभागीय मुख्य विषय, 8 क्रेडिट की मुख्य परियोजना सहित	70-84	70-84
विभागीय वैकल्पिक विषय	20-30	20-30
मुक्त वैकल्पिक विषय	20-30	20-30
कुल	**180**	

3.4.1 आधार पाठ्यक्रम : मूलभूत विज्ञान, अभियांत्रिकी कलाएं और विज्ञान,मानविकी सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन के प्रमुख समूह से संबंधित

विषयों से समाविष्ट पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विविध अनुशासनों/विभागों के लिए विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा ये पाठ्यक्रम पूर्वस्नातक उपाधि के लिए आवश्यक रहेंगे।

3.4.2 **विभागीय मुख्य पाठ्यक्रम :** अभियांत्रिकी की शाखा से संबंधित मूलभूत, अनुप्रयोग, उन्नत विषयों में परियोजनाओं से समाविष्ट पाठ्यक्रमों से विद्यार्थी परिचित हो सकेगा। इन पाठ्यक्रमों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारण समय-समय पर किया जायेगा।

3.4.3 **विभागीय चयनित पाठ्यक्रम :** प्रत्येक विभाग विविध क्षेत्रों में समाहित पाठ्यक्रमों का समूह तथा उस विभाग के पहलुओं से संबंधित पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित करेगा जिसमें से विद्यार्थी उनका चयन करने में समर्थ हो सकेंगे।

3.4.4 **मुक्त श्रेणी पाठ्यक्रम :** हर विभाग पाठ्यक्रमों को न केवल स्वयं वरन् अन्य विभागों के साथ संयुक्त रूप में प्रस्तावित करेंगे जिसमें पाठ्यक्रमों की अधिक संख्या समाहित होगी एवं विद्यार्थी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अधीन लिए जा सकेंगे। इस श्रेणी के अधीन पाठ्यक्रम विभाग के विद्यार्थियों के द्वारा चयन नहीं किए जा सकेंगे।

3.4.5 **पाठ्यक्रम वर्णन :** पाठ्यक्रम वर्णन में समावेश :

i. पाठ्यक्रम कूट
ii. पाठ्यक्रम का शीर्षक/नाम
iii. व्याख्यान - शैक्षणिक - प्रायोगिक के रूप में क्रेडिट
iv. पाठ्यक्रम के उद्देश्य, इससे प्राप्ति एवं संदर्भ
v. पूर्व आवश्यक, सह आवश्यक, यदि कोई हो तो
vi. पाठ्यक्रम
iv. संदर्भित पुस्तक यदि कोई हो तो

3.4.6 **पाठ्यक्रम क्रेडिट आवंटन :** प्रत्येक पाठ्यक्रम में विशिष्ट व्याख्यान - शैक्षणिक - प्रायोगिक अनुसूची समाहित होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम का निम्नानुसार क्रेडिट निर्धारित किया गये है। प्रत्येक एक घंटे के व्याख्यान एवं शैक्षणिक के लिए एक 'क्रेडिट' निर्धारित किया गया है।

उदाहरण के लिए 2-1-0 के व्याख्यान-शैक्षणिक-प्रायोगिक अनुसूची के साथ सैद्धांतिक पाठ्यक्रम के लिए 3 'क्रेडिट' निर्धारित किए जायेंगे। 0-0-2 अनुसूची के व्याख्यान - शैक्षणिक - प्रायोगिक के साथ प्रयोगशाला पाठ्यक्रम के लिए 1 'क्रेडिट' निर्धारित किए जायेंगे।

3.4.7 प्रत्येक आवेदक प्रति सत्रक न्यूनतम 16 'क्रेडिट' व अधिकतम 26'क्रेडिट' पंजीकृत कर सकेंगे।

3.4.8 सूचना, परीक्षा एवं परियोजना प्रतिवेदनों का माध्यम हिंदी होगा।

4.0 संकाय परामर्शदाता -

4.1 प्रत्येक विभाग का विभाग प्रमुख 60 विद्यार्थियों के नवीन प्रवेशित वर्ग के लिए संकाय परामर्शदाता के रूप में एक संकाय सदस्य को नामांकित

करेगा। वह तब तक उस कक्षा से जुड़ा रहेगा जब तक कि वह वर्ग उपाधि को पूर्ण नहीं कर लेता। संकाय परामर्शदाता छात्रों को विविध पाठ्यक्रमों के चयन में विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार पंजीकरण के पूर्व सहायता करेगा, एवं विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु आवश्यक सहायता तथा सेवाएं प्राप्त करने हेतु सक्षम बन सके।

4.2 संस्थान प्रत्येक संकाय परामर्शदाता को ऐसे सभी छात्रों के अभिलेख उपलब्ध करायेगा जिनके लिए वह परामर्शदाता निर्धारित होगा ताकि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारु रूप से कर सकेगें।

4.3 संकाय परामर्शदाता अभ्यर्थियों के पंजीयन पत्रक हस्ताक्षरित करेगा।

5.0 पंजीयन –

5.1 पंजीयन शैक्षणिक प्रणाली की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पंजीयन–प्रक्रिया यह निश्चित करती है कि विद्यार्थी का नाम प्रत्येक विषयों, जिसका वह अध्ययन करना चाहता है, में सूचीबद्ध है। यदि छात्र ऐसे विषयों जिसमें उसका पंजीयन नहीं है में उपस्थित रहता है तो उसे कोई भी क्रेडिट नहीं प्राप्त होगा।

5.2 विविध विषयों हेतु पंजीयन दस दिनों की कालावधि हेतु उपलब्ध होगा।

5.3 विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित शैक्षणिक तिथि–पत्र के अनुसार प्रत्येक सत्रक के लिए विद्यार्थियों द्वारा पंजीयन कराकर पाठ्यक्रम का चयन किया जायेगा।

5.4 शुरूआती पंजीयन प्रक्रिया (5.2) के पूर्ण होने के उपरांत 7 दिनों की कालावधि के लिए 100/– विलंब शुल्क के साथ पंजीयन अनुज्ञा दी जायेगी।

5.5 ऐसा विद्यार्थी, जो अपना पंजीयन नहीं करा रहा है, को यह माना जायेगा कि उसने उसके चयन के पाठ्यक्रम से स्वयं को अलग कर लिया है।

5.6 विद्यार्थी संकाय–परामर्शदाता के साथ 3 सप्ताह की समयावधि में परामर्श उपरांत पाठ्यक्रम को छोड़ सकता है।

5.7 जो विद्यार्थी 5वें सत्रक तक 130 क्रेडिट पूर्ण कर चुके हैं; वे बाद के सत्रक में अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को लेकर 208 क्रेडिट तक जा सकते हैं। किसी एक विशिष्ट शाखा में, स्वयं के विषय चयन में अर्जित किए गए अतिरिक्त क्रेडिट वाले विद्यार्थी न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर लघु–विशेषज्ञता प्राप्त कर सकेंगे।

6.0 न्यूनतम क्रेडिट अवसीमा –

6.1 स्वयं की सीखने की गति पर निर्भर विद्यार्थी अपनी उपाधि अर्जित करने का समय एवं अवधि निर्धारित कर सकता हैं।

6.2 प्रत्येक सत्रक के अंत में, विद्यार्थी की उपलब्धि/कार्य निष्पादन/प्रदर्शन का अनुवीक्षण निम्न सारणी 2 में उल्लिखित मापदंड के अनुसार किया जायेगा। विद्यार्थी न्यूनतम क्रेडिट अर्जित कर अगले स्तर पर पहुंच सकता है। यदि वह न्यूनतम क्रेडिट अवसीमा प्राप्त करने में असफल होता है तो उसे आगामी शैक्षणिक वर्ष में पुनः पंजीकृत करना होगा।

सारणी -2 न्यूनतम क्रेडिट अवसीमा

जांच बिंदु	न्यूनतम क्रेडिट अवसीमा
प्रथम वर्ष के अंत में	22
द्वितीय वर्ष के अंत में	46
तृतीय वर्ष के अंत में	70
चतुर्थ वर्ष के अंत में	94

6.3 यदि एक विद्यार्थी उपर्युक्त के अनुसार द्वितीय सत्रक में 22 क्रेडिट प्राप्त करने में असफल होता है तो उसे प्रथम/द्वितीय सत्रक पुनः प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। यद्यपि, वह पूर्व में प्राप्त क्रेडिट को अग्रनीत कर सकता है।

6.4 यदि विद्यार्थी अष्टम सत्रक के पश्चात 8 क्रेडिट से पीछे हैं तो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रीष्म में निर्धारित स्थान पर उतने ही क्रेडिट हेतु पंजीकरण हेतु अनुमति दी जा सकेगी ताकि उसे निर्धारित कालावधि में उपाधि पूर्ण करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

7.0 शाखा उन्नयन -

7.1 शाखा उन्नयन प्रथम वर्ष की समाप्ति पर ही विचारणीय होगा। प्रथम वर्ष में योग्यता आधार पर प्राप्त उपलब्धि ही शाखा-परिवर्तन के विचारार्थ मान्य होगी।

7.2 किसी शाखा में रिक्तियाँ उपलब्ध होने पर प्रथम वर्ष में सफलता प्राप्त सभी विद्यार्थी उक्त शाखा उन्नयन हेतु योग्य होंगे। किंतु किसी भी स्थिति में, कुल प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता, शिक्षण शुल्क छूट योजना को छोड़कर, से अधिक नहीं होंगे।

8.0 उपस्थिति अनिवार्यता -

8.1 सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक व्याख्यान, शैक्षणिक एवं प्रायोगिक कक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है। यद्यपि बिलंवित पंजीयन रोग अथवा अन्य आकस्मिकता हेतु उपस्थिति आवश्यकता कक्षा की न्यूनतम 15 प्रतिशत होगी। विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा संतोषजनक कारणों से किसी अभ्यर्थी की उपस्थिति में 15 प्रतिशत अपूर्णता क्षतिपूर्ति की जा सकती है।

8.2 प्रत्येक व्याख्यान, शैक्षणिक एवं प्रायोगिक कक्षा में उपस्थिति का अभिलेख उपस्थिति पंजी के आधार पर अनुरक्षण किया जावेगा। पाठ्यक्रम समन्वयक किसी पाठ्यक्रम (सभी व्याख्यान, शैक्षणिक एवं प्रायोगिक जैसा भी उपयुक्त हो) के उपस्थिति अभिलेखों के समेकन एवं संधारण करेगा। संस्थान प्रमुख संस्थान में चल रहे पाठ्यक्रमों के उपस्थिति अभिलेखों के संधारण हेतु उत्तरदायी होंगे।

9.0 परीक्षाएं -

9.1 प्रत्येक सत्रक के अंत में विश्वविद्यालय द्वारा एक परीक्षा ली जायेगी। ये परीक्षाएं निम्नानुसार नामित होगी।

(क) अभियांत्रिकी स्नातक प्रथम वर्ष में प्रथम सत्रक परीक्षा।

अभियांत्रिकी स्नातक प्रथम वर्ष में द्वितीय सत्रक परीक्षा।
(ख) अभियांत्रिकी स्नातक द्वितीय वर्ष में तृतीय सत्रक परीक्षा।
अभियांत्रिकी स्नातक द्वितीय वर्ष में चतुर्थ सत्रक परीक्षा।
(ग) अभियांत्रिकी स्नातक तृतीय वर्ष में पंचम सत्रक परीक्षा।
अभियांत्रिकी स्नातक तृतीय वर्ष में षष्ठ सत्रक परीक्षा।
(ख) अभियांत्रिकी स्नातक चतुर्थ वर्ष में सप्तम सत्रक परीक्षा।
अभियांत्रिकी स्नातक चतुर्थ वर्ष में अष्टम सत्रक परीक्षा।

9.2 सत्रक परीक्षा सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के दिसंबर–जनवरी एवं मई–जून में होगी।

9.3 क्रेडिट अर्जन : प्रत्येक सत्रकांत में, प्रत्येक पाठ्यक्रम में पंजीकृत विद्यार्थी को एक अक्षर श्रेणी प्रदान की जावेगी। सफल श्रेणी प्राप्त करने पर, विद्यार्थी पाठ्यक्रम क्रेडिट को अर्जित क्रेडिट के रुप में संचयित कर सकेगा।

9.4 **मुख्य परियोजना मूल्यांकन मुख्य :–**
मुख्य परियोजना की समाप्ति उपरांत, विद्यार्थी एक परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। जिसका मूल्यांकन विधिवत नियुक्त आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों के एक समूह द्वारा किया जायेगा।

9.5 एक विद्यार्थी का उसके शैक्षणिक प्रदर्शन हेतु किसी विषय में शैक्षणिक कार्य, प्रायोगिक कार्य, गृह नियत कार्य, मध्य सत्रक परीक्षण क्षेत्र कार्य, परिसंवाद, प्रश्नोत्तरी, अंत सत्रक परीक्षाएं एवं नियमितता, जिसे संबंधित अध्ययन मंडल द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित किया है, के आधार पर सतत मूल्यांकन किया जावेगा।

10.0 क्रेडिट/श्रेणी का प्रदाय –

10.1 प्रत्येक सत्रक में संस्थान सैद्धांतिक विषयों के दो मध्य सत्रक परीक्षणों एवं सैद्धांतिक विषयों हेतु एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति परीक्षण का आयोजन करेगा।

10.2 परीक्षा रहित पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट पाठ्यक्रम हेतु संबंधित संकाय द्वारा श्रेणी प्रदान की जायेगी। विविध प्रश्नावली/गृह कार्य/ प्रयोगशाला कार्य/कक्षा–कार्य/मध्य–सत्रक परीक्षण में विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर श्रेणी प्रदान की जायेगी।

10.3 मूल्यांकन की प्रक्रिया के इष्टतमीकरण हेतु 'गासियन वक्र' विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर उपयोग किया जा सकेगा।

10.4 परीक्षा पर आधारित पाठ्यक्रमों के लिए महत्व/अंकों का विवरण निम्नानुसार होगा :–

क्र.	सैद्धांतिक खंड		प्रायोगिक खंड	
I	प्रश्नावली/नियत कार्य	10%	प्रयोगशाला कार्य प्रदर्शन, प्रश्नावली/नियत कार्य	80%
II	लघु–परीक्षण	30%	अंतिम सत्रक परीक्षा	20%
III	अंतिम सत्रक परीक्षा	60%		
	कुल	**100%**	**कुल**	**100%**

10.5 वृहत परियोजना के अतिरिक्त तत्संबंधित योजना में उल्लिखित सभी प्रायोगिक के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित दिनांक को एक एकीकृत प्रायोगिक परीक्षा (ऑनलाइन) अंतिम सत्रक के सैद्धांतिक परीक्षाओं के पूर्व/पश्चात् संचालित की जायेगी। इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रयोग-कार्य के सिद्धांतों एवं उनकी प्रक्रियाओं, तथ्य संग्रहण एवं उनका विश्लेषण तथा परीक्षा के मध्य प्राप्त परिणाम/निष्कर्ष आधारित प्रश्न बनाए जायेंगे।

10.6 मुख्य परियोजना मौखिक प्रश्नोत्तर परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत नियुक्त आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों के एक समूह द्वारा संचालित की जावेगी।

10.7 अक्षर श्रेणी एवं श्रेणी बिंदु पद्धति :-

किसी पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी को किसी विशिष्ट विषय/प्रश्नपत्र में संबंधित प्राध्यापक/प्राध्यापकों द्वारा श्रेणी प्रदान की जावेगी। विद्यार्थी को प्रदत्त श्रेणी का निर्धारण उसके विभिन्न परीक्षाओं, नियत कार्यों, प्रश्नोत्तरी, प्रायोगिक कार्य, कक्षा कार्य, लघु परीक्षण एवं नियमितता के प्रदर्शन के सतत मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा। उपयोगित श्रेणियां एवं उनके अंकीय समतुल्य तालिका-3 में दिए गए है।

तालिका -3 क्रेडिट आधारित श्रेणी पद्धति

श्रेणी	% अंक श्रेणी (निरपेक्ष अंक प्रणाली पर आधारित)	श्रेणी बिंदु	प्रदर्शन का वर्णन
A+	91-100	10	उत्कृष्ट
A	81-90	9	श्रेष्ठ
B+	71-80	8	बहुत अच्छा
B	61-70	7	अच्छा
C+	51-60	6	सामान्य
C	41-50	5	संतोषजनक
D	31-40	4	सीमांत
F	30 एवं कम	0	अनुत्तीर्ण
I	30 एवं कम	0	अपूर्ण
W	30 एवं कम	0	निवर्तन

10.8 सत्रक श्रेणी बिंदु औसत एवं संचयी श्रेणी बिंदु औसत की गणना निम्नानुसार की जावेगी :-

$$SGPA = \frac{\sum_{i=1}^{n} cipi}{\quad}$$

$$\sum_{i=1}^{n} ci$$

जहां C_i, किसी सत्रक के i वे विषय में प्रस्तावित कुल क्रेडिट है, जिसके लिए सत्रक श्रेणी बिंदु औसत, की गणना की जानी है। P_i, i वे विषय में अर्जित श्रेणी बिंदु है तथा i=1,2,3..... n उस सत्रक के विषयों की संख्या है।

$$\text{CGPA} = \frac{\sum_{j=1}^{m} SG\,j\,NCj}{\sum_{j=1}^{m} NCj}$$

जहां NCj, jवे सत्रक में प्रस्तावित कुल क्रेडिट्स हैं। SCj, jवे अर्जित सत्रक श्रेणी बिंदु औसत हैं, तथा j=1,2,3.....m उस पाठ्यक्रम में सत्रकों की संख्या है।

11.0 अपूर्णता क्षमादान –

11.1 तीन अंकों तक की अपूर्णता किसी एक विषय (सैद्धांतिक या प्रायोगिक) में छात्र के परीक्षा उत्तीर्ण होने के अधिकतम लाभ हेतु क्षमा की जा सकेगी। अपूर्णता दो से अधिक विषयों में क्षमा नहीं की जावेगी। (कृपांक हेतु किसी विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं को दो अलग–अलग विषय माना जावेगा।)

11.2 सभी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रश्न पत्रों में न्यूनतम श्रेणी प्राप्त करने किंतु न्यूनतम सीजीपीए 5.0 नहीं प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की अपूर्णता क्षति 0.01 सीजीपीए तक क्षमा की जा सकेगी।

11.3 ऐसे अभ्यर्थी जिसका प्रावीण्य अथवा प्रथम श्रेणी सीजीपीए के 0.01 की क्षति से प्रभावित हो रहे हैं वे कुलपति द्वारा 0.01 सीजीपीए की क्षतिपूर्ति के पात्र होंगे, जिसके लिए उन्हें पृथक से आवेदन देना होगा।

अध्यादेश–103

विषय–सूची

खंड :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. अध्ययन संस्थान की स्थापना.
4. प्रचार संबंधी शर्तें.
5. संस्थान में प्रवेश.
6. प्रवेश की पात्रता.
7. पाठ्य विवरण.
8. परीक्षाएं तथा परीक्षा केन्द्र.
9. विद्यार्थियों का परस्पर स्थानांतरण.
10. संस्थान के नाम तथा पते में परिवर्तन का ढंग.
11. पाठ्यक्रम संचालित करने के मानदंड.
12. विविध उपबंध.

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

भोपाल दिनांक....................

पत्र क्रमांक ..../........... अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 36 के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 37 की उपधारा(1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कार्य परिषद्, साधारण परिषद् के अनुमोदन से निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात् :-

अध्यादेश - 103

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय (अध्ययन संस्थान) अध्योदश, 2017 है।

(2) यह अध्यादेश, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवत्त होगा।

2. परिभाषाएं :

इस अध्यादेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011);

(ख) ''अध्ययन बोर्ड'' से अभिप्रेत है विश्व विद्यालय का अध्ययन बोर्ड;

(ग) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा का निदेशक;

(घ) ''अध्ययन संस्थान'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में विभिन्न स्थानों में स्थापित किए गए विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अथवा संस्थान;

(ड.) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय;

(च) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इस अध्यादेश में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हे परिभाषित नहीं किया गया है, वहीं अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. अध्ययन संस्थान की स्थापना :

(1) विश्वविद्यालय संपूर्ण प्रदेश में शैक्षणिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने हेतु हिन्दी भाषा के विस्तार तथा प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए अध्ययन संस्थान स्थापित करेगा।

(2) कोई भी कंपनी, न्यास, कोई समिति या कोई शैक्षणिक संस्थान या संगठन जो मध्यप्रदेश सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, अध्ययन संस्थान चलाने के लिए आवेदन कर सकेगा। विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र चलाने के लिए इच्छुक उपरोक्त संस्थान, विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए प्ररूप

में आवेदन कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के पक्ष में संस्थान से संबंधित सुसंगत जानकारी, उसके सबूत तथा दस्तावेजों के साथ विहित की गई फीस, डिंमाड ड्राफ्ट के रूप में जमा कर सकेंगे।

(3) ऐसे संस्थानों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जो पिछले तीन वर्षों से कुछ एकेडेमिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। संस्थान को अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एक समान एकेडेमिक पाठ्यक्रम चलाने हेतु अनुज्ञात नही किया जाएगा।

(4) अध्ययन संस्थान स्थापित करने के लिए आवेदन दो प्रतियों में किया जाएगा। सक्षम इंजीनियर द्वारा प्रमाणित संस्थान के भवन से संबंधित नक्शा, उपलब्ध स्थान के ब्यौरे, एवं अन्य संरचनाओं जैसे कक्षों, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्टॉफ रूम तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं के फोटो तथा विडियोग्राफी संलग्न करना होगा।

(5) अध्ययन संस्थान, समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित रू. 20,000/- (बीस हजार रूपये) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट सहभागिता शुल्क के रूप में प्रस्तुत करेगा। विश्वविद्यालय आवेदक संस्था से किसी भी समय अपने समाधान हेतु मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा।

(6) संस्थान द्वारा सहभागिता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने तथा शुल्क जमा करने का तात्पर्य यह नहीं है कि विश्वविद्यालय से संस्थान को सहभागिता मिल गई है।

(7) विश्वविद्यालय में प्राप्त हुए समस्त आवेदनों की संवीक्षा की जाएगी। यदि कोई आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा विहित किए गए मानदंडों के अनुरूप नहीं है और अपेक्षित दस्तावेजों से समर्थित नहीं है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और निक्षिप्त की गई फीस आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति, अध्ययन संस्थान का निरीक्षण करेगी। विश्वविद्यालय, निरीक्षण समिति की सिफारिश के आधार पर संस्थान स्थापित करने और चलाने की अनुज्ञा प्रदान करेगा।

(9) अध्ययन संस्थान स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय शीघ्र ही संस्थान को प्रज्ञापित किया जाएगा।

(10) विश्वविद्यालय द्वारा विहित मानदंड के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया, अध्ययन संस्थान द्वारा प्रारंभ की जाएगी और पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(11) अध्ययन संस्थान की सहभागिता प्रथम चरण में एक वर्ष के लिए होगी। सहभागिता को, नवीकरण शुल्क की राशि 15,000/- (पन्द्रह हजार रूपए) के भुगतान पर संतोषप्रद प्रदर्शन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, नवीकृत किया जाएगा।

(12) विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह संस्थान का किसी भी समय निरीक्षण करे तथा विश्वविद्यालय विशिष्ट निरीक्षण भी करेगा जिसका व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

(13) संस्थान ऐसे समस्त पाठ्यक्रम संचालित करेगा, जिनका संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

4. प्रचार संबंधी शर्ते :

(1) सहभागी संस्थान अपने विज्ञापन में भ्रामक शब्दों जैसे ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त'' ''अग्रणी संस्थान'' या ''सर्वोत्तम टापर संस्थान'' का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) संस्थान, विश्वविद्यालय के ''संप्रतीक'' का उपयोग नहीं करेगा। विज्ञापन में संस्थान अपना सही पता उल्लेखित करेगा और विशिष्ट रूप से स्पष्ट करेगा कि संस्थान विश्वविद्यालय का एक संस्थान है।

(3) संस्थान अपने स्वयं के नाम से विज्ञापन का प्रकाशन करेगा।

(4) संस्थान, भुगतान की किसी प्राप्ति की रसीद में विश्वविद्यालय का नाम सम्मिलित नहीं करेगा।

(5) यदि संस्थान विज्ञापन में कोई मिथ्या या भ्रामक जानकारी प्रकाशित करता है तो विश्वविद्यालय को अधिकार होगा वह तत्काल ही संस्थान की सहभागिता समाप्त कर दे।

(6) कोई भी सहभागी अध्ययन संस्थान उन पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं देगा जिसके लिए उसने विश्वविद्यालय से सम्यक् अनुज्ञा नहीं प्राप्त की है।

5. संस्थान में प्रवेश :

(1) सहभागी अध्ययन केन्द्र अपनी अधिकारिता के भीतर स्वयं के व्यय पर प्रवेश हेतु विज्ञापन प्रकाशित करेगा।

(2) संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रमों का सिलेबस तथा प्रास्पेक्टस के साथ पृथक से शुल्क की संरचना तथा सुविधाएं प्रकाशित करेगा।

6. प्रवेश की पात्रता :

(1) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी करना अनिवार्य है। अर्हता पूरी न की जाने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।

(2) अध्ययन संस्थान पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित की गई प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(3) कोई भी विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, किसी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं लेगा। विश्वविद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी को नामांकन क्रमांक जारी करेगा। विद्यार्थी को मूल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र, आब्रजन प्रमाणपत्र तथा सत्यापित अंकसूची की फोटोप्रति और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। किसी भी विदेशी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की अनुज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय, विद्यार्थियों को अंशकालीन पाठ्यक्रमों के लिए पृथक से रजिस्ट्रीकरण संख्याक जारी करेगा।

(5) अध्ययन संस्थान प्रवेश देने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करेगा। अध्ययन संस्थान समस्त जानकारियाँ तथा प्रवेश की विशिष्टियां विश्वविद्यालय को देगा।

(6) अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिला तथा दिव्यांगों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई रियायतें दी जाएगी।

7. पाठ्य-विवरण :

(1) विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन संस्थान को पाठ्य-विवरण की प्रतिलिपि दी जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को भी पाठ्य-विवरण की प्रति विहित शुल्क का भुगतान करने पर दी जा सकेगी।

(2) अध्ययन संस्थान, विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रायोगिक कार्य, सत्रीय कार्य आदि संचालित करेगा।

(3) विश्वविद्यालय संदर्भित पुस्तकों की सूची तथा विषयवार पाठ्यक्रम अध्ययन संस्थान को उपलब्ध कराएगा और अध्ययन संस्थान इसे विद्यार्थियों को सूचित करेगा।

(4) विश्वविद्यालय सभी प्रकार के एकेडेमिक मार्गनिर्देश संस्थान को देगा जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता के उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए संस्थान समर्थ हो।

(5) संस्थान की प्रगति का परीक्षण समय-समय पर विश्वविद्यालय कर सकेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संस्थान की उपस्थिति पंजी का रख-रखाव, कक्षाओं की समय-सारिणी लाइब्रेरी, संकाय सूची और उनका बायोडाटा आदि की जांच कर सकेगा। विश्वविद्यालय, अध्ययन संस्थान का श्रेणीकरण भी कर सकेगा।

8. परीक्षाएं तथा परीक्षा केन्द्र :

(1) अध्ययन संस्थान, ऐसे परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा का संचालन करेगा, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदेश दे।

(2) विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र का चयन विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए अनुसार करेगा। जब विद्यार्थी ने एक परीक्षा केन्द्र का चयन कर लिया है तो परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थी द्वारा भरा गया परीक्षा फार्म, अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) विश्वविद्यालय परीक्षा केन्द्र का अवधारण, परीक्षा केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं तथा अधोसंरचना के आधार पर करेगा।

(4) परीक्षा में सम्मिलित हो रहे विद्यार्थीगण परीक्षा फार्म ऐसी फीस के साथ, जैसी कि विहित की जाए, अध्ययन केन्द्र में जमा करेंगे। अध्ययन केन्द्र द्वारा परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। उसके पश्चात् विश्वविद्यालय, अध्ययन केन्द्र का प्रवेश पत्र जारी करेगा जहाँ से विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। अध्ययन केन्द्र को यह अधिकार नहीं होगा कि वह प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि (डुप्लीकेट) विद्यार्थी को जारी करे।

(5) समस्त परीक्षाएं विश्वविद्यालय के नियंत्रण तथा देख रेख में संचालित की जाएगी। परीक्षा में किसी भी अनुचित तथा अवांछनीय गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

(6) संबंधित अध्ययन संस्थान, परीक्षा आयोजित करने के लिए स्थान सुनिश्चित करेगा तथा मानव शक्ति अर्थात् वीक्षक आदि की व्यवस्था करेगा। इस प्रयोजन के लिए विहित की गई दर पर भुगतान किया जाएगा।

(7) यदि किसी विशिष्ट स्थान पर परीक्षा केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है तो विश्वविद्यालय किसी शासकीय कालेज, शासकीय विद्यालय या अध्ययन संस्थान द्वारा प्रस्तावित किसी विख्यात संस्था को परीक्षा केन्द्र बना सकता है।

(8) अध्ययन संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा का संचालन, विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई परीक्षा नियमावली के अनुसार ही हो।

9. विद्यार्थियों का परस्पर स्थानांतरण :

अध्ययन संस्थान विश्वविद्यालय की अनुज्ञा प्राप्त कर एक अध्ययन केन्द्र से दूसरे अध्ययन केन्द्र के मध्य विद्यार्थियों का स्थानांतरण कर सकेगा।

10. संस्थान के नाम तथा पते में परिवर्तन का ढंग :

किसी अध्ययन संस्थान के नाम तथा पते में परिवर्तन, विहित किया गया आवेदन शुल्क जमा करके तथा विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित प्रक्रिया अपनाने के पश्चात ही किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय नए अध्ययन संस्थान को उसके नाम तथा पते में परिवर्तन के पश्चात अधिसूचित करेगा।

11. पाठ्यक्रम संचालित करने के मानदंड :

(1) कोई भी अध्ययन संस्थान, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सोसाईटी, न्यास कंपनी या संगठन के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। विश्वविद्यालय, ऐसे शब्दों का प्रयोग जैसे कि ''अखिल भारतीय संस्थान'' ''भारतीय संस्थान'' '' अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय'' अनुज्ञात नहीं करेगा।

(2) संस्थान के प्रमुख, प्राचार्य एवं निदेशक के पास स्नातकोत्तर उपाधि द्वितीय श्रेणी में होना चाहिए।

(3) अध्ययन संस्थान समस्त प्रकार के रजिस्टर, जैसे स्टॉक रजिस्टर, कम्प्यूटर, उपकरण पुस्तकें, फर्नीचर आदि निरीक्षण के समय प्रदर्शित करेगा तथा संबंधित दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि विश्वविद्यालय को भेजेगा।

(4) अध्ययन संस्थान, उतनी संख्या में विद्यार्थियों को प्रवेश देगे जितनी कि विश्वविद्यालय विहित करे, जिसकी स्वीकृति विश्वविद्यालय देगा। अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को संस्थान के रिक्त स्थानों पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(5) अध्ययन संस्थान, समस्त सुविधाओं तथा संस्थान में उपलब्ध कम्प्यूटरों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और सभी उपकरण अच्छी दशा में होना चाहिए।

(6) संस्थान, ऐसे पूर्णकालिक संकाय सदस्यों को निर्धारित संख्या में नियुक्त करेंगे जिनकी शैक्षिक अर्हता विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जाए। संस्थान ऐसी नियुक्तियों के संबंध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा।

(7) संस्थान, विद्यार्थियों, कर्मचारियों, संकाय की उपस्थिति का रजिस्टर सुव्यवस्थित रूप से अलग से रखेंगे और निरीक्षण के समय ऐसे रजिस्टरों को प्रदर्शित करेंगे।

(8) विश्वविद्यालय, समय–समय पर आवश्यक मार्गनिर्देश/ अनुदेश संस्थान को जारी करेगा साथ ही आवश्यक सामग्री भी संस्थान को देगा ओर इसे अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध कराएगा।

(9) यदि विश्वविद्यालय मानदंडों में कोई संशोधन या परिवर्तन करता है तो उसे संस्थान को सूचित किया जाएगा।

(10) संस्थान उन अनुदेशों का पालन कड़ाई से करेगें, जो विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जाए।

(11) विशेषज्ञों के प्रवेश संबंधी मामलों में शर्तों में रियायत देने की शक्ति कुलपति को होगी।

(12) संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध अधोसंरचनाओं का उपयोग केवल विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों के लिए ही हो।

(13) किसी भी संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा इस बात की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी कि वह किसी अन्य संस्थान को फ्रेंचाइजी के माध्यम से शिकमी (सबलेट) पर दें। यदि यह पाया जाता है कि संस्थान ने किसी दूसरे संस्थान को शिकमी (सबलेट) पर दिया है तो संस्थान की सहभागिता समाप्त कर दी जाएगी।

(14) ऐसा कोई भी संस्थान, विश्वविद्यालय की ओर से कोई प्रमाणपत्र या अंकसूची जारी नहीं करेगा।

(15) अध्ययन संस्थान, ऐसी शुल्क प्रभारित करेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क संरचना के अनुसार हो और विद्यार्थियों से वसूल किए गए शुल्क के बारे में विश्वविद्यालय को सूचित करेगा। संस्थान, पाठ्यक्रमों से संबंधित विहित शुल्क से न तो कम शुल्क वसूल करेगा और न ही अधिक शुल्क।

(16) अध्ययन संस्थान में रजिस्ट्रीकृत विद्यार्थियों से निर्धारित रजिस्ट्रीकरण शुल्क के अतिरिक्त शिक्षण शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, अन्य देय शुल्क का अंश विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान से प्राप्त किया जाएगा। संस्थान वसूल किए गए शुल्क के ब्यौरे विद्यार्थियों को दी जाने वाली रसीद में प्रविष्ट करेगा।

(17) विश्वविद्यालय, प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सुरक्षा–निधि की रकम सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर) के रूप में होगी, निर्धारित करेगा, जो विश्वविद्यालय के पक्ष में मांग प्रारूप (डिमांड ड्राफ्ट) के रूप में भोपाल में देय होगी। इस संबंध में नकद रकम या चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी सावधि जमा रसीद (एफ.डी.आर) विश्वविद्यालय की उचित अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(18) सुरक्षा निधि की सावधि जमा–रसीद (एफ.डी.आर) संस्थान को विश्वविद्यालय से सहभागिता समाप्त कर दी जाने पर मूल रूप में लौटा दी जाएगी। संस्थान को शोध्य का भुगतान, यदि कोई हो, मूल जमा रसीद प्राप्त करने के पूर्व विश्वविद्यालय को करना होगा।

12. विविध उपबंध :

(1) समस्त पत्र–व्यवहार, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के नाम से किए जाएंगे।

(2) समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थान आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय का सहभागिता प्रमाणपत्र तथा सहभागिता नवीकरण प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

(3) कोई भी अध्ययन संस्थान या संस्थान का कोई व्यक्ति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अधिकथित समाज विरोधी, राष्ट्रविरोधी या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगा या लिप्त नहीं होगा। यदि उक्त गतिविधियों में लिप्त होना पाया जाए तो संस्थान की सहभागिता समाप्त की जा सकेगी।

(4) यदि किसी संस्थान की सहभागिता समाप्त कर दी जाती है तो विश्वविद्यालय को संस्थान के विद्यार्थियों का स्थानांतरण किसी अन्य संस्थान में करने का अधिकार होगा।

(5) अध्ययन संस्थान, व्यय–विवरण/रजिस्टर के अभिलेखों का संधारण उचित रूप से करेगा जिनका निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। लेखा अभिलेख की संपरीक्षा चार्टर्ड लेखाकार या किसी सक्षम अभिकरण से की जा सकेगी।

(6) किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए गए सभी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के नियमों/मानदंडों की समुचित जानकारी दी जाएगी।

(7) विश्वविद्यालय के समस्त नियमों का अनुपालन अध्ययन संस्थान द्वारा ईमानदारी से किया जाएगा। किसी प्रकार के विवाद या शिकायत के संबंध में कुलपति का विनिश्चय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(8) विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी/सूचनाएं अनुसूची, समय–सारणी, परिपत्र तथा परीक्षा परिणाम अपलोड किए जाएगे।

(9) विश्वविद्यालय का कुलसचिव लोकसूचना अधिकारी होगा तथा कुलपति अपीली प्राधिकारी होगा।

(10) किसी भी वैयक्तिक/संस्थागत विवाद की दशा में कुलपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी प्रतिनिधि का विनिश्चय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(11) किसी भी न्यायालयीन विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल होगा।

कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी, विश्वविद्यालय,
भोपाल

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

अध्यादेश–104

विषय–सूची

खंड :–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

2. परिभाषाएं.

3. दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के उद्देश्य.

4. अध्ययन केन्द्र की स्थापना और विश्वविद्यालय की अधिकारिता.

5. दूरस्थ शिक्षा समिति.

6. दूरस्थ शिक्षा विभाग की संरचना.

7. अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम.

8. प्रवेश प्रक्रिया.

9. स्व अध्ययन सामग्री.

10. दूरस्थ शिक्षा विभाग के कृत्य तथा कर्तव्य.

11. विभागों का उत्तरदायित्व.

12. पाठ्यक्रमों का अनुमोदन.

13. पाठ्यक्रमों का संशोधन.

14. सत्रांत परीक्षा.

15. सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग.

16. वित्तीय प्रबंध.

17. परियोजना/प्रायोगिक कार्य.

18. प्लेसमेंट और रोजगार प्रकोष्ठ.

19. क्रेडिट पद्धति.

20. शिक्षा का माध्यम.

21. पत्रव्यवहार.

22. नवाचार.

23. कौशल विकास गतिविधियाँ.

24. संस्थाओं के साथ अनुबंध : प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों का प्रमाणीकरण.

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक.................................... भोपाल, तारीख...................

यतः, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य, हिन्दी भाषा को अध्यापन, प्रशिक्षण, ज्ञान की वृद्धि और प्रसार के लिए एवं विज्ञान, साहित्य, कला और अन्य विधाओं में उच्च स्तरीय गवेषणा हेतु शिक्षण का माध्यम बनाना है;

और यतः, विश्वविद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति को, जो किसी भी जाति, पंथ, लिंग, मूलवंश तथा धर्म का हो, हिन्दी भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण दे। विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य भागीदारों के हित में हिन्दी माध्यम से सार्थक शिक्षा उपलब्धता कराना इस युग की महती आवश्यकता है;

और यतः, विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी भाषा की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लाखों लोग पीछे होते जा रहे हैं। गरीब, अन्य पिछड़े वर्ग, आदिम जाति, दिव्यांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के अलावा भी बड़ी संख्या में लोग शिक्षा से वंचित हैं। उन्हें हिन्दी भाषा में शिक्षा का लाभ अवश्य मिलना चाहिए;

और यतः, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उनके ज्ञान, कौशल में वृद्धि के अवसर प्राप्त हो जिससे कि वे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में हिन्दी भाषा में दूरस्थ शिक्षा पद्धति अपनाकर देश की मुख्य धारा में जुड़ सके। राज्य की बड़ी जनसंख्या को यह दूरस्थ शिक्षा पद्धति दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए फायदा पहुचाएंगी;

अतएव, अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 36 वे खण्ड (क) के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्य, परिषद्, साधारण परिषद् के अनुमोदन से निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है, अर्थात् :-

अध्यादेश क्रमांक-104

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) अध्यादेश, 2017 है।

(2) यह अध्यादेश मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगा

2. **परिभाषाएं :-**

इस अध्यादेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''विद्या परिषद्'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्;

(ख) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;

(ग) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति;

(घ) ''दूरस्थ शिक्षा पद्धति'' से अभिप्रेत है प्रसारण (ब्राडकास्टिंग), दूरदर्शन-प्रेषण (टेलीकास्टिंग), दृश्य-श्रव्य (आंडियो-विजुअल) साधनों, दृश्य पद्धतियों जैसे संचार के हिन्दी साधनों, पत्राचार पाठ्यक्रमों, विचार गोष्ठियों सम्पर्क कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति;

(ड.) ''निदेशक'' से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा/अध्ययन संस्था अथवा संस्थान का निदेशक जो अध्ययन केन्द्रों के सुचारू रूप से कार्यकरण के लिए उत्तरदायी हो;

(च) ''कर्मचारी'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक और विद्या संबंधी कर्मचारिवृन्द सम्मिलित है;

(छ) ''अध्ययन केन्द्र'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित अथवा मान्यता प्राप्त कोई केन्द्र जो विद्यार्थियों को सलाह देने, उनसे परामर्श करने या इनके द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता देने के प्रयोजन के लिए हो;

(ज) ''मानव संसाधन विकास'' से अभिप्रेत है विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए मानवीय ज्ञान में वृद्धि करने के प्रयोजन से मानव संसाधन के विकास सें संबंधित राष्ट्र और समाज के लिए योगदान सुनिश्चित करने की विकास प्रक्रिया;

(झ) ''दूरस्थ शिक्षा ब्यरो'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधीन दूरस्थ शिक्षा की नियामक संस्था;

(त्र) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (क्र. 3 सन् 1956) के अधीन गठित आयोग;

(ट) ''दूरस्थ शिक्षा विभाग'' से अभिप्रेत है वह विभाग जो दूरस्थ शिक्षा की समस्त गतिविधियों का संचालन और नियमन करें;

(ठ) ''दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, अकादमिक संरचना का समयबद्ध कार्यक्रम;

(ड) ''परामर्शक'' से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा विभाग से पंजीकृत शिक्षक जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन में विद्यार्थियों की समस्याओं का परामर्श द्वारा हल करें;

(ढ) ''परामर्श कार्यक्रम'' से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा संचालित परामर्श के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम;

(ण) ''परिचयात्मक बैठक'' से अभिप्रेत है विद्यार्थियों को उनके उचित पंजीकरण के पश्चात अकादमिक कलेन्डर के बारे में अवगत कराने हेतु प्रथम बैठक;

(त) ''शुल्क निर्धारण'' से अभिप्रेत है प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय की दूरस्थ शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित एवं मान्य शुल्क;

(थ) ''ग्रेडिंग का मानदंड'' से अभिप्रेत है परीक्षा, सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, प्रयोगिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी के ग्रेडिंग का मानदंड। ग्रेडिंग निम्नानुसार होगी :-

प्राप्त अंक	ग्रेड
75 प्रतिशत से ऊपर	ग्रेड-ए
60 से 74 प्रतिशत तक	ग्रेड-बी
50 से 59 प्रतिशत तक	ग्रेड-सी
40 से 49 प्रतिशत तक	ग्रेड-डी
40 प्रतिशत से कम	ग्रेड-ई

(द) ''समझौते का ज्ञापन (एम.ओ.यू.)'' से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थान के बीच पारस्परिक सहमति के बाद तैयार दस्तावेज जिसमें कुछ शर्ते हैं जो किसी कार्य को निष्पादित करने का अधिकृत करार नामा हैं।

(ध) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जिनका इस अध्यादेश में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों के उद्देश्य :

विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम की सार्थकता, उपयोगिता और उपादेयता के लिए निरंतर कार्यरत हैं, पाठ्यक्रम के संचालन के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

(एक) पारंपरिक शिक्षा का सशक्त विकल्प प्रस्तुत करना।
(दो) शिक्षा से वंचित लोगो को शिक्षा के लाभ प्रदान करना।

(तीन) प्रदेश के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना।

(चार) दूरस्थ शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक विकास करना ।

(पांच) दूरस्थ शिक्षा द्वारा आजीविका, स्वरोजगार एवं उद्यम के अवसर उपलब्ध करवाने में सहायता करना।

(छह) दूरस्थ शिक्षा द्वारा कौशल विकास के नये आयाम स्थापित करना।

(सात) विद्यार्थियों को अतिरिक्त योग्यता एवं कुशलता प्रदान करना ।

(आठ) पूर्व के उपाधि धारकों को अतिरिक्त उपाधि प्रदान करना ।

(नौ) विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के साथ व्यावहारिक ज्ञान बढ़ाने में सहायता करना।

4. अध्ययन केन्द्र की स्थापना और विश्वविद्यालय की अधिकारिता :

अध्ययन केन्द्र की स्थापना राज्य के सभी जिलों में की जाएगी। विश्वविद्यालय की अधिकारिता का क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा। अध्ययन केन्द्र कौशल विकास के पाठ्यक्रम संचालित करेगा। अध्ययन केन्द्र अन्य राज्यों में भी तथा अन्य देश में भी राज्य सरकार की अनुमति से स्थापित किया जाएगा।

5. दूरस्थ शिक्षा समिति :

दूरस्थ शिक्षा संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति, दूरस्थ शिक्षा की समस्त गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु, गठित की जायेगी जिसे इस अध्यादेश में ''दूरस्थ शिक्षा समिति'' कहा जाएगा। समिति निम्नानुसार सदस्यों से मिलकर बनेगी :-

1.	कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	कुलसचिव	-	सदस्य
3.	निदेशक दूरस्थ शिक्षा	-	सदस्य
4.	वित्त अधिकारी	-	सदस्य
5.	कुलपति द्वारा नामांकित किसी भी संकाय का वरिष्ठतम संकायाध्यक्ष	-	सदस्य

6. दूरस्थ शिक्षा विभाग की संरचना :

विभाग के सुचारू रूप से कार्यकरण के लिए पृथक स्थान, कर्मचारिवृन्द, संसाधन तथा आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग की संरचना निम्नानुसार है :

(एक) निदेशक	-	एक पद
(दो) उप-निदेशक	-	दो पद

(तीन) सहायक निदेशक – दो पद
(चार) अनुभाग अधिकारी – तीन पद
(पांच) कार्यालय सहायक – तीन पद
(छह) डाटा एन्ट्री ऑपरेटर – दो पद
(सात) कार्यालय मित्र – दो पद

7. अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम :

(1) दूरस्थ शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम का चयन, शैक्षणिक आवश्यकता, रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमिता के अवसरों के आधार पर करना होगा। तद्नुसार अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे विकसित किया जाएगा।

(2) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित पाठ्यक्रम को तीन चरणों में लागू किया जाएगा :–

(क) प्रथम चरण – पाठ्यक्रम जो विश्वविद्यालय के विभिन्न विभाग पूर्व से संचालित कर रहे।

(ख) द्वितीय चरण – अध्ययन के नवीन पाठ्यक्रम

(ग) तृतीय चरण – पाठ्यक्रम जो भविष्य की आवश्यकता है ।

(3) अध्ययन पाठ्यक्रम की अवधि पाठ्यक्रम की संरचना पर आधारित होगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि होगी :

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम अवधि	अधिकतम अवधि
1.	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	एक दिन से तीन माह तक की अवधि	
2.	प्रमाण पत्र	6 माह	दो वर्ष
3.	पत्रोपाधि	1 वर्ष	4 वर्ष
4.	स्नातक	3 वर्ष	6 वर्ष
5.	स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	1 वर्ष	4 वर्ष
6.	स्नातकोत्तर	2 वर्ष	4 वर्ष

8. प्रवेश प्रक्रिया :

(1) दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में समस्त प्रवेश, विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के प्रावधानों के अनुसार किए जाएगे। प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से प्रवेश होगे। विद्यार्थी जो विहित अर्हता रखते है और प्रवेश लेने के इच्छुक है वे विहित शुल्क और अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने का आवेदन प्रस्तुत करेगे। अध्ययन केन्द्र प्रवेश के संबंध में समस्त विवरण और डाटा तैयार करेगे और उसे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यालय को भेजेंगे। विश्वविद्यालय सम्पूर्ण प्रवेश का डाटाबेस तैयार करेगा।

(2) प्रवेश हेतु अर्हता का विवरण निम्नानुसार है :–

पाठ्यक्रम	अनिवार्य अर्हता
1	2
(एक) स्नातकोत्तर	स्नातक
(दो) स्नातक	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
(तीन) स्नातकोत्तर पत्रोपाधि	स्नातक
(चार) पत्रोपाधि	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
(पांच) प्रमाण पत्र	10+2 परीक्षा उत्तीर्ण
(छह) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के अनुसार

9. स्व-अध्ययन सामग्री :

(1) स्व अध्ययन सामग्री दूरस्थ शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है। अतः इसके तैयार करने एवं प्रकाशन का दायित्व संबंधित शैक्षणिक विभाग का होगा।

(2) स्व अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है : -

(क) स्व अध्ययन सामग्री पूर्व में ही तैयार रूप में उपलब्ध है।

(ख) उपलब्ध स्व अध्ययन सामग्री जो अन्य भाषाओं का हिन्दी अनुवाद है।

(ग) स्व अध्ययन सामग्री अन्य दूरस्थ शिक्षा संस्थानों से खरीदी गयी है।

10. दूरस्थ शिक्षा विभाग के कृत्य तथा कर्त्तव्य :

(1) दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों सें संबंधित समस्त कार्य दूरस्थ शिक्षा विभाग द्वारा किए जाएगे। दूरस्थ शिक्षा विभाग, दूरस्थ केन्द्रों के क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु उनकी पहचान करने, चिन्हित करने, विनियमित करने तथा उनकी मानिटरिंग करने का कार्य करेगा।

(2) दूरस्थ शिक्षा विभाग निम्नलिखित कृत्यों का भी सम्पादन करेगा

(एक) यदि आवश्यक समझे तो अध्ययन केन्द्र की प्रकृति की पहचान करना;

(दो) अध्ययन केन्द्र के प्रस्तावों का परीक्षण करना;

(तीन) अध्ययन केन्द्र का निरीक्षण करना;

(चार) अध्ययन केन्द्र हेतु परामर्शदाता की आवश्यकता का निर्धारण करना;

(पांच) विद्यार्थियों की पाठ्यक्रमवार संख्या के आधार पर अध्ययन केन्द्र के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्धारण करना;

(छह) केन्द्रों की पहचान तथा पाठ्यक्रमों का औचित्य;

(सात) प्रस्ताव का अनुमोदन कर उसकी संवीक्षा करने के पश्चात, केन्द्र स्थापित करना;

(आठ) प्रवेश संबंधी प्रक्रिया विहित करना;

(नौ) प्रवेश हेतु आवेदन फार्म तैयार कर उपलब्ध कराना;

(दस) विद्यार्थियों के रजिस्ट्रीकरण/नामांकन की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) शुल्क संरचना विहित करना;

(बारह) शुल्क संग्रहण तथा उसके वितरण से संबंधित कृत्य करना;

(तेरह) प्रवेश संबंधित मास्टर डाटा संग्रह करके प्रवेश शाखा को सौंपना;

(चौदह) स्व अध्ययन सामग्री का संग्रहण करना;

(पन्द्रह) स्व अध्ययन सामग्री का वितरण करना;

(सोलह) परिचय के संबंध में बैठकों का आयोजन करना;

(सत्रह) परामर्श कार्यक्रमों का संचालन तथा उसकी निगरानी (मानिटरिंग) करना;

(अठारह) सत्रीय कार्य, जैसे लेखन, वितरण, मूल्यांकन संग्रहण करना तथा उसकी ग्रेडिंग करना;

(उन्नीस) परियोजना कार्य तैयार करना;

(बीस) प्रायोगिक कार्य प्रस्तावित करना;

(इक्कीस) सत्रांत परीक्षा का संचालन तथा नियंत्रण करना;

(बाईस) समस्त सत्रांत परीक्षा सामग्रियों को प्रेषित करना;

(तेईस) समन्वयक के कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति तथा पहचान;

(चौबीस) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्सेस) तैयार करना;

(पच्चीस) प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करना;

11. विभागों का उत्तरायित्व :–

(1) पाठ्यक्रमों के चयन, संचालन, नियमन तथा सभी अकादमिक कार्य संबंधित विभाग के संकायाध्यक्ष तथा विभाग प्रमुख के नियंत्रणाधीन होगा। पाठ्यक्रम, लेखन, संकलन, अनुवाद, मुद्रण, सम्पादन तथा अनुमोदन से संबंधित सभी कार्यों का दायित्व विभाग निर्वहन करेगा। विभाग दूरस्थ शिक्षा के प्रारूप तथा भाव के अनुसार परिवर्तन, संशोधन तथा सुधार करेगा।

(2) संचालित पाठ्यक्रमों के समस्त प्रस्ताव, जो विभाग द्वारा तैयार किए गए हो और उसके ब्यौरे, दूरस्थ शिक्षा विभाग को प्रस्तुत होगे जो उन पर अकादमिक मार्गदर्शन देगा।

(3) परीक्षा विभाग का यह दायित्व होगा कि वह संचालित हो रहे सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों की परीक्षा का संचालन, संधारण, सत्रीय कार्य से संबंधित प्रश्न–पत्र तैयार करना, मूल्यांकन, परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अंकसूची, ग्रेड कार्ड, उपाधि आदि से संबंधित कार्य करे।

(4) विश्वविद्यालय की प्रवेश शाखा द्वारा प्रवेश से संबंधित सभी कार्य किए जाएंगे।

12. पाठ्यक्रमों का अनुमोदन :

संबंधित विभाग, देश की समस्त विनियामक संस्थाओं से पाठ्यक्रमों की मान्यता, वैधता तथा वैधानिक स्वीकृति के बारे में अनुमोदन लेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भारतीय नर्सिंग परिषद्, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, भारतीय दंत-चिकित्सा परिषद्, भारतीय विधिज्ञ तथा अन्य परिषद्/ संस्थानों से अपेक्षित अनुमोदन/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जाएगी।

13. पाठ्यक्रमों का संशोधन :

सभी पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण, उसमें सुधार या उनका उन्नयन प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल में किया जाएगा।

14. सत्रांत-परीक्षा :

विश्वविद्यालय, एकेडमिक सत्र की समाप्ति पर, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु समुचित केन्द्रों पर सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाएँ आयोजित करेगा।

15. सूचना प्रौद्योगिकी सहयोग :

विश्वविद्यायलय, प्रवेश, शुल्क, परीक्षा, सेशनल वर्क आदि के विस्तृत आंकड़े एकत्रित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञ टीम की नियुक्ति करके डाटाबेस तैयार करेगा।

16. वित्तीय प्रबन्ध :

विश्वविद्यालय इस संबंध में विहित किए गए मानदंडों के अनुरूप वित्तीय प्रबंध की समुचित व्यवस्था करेगा।

17. परियोजना/प्रायोगिक कार्य :

संबंधित विभाग तथा दूरस्थ शिक्षा विभाग परस्पर समन्वय से काम करेंगे।

18. प्लेसमेंट और रोजगार प्रकोष्ठ :

प्लेसमेंट/रोजगार प्रकोष्ठ का गठन तीन वर्ष की समाप्ति पर किया जाएगा। इसके द्वारा सफल विद्यार्थियों को केम्पस चयन के माध्यम से रोजगार प्राप्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगें। स्वरोजगार के संवर्धन हेतु भी प्रयास किए जाएंगें।

19. क्रेडिट पद्धति :

विश्वविद्यालय द्वारा विहित की गई क्रेडिट पद्धति के अनुरूप समस्त पाठ्यक्रमों के लिए क्रेडिट अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे :-

I.	कार्यक्रम	एक से तीन मास के लिए
2.	प्रमाण पत्र	16 क्रेडिट
3.	पत्रोपाधि (डिप्लोमा)	32 क्रेडिट
4.	स्नातकोत्तर (डिप्लोमा)	40 क्रेडिट
5.	स्नातक	64 क्रेडिट
6.	स्नातकोत्तर	96 क्रेडिट

20. शिक्षा का माध्यम :

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना मध्यप्रदेश राज्य के अधिनियम संख्या 34 सन् 2011 द्वारा हिन्दी भाषा में ज्ञान के

अभिवर्धन और प्रसार के लिए अधिनियमित करके की गई है। अतः सभी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा तथा परीक्षा का माध्यम हिन्दी होगा ।

21. पत्र–व्यवहार :

समस्त पत्र–व्यवहार तथा सूचनाओं का प्रेषण डाक, स्पीड डाक, ई–मेल, एस एम एस एलर्ट आदि द्वारा किया जाएगा।

22. नवाचार :

विश्वविद्यालय, समाज तथा प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञान, कौशल विकास से संबंधित लघु अवधि के तथा दीर्घ अवधि के अकादमिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करेगा। योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा विभिन्न नवाचार हाथ में लेगा और संचालित करेगा।

23. कौशल विकास गतिविधियां :

विश्वविद्यालय, समाज और शासन की नीतियों को आगे बढ़ाने में समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को पाठ्यक्रम संचालित करेगा। विश्वविद्यालय उचित रूप से उन्हें प्रमाणित भी करेगा।

24. संस्थाओं के साथ अनुबंध : प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों का प्रमाणीकरणः

विश्वविद्यालय, समाज के विभिन्न वर्गो, क्षेत्रों और समुदायों को अकादमिक फायदे पहुंचाने सहित ज्ञान तथा कौशल के विकास हेतु विभिन्न शासकीय, अर्ध–शासकीय तथा ख्यातिप्राप्त अशासकीय संस्थाओं और संगठ्नों के साथ पारस्परिक सहयोग के आधार पर द्विपक्षीय समझौते करेगा। सभी अकादमिक, प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य बिन्दुओं पर पारस्परिक शर्तों के अनुसार अनुबंध किए जाएंगे। विश्वविद्यालय, परीक्षा के पश्चात सफल विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र ग्रेड कार्ड और अंक सूची देगा तथा उपाधि प्रदान करेगा।

कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी
वि.वि. भोपाल (म.प्र.)

अध्यादेश क्रमांक – 105
स्नातकोत्तर – चित्रकला (एम.एफ.ए.)

1. **शीर्षक** – इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर–चित्रकला (एम.एफ.ए.) उपाधि के नाम से जाना जाएगा।

2. **पाठ्यक्रम का उद्देश्य** –

   1. इस पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों को चित्रकला के सैद्धान्तिक और क्रियात्मक ज्ञान में प्रशिक्षित कर निपुण बनाना।

3. **अवधि** – यह उपाधि दो शैक्षणिक वर्ष की होगी, जो चार सेमेस्टर में पूर्ण करना होगी। एक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर छः माह का होगा।

   प्रवेश पात्रता –

   1. स्नातकोत्तर चित्रकला पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए किसी मान्य विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक चित्रकला बी.एफ.ए. या समकक्ष उत्तीर्ण अभ्यार्थी पात्र होगा।

   2. अभ्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अर्हतादायी परीक्षा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के अनुसार प्राविण्य सूची के आधार पर होगा। प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण का अधिकार विद्यापरिषद का होगा।

4. स्नातकोत्तर चित्रकला (एम.एफ.ए.) पाठ्यक्रम के विषय निम्नवत है –
   (क) चित्रकला (ख) मूर्तिकला

5. **प्रवेश आयु** – प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन नही होगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आरक्षण नीति का पालन करना होगा।

6. **कुल स्थान** – प्रथम सेमेस्टर में स्नातकोत्तर चित्रकला में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थान 20 है जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

7. **शुल्क** – विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शुल्क देय होगें ।

8. **उपस्थिति** –

   I. किसी भी सेमेस्टर में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग अलग न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि से की जाएगी।

   II. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :–

   iv. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.एस./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)

   v. विश्वविद्यालय मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)

vi. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।

9. पाठ्यक्रम – स्नातकोत्तर – चित्रकला (एम.एफ.ए.) का पाठ्यक्रम पृथक पृथक पेंटिंग और मूर्तिकला विषय में संचालित होगा।

I. पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की रूपरेखा सम्बन्धित विषय के अध्ययन मंडल की अनुशंसा उपरान्त विद्या परिषद के अनुमोदन उपरान्त मान्य होगी।

II. पाठ्यक्रम का अध्यापन और परीक्षा का माध्यम हिंदी होगी।

10. परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की पात्रता एवं शर्ते :–

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा में वे सभी छात्र/छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं, जो निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करते हैंः–

I. छात्र/छात्राएँ जिनका विश्वविद्यालय में नामांकन हो चुका है।

II. छात्र/छात्राएँ जिनकी सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक (जहाँ अनिवार्य हो) कक्षाओं में पृथक–पृथक उपस्थिति 75 प्रतिशत है।

III. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में पृथक–पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है।

IV. छात्र/छात्राएँ जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क जमा कर दिए है।

V. छात्र/छात्राएँ जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किन्हीं कारणों से परीक्षा में सम्मिलित होने पर रोक नहीं है।

11. परीक्षा योजना – यह पाठ्यक्रम दोवर्षीय होगा।

I. प्रथम वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में दो सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र और चार प्रायोगिक होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें 70 अंक बाह्य मूल्यांकन के लिए 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए होंगे। विद्यार्थी को सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सतत् मूल्यांकन उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अंकित करना होगा।

II. प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा 100 अंक की होगी।

III. विद्यार्थी किसी भी सेमेस्टर में अधिकतम दो प्रश्नपत्र, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक में मिलाकर अनुत्तीर्ण होता है तो ऐटीकेटी के प्रावधानो के अन्तर्गत अगले सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। विद्यार्थी दो से अधिक प्रश्नपत्र, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मिलाकर मे अनुत्तीर्ण होने पर अनुत्तीर्ण होगा और विद्यार्थी ”पूर्व छात्र“ के रूप मे अगली सेमेस्टर परीक्षा में सम्मलित हो सकेगा। उत्तीर्ण होने के उपरान्त विद्यार्थी अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकेगा। सम्बन्धित सेमेस्टर में विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रश्न पत्रो/प्रायोगिक और सतत मूल्यांकन मे प्राप्त अंक यथावत रहेगे।

छात्र को तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश के पूर्व सभी पूर्व सेमेस्टर मे उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

12. परिणाम :–

I. स्नातकोत्तर चित्रकला (एम.एफ.ए) पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्र/छात्रा में जिन्होने सभी सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है उनके प्राप्तांकों के

औसत और ग्रेड प्वाइंट औसत (ळच्।) के आधार पर श्रेणी एवं ग्रेड प्वाइंट दिया जाएगा। जो विश्वविद्यालय के **"क्रेडिट एवं ग्रेड परिवर्तन"** अध्यादेश–**38** के आधार पर होगा।

II. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक कृपांक दिया जाएगा, जिसे कु.कृ–1 (कुलपति कृपांक–1) छात्र/छात्रा की अंकसूची में अंकित होगा।

III. प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान है

IV. इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि चार वर्ष होगी।

13. इस अध्यादेश मे किसी प्रकार के विवाद अथवा मतभेद अथवा कमी के निराकरण का अधिकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद/कार्यपरिषद का होगा। जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

संशोधित अध्यादेश क्रमाँक – 106*
(REVISED)
बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फोर्मेशन साइंस
(बी.लिब.आई.साइंस)

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अर्थात् (Bachelor of Library and Information Science) नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :** इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी। यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। इस एक वर्षीय पाठ्यक्रम को दो वर्ष में पूर्ण करना होगा । वार्षिक शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अहर्तादायी स्नातक परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधित करने का अधिकार होगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** किसी भी विधि मान्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% (प्रतिशत) अंकों से उत्तीर्ण की हो।
5. **शुल्क :** किसी अभ्यर्थी का चयन उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय में शुल्क जमा करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु चयन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। कुलपति/संकायाध्यक्ष द्वारा शुल्क जमा करने के लिए समयावधि में वृद्धि, उनके नवीन लिखित आदेश पर ही की जा सकती है, तत्पश्चात् शुल्क जमा करने के उपरांत प्रवेश मान्य होगा।
6. **स्थान –** विषय में प्रवेश हेतु निर्धारित स्थानों का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर किया जायेगा ।
7. **उपस्थिति :** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना,एन.सी.सी.,एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :** पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम की रचना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति अथवा अध्ययन मण्डल के द्वारा की जायेगी। वार्षिक परीक्षा में 8 प्रश्नपत्र होंगे तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र पर 100 अंक

निर्धारित हैं जिसमें से 80 अंक सैद्धाँतिक परीक्षा हेतु तथा 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित होंगे ।

10. **परीक्षा :** प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्राप्त करने होंगे। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम में बाह्य लिखित परीक्षा 80 अंकों की होगी तथा आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

I. छात्र/छात्राएँ जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्यशासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता) से किसी विषय के आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों; उन प्रकरणों में विषय के विभागाध्यक्ष स्वयं निर्णय लेकर छात्र/छात्रा का अलग से मूल्यांकन करा सकते हैं।

II. स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आंतरिक/सतत् मूल्यांकन/कार्य योजना/क्षेत्र कार्य/लघुशोध प्रबंध के प्राप्तांक सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा को उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

III. प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।

- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।

- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।

- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र/विषय में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र/विषय में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।

- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ । प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णाक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।
- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेंगे।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा, मौखिकी, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि स्नातक/पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे 'कुलपति कृपांक' तथा प्रत्येक वर्ष अधिकतम 01 अंक तथा कुल 03 अंक तीनों वर्षों में मिलकर होगें अथवा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो 'सामान्य कृपांक' 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

11.**विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद/कार्यपरिषद/कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

विद्यापरिषद की बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित

अध्यादेश क्रमांक - 107

स्नातक व्यवसाय प्रशासन (पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन)

1. **शीर्षक** - इस पाठ्यक्रम को स्नातक व्यवसाय प्रशासन (पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन) अर्थात् बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.) पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाएगा।
2. विद्यार्थी को यह पाठ्यक्रम अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा।
3. **अवधि** - इस पाठ्यक्रम की अवधि 3 शैक्षणिक वर्ष की होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। इस प्रकार पाठ्यक्रम में कुल छः सेमेस्टर होगे।
4. **प्रवेश पात्रता** - 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश का पात्र होगा। प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में प्रावीण्य क्रम में प्रवेश दिया जा सकेगा तथा राज्य शासन द्वारा जारी प्रवेश के नियम लागू होगें।
5. **परीक्षा योजना** -
   1. प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं परियोजना कार्य के अधिकतम अंक 100 होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र एवं परियोजना कार्य में 70 अंक बाह्यमूल्यांकन एवं 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। उत्तीर्ण होंने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
   2. **स्नातक व्यवसाय प्रशासन (पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन) स्तर पर सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की संरचना**
      प्रत्येक प्रश्नपत्र तीन खण्डों ''अ'',''ब'' एवं ''स'' में विभक्त होगा।
      1. खण्ड ''अ'' में 1-1 अंक के 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
      2. खण्ड ''ब'' में 3-3 अंक के 5 आंतरिक विकल्प के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे।
      3. खण्ड ''स'' में 9-9 अंक के 5 आंतरिक विकल्प के साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे।

इस प्रकार बाह्य मूल्यांकन के प्रश्नपत्र में अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा-

सारणी - 2

बाह्य मूल्यांकन			
खण्ड	**प्रश्नों की संख्या**	**प्रति प्रश्न अंक**	**कुल अंक**
अ	10	1	10
ब	5	3	15
स	5	9	45
योग			70

3. **स्नातक व्यवसाय प्रशासन (पारिवारिक व्यवसाय प्रबंधन) स्तर पर सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा-**

सारणी - 3

आन्तरिक मूल्यांकन	बाहय मूल्यांकन	कुल अंक
30	70	100

’ आंतरिक मूल्यांकन : इसमें प्रश्नोत्तरी, संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण, गृहकार्य, कक्षाकार्य, परियोजना कार्य आदि कार्य सम्मिलित होंगे।

6. प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की पूरक (ए.टी.के.टी. (।ससवू ज्व ङ्गममच पद ज्मतउ)) परीक्षाएँ प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं के साथ दिसंबर माह में आयोजित होंगी तथा द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की परीक्षाएँ द्वितीय/चतुर्थ/षष्ठम् सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं के साथ मई/जून माह में आयोजित होंगी। इसके साथ ही छठवें सेमेस्टर की परीक्षा में पुनः सम्मिलित होने के लिए विषम सेमेस्टर में दिसंबर माह में होने वाली परीक्षा के साथ परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। विश्वविद्यालय में पंजी में अंकित ”पूर्व छात्र“ आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ निर्धारित आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा में प्रस्तुत करेगा।
7. परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता रखने वाले एवं नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र, विभागाध्यक्ष प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक नियंत्रक/कुलसचिव को अग्रेषित करेंगे।
8. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में विश्वविद्यालय के नियमित परीक्षार्थी शामिल हो सकेंगे
   - I. प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में वही विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका नियमित प्रवेश है।
   - II. विद्यार्थी की न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। उपस्थिति की गणना छात्र/छात्राओं के प्रवेश तिथि या पाठ्यक्रम प्रारंभ तिथि जो भी बाद में हो, से की जाएगी।
   - III. कुलपति को निम्न प्रकरणों में उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर देने का अधिकार होगा :-
     - i. राष्ट्रीय सेवा योजना/एन.एस.सी./एन.सी.सी. शिविर में सहभागिता (प्रमाणपत्र के आधार पर)
     - ii. विश्वविद्यालय मान्य जिला स्तरीय/संभाग स्तरीय/राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय और अंतरविश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागिता (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर)
     - iii. लंबी अस्वस्थता (मान्य चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर), आदि।
     - iv. अन्य कोई कारण जिसे विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर माननीय कुलपति जी मान्य करें।
9. नियमित विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो सकेगा, यदिः :-
   - I. संबंधित सेमेस्टर के दौरान उसका नाम विभाग की पंजी में दर्ज हों।
   - II. संबंधित सेमेस्टर में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम नहीं हो।
   - III. संबंधित सेमेस्टर के प्रत्येक प्रश्नपत्र में विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा (जहाँ लागू है) में उत्तीर्ण हो।

IV. विद्यार्थी द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम् सेमेस्टर में स्वतः ही प्रोन्नत माना जाएगा, बिना इस शर्त के कि उसने प्रथम, तृतीय या पंचम सेमेस्टर में कितने प्रश्नपत्र उत्तीर्ण किए है।

10. निर्देश एवं परीक्षा का माध्यम मात्र हिंदी ही होगा। अंग्रेजी माध्यम से उत्तर लिखने की अनुमति नहीं है। ऐसी उत्तरपुस्तिकाएँ मूल्यांकन से अयोग्य होंगी।
11. प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण होंने के लिए आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा, परियोजना कार्य, प्रायोगिक परीक्षा जैसा लागू हो, में प्रत्येक में पृथक्–पृथक् न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना होंगे।
12. प्रत्येक सेमेस्टर के लिए विश्वविद्यालय/कुलपति द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क की राशि विद्यार्थी द्वारा जमा की जाएगी।
13. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित करने की दशा में, विद्यार्थी अग्र सेमेस्टर की कक्षा में अस्थायी प्रवेश ले सकता है। यदि विद्यार्थी संबंधित सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उस कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वमेय में निरस्त हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थी भूतपूर्व छात्र की श्रेणी में अध्यादेश – 7 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
14. किसी सेमेस्टर की परीक्षा (बाह्य) में पुनः बैठने वाले विद्यार्थी के आंतरिक मूल्यांकन के अंक इसी सेमेस्टर की अगली परीक्षा में अग्रसर किए जायेंगे, बशर्ते कि विद्यार्थी को आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्णांक प्राप्त हों।
15. छः वें सेमेस्टर परीक्षा के बाद सफल परीक्षार्थियों की सूची, कुल प्राप्तांकों के आधार पर निम्नलिखित श्रेणियों में घोषित की जाएगी। श्रेणी एवं कुल ग्रेड औसत (ब्ळच।) में परिणाम ”श्रेणी एवं ग्रेड परिवर्तन अध्यादेश – 38 के अनुसार घोषित होगा।“
16. एक अंक से श्रेणी परिवर्तन की दशा में एक अंक का कृपांक दिया जा सकता है। जो कु.कृ. – 1(कुलपति कृपांक – 1) विद्यार्थी की अंकसूची में अंकित होगा।
17. सेमेस्टर परीक्षा में परिणाम घोषणा उपरांत छात्र/छात्रा अधिकतम दो विषय/प्रश्नपत्र में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका देख सकता है।
18. पाठ्यक्रम में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
19. **अध्यादेश की व्याख्या** :– अध्यादेश की व्याख्या में किसी विवाद अथवा मतभिन्नता की स्थिति में विद्यापरिषद/कार्यपरिषद का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(साधारण परिषद् की बैठक दिनांक ....द्वारा स्वीकृत)

अध्यादेश क्रमाँक – 108
पत्रोपाधि (अंशकालीन) पाठ्यक्रम
गर्भ संस्कार प्रशिक्षक पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को '' **गर्भ संस्कार प्रशिक्षक पत्रोपाधि** '' के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा। दो सेमेस्टर में विभाजित होगा।
3. **प्रवेश : –**
   (क) प्रवेश की पार्तता महिला की ही होगी।
   (ख) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए महिला का विवाहित होना अनिवार्य है।
   (ग) प्रवेश की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश एवं भारत के अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण छात्रा ही प्रवेश ले सकती हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना **गर्भ संस्कार तपोवन केन्द्र** हेतु गठित अध्ययन मण्डल के द्वारा की जाएगी। एक वर्षीय दो सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे।
9. **परीक्षा :** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक होंगे एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र प्रायोगिक होंगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रायोगिक कार्य बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा। अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

   प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में

सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन, एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षार्थी को निर्धारित शुक्क जमा करने के उपरांत पुनर्गणना की पात्रता होगी। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्र.
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
गर्भ संस्कार प्रशिक्षक

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को '' **गर्भ संस्कार प्रशिक्षक स्नातकोत्तर पत्रोपाधि** '' के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक वर्ष का होगा जो दो सेमेस्टर में पूर्ण होगा।
3. **प्रवेश योग्यता :** मध्यप्रदेश एवं भारत के अन्य विधि मान्य विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी ही प्रवेश ले सकती हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय-समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस. एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी-भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :-** पाठ्यक्रम की रचना **गर्भ संस्कार तपोवन केन्द्र** हेतु गठित अध्ययन मण्डल के द्वारा की जाएगी।
9. **परीक्षा :** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक होंगे एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र प्रायोगिक होंगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रायोगिक कार्य बाह्य परीक्षक द्वारा किया जायेगा। अनुत्तीर्ण

विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन, एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत पुनर्गणना/उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने की पात्रता होगी। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

संशोधित अध्यादेश क्र. 109*

(REVISED)

(पूर्व संस्थित अध्यादेश क्र. 90)

लोक–संगीत पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को ''**लोक–संगीत**'' पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि' :** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र वार्षिक परीक्षा पद्धति से संचालित होगा। शैक्षणिक सत्र वि.वि. द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 10+2 के उर्त्तीण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :** पाठ्यक्रम की रचना सुगम–संगीत (ललितकला) हेतु गठित अध्ययन मंडल के द्वारा की जायेगी। सत्रांत में कुल 4 प्रश्नपत्र होंगे जिनमें प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक तथा तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र प्रायोगिक होंगे। प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा जिसमें से 40 प्रतिशत अंक प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्राप्त करने होंगे।

9. **परीक्षा' :** सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे एवं मूल्यांकन बाह्य परीक्षक द्वारा किया जावेगा। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। प्रायोगिक प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन कार्य आंतरिक एवं बाह्य परीक्षकों द्वारा होगा। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

- निर्धारित समयानुसार प्रायोगिक परीक्षाएँ होगी। प्रायोगिक परीक्षा के लिए एक बाह्य एवं एक आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जावेगें।
- विद्यार्थी को अपनी उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा।
- प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- प्रायोगिक परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णांक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंक का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।

- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते है, तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50ः अंक छात्र को प्रदान किये जावेगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परियोजना कार्य एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

(कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.02.2017 द्वारा स्वीकृत)

***** पूर्व संस्थित अध्यादेश क्रमाँक 90 से दो पाठ्यक्रम एक साथ संचालित होने के कारण लोक संगीत विषय को नवीन अध्यादेश क्रमाँक 109 प्रदान किया गया साथ ही कंडिका क्रमाँक 2 एवं 9 में संशोधन विद्या परिषद की बीसवी बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित किये गये ।

संशोधित अध्यादेश क्रमाँक – 110*
(पूर्व संचालित अध्यादेश क्र. 91)
स्नातकोत्तर पत्रोपाधि
हिंदी भाषा

1. **शीर्षक :** इस पाठ्यक्रम को ''**हिंदी भाषा**'' स्नातकोत्तर पत्रोपाधि के नाम से जाना जाएगा।
2. **अवधि :** पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक सत्र का होगा जो दो सेमेस्टर में विभाजित होगा ।
3. **प्रवेश :** –
   (क) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगा। प्रवेश में म.प्र. शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता :** मध्यप्रदेश एवं भारत के अन्य विधि मान्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के स्नातक उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं।
5. **शुल्क :** विश्वविद्यालय के नियमानुसार समय–समय पर निर्धारित प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :** किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति न्यूनतम 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर विभागाध्यक्ष की अनुसंशा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी–भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पाठ्यक्रम की रचना **हिंदी भाषा** हेतु गठित हिंदी विषय के अध्ययन मण्डल के द्वारा की जाएगी। एक वर्षीय दो सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर में चार प्रश्नपत्र होंगे।
9. **परीक्षा :** पाठ्यक्रम के प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रत्येक सेमेस्टर में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र सैद्धांतिक होंगे एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र परियोजना का होंगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के प्रत्येक प्रश्नपत्र 70 अंक सत्रांत लिखित परीक्षा के होंगे। पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं। परियोजना कार्य का मूल्यांकन बाह्य परिक्षक द्वारा किया जायेगा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पूर्व छात्र के रूप में प्रथम आगामी सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम अवसर देय होगा।

   प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षार्थी द्वितीय सेमेस्टर में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा देने के पात्र होंगे। यदि परीक्षार्थी प्रथम

सेमेस्टर उत्तीर्ण होकर द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को द्वितीय सेमेस्टर में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने का एक अंतिम अवसर प्राप्त होगा। पुनर्मूल्यांकन, एटीकेटी का प्रावधान नहीं रहेगा। परिक्षार्थी को निर्धारित शुक्क जमा करने के उपरांत पुर्नागणना की पात्रता होगी। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

10. **विवाद :** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद् द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

---

*विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अध्यादेश क्रमाँक 91 से संशोधित कर नवीन क्रमाँक 110 अनुमोदित किया गया ।

अध्यादेश क्रमांक – 111
बी.वोक (बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज)
स्नातक (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम

यह अध्यादेश मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विभिन्न पूर्णकालीन त्रिवर्षीय (छह सेमेस्टर) बी.वोक. पाठ्यक्रम पर लागू होगा।

1. **उपाधि का शीर्षक –** व्यावसायिक स्नातक 'बी.वोक.' (बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज); त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम (3–डी एनीमेशन) के नाम से जाना जायेगा ।
2. **संकाय व अध्ययन मंडल का नाम –** संबंधित विशेषज्ञता और विश्वविद्यालय के अनुसार संकाय व अध्ययन मंडलों के अनुसार संचालित होगा ।
3. **पाठ्यक्रम की अवधि –** उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष/छह सेमेस्टर होगी।
4. **योग्यता –** किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा समकक्ष बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी इसमें प्रवेश ले सकेंगे ।
5. **प्रवेश प्रक्रिया –** जैसा कि समय–समय पर उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार / संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा तय किया गया हो आरक्षण नीति का पालन होगा तथा जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारण किया जायेगा।
6. **सीटों की संख्या –** अधिकतम 50 होगी ।
7. **शुल्क–संरचना** - जैसा कि समय–समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गयी हो।
8. **उपस्थिति–** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
9. **अध्ययन का माध्यम :–** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
10. **परीक्षा –** संबंधित विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार होगी । परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा।

पाठ्यक्रम का प्रत्येक सैद्धाँतिक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा तथा पाठ्यक्रम/विषय के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएँ होंगी जो प्रत्येक 100 अंकों की होकर एक बाह्य परीक्षक एवं एक आंतरिक परीक्षक द्वारा ली जायेगी। प्रत्येक सैद्धाँतिक प्रश्नपत्र हेतु 70 अंक एवं आंतरिक/सतत् मूल्यांकन हेतु 30 अंक निर्धारित होगें । प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग-अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा का संचालन परीक्षा अध्यादेश के अनुसार होगा।

- विद्यार्थी को अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना कराने एवं अवलोकन करने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस के निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु 10 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क के साथ कुलसचिव, अबिवाहिविवि को आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- सैद्धांतिक प्रश्नपत्र के प्राश्निक और आन्तरिक सतत् मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य तथा परियोजना कार्य में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक में पृथक पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।
- विद्यार्थी जो किसी विशेष कारण (जैसे लंबी अस्वस्थता/विश्वविद्यालय/राज्य शासन द्वारा आयोजित गतिविधियों में सहभागिता आदि) से किसी विषय में आंतरिक/सतत् मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सके हों उन प्रकरणों में विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति के अनुमोदन उपरांत विद्यार्थी का सतत् मूल्यांकन हो सकता है।
- अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के आंतरिक/सतत् मूल्यांकन के अंक अगले सेमेस्टर में अग्रनीत (कैरिड) होंगे।
- किसी सेमेस्टर में विद्यार्थी को सैद्धांतिक, प्रायोगिक या आंतरिक सतत् मूल्यांकन, कार्ययोजना में अधिकतम कुल दो में ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) की पात्रता होगी।
- विद्यार्थियों को पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने के पूर्व सभी ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) उत्तीर्ण करने होंगे अन्यथा पंचम सेमेस्टर में प्रवेश के अपात्र होंगे।
- ए.टी.के.टी. (Allow to keep in Term) की परीक्षा नियमित सेमेस्टर परीक्षा के साथ होगी और अन्य परीक्षा आयोजित नहीं होगी।
- प्रायोगिक/परियोजनाकार्य परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा ।

- यदि उपाधि/पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा । प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के लिए यह नियम लागू नहीं होगा ।

11. **उपाधि के लिए योग्यता –** प्रथम सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी प्रमाणपत्र के लिए पात्र होगा। दो सेमेस्टर (1वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी डिप्लोमा के लिए पात्र होगा और चार सेमेस्टर (2वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर 'एडवांस डिप्लोमा' का पात्र होगा। छह सेमेस्टर (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर विद्यार्थी संबंधित क्षेत्र/शाखा में बी.वोक. 'व्यावसायिक स्नातक उपाधि' का पात्र होगा।

12. **अध्यापन –** अध्यापन की पद्धति में व्याख्यान, परिसंवादों, शैक्षणिक यात्राओं, गृहकार्य, प्रयोगशाला कार्य,कार्यशाला–अभ्यास, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य का संयोजन होगा। विश्वविद्यालय के नियमित प्राध्यापक तथा प्रतिष्ठित संगठनों/संस्थाओं/औद्योगिक साझेदारों के अतिथि विद्वान अध्यापन, प्रायोगिक कार्य एवं कार्यशाला–अभ्यास में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत शिक्षकवर्ग भी प्रायोगिक कार्य/कार्यशाला–अभ्यास में शामिल होंगे। विशेष विषयों पर व्याख्यान व परिसंवादों के लिए विशिष्ट विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जाएगा। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत बी.वोक/एम.वोक एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जायेंगे।

(क) कक्षा को संचालित करने वाला प्रत्येक अध्यापकगण–सदस्य उपस्थिति को सेमेस्टर के अंतिम निर्देश दिन तक दर्ज करेगा। अंतिम निर्णय संकाय के अधिष्ठाता द्वारा विभाग प्रमुख/समन्वयक/पाठ्यक्रम निदेशक के परामर्श से निर्दिष्ट किया जायेगा। इस बिंदु तक की गई उपस्थिति का प्रतिशत संबंधित अध्यापकगण द्वारा इंगित किया जाएगा।

(ख) छात्रों से साधारणतः सैद्धांतिक कक्षाएं, शैक्षणिक एवं प्रायोगिक कक्षाओं/कार्यशाला कक्षाओं में 100 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित हैं। यद्यपि, किसी भी छात्र को अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वह प्रत्येक प्रश्नपत्र में पाठ्यक्रम के दौरान निर्देशानुसार कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थित न रहा हो।

(ग) सैद्धांतिक व प्रायोगिक कक्षाओं की उपस्थिति अलग–अलग देखी जायेगी। उपस्थिति की कमी के प्रकरण में, मामलों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों के अनुसार माना जाएगा।

सामान्य निर्देश –जिन प्रकरणों में अध्यादेश नहीं है, उनके लिए उच्च शिक्षा विभाग, राज्य सरकार और संबंधित विश्वविद्यालय के सामान्य निर्देश/नियम लागू होंगे। अन्य सभी मामलों में संबंधित विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी परिषद/ कुलपति निर्णय लेने के लिए सक्षम होंगे।

विशेष प्रावधान –

(I) केवल उन्हीं सफल छात्रों को प्रमाणपत्र/पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि मिलेगी जो इस पाठ्यक्रम के दो/चार सेमेस्टर (या एक वर्ष, दो वर्ष एवं तीन वर्ष) को पूर्ण करने के बाद छोड़ेंगे।

(II) क्षेत्र/शाखा का निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/राज्य सरकार/संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(III) अध्यादेश की व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद के मामले में संबंधित कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

(IV) पाठ्यक्रम, प्रवेश की तारीख से पाठ्यक्रम की कालावधि की दोहरी समयावधि के अंदर ही पूर्ण किया जाना चाहिए।

(v) सभी कानूनी प्रकरण केवल संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित

अध्यादेश क्रमांक - 112
पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
वैदिक गणित

1. **शीर्षकः-** यह पाठ्यक्रम वैदिक गणित पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधिः-** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक वर्ष का होगा तथा वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार संचालित किया जायेगा। यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा के दृष्टिकोण से प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन बेला में एवं विश्वविद्यालय के नियमित काल खण्डों में भी संपादित किया जायेगा।
3. **प्रवेशः-**
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हताः-** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं ।
5. **स्थानः-** इस पाठ्यक्रम के लिए 30 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :-** विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अध्ययन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थितिः-** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना-पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :-** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रम :-** पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में चार सैद्धांतिक प्रश्नपत्र तथा दो प्रायोगिक परीक्षाएँ होगी। प्रत्येक सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में 100 अंक प्रति प्रश्नपत्र होंगे तथा अंकों का विभाजन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।
10. **परीक्षा :-** पाठ्यक्रम का प्रत्येक सैद्धाँतिक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा तथा दो प्रायोगिक परीक्षाएँ होंगी जो प्रत्येक 100 अंकों की होकर एक बाह्य परीक्षक एवं एक आंतरिक परीक्षक द्वारा ली जायेगी। प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होंगे। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनो परीक्षाओं में अलग-अलग

उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षा का संचालन परीक्षा अध्यादेश के अनुसार होगा।

- विद्यार्थी को अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस के निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक/परियोजनाकार्य/परीक्षा में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/ पेपर में सम्मलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ होना पड़ेगा।
- प्रायोगिक/परियोजनाकार्य परीक्षा के लिए पुनः जाँच/परीक्षण कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णांक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंकों का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।

- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेंगे।
- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुर्नमूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किये जावेंगे ।

11. **विवादः–** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/कुलपति जीद्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित

अध्यादेश क्रमांक– 113

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस
(एम.लिब.आई.साइंस)

1. **शीर्षक :–** इस पाठ्यक्रम को स्नातकोत्तर पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान अर्थात् (Master of Library & Information Science) नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :–** इस नियमित पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की होगी जो दो सेमेस्टर में पूर्ण करनी होगी । एक अकादमिक वर्ष में दो सेमेस्टर होगें ।
3. **प्रवेश :–** इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी के अर्हतादायी परीक्षा प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर होगी। प्रवेश हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। विश्वविद्यालय को प्रवेश संबंधी नियमों में समय–समय पर संशोधित करने का अधिकार होगा।
4. **अर्हतादायी योग्यता** :– किसी भी विधि मान्य विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फर्मेशन साइंस (B.Lib.Sci.) परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो ।
5. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
6. **उपस्थिति :–** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना,एन.सी.सी.,एन.एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/ संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
7. **अध्ययन का माध्यम :–** अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
8. **पाठ्यक्रम :–** पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की रचना/संशोधन हेतु वि.वि. द्वारा गठित अध्ययन मण्डल के द्वारा की जायेगी। प्रथम सेमेस्टर में 4 प्रश्नपत्र तथा द्वितीय सेमेस्टर में 4 प्रश्नपत्र यानि परीक्षा में कुल 8 प्रश्नपत्र होंगे। पाठ्यक्रम दो सेमेस्टर का होगा।
9. **परीक्षा :–** प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक (उत्तीर्ण हेतु) प्राप्त करने होंगे। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम में सैद्धाँतिक परीक्षा 70 अंकों की होगी तथा आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा विश्वविद्यालय के परीक्षा संचालन अध्यादेश के अनुसार सम्पन्न होगी।

सैद्धाँतिक प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा । आंतरिक मूल्यांकन के भी पुनः परीक्षण का प्रावधान नहीं है । छात्र केवल अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्गणना एवं अवलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसकी निर्धारित शुल्क नियमानुसार देय होगी । परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर विद्यार्थी पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकता है । इसके पश्चात 05 दिवस विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे । तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें । पुनर्गणना अथवा अवलोकन में यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो विषय विशेषज्ञ/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर उचित कार्यवाही हेतु कुलपति जी निर्देशित कर सकते हैं ।

10. **विवाद :–** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/कुलपतिजी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

अध्यादेश क्रमाँक – 114

पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन

1. **शीर्षक :–** यह पाठ्यक्रम मशरूम उत्पादन तकनीक एवं प्रबंधन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम के नाम से जाना जायेगा।
2. **अवधि :–** यह पाठ्यक्रम एक वर्षीय अकादमिक वर्ष का होगा तथा वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार संचालित किया जायेगा। शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा घोषित अकादमिक पंचाग के अनुसार होगा।
3. **प्रवेश :–**
   (क) इस पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।
   (ख) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।
4. **अर्हता :–** मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं भारत के अन्य राज्यों से विधि मान्य माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 के उत्तीर्ण छात्र प्रवेश ले सकते हैं ।
5. **स्थान :–** इस पाठ्यक्रम के लिए 30 स्थान निर्धारित हैं।
6. **शुल्क :–** विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित अध्ययन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा।
7. **उपस्थितिः–**परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना–पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।
8. **अध्ययन का माध्यम :–**अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी।
9. **पाठ्यक्रमः–**पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में पाँच सैद्धांतिक प्रश्नपत्र होगें तथा एक परियोजना कार्य एवं एक प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रत्येक सैद्धांतिक परीक्षा हेतु 100 अंक प्रति प्रश्नपत्र निर्धारित होंगे। इनमें से सैद्धाँतिक परीक्षा हेतु 70 अंक तथा 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित हैं। परियोजना कार्य हेतु 50 अंक एवं प्रायोगिक परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित होंगे।
10. **परीक्षा –** परीक्षा का संचालन परीक्षा अध्यादेश के अनुसार होगा । पाठ्यक्रम का प्रत्येक सैद्धाँतिक प्रश्नपत्र 70 अंकों का होगा तथा 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन हेतु निर्धारित है । परियोजना कार्य हेतु 50 अंक तथा प्रायोगिक परीक्षा हेतु 50 अंक निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा हेतु एक आंतरिक एवं एक

बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जावेगा। प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक दोनों परीक्षाओं में अलग–अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र/प्रायोगिक/सैद्धांतिक में पृथकतः तथा योगफल में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है ।

- विद्यार्थी को अपनी सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिका का पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन कराने का अवसर दिया जावेगा। पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने से 15 दिवस के अन्दर कुलसचिव अबिवाहिविवि, भोपाल को निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके पश्चात् 05 दिवस निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र स्वीकार किये जावेंगे। तदोपरान्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- विद्यार्थी केवल कोई दो उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है। यदि किसी कारणवश पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो छात्र को प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष शुल्क वापिस कर दी जायेगी । पुनर्गणना हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका निर्धारित शुल्क के भुगतान करने पर यह सुविधा दी जायेगी। पुनर्गणना तथा उत्तर पुस्तिका के अवलोकन करने पर यदि किसी तरह की त्रुटि पायी जाती है तो परीक्षा प्रभारी/परीक्षा नियंत्रक की अनुशंसा पर कुलपति जी उचित कार्यवाही आदेशित कर सकते हैं ।
- विद्यार्थी यदि उत्तर पुस्तिका देखना चाहता है, तो परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के अन्दर निर्धारित प्रपत्र के साथ निर्धारित शुल्क भुगतान करने पर आवेदन दे सकता है।
- विद्यार्थी को एक प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा में प्रविष्ठ होने की पात्रता होगी। एक से अधिक प्रश्नपत्र में अनुर्त्तीर्ण होने पर अगले वर्ष होने वाली वार्षिक परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसी प्रकार प्रायोगिक/ परियोजनाकार्य में भी पूरक की पात्रता होगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
- विद्यार्थी को पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित होने पर दो निरन्तर अवसर प्राप्त होंगे, पहला पूरक परीक्षा के साथ तथा दूसरा अवसर अगले सत्र में होने वाली वार्षिक परीक्षा के साथ। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ‘‘पूरक पात्रता’’ तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ‘‘पूर्व परीक्षार्थी’’ के रूप में संबंधित विषय/ पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ होना पड़ेगा।
- पुनर्मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिका को दो जाँचकर्ताओं के पास भेजा जावेगा तथा प्राप्तांकों में पूर्णांक का 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होने पर ही उसे गणना में लिया जावेगा। लेकिन 20 प्रतिशत से अधिक अंकों का अंतर होने पर उत्तर पुस्तिका को तीसरे मूल्यांकनकर्ता को भेजा जावेगा।

- यदि किसी छात्र को किसी एक परीक्षक से 10 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो दो निकटतम उच्च अंक प्रदान करने वाले मूल्यांकनकर्ता के अंकों को जोड़कर योगफल में 50% अंक छात्र को प्रदान किये जावेंगे।

- प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा परियोजना एवं मैदानी कार्य इत्यादि के पुनः जाँच/परीक्षण/ पुर्नमूल्यांकन कराने का प्रावधान नहीं होगा।
- यदि पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि परीक्षा में छात्र 01 अंक की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपति जी का कृपांक तथा परीक्षा के अंतिम वर्ष में 03 अंक की कमी होने पर यदि उत्तीर्ण होने से वंचित होता है तो सामान्य कृपांक 03 अंक प्रदान किये जावेंगे किंतु ये दोनों सुविधाएं एक साथ नहीं दी जावेंगी। ऐसे अंकों को प्रवीण्य सूची हेतु मान्य नहीं किया जावेगा ।

11. **विवादः–** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/ कुलपति जी द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

विद्या परिषद की बीसवीं बैठक दिनाँक 10/08/2018 में अनुमोदित

अध्यादेश क्रमांक -115
स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम
(कला/वाणिज्य/प्रबंधन/विज्ञान/जीवविज्ञान/समाज विज्ञान/संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग/गृहविज्ञान संकाय)
(वार्षिक परीक्षा प्रणाली)

1. **शीर्षक –** यह पाठ्यक्रम स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होगा तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली से संचालित होगा। म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्र. 499/96/सी.सी./2017 भोपाल दिनांक 31/05/2018 के संदर्भ में समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.05.2018 के कार्यवाही विवरण विषय क्र. 11 में लिये गए निर्णय के अनुसार वार्षिक पाठ्यक्रम के अध्यादेश के अनुसार यह संचालित किया जावेगा। यह पाठ्यक्रम स्नातक स्तर के **कला/विज्ञान /वाणिज्य/ प्रबंधन/जीव विज्ञान/ समाज विज्ञान/ संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग/गृहविज्ञान संकाय** के लिए निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम जिन्हें परीक्षा की वार्षिक प्रणाली के तहत इसी उद्देश्य से विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो अथवा उन पाठ्यक्रमों के लिए जिनके विश्वविद्यालय के अलग-अलग अध्यादेश हैं उन्हें वार्षिक प्रणाली के तहत संचालित किया जायेगा।
2. **अवधि –** इस पाठ्यक्रम को वार्षिक परीक्षा प्रणाली से स्नातक स्तर पर संचालित किया जाएगा तथा यह त्रिवर्षीय होगा। स्नातक व स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में क्रमशः 5 व तीन वर्ष की अवधि की बाध्यता समाप्त की गयी है तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों की अधिकतम अवधि 5 व 4 वर्ष रखी जावेगी। यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि स्नातक 05 एवं स्नातकोत्तर 04 वर्ष (एवं 01 वर्ष एक्सटेंशन का उपयोग करने के बाद भी पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसको शेष पाठ्यक्रम स्वाध्यायी छात्र के रूप में पंजीकृत होकर उत्तीर्ण करना होगा। ऐसे विद्यार्थियों पर पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि एवं उपस्थिति का बंधन बाध्यकारी नहीं होगा। ऐसे स्वाध्यायी विद्यार्थी को उसके द्वारा पूर्व में उत्तीर्ण किए गए प्रश्नपत्र अंकों/क्रेडिट का लाभ मिलेगा परन्तु उसका परीक्षा परिणाम प्रवीण्य सूची के लिए मान्य नहीं होगा।) इस प्रकार निर्धारित अवधि के उपरान्त स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जिस वर्ष परीक्षा में भाग लेना है उसी वर्ष के पाठ्यक्रम (यदि पूर्व पाठ्यक्रम में संशोधन आदि हुआ है तो) एवं उसी वर्ष के अद्यतन सभी पाठ्यक्रम तथा अकादमिक प्रावधानों का पालन करते हुए उसी के अनुरूप परीक्षा देनी होगी।
3. **प्रवेश –**

(क) इस स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जायेगा।

(ख) प्रवेश में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण नीति का पालन होगा।

(ग) इन पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक में प्रवेश की संख्या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जावेगी। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना (सं.-968/98सीसी/17/अड़तीस, दिनांक 12/1/17) और बाद में 25/10/ 2017 की 93वीं बैठक में समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित है।

(घ) इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले हर प्रवेशार्थी को इस उद्देश्य हेतु विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा किसी अन्य समकक्ष निकाय की (10+2) वीं (उच्चतर माध्यमिक) कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(ङ) इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश उस प्रणाली एवं प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा, जैसा कि विश्वविद्यालय अध्यापन विभागों(यूटीडी) के संदर्भ में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा तय किया गया हो।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए प्रवेश-नियम और दिशा-निर्देश समय-समय पर प्रवेश के लिए लागू होंगे।

(छ) स्नातक स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में कार्य, प्रशिक्षण कार्य, प्रयोगशाला कार्य, प्रायोगिक कार्य इत्यादि जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए हों समाहित होंगे।

(ज) इस तरह के पाठ्यक्रम और परीक्षा की योजना विश्वविद्यालय द्वारा जैसा प्रकरण हो, उसके अनुसार समय-समय पर निर्धारित की जा सकती है।

4. **अध्ययन का माध्यम -** अध्ययन, अध्यापन एवं परीक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होगी या समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा तय भाषा होगी।

5. **शुल्क -** विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अध्ययन एवं परीक्षा शुल्क देय होगी।

6. **उपस्थिति -** परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी। यदि विशिष्ट कारणों का उल्लेख करते हुए विभागाध्यक्ष द्वारा विद्यार्थी के प्रार्थना-पत्र पर अनुशंसा की गई हो तो अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट कुलपति के द्वारा दी जा सकती है। विशेष कारण (जैसे राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., एन. एस.सी. में भागीदारी, युवा उत्सव में भागीदारी, जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद या शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी, लम्बी अस्वस्थता आदि) में सक्षम अधिकारी के प्रमाणपत्र के आधार पर एवं विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर कुलपति उपस्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत की छूट प्रदान कर सकते हैं।

7. **पाठ्यक्रम -** सभी स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अपनी विषयवार शाखा के अनुरूप संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार होंगे। जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएँ/परियोजना कार्य/मैदानी कार्य/व्याख्यान/ व्यावहारिक कार्यों का प्रावधान हैं वे यथावत लागू रहेंगे। इसके अतिरिक्त आधार पाठ्यक्रम विषयवार एवं अध्ययन मंडल की अनुशंसा अनुसार लागू रहेंगे। यदि वह योग्य है और उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए रोका नहीं गया हो तो प्रत्येक छात्र को सैद्धांतिक/प्रायोगिक तथा सतत् व्यापक परीक्षा (सीसीई)/आंतरिक मूल्यांकन (आईए), हेतु अलग-अलग उपस्थित

होना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रवेशार्थी को निर्धारित विषय में विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सैद्धांतिक और प्रायोगिक/व्यावहारिक परीक्षा (यदि कोई हो तो) तथा सीसीई/आईए में न्यूनतम अंक (जैसा कि संबंधित पद्धति में वर्णित अनुसार) प्राप्त करने होंगे।

8. **परीक्षा योजना –** स्नातक स्तर पर वार्षिक पद्धति से परीक्षाएँ आयोजित की जावेगी तथा विषयवार एवं प्रश्नपत्रों के अनुसार अंकों का निर्धारण समय–समय पर अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित किया जावेगा। सभी प्रायोगिक कार्य/परियोजना कार्य/सी.सी.ई./मैदानी कार्य के लिए भी अंकों का निर्धारण तथा उत्तीर्णांक का निर्धारण भी अध्ययन मंडल द्वारा किया जावेगा।

(अ) परीक्षा हेतु अन्य नियम निम्नानुसार होंगे :–

(i) यदि कोई परीक्षार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा परीक्षा के शेष विषयों को उत्तीर्ण कर लेता है, तो उसे लगातार केवल दो बार पूरक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिलेगी। प्रथम पूरक परीक्षा में विद्यार्थी ''पूरक पात्रता'' तथा अगली वार्षिक परीक्षा में ''पूर्व परीक्षार्थी'' के रूप में संबंधित विषय/पेपर में सम्मिलित हो सकेगा। यह उसका अंतिम अवसर होगा अन्यथा विद्यार्थी पुनः स्वाध्यायी/ भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ठ हो सकेगा। यदि कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में एक से अधिक विषयों में असफल रहता है, तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा तथा उसी कक्षा की आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। दोनों अवसरों का उपयोग करने के बावजूद भी यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ रहता है तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा।

(ii) परीक्षार्थी को केवल उसी वर्ष उपाधि प्रदान की जाएगी, जब वह सभी विषयों में उत्तीर्ण हो जायेगा।

(iii) उपर्युक्त सभी प्रकरणों में परीक्षार्थी को परीक्षा के समय लागू पाठ्यक्रम और योजना के अनुसार परीक्षा में शामिल होना होगा।

(iv) यदि कोई परीक्षार्थी किसी विषय के एक प्रश्नपत्र में ही न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता है तथा दूसरे प्रश्नपत्र में वह अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहता है तो वह प्राप्त उत्तीर्णांकों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जायेगा बशर्ते कि वह अन्य विषयों में भी उत्तीर्ण हो रहा हो ।

(ब) किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उसके द्वारा निम्न शर्तों के पूर्ण किये जाने पर ही दी जायेगी

(i) दिए गए व्याख्यान/व्यावहारिक/प्रायोगिक कक्षाओं में अलग–अलग कम–से–कम 75% उपस्थित रहा हो (नियमित परीक्षार्थियों के लिए)।

(ii) सभी देय शुल्क का भुगतान कर दिया हों।

(iii) संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष से 'कुछ बकाया नहीं' का प्रमाण–पत्र (अदेय प्रमाणपत्र) प्राप्त किया हो।

(iv) विभागाध्यक्ष द्वारा अधिसूचित कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र/परियोजना रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया हो।

(v) पाठ्यक्रम के अनुसार विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो।

(स) श्रेणी (अंतिम परिणाम में) संबंधित पाठ्यक्रम के सभी वर्गों के सैद्धांतिक, व्यावहारिक/प्रायोगिक तथा सी.सी.ई./आई.ए. में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

60% या अधिक – प्रथम श्रेणी

45% या अधिक किंतु 60% से कम – द्वितीय श्रेणी

45% से कम – तृतीय श्रेणी तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होंगे।

अंकसूची में दर्शाये जाने वाले लघु संकेत –

B - Brought Forward (अग्रेषित अंक)
FT – Failed in Theory (अनुत्तीर्ण सैद्धाँतिक)
FP – Failed in Practical (अनुत्तीर्ण प्रायोगिक)
ABS – Absent (अनुपस्थित)
FF – Fail in whole subjects or Group(विषयों अथवा समूह में अनुत्तीर्ण)

(द) यदि कोई परीक्षार्थी किसी वर्ग में अनुत्तीर्ण है या अनुपस्थित रहा है, तो वह निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार कृपांक का पात्र होगा।

(i) स्नातक परीक्षा में यदि छात्र 01 की कमी होने पर उच्च श्रेणी से वंचित होता है तो उसे कुलपतिजी का कृपांक (के.जी.) दिया जावेगा तथा यह अंक उसके पूर्णांकों में नहीं जोड़ा जायेगा।

(ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक परीक्षार्थी को अधिकतम तीन अंकों की सामान्य कृपा दी जाएगी, यदि वह तीन अंकों से अनुत्तीर्ण रहा हो तो अंतिम अंतिम वर्ष की परीक्षा में 03 अंकों को सामान्य कृपांक के रूप में जोड़ा जावेगा। किन्तु प्रवीण्य सूची निर्धारण में इन अंकों को नहीं जोड़ा जावेगा। इन कुलपति कृपांक एवं सामान्य कृपांकों में से उक्त दोनों सुविधाएँ एक साथ प्रदान नहीं की जावेगी।

**स्नातक वार्षिक परीक्षा पद्धति में पाठ्यक्रमों के अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा – ''पाठ्यक्रमों में द्वि–प्रश्नपत्र प्रणाली में नियमित विद्यार्थियों के लिए 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक त्रैमासिक एवं 10 अंक छः माही) के साथ 40–40 अंकों के सैद्धाँतिक दो प्रश्नपत्र होंगे । इस तरह कुल 80 अंक सैद्धाँतिक प्रश्नपत्र के रहेंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ, लघुउत्तरीय एवं दीर्घउत्तरीय प्रश्नपत्र होंगे ।*

9. उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना एवं पुनरावलोकन –

सामान्य रूप से परीक्षाओं और परीक्षाओं को संचालित करने संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अध्यादेश संख्या 5 और 6 में निहित नहीं है। अतः उत्तर–पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और संवीक्षा (पुनर्गणना आदि) व पुनरावलोकन से संबंधित निम्नलिखित नियम होंगे :–

1. परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क से साथ कोई दो सैद्धांतिक उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन कराने हेतु कुलसचिव को आवेदन कर सकता है। निर्धारित तिथि के बाद 05 दिवस बिलम्ब शुल्क के साथ छात्र को पुनर्मूल्यांकन के हेतु अवसर दिया जायेगा। किन्तु इसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। यद्यपि परीक्षा में प्रस्तुत व्यावहारिक/प्रायोगिक कार्य, कार्यक्षेत्र, परिसंवाद, सत्रीय कार्य, सीसीई/आई.ए., आंतरिक लघु परीक्षाएँ एवं शोध – प्रबंध/ लघु शोध प्रबंध/ परियोजना रिपोर्ट के मामले में पूरक परीक्षा के लिए कोई पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. यदि किसी कारणवश छात्र की उत्तरपुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं हो पाता है तो पुनर्मूल्यांकन के लिए भुगतान की गई शुल्क की प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि वापिस की जाएगी। पूरक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा केवल पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका अवलोकन का प्रावधान रहेगा ।
3. आवेदित उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के अन्तर्गत उन्हें पुनर्मूल्यांकन हेतु दो मूल्यांकनकर्ताओं (प्रथम परीक्षक जिसने यह उत्तर–पुस्तिका जाँची हो उसके अतिरिक्त) के पास भेजा जाएगा, उनमें से कम–से–कम एक विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर के स्थान से होगा। यदि किसी भी परीक्षक द्वारा पूर्णांकों में से 10 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्रदान किये जाते हैं तो दो निकटतम मूल्यांकनकर्ताओं के अंकों को जोड़ में लेकर योगफल का 50 प्रतिशत अंक परीक्षार्थी को प्रदान किये जावेगें।

---

*आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, भोपाल के पत्र क्रमाँक 710/55/ आउशि/शाखा–5'अ'/2017 भोपाल दिनाँक 08/06/2017 के परिपालन में अधिसूचना क्रमाँक/1719/अकादमी/अबिवाहिविवि/2018 दिनाँक 10/12/2018 के अनुसार उक्त प्रावधान स्नातक स्तर की परीक्षाओं हेतु मान्य किया गया ।

4. यदि 10 प्रतिशत या उससे कम अंक किसी परीक्षार्थी को प्राप्त होते हैं तो उन्हे गणना में नहीं लिया जावेगा तथा परीक्षार्थी का परिणाम यथावत रहेगा।

5. यदि मूल अंकों में कम–से–कम 20 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो, तो उत्तर–पुस्तिकाओं को चौथे परीक्षक को भेजा जाएगा (मूल परीक्षक और दो पूर्व पुनर्मूल्यांकनकर्ताओं के अतिरिक्त), परीक्षार्थी के परिणाम के संशोधन हेतु चौथे परीक्षक द्वारा प्रदान किए गए अंक मान्य होंगे। बशर्ते कि यह अंक जो प्राप्त हुए हैं, यदि मूल अंकों से कम हैं, तो मूल अंकों को कम नहीं किया जाएगा तथा परिणाम यथावत् रहेगा।

10. उत्तर–पुस्तिकाओं की संवीक्षा (अंकों की पुनर्गणना)

(क) परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में छात्र द्वारा पुनर्गणना हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद 05 दिवस बिलम्ब शुल्क के साथ छात्र को पुनर्गणना के हेतु अवसर दिया जायेगा। किन्तु इसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। यह शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि ऐसी विशिष्ट स्थितियों में गैर अनुपालन के लिए परीक्षार्थी का परीक्षा – परिणाम पर रोक लगी हो (उदाहरण के लिए प्रव्रजन प्रमाण–पत्र अथवा मूल दस्तावेज आदि नहीं दिए गए हो तो ऐसी स्थिति में) तो छात्र का परीक्षा परिणाम घोषित होने तक पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन के परिर्वतन अथवा परिणाम को घोषित नहीं किया जावेगा।

11. उत्तर–पुस्तिकाओं का निरीक्षण –

(क) यदि कोई परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण कराना चाहता है तो उसे मुख्य–परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने के दस दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क के साथ कुलसचिव को आवेदन करना होगा। यह शुल्क वापिस नहीं किया जाएगा।

(ख) यदि उत्तर–पुस्तिका को देखने के बाद यह पाया गया कि मूल्यांकन का स्तर परीक्षार्थी की संतुष्टि के अनुरूप नहीं है, तो वह अलग से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकता है। निरीक्षण हेतु लगा शुल्क वापिस देय नहीं होगा।

(ग) विश्वविद्यालय प्रकरण को कार्यकारी परिषद द्वारा समय–समय पर दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार तय करेगी।

12. **विवाद –** इस अध्यादेश के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद अथवा कमी का निराकरण विश्वविद्यालय की अकादमिक समिति/कार्य परिषद/कुलपति द्वारा होगा जिसका निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।